राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]   तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का पांचवां दिवस   [संख्या : 3

सोमवार,

25 फरवरी, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं की क्षतिग्रस्त सड़कें

23. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने के कार्यादेश होने के उपरान्त भी कार्य आज तक चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसी सड़कें कौन-कौनसी हैं तथा कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्षों में चौमूं विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का नवीनीकरण करवाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का?

(5) क्या यह भी सही है कि अनेक सड़कें गारंटी समयावधि में होने के उपरान्त भी उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार गारंटी अवधि की सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) जी नहीं। चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कुल 95 सड़कों, लम्बाई 408.04 किलोमीटर, में से

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मात्र 8 सड़कें 5.65 किलोमीटर लम्बाई में आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसका कार्यादेश होने के उपरान्त भी कार्य चालू नहीं किया गया हो।

(4) जी हां। चौमूं विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों (वर्ष 2010-11 एवं 2011-12) में नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की गयी सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां। कुछ सड़कों की आंशिक मरम्मत शेष है।

जी हां। गारंटी अवधि की सड़कों की शेष मरम्मत दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि परिशिष्ट-एक पर जिनका उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने किया, ये बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन सड़कों को कब तक सही करवा देंगे, सी.सी. रोड बनवा देंगे?

दूसरा, आपने जो परिशिष्ट-एक में खराब सड़कों का उल्लेख किया, इसमें गुडल्या से किशनमानपुरा, एक किलोमीटर, वह सड़क भी क्षतिग्रस्त है। उस सड़क को भी नयी बनाएं।

दूसरा क्वेश्चन है, ढोढसर से खाटू श्याम जी जो आधी जयपुर जिले में है और आधी सीकर जिले में है, उस ढोढसर से खाटू श्याम जी नयी रोड बनाने के लिए दो साल पहले टेण्डर जारी हो गये थे, जयपुर जिले ने और सीकर जिले ने दोनों ने कर दिये थे, उसके बावजूद आज तक भी उसमें कोई प्रगति नहीं है, वह सड़क कब तक बन जायेगी?

कृपया इन दो के बारे में बताएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि इनकी जो सड़कें खराब हैं, डैमेज्ड हैं, उनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा? चौमूं विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों को आगामी वर्षों में शामिल करने हेतु कार्य योजना, परिशिष्ट-एक के अनुसार कुल आठ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें 6 सड़कें कृषि उपज मण्डी की हैं

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जिन्हें आर.आई.डी.एफ. 18 योजना हेतु प्रस्तावित में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार शामिल किया जायेगा एवं शेष सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो क्षतिग्रस्त सड़कों की वर्ष 2013-14 में मरम्मत की जायेगी।

दूसरा इनका प्रश्न था, जो ढोढ़सर से किशनमानपुरा की सड़क पूर्व में स्वीकृत थी, उसे निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में हमारे पास यह सड़क स्वीकृत नहीं है। मगर क्योंकि सदस्य ने इसकी जानकारी दी है, इसके बारे में मैं जानकारी लेकर इनका काम करवाने की बात करेंगे।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो परिशिष्ट-एक पर 5.65 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त लिखी हैं, बिलकुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, वहां पर रोड का नाम ही नहीं है। ये सड़कें नयी कब तक बन जायेंगी? आपने कहा, 31.03 तक मरम्मत करवा दिया जायेगा, प्रस्तावित है, यह तो ठीक है लेकिन ये सड़कें नयी कब तक बना दी जायेंगी, जो आपने 5.65 किलोमीटर का उल्लेख किया है? और गुड़ल्या से किशनमानपुरा जो एक किलोमीटर है, इसको जोड़कर यह साढ़े छह किलोमीटर नयी सड़कें कब तक बना दी जायेंगी? यह बताने की कृपा करें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न किया, तो सड़कों की तो मैं स्वयं स्थिति देखने के लिए 21 तारीख को ही, विधान सभा के बाद, इनके विधान सभा क्षेत्र में 400 किलोमीटर से कुछ अधिक सड़कें हैं, 100 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों का, जिनका मैंने खुद ने अवलोकन किया है और मैं पहले उत्तर दे चुका हूं कि इनकी पांच किलोमीटर जो सड़कें हैं, इसकी दो क्षतिग्रस्त सड़कों को तो हम 2013-14 में सम्मिलित कर लेंगे और शेष जो कृषि उपज मण्डी की सड़कें हैं, उनको आर.आई.डी.एफ., 19 वर्तमान में चल रही हैं, उसमें शामिल करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: चलिये। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जब गारंटी पीरियड की सड़कें हैं तो वह अक्टूबर में ही सरकार ने घोषणा की थी कि सबको ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): लेकिन आज तक, 31 मार्च तक यह जितनी गारंटी पीरियड की है ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अलग प्रश्न है यह।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल। श्री अर्जुन लाल।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

बिलाड़ा में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

24. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय/पशु स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों/पशु स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद कब-कब से पशु चिकित्सकों/पशुधन सहायकों के रिक्त हैं? चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों में भी नि:शुल्क दवाई वितरण की योजना चालू की गयी है? यदि हां, तो कब से एवं कौनसी दवाइयां नि:शुल्क दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सकों/पशुधन सहायकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश में 15 अगस्त, 2012 से मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना संचालित है। इस योजना में उपलब्ध करवायी जा रही औषधियों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो परिशिष्ट 'अ' और 'ब' दिया है, इसमें आपने 15 वी.ओ. की पोस्ट के अगेंस्ट में 5 पद रिक्त बताये, एस.वी.ओ. का एक पद और एक पद ही रिक्त है और वी.ए. के पांच पद में से दो पद, ये करीब 40 परसेंट पद रिक्त हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाली हैं।

(श्री अर्जुन लाल)

तीसरे में आपने कहा है कि 74 दवाइयां नि:शुल्क दी जा रही हैं, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि घोषणा के पूर्व में राज्य सरकार पशु चिकित्सालयों को कितनी दवाइयां देती थी और उसमें कितना खर्चा होता था? 15 अगस्त, 2012 के बाद आपने 74 दवाइयां दिखायी हैं लेकिन बजट में कितना प्रावधान रखा गया है?

तीसरा मेरा सवाल है कि जो पूर्व में दवाइयां दे रहे थे, 47 दवाइयां मिल रही थीं और मुख्य मंत्रीजी ने 83 दवाइयों की घोषणा की थी, तो अभी भी ये 74 दवाइयां क्यों नहीं दी जा रही हैं? पूरी क्यों नहीं दी जा रही हैं?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तक कुल 74 दवाइयां अस्पताल और पाली क्लीनिक्स में हैं तथा सब-सेण्टरों पर 30 दवाइयां सप्लायी की जा रही हैं और अब कुछ और दवाइयां जोड़ने की कार्यवाही जारी है।

जहां तक खाली पदों की संख्या की बात है, अगर आप पूरे राजस्थान के हिसाब से देखें तो यहां पर दूसरी जगहों से कम जगह खाली हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की संख्या भी दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। ज्यों ही ट्रांसफर्स पर से प्रतिबंध हटेगा तब मुफ्त दवा वितरण के लिए जहां पर दो-दो अधिकारी लगे हुए हैं, उनमें से एक-एक लगा कर के सारे पशु चिकित्सालयों, उप केन्द्रों को संचालित करेंगे। नये पदों की जो सैंक्शन सरकार ने दी है, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी विचाराधीन है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ यह पूछा था कि 15 अगस्त, 2012 के पहले कितनी दवाइयां दी जा रही थीं और उस पर आपका बजट प्रावधान क्या था? और घोषणा के बाद, जो मुख्य मंत्रीजी ने 83 दवाइयों की घोषणा की थी, उसके अगेंस्ट में 74 दवाओं की लिस्ट मुझे दी है, पीछे जो 9 दवाइयां बचीं, वे कौनसी रह गयीं? अभी कितना प्रावधान आपने रखा है?

आपने पोस्टों का बताया है, चालीस परसेंट पोस्टें हमारे वहां खाली हैं। 47 दवाइयां आप दे रहे थे, चालीस परसेंट दवाइयां आपने बढ़ाई हैं और चालीस परसेंट पोस्टें आपने हमारी कम कर दी हैं।

क्या यह भी सही है कि जो पशु रोग चिकित्सक होता है, पर्ची पर उसी को लिखने का अधिकार दे रखा है? तो जो आपने उप-केन्द्र खोले हैं, उनके अन्दर आपकी जो नि:शुल्क दवाइयां हैं, वे क्या वहां का वी ए या एल एस ए दे सकता है?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सब-सेण्टर्स पर वही दवाइयां दी जा रही हैं जो एल ए से अधिकृत हैं और जहां पर डाक्टर है, पॉलीक्लीनिक है, वहां पर सारी दवाइयां दी जा रही हैं। आपने पूछा कि इससे पहले जो दवाइयां मुफ्त हास्पिटलों में दी जाती थीं उनके लिए कितना बजट था, तो पहले 9-10 करोड़ के आसपास बजट था और अब 90 करोड़ के आसपास बजट है और 23 करोड़ की दवाइयां अभी प्राप्त हो गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। अगला प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बाकी रह गया।

श्री अध्यक्ष: बिलाड़ा से रिलेटेड है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इन्होंने जवाब दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब मंत्री महोदय ने दिया ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): खण्ड-3 में प्रदेश से रिलेटेड है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अध्यक्ष जी, जो लोग पशुपालक हैं और उस जिले के अन्दर 47 तरीके की दवाइयां जो सरकार दे रही है ....

राजसमन्द जिले में भारत निर्माण सेवा केन्द्र रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

25. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमन्द जिले में तहसीलवार कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भारत निर्माण सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है एवं किन पंचायतों में निर्माण शेष है?

(2) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणानुसार तहसीलवार कितनी पंचायतों में इन भवनों का विस्तार कार्य पूर्ण हो चुका है, कितनी पंचायतों में विस्तार कार्य चल रहा है एवं कितनी पंचायतों में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है?

(3) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणानुसार तहसीलवार कितनी पंचायतों में सेवा केन्द्रों पर कृषि एवं राजस्व विभागों से संबंधित समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं? कितनी पंचायतों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है? उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) राजसमन्द जिले में जिले की सभी 205 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणानुसार राजसमन्द जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र-सह-विलेज सेण्टर एवं भू-अभिलेख सूचना केन्द्र के निर्माण हेतु कृषि आयुक्तालय द्वारा दिनांक 08.01.2013 को 94 ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। इन कार्यों के लिए बजट राशि अभी जारी नहीं की गई है।

वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में भवनों का विस्तार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं ना ही किसी भी ग्राम पंचायत पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणानुसार जिले में सेवा केन्द्रों के विस्तार कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण किसी भी सेवा केन्द्र पर कृषि एवं राजस्व विभाग से संबंधित समस्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। इस प्रकार सभी पंचायतों में सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना शेष है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि यह राजसमन्द जिले में और पूरे राजस्थान में जो राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है या जहां हो गया, यह किस मद से करवाया गया? क्या नरेगा से करवाया गया? या फिर सरकार ने इसके लिए अलग से मद रखा था?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजीव गांधी सेवा केन्द्र का सवाल है, राजीव गांधी सेवा केन्द्र नरेगा के माध्यम से काम कराया गया है और ये राजीव गांधी सेवा केन्द्र, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिससे सम्पूर्ण भारत में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करके, 80 प्रतिशत राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण सिर्फ राजस्थान सरकार ने किया और ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत जूनियर हूं ...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिए। कृपया विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप तो अपना जवाब दें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इसी तरह से, अध्यक्ष जी, मैं बहुत सम्मान के साथ कह सकता हूं कि पंचायती राज की स्थापना के बाद में कोई बेहतर काम हुआ है तो वह राजीव गांधी सेवा केन्द्र का हुआ है। आज किसान बहुत खुश है इस बात के लिए ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, उनका जवाब पूरा ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल श्रीमती किरण माहेश्वरी पूरक प्रश्न पूछेंगी और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अलाउ ही नहीं किया है। आपको अलाउ ही नहीं किया, आप भाषण दे रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अभी माननीय मंत्रीजी ने फ्लोर आफ दी हाउस पर यह बात कही कि नरेगा के तहत राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया गया है, नरेगा की गाइडलाइन्स यह कहती हैं कि चालीस परसेंट जो कम्पोनेंट है वह मैटेरियल कम्पोनेंट होगा और साठ परसेंट लेबर कम्पोनेंट होगा। नरेगा का जो काम हुआ है, सेवा केन्द्रों का जो निर्माण हुआ है, उसमें आप यह पता लगाकर हमें बताएं कि क्या यह 40-60 का रेशो इन्होंने मेन्टेन किया है? क्योंकि जब पक्का निर्माण का काम होता है तो उस पक्के निर्माण में इन्होंने 80 से 90 परसेंट तो इन्होंने लिया है मैटेरियल कम्पोनेंट, जो सामग्री का मद है और बाकी का जो 10 से 20 परसेंट, वह हुआ है लेबर कम्पोनेंट।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एक तरफ योजना बनाने वाली भी ये, भारत सरकार की योजना, उस योजना में कहा गया है कि 60-40 का रेशो मेन्टेन करना है नरेगा में, इसलिए हम पक्के काम नहीं करवा पा रहे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न मेरा यही है कि जैसा आपने कहा कि नरेगा के तहत ये निर्माण करवाये गये हैं राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के, तो इस रेशो को मेन्टेन किया है क्या उसमें भी? यह मेरा प्रश्न है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र बने हैं, यह पहले तो या तो पंचायत का जो टोटल खर्च हुआ है, उसका 60-40 कर लो तो भी बैठ जाता है और जब यह निर्माण हुआ था, उस वक्त जिला स्तर पर 60-40 का काम था। इसलिए इसको करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयी है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब जो यहां दिया गया है, वह पूर्णतया गलत जवाब है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अलाउ नहीं किये गये हैं, माननीय सदस्य। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दीजिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूं कि न केवल इन्होंने राजसमन्द जिला...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। क्योंकि जवाब गलत दिया गया है, इसलिए आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूं...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: नियमों के अनुसार कार्यवाही करिए उसमें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कार्यवाही तो आप करेंगे क्योंकि गलत जवाब दिया गया है। (व्यवधान) जवाब जो दिया, इन्होंने कहा कि गाइडलाइंस को फालो किया गया है, जबकि गाइडलाइंस को फालो नहीं किया गया है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं? अगर पूरे स्टेट का भी यह निकालें नरेगा का काम और 60-40 का रेशो ये प्रूव कर दें कि यह राजीव गांधी सेवा केन्द्र 60-40, प्रूव हो ही नहीं सकता। सारे निर्माण काम में 80 से 90 प्रतिशत मैटेरियल लगा है और दस परसेंट केवल लेबर कम्पोनेंट लगा है ।

दूसरे का जवाब, क्योंकि यह जवाब पूर्णतया गलत इन्होंने दिया है, इसकी वजह से सारे निर्माण के काम, सारे नरेगा के काम खतम हो चुके हैं। कोई भी नरेगा में पूरा एक साल तक काम नहीं होता है, लेबर को कहीं काम नहीं मिलता है नरेगा में। सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र बन गया, उसका एडजस्टमेंट हमें दूसरे साल में करना पड़ रहा है। इसलिए सारे नरेगा के काम बंद हो चुके हैं। बराबर अखबारों में भी छप रहा है और सभी तरह से यह बात आ रही है।

जो दूसरे प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, बजट की घोषणाएं करते हैं, बहुत वाहवाही लेते हैं, अभी बेंचेज भी बज रही थीं, बजट 2012-13 में, यह राजस्थान सरकार का बजट है जिस बजट में इन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए न, भाषण नहीं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। रेफरेंस तो दूंगी ना मैं आपको।

श्री अध्यक्ष: आप तो सीधा पूछ लीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने यह कहा कि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के भवन का नाबार्ड के सहयोग से विस्तार कार्य करवाया जाएगा। यह 2012-13 के बजट में कहा गया। प्रथम चरण में 295 करोड़ रुपये की लागत से तीन हजार ग्राम पंचायतों एवं सभी 249 पंचायत समितियों में सेवा केन्द्रों के निर्माण करवाये जायेंगे। यह बजट की घोषणा, उत्तर में यहां पर कह रहे हैं कि यह जो हमें बनाने थे, राजसमन्द जिले का जो प्रश्न था, उसमें इन्होंने कहा कि 8.1.2013 को 94 ग्राम पंचायतों के लिए केवल प्रशासनिक स्वीकृति निकली है।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ रही हैं, पूरक प्रश्न कहां है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो यह किस बात की घोषणा है?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें। घोषणा, कहते हैं कि इतने सारे केन्द्र बनाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक पैसा खर्च नहीं हुआ, नया बजट आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चलिए, समाप्त करिए। (व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो रेशो हमको बैठाना था नरेगा के तहत, यह सारे निर्माण कार्य हो जाने के कारण पंचायत में किसी भी प्रकार का मैटेरियल का निर्माण करना असम्भव हो गया। इस कारण से केवल इस एक काम के अलावा, किसी भी पंचायत में किसी भी प्रकार का मैटेरियल का कोई काम नहीं हुआ। यह सच है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल यह है। पूरे राजस्थान का है यह।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पंचायती राज को 50 वर्ष पूरे हो गये, उस समारोह में यू पी ए चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी नागौर आयी थीं उस वक्त में इसकी घोषणा की गयी थी। यह बिलकुल सही स्कीम इस प्रकार बनायी गयी, पूरे राजस्थान के लिये नहीं बल्कि पूरे देश के लिये, जहां पर राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्रों का निर्माण होना था पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर और पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर। करीब 25 से 33 लाख के बीच में तो पंचायत हैडक्वार्टर पर और करीब 10-12 लाख रुपये तक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर तक। मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे कण्ट्री का 80 परसेंट कार्य, जैसा मंत्रीजी ने कहा, वह सिर्फ राजस्थान में ही पूरा हुआ है।

शहरों की सुविधाएं गांवों तक कैसे पहुंचें? तमाम खातेदारी की नकलें हैं, नामान्तरण खोलना है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, मृत्यु-जन्म, निवास

(श्री अशोक गहलोत)

प्रमाण पत्र की बात है, पानी-बिजली के बिल जमा कराने की बात है, तमाम कार्य यहां पर होंगे। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सभी जगह रि-कनैक्टिविटी हो नहीं पायी बी एस एन एल के माध्यम से। इस कारण से कई जगह काम शुरू हुए हैं, कई जगह काम शुरू नहीं हो पाये हैं। जो सुविधा हम देना चाहते हैं वह अभी तक सब सुविधा सब जगह शुरू हो नहीं पायी है। हमारा प्रयास है कि हम कनेक्टिविटी जल्दी करवाकर सब जगह सुविधाएं गांवों में मिलें, क्योंकि शहरों में सुविधाएं हैं।

नम्बर दो, जैसा माननीय सदस्या ने कहा, हमने घोषणा की थी इनके विस्तार की, किसान सेवा केन्द्र और विलेज नालेज सेण्टर की; वह काम अभी तक शुरू हो नहीं पाया है एक्सटेंशन का। या तो इस बिल्डिंग के अन्दर होगा क्योंकि सोलर पावर प्लांट के माध्यम से इसमें बिजली सप्लाई हो रही है, या उसके पड़ोस में जगह मिलेगी वहां किया जायेगा। वह काम, मैंने घोषणा की है दो हजार की पहले और तीन हजार की बाद में नाबार्ड के सहयोग से। उसमें 10-12 लाख की लागत से और ज्यादा जैसे भवन बनेंगे, वहां पर किसान सेवा केन्द्रों में किसानों को सब तरह की सूचनाएं, फसलों, बीज के बारे में, भाव के बारे में तमाम सुविधाएं वहां मिलने लगेंगी।

यह शानदार योजना है। मैं चाहूंगा सदन के तमाम, पक्ष और विपक्ष इस तरह सहयोग करें जिससे कि इन कामों को हम आगे बढ़ा सकें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कृपया, आप अभी तो शुरू नहीं करा पाये थे..

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़। समाप्त करिये। मंत्रीजी। (व्यवधान) बाबूसिंह राठौड़ ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: और किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। सिर्फ बाबूसिंह राठौड़।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। समाप्त। अगला प्रश्न।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जब मैं कह चुका हूं, केन्द्रीय मंत्री ने जब...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। किसी का अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। कृपया विराजिये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): जब घोषणा, पूरे देश के लिये यह स्कीम बनी है। राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र की स्कीम यह पूरे कण्ट्री के लिये बनी है, पर जो केन्द्र सरकार की नीति है, जो समस्या है, उनकी योजना थी, उनकी प्लानिंग थी, उसके अनुसार यह बनाया गया है। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, समाप्त करिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको क्या फायदा हुआ ऐसा समय खराब करने से? अंकित नहीं हुआ है।

जोधपुर जिले में गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

26. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि घरेलू/वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेण्डर सर्विस एजेन्सी के गोदाम से सीधे प्राप्त करने पर छूट का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रति सिलेण्डर कितनी राशि? सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गैस सर्विस एजेन्सियों द्वारा घरेलू/ वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं को उक्त छूट देने में कोताही बरती जा रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है?

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में उक्त घरेलू/वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं द्वारा सर्विस एजेन्सी से छूट नहीं देने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन सर्विस एजेन्सी के विरुद्ध तथा उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। घरेलू गैस सिलेण्डर की गोदाम से रिफिल की डिलिवरी पर 15.00 रुपये प्रति सिलेण्डर छूट का प्रावधान है। वाणिज्यिक सिलेण्डर पर किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। सम्बन्धित आदेश/नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर उस एजेन्सी के विरुद्ध नीति के अनुसार तेल कम्पनी तथा विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, हां। जोधपुर जिले में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि. को तीन एजेंसियों की शिकायतें, 1. मैसर्स बिलाड़ा गैस एजेन्सी, बिलाडा, 2. फलौदी गैस एजेन्सी, फलौदी, तथा 3. सूर्यनगरी इण्डेन, जोधपुर की प्राप्त हुई हैं, जिन पर विपणन अनुशासन के दिशा-निर्देशों के तहत मैसर्स बिलाड़ा गैस एजेन्सी पर 10,000.00 रुपये, फलौदी गैस एजेन्सी पर 54,377.00 रुपये तथा सूर्यनगरी इण्डेन पर 30,000.00 की शास्ति (पेनल्टी) लगायी गयी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आपने खण्ड-दो में यह लिखा कि शिकायत प्राप्त होने पर ही जांच करेंगे। ऐसा क्यों? जबकि 13 दिसम्बर, 2012 को जोधपुर के डी बी स्टार में बहुत लम्बा-चौड़ा छपा। उसमें उन्होंने आकस्मिक छापे मारे। पत्रिका के एक्सपोज में भी यह छपा कि गैस एजेंसीज जहां गोदाम हैं, गोदाम के बाहर बोर्ड लगे हुए नहीं हैं; जहां लगे हुए हैं वहां 8 रुपये लिखे हुए हैं; 391 रुपये की पूरी रसीद काटी जा रही है और गोदाम से गैस सिलेण्डर लेने पर उनको 15 रुपये की छूट नहीं मिल रही है। यह अखबारों में कई बार छपा। छपने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई। तो क्या सरकार बिना शिकायत किये भी अगर कोई गैस गोदाम से सिलेण्डर लेकर उपभोक्ता जाता है तो उससे रास्ते में बात करके कि आपको 15 रुपये की छूट मिली, नहीं मिली; विभागीय जांच, तेल कम्पनीज की जांच, आपकी स्वतन्त्र एजेंसी की

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जांच, एन जी ओ से जांच, जांच करवा करके यह 15 रुपये की छूट दिलाना और इसके लिये सूचना बोर्ड लगाना, उपभोक्ताओं के साथ ऐसी जो लूट हो रही है उसको रोकने का किसी प्रकार विचार रखते हैं? पहला प्रश्न तो मेरा यह है। कहीं पर भी राजस्थान में गोदाम से गैस लेने पर 15 रुपये की छूट नहीं मिल रही है। लोगों को जानकारी ही नहीं है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि एक वर्ष में जो केन्द्र सरकार से 6 सिलेण्डर दिये जायेंगे, उसमें राजस्थान सरकार 3 सिलेण्डर और देगी, अनुदान देगी; कुल 9 सिलेण्डर 12 महीने में दें। मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है और मंत्रिमंडलीय आज्ञा है 181/2012, तो क्या राजस्थान में इस घोषणा के बाद परिवारों को प्रति साल 9 सिलेण्डर और 3 सिलेण्डर आपके अनुदान के रूप में दिये जा रहे हैं? अगर दिये जा रहे हैं तो कितना अनुदान दिया, वह बता दें। अब केन्द्र सरकार ने एक घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 9 सिलेण्डर देंगे, अप्रैल, 2013 से। तो क्या राजस्थान सरकार 3 और बढ़ा करके 1 अप्रैल से प्रत्येक परिवार को 12 सिलेण्डर देने का विचार रखती है? यह दोनों आप बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला सवाल तो यह पूछा कि शिकायत सुओ मोटू भी आती है तो उस पर कार्यवाही होती है या नहीं होती है? सीधा सा इनका जो है, कन्जूमर यदि कोई शिकायत करता है सीधा तेल कम्पनीज को या हमारे विभाग के अधिकारियों को तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होती है। जोधपुर में तीन शिकायतें मिलीं, तीनों पर नियमानुसार पेनल्टी लगायी गयी है। मैं अख़बार की बात नहीं करता हूं, जो शिकायत लिखित में आयी, उसकी बात करता हूं। इन तीन के अलावा यदि कोई शिकायत आपकी जानकारी में हो, जो नियमानुसार शिकायत हो कि इसे 15 रुपये की छूट नहीं दी जा रही है, तो निश्चित रूप से आप शिकायत मुझे दे दें, मैं उस पर नियमानुसार कार्यवाही करवाऊंगा।

दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल पूछा कि भारत सरकार से राज्य सरकार, 3 सिलेण्डर की बात कही थी। वह उस शर्त पर थी, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि अगर भारत सरकार 3 अतिरिक्त सिलेण्डर नहीं देगी, 6 से आगे नहीं बढ़ायेगी तो राज्य सरकार 3 सिलेण्डर उपभोक्ताओं को राजस्थान में देगी। उसका कैबिनेट मीमो भी तैयार हो गया, स्वीकृति भी जारी हो गयी लेकिन भारत सरकार ने पूरे देश में 6 से 3 और सिलेण्डर करने के बाद, मेरे

(श्री परसादीलाल)

खयाल से, अब 3 अतिरिक्त सिलेण्डर देने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने जब 9 कर दिया तो फिर यह हमारी राज्य सरकार का देने का अब कोई विचार नहीं है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि यह मानदंड है कि 15 रुपये की छूट मिलती है, ऐसा आपका नियम और इसके मानदंड हैं, तो क्या आप इसकी पालना में इस प्रकार से जांच करके सबको छूट दिलाने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, 15 रुपये की? केवल शिकायत मिलने पर ही आप जांच करायेंगे जबकि अगर अख़बार में भी इतना एक्सपोज आता है, डी बी स्टार में छपता है, तो इसकी भी जांच करने की मोरल ड्यूटी अपनी है कि नहीं? इस बात को कहें।

दूसरा, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या एक परिवार का 9 सिलेण्डर में काम चलता है? चलता है क्या? आपके परिवार का 9 सिलेण्डर में काम चल रहा है? चल रहा है क्या? वह आप बताएं। नहीं चल रहा है। आपके परिवार का 9 सिलेण्डर में नहीं चल रहा है। तो आप 12 सिलेण्डर देने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वह तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और आपकी पिछले वर्ष की घोषणा है। एक साल आपने यूं ही बिता दिया। एक पूरा साल चला गया, जिसमें 6 सिलेण्डर मिल रहे हैं, 9 मिले नहीं। वह आपने बिता दिया।

तीसरा मेरा यह प्रश्न है कि एल पी जी के उपभोक्ताओं को दुर्घटना बीमा मिलता है। उसमें एजेंसी का प्रतिनिधि घर में जाकर के जांच करता है और जांच का सर्टिफिकेट देता है कि यह बिलकुल सुरक्षित घर है, उसके बाद उनको दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें जो वर्षों का नियम है, उसके अनुसार उनकी सुरक्षा जांच हो रही है कि नहीं हो रही है? इन एल पी जी उपभोक्ताओं को दुर्घटना बीमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष: आप कितने पूछेंगे?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, हां।

श्री अध्यक्ष: आप कितने प्रश्न पूछेंगे?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 5 प्रश्न पूछूंगा, 5।

श्री अध्यक्ष: 5 अलाउ नहीं हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 4 प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: 4 भी अलाउ नहीं हैं। 3 आप पूछ चुके हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 2 पूछ लिये, 2 और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: 3 पूछ चुके हो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 2 पूछूंगा, 2 और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: जल्दी करिये, 1 और पूछ लीजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक और। माननीय मंत्री महोदय, गैस एजेन्सी के 15 किलोमीटर की पेरिफरी में आप कनेक्शन दे रहे हैं और गैस एजेंसियों ने 50-60 किलोमीटर तक कनेक्शन दे दिये। क्या आप गांवों में सब-सेन्टर्स खोलकर के, वहां पर गैस सप्लाई करके उनको दिलाने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? यह बता दो।

श्री अध्यक्ष: विराजो, हो गया आपका। जवाब आने दो, फिर जवाब नहीं आ पायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इनके साथ ही आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आ पायेगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गैस के जो सिलेण्डर हैं उनमें से गैस निकाली जा रही है। क्या सरकार, उपभोक्ता के डिलिवरी घर पहुंचती है उस समय या गोदाम से जब सिलेण्डर लिया जाता है, तो क्या उनके सामने तौल करके देने का विचार रखती है? यह सारा आप बतायें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, उसके बारे में सरकार का विचार मैंने आपको बता दिया। फिर भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सारे देश में जब गैस के दाम बढ़े, 50 रुपये बढ़ाये तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 25 रुपये की सब्सिडी हर सिलेण्डर पर देने का फैसला किया। उससे राजस्थान के उपभोक्ताओं को 125 करोड़ रुपये का सालाना फायदा मिला।

दूसरी बात आपने कही गोदाम, वगैरह की, वैसे गैस कंपनियों को निर्देश हैं सरकार के कि वह होम डिलिवरी सर्विस देगी, फिर भी अगर कोई गैस गोदाम से सिलेण्डर ले जाना चाहे, उसको 15 रुपये की छूट नियमानुसार मिलती है। अगर कोई छूट नहीं देता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कोई शिकायत करेगा या सरकार के कोई ध्यान में लायेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। हर गैस एजेंसी के आगे लिखा हुआ है, बड़े-बड़े बोर्ड लगाये गये हैं। ऐसी कोई शिकायत हमें तो मिली नहीं,

(श्री परसादीलाल)

आपके पास पता नहीं, कहां से आ गयी। आपकी निगाह हो ...(व्यवधान) आपकी जानकारी हो, माननीय सदस्य, आप सुनिये ना ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी, वहां कितनी शिकायतें हो गयीं, गैस सिलेण्डर 6-6 महीने से नहीं मिल रहे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, यह कमाल कर रहे हैं, एक भी शिकायत नहीं मिली। (व्यवधान) अजमेर के डी एस ओ से पूछो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। मैंने आपको अलाउ नहीं किया, आप खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या कह रहे हैं, शिकायत नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये तो सही मेरी बात (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अगर माननीय सदस्यों को किसी भी गैस एजेंसी से अपने क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें हों, तो आप मुझे शिकायतें दे दें, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे दुर्घटना बीमा का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

बसेड़ी में विद्युत कनेक्शन के लम्बित प्रकरण

27. श्री सुखराम (बसेड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में गत 3 वर्षों में विद्युत कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितनों को डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये तथा

(श्री सुखराम)

कितनों को कनेक्शन जारी कर दिये गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): यह शिकायत के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको जानकारी है क्या? मेरे को जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, प्रश्न आपने कई पूछ लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरे को जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी अन्तर्गत गत 3 वर्षों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों, जारी डिमांड नोटिसों एवं जारी किये गये विद्युत कनेक्शनों का ग्राम वार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में जो आवेदन जमा किये गये और विभाग ने उन पर डिमांड नोटिस जारी किये, उनमें घरेलू कनेक्शनों के 5,849 आवेदन वहां प्रस्तुत किये, उनमें जो जारी कनेक्शनों के संख्या है, वह है 2,874; दूसरे हैं लघु औद्योगिक कनेक्शन जिसमें आवेदन दिये गये 145 और जारी कनेक्शन 112; मध्यम औद्योगिक कनेक्शनों में आवेदन 62 और कनेक्शन जारी हुए 50; अघरेलू कनेक्शनों में आवेदन दिये गये 277 और कनेक्शन हुए 181; कृषि कनेक्शनों में आवेदन हुए 253 और कनेक्शन दिये मात्र 125 । मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में इतनी पेंडेंसी रही है, इसके क्या कारण थे कि इनको समय पर कनेक्शन जारी नहीं किये गये? पहला प्रश्न तो यह है।

दूसरा यह है कि जो घरेलू कनेक्शन हैं और लघु औद्योगिक कनेक्शन हैं, मध्यम औद्योगिक कनेक्शन हैं, क्योंकि बसेड़ी में पत्थर का व्यवसाय ज्यादा होता है, उनको अगर समय पर कनेक्शन नहीं दिये गये तो उनका जो उत्पादन है वह प्रभावित होता है। मैं मंत्री महोदय से सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूं कि यह देरी क्यों की गयी? और ये कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे? पहले इसका जवाब दे दें, फिर दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 7,200 आवेदन प्राप्त हुए, मांग पत्र 6,675 जारी किये गये, 5,292 जमा हुए और 3,684 कनेक्शन जारी हुए। इसमें टोटल पेंडिंग 2,371 हैं, जिनमें घरेलू कनेक्शन 1,581 हैं, कृषि के अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन हैं, उसमें 28 हैं।

जैसा कि बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें विलम्ब क्यों हुआ, इसमें निवेदन यह है कि धौलपुर की जो जियोग्राफी है, उसमें बाड़ी और बसेड़ी का जो अधिकतर बेल्ट है, वह पहाड़ी बेल्ट है, उसके कारण प्रोग्रेस स्लो रही। पूर्व में एक कम्पनी को आर्डर दिये गये थे, डी-कंट्रोल कम्पनी थी कानपुर की, जिसको 2009 में दिया था लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। इसलिए 2011 में उनको कैंसिल करके ईश्वर मैटल को दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके अन्दर बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 44 अविद्युतीकृत गांवों को कनेक्शन देने थे उसमें से 18 दे दिये गये और 26 शेष हैं; जो सघन विद्युतीकरण होना था उसमें बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 108 का लक्ष्य था, उसमें से 36 दे दिये गये और 72 बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: बसेड़ी से है आपका? मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने विलम्ब के जो कारण बताये थे कि डी-कंट्रोल कम्पनी जिसके नाम पूर्व में टेंडर छूटा था, इसको डिबार किया गया, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि डिबार होने पर इस कंपनी का पेमेंट जरूर रोका गया होगा। इस कम्पनी का पेमेंट कर दिया गया है या इसको दंडित करने का आप विचार रखते हैं? और किन कारणों से उसको डिबार किया गया?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो डी-कंट्रोल कम्पनी कानपुर की थी, उसका जो कमिटमेंट था हमारे डिस्कॉम के साथ, वह पूरा नहीं किया। अत: उसके जो 2 बैंक डिपोजिट थे, 35-35 लाख के, वे जब्त कर लिये गये। उसके अलावा, उनका जो सामान था उसको भी हमने जब्त कर लिया। जो डी-कंट्रोल कम्पनी है वह इसके खिलाफ कोर्ट में गयी हुई है। लेकिन जो कमिटमेंट था, जो इस कम्पनी ने पूरा नहीं किया, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने उनका सामान जब्त कर लिया और खाते सीज कर दिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी में आर जी वी वाई, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चल रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने बी पी एल परिवार हैं जिनको इस योजना के तहत कनेक्शन देने

(श्री सुखराम)

हैं? उनमें से कितनों को कनेक्शन दे दिये हैं, कितने शेष बचे हैं और उनको कब तक दे दिया जायेगा?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में टोटल बी पी एल परिवार 5,085 हैं उनमें से 1,507 को कनेक्शन दे दिये गये हैं और 3,578 बाकी हैं। 31 जून, 2013 तक उन सभी को कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले से जुड़ा हुआ है। धौलपुर से आते हैं हम।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को केवल एक पूरक प्रश्न के लिये अलाउ करूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): केवल एक प्रश्न। (व्यवधान) डी-कंट्रोल कम्पनी को ब्लैकलिस्टेड किया, उसके क्या कारण थे (व्यवधान) क्या उसने सब-स्टैंडर्ड मैटेरियल इस्तेमाल किया था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल मूल प्रश्नकर्ता। अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, केवल मूल प्रश्नकर्ता के एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिये ...(व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है आपके माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो देर हो रही है, उसका मूल कारण यह भी है कि वास्तव में यह पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। इसमें कनेक्शन जल्दी से जल्दी होने चाहिए। इसका एक कारण यह है, यहां पर मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में जितने भी पद हैं वे अधिकांश रिक्त पड़े हैं, चाहे वे इलेक्ट्रिशियन के हों, लाइनमैन के हों, जे ईएन के हों। एक ए ईएन है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये पद कब तक भर दिए जाएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दीजिए। (व्यवधान) बैठिए, जवाब दे रहे हैं। एक प्रश्न आपने पूछ लिया, जवाब दे रहे हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): इसी में है। बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 33 केवी के कितने सब-स्टेशन स्वीकृत किए हैं, कितनों पर कार्य चल रहा है और कितनों पर कार्य कराया जाएगा? बस इतना बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 5 आलरैडी हमारे 33 केवी के जी एस एस बने हुए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि धौलपुर में सेकण्ड हाइएस्ट, आपके 7 हमने स्वीकृत किए हैं, जो निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। और आपने स्टाफ के बारे में कहा कि वहां आफिसर्स नहीं हैं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि हाउस के बाद में खाली आपकी जो सीटें हैं वे पूरी हो जाएंगी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर जिले में छात्रवृत्ति वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

28. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की विशेष जांच दल द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर क्षेत्र में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? व अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'): (1) जी नहीं। गत तीन वर्षों यथा 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में वितरण की गई छात्रवृत्ति की विशेष जांच दल द्वारा जांच नहीं की गई है।

(2) गत तीन वर्षों में विशेष जांच दल द्वारा विशेष जांच नहीं की गई है जिसके कारण से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(3) जिला जयपुर में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की विशेष जांच दल द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की विशेष जांच की जा रही है। अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है। विशेष जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या जिला जयपुर में उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में विशेष जांच दल के द्वारा सैकड़ों विद्यार्थियों सहित केन्द्र व राज्य सरकार में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों व नेताओं के बच्चों के खिलाफ नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति लेने के मामलों में कार्यवाही करने और वसूली करने के आदेश दिए गये हैं? यदि हां, तो ये अधिकारी और नेता कौन-कौन हैं, नाम बताएं। और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, वह बतायें। एक।

दूसरा, क्या यह भी सही है कि उदयपुर के सांसद के पुत्र को भी फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति दी गई? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

तीसरा, क्या दोषियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो कितने लोगों के खिलाफ? और नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सही-सही बोलना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सही-सही।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं सही ही बोलता हूं। आप मेरे बारे में जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी तरह नहीं बोलते हैं, सही ही बोलते हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह जो सवाल उठाया है,

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

यह सवाल उठाने में वे चूक गये। यह जांच तीन वर्षों की नहीं की जा रही है, यह जांच की जा रही है, वर्ष 2004-05 से लेकर 2008-09 तक।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कोई भी करवाई जा रही है पर जांच तो बताओ।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह आपके कार्यकाल की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये। जवाब सुनिये।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह आपके कार्यकाल की है, वर्ष 2007-08, 2008-09 की जांच की गई। हमारे विशेष जांच दल की तरफ से जो जांच की जा रही है, जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करवाई है, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इन्टरनल आडिट डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, इसमें करीबन 27 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, 6 अधिकारी निलम्बित हैं, 6 कर्मचारी निलम्बित हैं और 1 कर्मचारी निलम्बित था परन्तु उसका स्वर्गवास हो गया और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो अधिकारी जेल में हैं और जो अनियमितता आपके जमाने में जिन्होंने की है, उनको जेल में डाला जा चुका है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कौन-कौन अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके नाम बताओ। नाम बताइए उनके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप सुनो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक किसी के संरक्षण से बच रहा था, उसको 29 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया, वह भी जेल में डाल दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह किसके संरक्षण से बच रहा था? आपने कहा कि किसी के संरक्षण से एक आरोपी बच रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दो, जवाब आने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सदन की सम्पत्ति है, बताना पड़ेगा, किसके संरक्षण से बच रहा था? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दो, जवाब आने दो। आपको अलाउ ही नहीं किया, आपको मैंने अलाउ ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने अलाउ नहीं किया आपको। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के संरक्षण बगैर कोई बचता है क्या? आपके संरक्षण के बगैर कोई बचता था क्या? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप तो भगवान की कृपा से नहीं पूछें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): भगवान की कृपा से शांति रखें। छोड़ दिया भगवान ने, आप बख्शो, शांति रखो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सबसे बड़ा भगवान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब पूरा आ जाने दीजिये। जवाब पूरा आ जाये, उसके बाद आपको अवसर दे दूंगा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जितने भी निलम्बित कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। केवल मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने किसी का नाम नहीं बोला, न मैंने किसी पर आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में 85 मुकदमे दर्ज हैं, 85 मुकदमे। इतना बड़ा घोटाला हमने जारी किया है, सामने आया है और अभी भी जांच ...(व्यवधान) आपके जमाने का बताया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलाउ करूंगा, जवाब आ जाए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको अलाउ नहीं किया है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको कुछ पता नहीं है, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 85 मुकदमे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी भी जांच जारी है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा; जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और जवाब देना है कुछ आपको? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बोलूंगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है आपका। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने भी अनियमित भुगतान प्राप्त किया है छात्रवृत्ति का, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिए। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में जांच करवा ली है, उदयपुर के सांसद महोदय के पुत्र ने ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): छात्रवृत्ति वितरण में जो गड़बड़ियां होती थीं, उस पर पूरी रोक लगा दी गई है। अब छात्रवृत्ति वितरण सारा आनलाइन हो रहा है, आनलाइन ही छात्रवृत्ति छात्र के खाते में भुगतान होगी। ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपने परमिशन ली है क्या? अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब पूरा नहीं हुआ है अभी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उदयपुर सांसद के पुत्र के बारे में जो समाचार प्रकाशित हुआ...

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...हमने उसकी जांच करवा ली। जांच में उनका जो आय प्रमाण पत्र था, वह तत्कालीन वहां के तहसीलदार ने वैरिफाई किया था। तहसीलदार से हमने दुबारा रिप्लाई मांगी कि आपने यह प्रमाण पत्र सही जारी किया है क्या? क्या सांसद सारे करोड़पति होते हैं? मेरी आमदनी एक लाख रुपये घर में नहीं है, मेरे सांसद की आमदनी एक लाख रुपये से कैसे ज्यादा हो सकती है? मैं निवेदन करूं, सुनिए मेरी बात, अजी, राठौड़ साहब, घर चले चलो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाख रुपये से नीचे की आमदनी का प्रमाण पत्र था, उसको वेरिफाई करा लिया, डबल चेक करा लिया; फिर भी सांसद महोदय ने आगे बढ़ कर यह कहा कि अगर इस वजह से, क्योंकि पिता की आमदनी एक लाख रुपये है और फिर भी मेरे पुत्र की अगर वापस, सरकार को दोष लगता है

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

या सरकार के बारे में सवाल उठते हैं तो मैं खुद ही वह पैसा वापस जमा कराना चाहता हूं और उन्होंने क्लाज के आधार पर कि अगर मैं सही हूं तो मेरा पैसा मुझे मिले और मैं गलत हूं तो यह पैसा मैं जमा करा रहा हूं, मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, नहीं। उनको नियमित भुगतान किया गया है और बिलकुल आधारित भुगतान था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से, तेरहवीं विधान सभा का जो अष्टम सत्र था, जिस समय मैंने यही सवाल पूछा था और इसी में आपके जवाब में ये सारी बातें प्रमाणित होकर के आ गईं कि यह अनियमितता हुई है और उसके विरुद्ध ए सी बी में केस दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी, कुछ के खिलाफ और अभी भी जो आपका, मेरा भी प्रश्न इसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों को साथ जोड़ लिया है, यह जो आपने मुझे आज, मेरे ही प्रश्न में जो पीछे है 16 नम्बर पर, उसमें आपने जवाब दिया है कि जनवरी, 2009 से 31.1.13 तक की छात्रवृति में भ्रष्टाचार/अनियमितता की प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण जिलेवार संलग्न है, इसमें आपने सारी डिटेल दी है। इन सारी शिकायतों का, इन्हीं के ऊपर जो चार्ट परिशिष्ट आपका 'स' है, छात्रवृति वितरण में हुई अनियमितता की जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जनवरी, 2009 से लेकर 31.1.13 तक जब्त किये गये रिकार्ड, वह सारा का सारा संस्थाओं का है, हर जिले का है, इनके विरुद्ध जो कार्यवाही आपने की, 27 अधिकारियों का नाम इसमें है। एक मात्र उदयपुर के सांसद ने जो बी डी एस के एडमिशन में पहले साल में एक लाख 25 हजार रुपये और दूसरे साल में भी एक लाख 27 हजार रुपये उठाये, वह गलत था। प्रमाणित हो गया, आपकी सारी जांच, बाकी के सब के खिलाफ तो आपने एफ आई आर और गिरफ्तारी कर ली और उनसे पैसा भी आपने वापस वसूल कर लिया, इनको आपने किस कारण से, किस रियायत में रखा कि न तो उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई, न उनसे पैसे वसूल हुए, न उनकी गिरफ्तारी हुई? क्यों? यह आपका ही रिकार्ड है और आपकी जांच से ही प्रमाणित हुआ और इसमें उन्होंने भी गलत आय का सर्टिफिकेट देकर के दो साल में ये पैसे उठा लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब यह सारा प्रकरण, आपकी मेहरबानी से नहीं है, यह आडिट का पैरा बन कर के जब आया, उस आडिट पैरा के आधार पर आपकी जांच होकर के ए सी बी को सारा यह गया, उसमें इसमें सारा स्पष्टीकरण होकर 72 अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है और इसमें लगभग 35-40 संस्थाएं हैं, जो इसी तरह से फर्जीवाड़े में लाखों की यह जो छात्रवृति ग्रांट करके हम लोगों और सरकार को चूना लगा रहे हैं, हर साल चूना लगा रहे हैं। और आपने यहां विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं सभी जिलों में जांच कराऊंगा। उस समय तो मैंने दौसा और जयपुर, दो ही आईडेंटिफाई किये थे; आपने कहा कि सारी जांच करा देंगे और आज आप कह रहे हैं कि कोई जांच दल गठित ही नहीं हुआ, कोई जांच इन वर्षों में हुई ही नहीं। हमने आपको कहा कि सभी जिलों की जांच करवाओ और इसमें लगभग 2 सौ करोड़ ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा कि करवाऊंगा, यह नहीं कहा कि करा दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, करवाऊंगा न; हाउस में जब आश्वासन दिया...

श्री अध्यक्ष: करवाऊंगा, यह तो नहीं कहा कि गठित कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस में जब आश्वासन दिया, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आप ही के दल के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस में जब आश्वासन दिया तो आप और हम सब समझते हैं कि सरकार की मंशा इसकी जांच कराने और उसमें दोषियों को दण्डित करने की है, जैसा अभी भी आप कह रहे हैं, तो केवल इसी केस में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसी केस में वसूली क्यों नहीं हुई? बाकी में गिरफ्तारी क्यों हुई और वसूली क्यों हुई? उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने यह फर्जीवाड़ा करके पैसा उठाने का धंधा वर्षों से, आज से नहीं, कई वर्षों से उनका एक सिस्टम बन गया है, सरकारी पैसे को लूटने का; आपने उस दिन भी कहा था, वह संस्था एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मेरी हो, किसी की भी हो, उनकी जांच करके...। कम से कम राजस्थान में डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ रुपये पिछले 10 वर्षों में इन संस्थाओं ने फर्जी डाक्यूमेंट देकर के, एक-एक बालक के चार-चार जगह से पैसे उठाकर के और ये स्कालरशिप इस तरह से उठाई हैं और एक व्यवसाय बना रखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उदयपुर सांसद के लड़के को यह स्पेशल सुविधा क्यों मिली? और बाकी लड़कों को गिरफ्तार क्यों किया?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देखिए, माननीय नेता, प्रतिपक्ष का मैं सम्मान करता हूं, आपने जो चिंता जाहिर की है, करीबन डेढ़ सौ, दो सौ करोड़ का करप्शन हुआ, छात्रवृति के द्वारा, उन तमाम संस्थाओं के खिलाफ हम लोग जांच कर रहे हैं। ये चार जिले हमने स्पेशल इसीलिए लिये कि सबसे ज्यादा इम्बेजलमेंट यहां हुआ, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक का पार्ट कुछ। तो इसमें स्पेशल जांच चल रही है और यह जो आप कह रहे हैं, यह 2011-12 में ही नहीं, अभी और भी चलेगा, मैं नहीं कहता कि इस टाइम भी नहीं हुआ होगा, अंकुश लगा है, खतम होने में वक्त लगेगा। इसके लिए सारा सिस्टम हम लोगों ने बना लिया, कोई भी लड़का दोहरा भुगतान नहीं ले सकता, आन-लाइन पोर्टल में ... (व्यवधान) सुनिए, सुनिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिए, अध्यक्ष महोदय, सारी। मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपकी पी ए सी की ही रिपोर्ट है, सर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सेकण्ड। रिकार्ड पर जब यह आया कि वर्ष 2007-08 में केवल 17 हजार विद्यार्थियों ने उत्तर-मैट्रिक स्कालरशिप ली और उसके बाद 2008-09 में 45 हजार बच्चों ने यह उत्तर-मैट्रिक छात्रवृति ली और जैसे ही इसकी जांच शुरू हुई, वापस वही 17 हजार आ गया। तो यह जो 45 हजार का आंकड़ा बीच में एकदम इसमें जो वृद्धि हुई, उसने आडिट के पैरा में लाया कि यह क्या चमत्कार है कि 17 हजार बच्चों को स्कालरशिप मिल रही थी और उसके बाद दूसरे साल में 45 हजार बच्चों को मिल गई और तीसरे साल वापस 17 हजार को मिल गई, तो ये 45 हजार बच्चे कहां से निकल कर आए? यह आडिट का पैरा बना और उसके कारण से यह जांच आगे बढ़ी।

मैं आपको कह रहा हूं कि गलती चाहे मैंने की या किसी ने की, न्याय सब के लिए बराबर चाहिए। अगर न्याय का अंतर होगा, न्याय का भी गला घुटेगा और हम सब लोगों के ऊपर जनता का संदेह खड़ा होगा कि बड़े बाप की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

औलाद बच जाएगी और गरीब के बच्चों को जेल की सीख़चों में ठोक दोगे, यह न्याय नहीं कहा जा सकता। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पूरी बात तो सुनो, साहब। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है, निश्चित तौर पर, सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश पर भी हमने काम किया है, स्पेशल जांच भी चल रही है, इन पांच जिलों के करप्शन को रोकने का काम हम कर रहे हैं। उस पोर्टल में, अब कोई डबल पेमेंट नहीं ले सकता। वह आटोमेटिकली ही कम्प्यूटर में हैंग हो जाएगा ...(व्यवधान) अब सुनिए, सुनिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देवनानी जी, सुनो तो सही।

तो मेरा निवेदन है, मैं आपको, इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब छात्रवृति का सिस्टम बिलकुल सिस्टेमेटिक होगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सांसद, उदयपुर के पुत्र के बारे में जवाब दूंगा, पर मेरी बात दो मिनट सुननी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में छात्रवृति में कोई घोटाला नहीं होगा, इस पर पूरा चैक लगा दिया जाएगा और आने वाले समय में जो सही छात्र हैं, उन्हीं के खाते में भुगतान करेंगे।

अब आपको, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उदयपुर के सांसद के पुत्र का निवेदन करूं। पूरे फार्म की जांच कर ली और जांच करने पर जो पात्रताएं हैं, फार्म की जो आवश्यकताएं हैं जिनसे छात्रवृति स्वीकृत की जाती है, उन पात्रताओं के खण्ड में सारे प्रमाण पत्र हमारे पास में सही पाये गये। फिर भी उसमें एक कालम है जिसके बारे में आप एतराज उठाते हैं कि आय प्रमाण पत्र फर्जी है, प्रमाण पत्र देने वाला जो तहसीलदार है, जो अधिकृत अधिकारी है, वह कहता है कि मैंने सही दिया है। अब हम उसको दोषी कैसे मानें? फिर भी मैं इस प्रकरण ...(व्यवधान) सुनिए, सुनिए। (व्यवधान) प्रमाण पत्र पर कहता है ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ....जमा करा दिया है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भिटेड़ा से कान्हावास मुख्य सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर में दिनांक 9 सितम्बर, 2012 को जैन समाज की रैली के दौरान पुलिस द्वारा विधायक के उपवास नहीं तोड़ने पर लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. दिगम्बर सिंह एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पिछले 10-11 सालों से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य में भारतीय नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के बगैर चल रहे नर्सिंग स्कूल/कालेजों की ए.सी.बी. से जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुखराम एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के 82 ग्रामों के लिए डांग एरिया जलप्रदाय योजना का कार्य आज तक पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के मंदिरों में चोरी व मूर्तियों को खण्डित किये जाने की घटनाओं से बिगड़ते साम्प्रदायिक सौहार्द के सम्बन्ध में।

(7) श्री ग्यारसाराम कोली सदस्य की ओर से बयाना की महावर कालोनी, भीमनगर, अनुसूचित जाति की बस्तियों में अपार गंदगी के ढेर, शौचालय, आदि की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के 199 गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु सम्भावित उत्पादन की तुलना में बहुत कम लक्ष्य रखे जाने एवं भण्डारण की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए वैट की दरें कम नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 11 के.वी. लाइन के क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिरने एवं मकानों के ऊपर से गुजरने से जन हानि एवं हादसों की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामहेत सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कतिपय ग्रामों में पशुओं में खुरपका/मुंहपका संक्रमण रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से राजाखेड़ा कस्बे में दिनांक 21.12.2012 को स्कूल जाती एक नाबालिग कन्या का अपहरण कर लिए जाने की घटना के सम्बन्ध में।

(14) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की 50 बीघा जमीन पत्रकारिता विश्वविद्यालय को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री रामहेत सिंह, श्री रविन्द्र सिंह बोहरा एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

आसन पांवों पर है। आप बहुत सीनियर हैं, मुझे तो यह गलतफहमी है कि आपको सारा ज्ञान होगा। बैठिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जयपुर मेटल का बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण उसका पुन: सेटलमेंट का निर्णय लेने के सम्बन्ध में।

(2) श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से घड़साना को पुन: नगरपालिका घोषित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जनता जल योजना के पम्प चालकों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बदतर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुखाराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांवों को डार्क जोन में डाल देने से पानी की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के.वी.ए. अथवा 220 के.वी.ए. का जी.एस.एस. स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सही आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से जोधपुर के अति प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के गंगलाव तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की रूपवास तहसील को नगरपालिका घोषित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्या की ओर से किसानों को मौसम आधारित फसली बीमा का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(12) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायतों में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था, उसके बाद में भी सरकार ने रिप्लाई नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में ओलावृष्टि के लिए एक स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया था।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। बात हो गई। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

(अनुपस्थित) श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में हरसोली के आसपास लगभग 20 गांव जिनमें हरसोली, पतलिया, झाड़का, हासपुर खुर्द, हासपुर कलां...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विधान सभा सत्र के चलते भी ओलावृष्टि राहत पैकेज जैसी महत्वपूर्ण घोषणा सदन से बाहर किया जाना

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि ओलावृष्टि के बारे में जो विषय हम लोगों ने उठाया और आसन ने भी हमें सहयोग किया और आसन की मंशा भी यह थी कि ओलावृष्टि और जो नुकसान किसान को हुआ है, उसके बारे में सरकार कोई न कोई अपनी बात जरूर कहेगी, हालांकि तारीख कौनसी तय होगी यह निर्णय नहीं हुआ। यह भावना सब की थी कि इस पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन आज मुझे यह जानकर दु:ख हुआ, आज इस बैठक का रेफरेंस देकर के 600 करोड़ रुपये का पैकेज देने की जो घोषणा की, आपको भी विधान सभा में एक बहुत लम्बे समय का अनुभव है, हम लोग भी यहां हैं, हमेशा यह व्यवस्था आसन के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर यह व्यवस्था दी हुई है कि जब कभी किसी सरकार द्वारा इस तरह के कोई निर्णय किए जाएं, उस समय सदन की बैठक चालू हो, तो उसकी सूचना सर्वप्रथम सदन को ही देनी चाहिए। जिस घोषणा को आपने अख़बार के माध्यम से किया, नेता जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने जो पैकेज देने की घोषणा की, यही पैकेज अगर आप यहां अपनी रिप्लाई के समय या अपना जब इसका वक्तव्य देते.....

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, अपने स्थान पर बैठें। मंत्रीजी, माननीय सदस्य, अपने-अपने स्थान पर बैठें। आपकी सीट वह है क्या? आपकी सीट वह है क्या? अपनी सीट पर जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिस मंशा से हम लोगों ने ओलावृष्टि और जो किसानों का नुकसान हुआ, उस विषय को उठाया और आसन द्वारा भी पूरा उसमें सहयोग करने का मन बनाकर सरकार से कोई न कोई जवाब दिलाने की बात थी, लेकिन तारीख तय नहीं की। लेकिन जो हमारा विषय है, जो अपने कल पैकेज की घोषणा अख़बार के माध्यम से की और जो आज हमने पढ़ा, सामान्यतया इस सदन का हमेशा से, अध्यक्ष जी, एक बार नहीं, कई बार व्यवस्था हो चुकी है और अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कभी सरकार द्वारा इस तरह के कोई निर्णय किए जाएं और उस समय सदन की बैठक चालू हो,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी सूचना सर्वप्रथम सदन को ही देनी चाहिए। यह जो आपने पैकेज की घोषणा की, चूंकि हाउस इस समय चल रहा है, हम लोगों ने इस विषय को उठाया है, आसन भी चाहता था कि सरकार अपना वक्तव्य दे, सरकार अपने वक्तव्य में जो-जो भी राहत देना चाह रही थी, वह यहां आकर हाउस में बताते, हम उसका स्वागत करते लेकिन आपने इस सदन के चलते हुए भी यह जो अख़बार के माध्यम से जिस प्रकार की घोषणा की है, यह अध्यक्षीय व्यवस्था, आसन के द्वारा समय-समय पर दी गई व्यवस्थाओं का एक तरह से उल्लंघन है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि सदन के नेता स्वयं इस बारे में, जब इस हाउस की अब तक परम्परा यह रही है, उस परम्परा को क्यों तोड़ा गया? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण से आपको अख़बार के माध्यम से सारे प्रदेश को सूचना देनी पड़ी? इस सदन में भी अगर आप देते तो आपके द्वारा ही वह सूचना आती। एक दिन लेट जा सकती थी, एक दिन देर से अख़बार में आ सकती थी लेकिन आपका दिया हुआ पैकेज तो जनता तक और किसान तक निश्चित रूप से पहुंचता। फिर इस प्रकार से आसन के द्वारा दी हुई व्यवस्था को आपने इग्नोर क्यों किया?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष को पहले तो मैं बधाई दूंगा कि इनके बनने के बाद में पहला अवसर है कि मैं इनसे मुखातिब हो रहा हूं। यह पैकेज तो असेंबली चलने के पहले दिया जा चुका है, नम्बर एक। नम्बर दो, जो मीटिंग हुई है, उसमें खरीफ की फसल के वक्त में इन्पुट सब्सिडी जो होती है, जो आलरैडी सरकार के पास पड़ी रहती है, कल मीटिंग हमने ओलावृष्टि और शीतलहर को लेकर के नुकसान के आकलन की की थी। उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है।

अभी पूरी जो जन-प्रतिनिधियों की भावना है, जो मैं सुन रहा हूं हमारे विधायकगण से, एम.पी. साहिबान से और अन्य जन-प्रतिनिधियों से, तो उसमें और जो रिपोर्ट आ रही है जिला कलक्टरों के माध्यम से, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कल हमने बैठकर तय किया कि पूरी गिरदावरी वापस करवायें। तमाम जिलों के जिला कलक्टर एस.डी.ओ. के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू वापस करवायें और रिपोर्ट भेजें। जब वह रिपोर्ट आयेगी, तब आपकी भावना के अनुरूप हम मीटिंग करके कोई तय करेंगे तो पहले हम सदन को सूचित करना चाहेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

(श्री अशोक गहलोत)

कल जो फैसला, जो पैकेज की बात की जा रही है, वह खरीफ की फसल के अन्दर जो इन्पुट सब्सिडी के रूप में हम मदद करना चाहते थे, वह पैसा पहले से पड़ा हुआ था, जो नार्म्स थे, उसके अनुसार वह घोषणा की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह। (व्यवधान) आपको अलाउ नहीं किया है, इनको अलाउ किया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

किशनगढ़ बास के कतिपय गांवों के पशुओं में खुरपका/मुंहपका संक्रमण रोग का फैलाव

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में हरसोली, पतलिया, झाड़का, हासपुर कलां, हासपुर खुर्द, नंगलीपठान, मिर्जापुर, दौलतपुर, आदि 20 गांवों में.....

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन में भी अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कहां बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए व्यवस्था दी जा चुकी है। प्रक्रिया के तहत आइये। आप तो ऐसे सीधे खड़े होकर...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ...पशुओं में खुरपका, मुंहपका संक्रमण रोग फैला हुआ है। पिछले दो महीनों से यह रोग है। वहां के पशु चिकित्सक ने जिला स्तर को और उपखण्ड कार्यालय के अधिकारियों को सूचना दे दी, उसके बावजूद भी, मैंने स्वयं ने भी जिलाधीश महोदय से बात की लेकिन पशुपालन विभाग के अलवर जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण आज हालात यह हुए हैं कि यह संक्रमण रोग भयंकर रूप ले चुका है और हमारे यहां पतलिया गांव है, उसमें 26 भैंसें और 59 पाड़ी-पाड़ा, हासपुर कलां में आठ भैंस और 17 पाड़ियां, झाड़का में 9 भैंस और 19 पाड़ा-पाड़ी, नंगली में पांच भैंस और 11 पाड़ा-पाड़ी और हासपुर खुर्द में दो भैंस, इस तरह से लगभग 150 के आसपास पशुधन की हानि हुई है। न तो राजस्थान स्तर से कोई टीम भेज रहे हैं और न ही कोई अभियान चलाकर इस संक्रमण रोग पर आज तक भी काबू पाया गया है। किसान परेशान हैं। एक तरफ ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है और दूसरी तरफ उसका पशुधन भी संक्रमण रोग की चपेट में आने से नष्ट हो रहा है।

(श्री रामहेत सिंह)

इसलिए मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि इस रोग पर तुरन्त रोक लगे, सम्पूर्ण गहन इसकी जांच कराई जाये और विशेष रूप से जो जिला पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें और जिस तरह से ओलावृष्टि पर किसानों के मुआवजे के बाद सर्वे हो रहा है, उसी प्रकार सभी गांवों में जिनके पशुधन मरा है इस संक्रमण रोग से, उनका सर्वे कराकर, रिपोर्ट मंगाकर सरकार उनको भी मुआवजा दे, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय पशुपालन मंत्रीजी हैं, अध्यक्षजी, जवाब दिलवाइये। मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा। जवाब नहीं होता है इसमें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मान्यवर अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं अलाउ करूंगा। मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा, चैम्बर में मेरे से मिल लें आप।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको बता दूंगा ना मैं, आपको मैं तरीका बता दूंगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसे अलाउ नहीं होगा। ऐसे अलाउ नहीं होगा। ऐसे अलाउ नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा। विराजिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

राजाखेड़ा में नाबालिग कन्या का अपहरण

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के गृह मंत्रीजी का ध्यान राजाखेड़ा की एक कन्या के खो जाने पर, जिसको कि कुछ लोग स्कूल जाते में उठाकर ले गये, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। राजाखेड़ा बहुत आन्दोलित है, सर्वसमाज के लोगों ने राजाखेड़ा बंद कराया है और राजाखेड़ा की पुलिस, मैं कहना चाहता हूं कि जिले की पुलिस हरचन्द प्रयासों के बावजूद भी उस लड़की को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्षजी, इस विषय में माननीय गृह मंत्रीजी से चाहता हूं कि वे वक्तव्य दें। धौलपुर की पुलिस को किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं उस बच्ची को बरामद करने में? अगर वह अबोध बच्ची बरामद नहीं हुई तो आपका और हमारा इस हाउस में बैठना, कोई मतलब नहीं रखता है। कृपया आप हमें कोई आश्वासन दीजिये ताकि उसके रोते-बिलखते मां-बाप को, सम्बन्धियों को हम भी कोई आश्वासन दे सकें।

किसी तरह से वह लड़की बरामद हो जाये, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि दो शब्द इस मामले में जरूर वे हमको कहें।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम जी तिवाड़ी।

संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की जमीन पत्रकारिता विश्वविद्यालय को दिया जाना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर में जगद् गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत बड़े परिश्रम के बाद बना। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और सरकार का पैसा भी नहीं लगा। स्वामी नारायणदास जी महाराज ने, उनके शिष्य, राघवाचार्य जी महाराज और सभी समाज के लोगों ने मिलकर 70 करोड़ रुपये लगाकर उस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। उस विश्वविद्यालय के निर्माण में जो बाकी काम बचे थे, खेल मैदान, नवीन विभाग का निर्माण, जंतर-मंतर का निर्माण, वैधशाला का निर्माण, राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान का निर्माण, वैदिक यज्ञ मंडप का निर्माण, स्रोत यज्ञ मंडप का निर्माण, वनस्पति वाटिका, आडिटोरियम एवं स्पोर्टस क्लब, इनके लिए कुछ भूमि को निर्धारित कर दिया गया था। उस निर्धारित भूमि पर काम चल रहा है। उस निर्धारित भूमि के लिए रुपये जमा कर लिये गये, उसका सारा काम चल रहा है।

इस काम के चलते-चलते राज्य सरकार ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(12.15 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

खोलने की घोषणा की और राज्य सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक श्री बिस्सा ने दिल्ली में इस बात की घोषणा की कि जो क्षेत्र बना है, रेनवाल में जो क्षेत्र बनाया गया है, जहां पर ये सारे इंस्टिट्यूशन्स खुलेंगे, उस जगह पर इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भूमि का आबंटन कर दिया गया है। इसके बाद में जब इस भूमि का आबंटन कर दिया तो बीच में ही किसी को यह जंच गया कि मैं इतनी दूर जाऊंगा और इतनी दूर आऊंगा, यह मेरे लिए सम्भव नहीं है। तो उस एक व्यक्ति की जिद के कारण से सरकार ने तय किया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की भूमि को लेकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भूमि दी जाये।

यह अन्यायपूर्ण निर्णय है, माननीय मंत्री महोदय, यह मैं कह देता हूं। यह राज्य सरकार अगर चाहेगी तो भी वहां पर एक इंच जमीन लेकर वह काम नहीं कर सकेगी। आज भी गांव वाले जाकर वहां धरने पर बैठ गये हैं। वहां पर मदाऊ हो, मदरामपुरा हो, भांकरोटा हो, जयसिंहपुरा हो, मुहाना हो, नेवटा हो, सारे गांव के लोगों ने घोषणा की है कि वह काम नहीं होगा। सरकार अपनी जिद पर रही, माननीय सभापति महोदय, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर संस्कृत विश्वविद्यालय की भूमि को नहीं लेने देंगे, जितनी ताकत सरकार को लगानी है, वह सरकार लगा ले। आप किसी एक व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए, आपने सैनी सैबेस्टियन को उसका कुलपति बनाया है, जो राजस्थान के भी नहीं हैं और पत्रकारिता को जानते हैं, मैं उसमें एतरात नहीं करता, आपने बना दिया, आप अपनी मित्रता निभायें लेकिन उसकी जिद के कारण से आप संस्कृत विश्वविद्यालय की भूमि को काटकर उसको देंगे, यह किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं होगा। स्वामी नारायणदास जी महाराज ने कहा है कि वे भी वहां पर जाकर बैठेंगे, सारे साधु-संत वहां पर जाकर बैठेंगे और मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आप नींव खोदोगे, उस नींव के अन्दर मैं जाकर बैठूंगा और यह सारे जो किये हुए काम हैं, वे आपको करने नहीं देंगे। आप समझ लें इस बात को।

आप आग लगाना चाहते हो। आज संस्कृत को केवल ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी. के बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बच्चे पढ़ते हैं। वे वहां पर अध्यक्ष भी हैं। आप यह किस प्रकार से यहां पर साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं? इस प्रकार का काम करने के लिए मैं राज्य सरकार को पुन: चेतावनी देना चाहता हूं कि इसको वह निरस्त करे और अगर निरस्त नहीं करेगी तो आन्दोलन करेंगे, इस काम को नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है, यह केवल राजस्थान में जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, जयपुर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, हमने यहां पर बहुत सारे काम किये हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर इसको नहीं किया तो संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के लोग और फिर उनके साथ और लोग भी जुड़ेंगे, राज्यव्यापी आन्दोलन होगा और आप इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करें। जहां पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय को आपने जमीन दी है, वहां पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनायें। उसमें हमारे से कोई सहयोग लेना हो तो आप हमारे से भी सहयोग लें, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय को अगर आपने क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की... और आप तो, मंत्रीजी, और किसी विश्वविद्यालय में कर देते; इतना नजदीक ही करना था तो राजस्थान विश्वविद्यालय में कर देते, मेडिकल कालेज में कर लो, आप अपने सचिवालय में ही खोल लो। आपको संस्कृत विश्वविद्यालय में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहां के ग्रामीणों ने वह जमीन संस्कृत के नाम से ही दी थी।

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसको आप रोकें, उसको मना करें वरना आन्दोलन होगा, हम आपको नहीं करने देंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, किसी अप्रिय स्थिति का जहां तक सवाल है... (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह रामानन्द सम्प्रदाय का मामला है, सभापतिजी, यह रामानन्द सम्प्रदाय का मामला है, बरदाश्त नहीं होगा। (व्यवधान) यह बरदाश्त नहीं होगा, सभापति महोदय। (व्यवधान) यह पूरे रामानन्द सम्प्रदाय का मामला है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह पत्रकारिता विश्वविद्यालय को जमीन नहीं लेने दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप दौसा में ही खोल दो उसको... (व्यवधान) दौसा में ही ले जाओ उसको, लेकिन ऐसा बरदाश्त नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाइये। आप बैठिये, बैठिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय घनश्याम जी ने...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपने आज्ञा दी है क्या? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये तो सही।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, आपने इनको आज्ञा दी है क्या? मैंने रिक्वेस्ट की है, पहले मुझे इजाजत दीजिये। मैंने रिक्वेस्ट की है, पहले मैंने रिक्वेस्ट की है, सर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिये। आपको इजाजत नहीं मिली है, आप बैठिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी ने जो मुद्दा उठाया है, वह निश्चित रूप से बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई किसी यूनिवर्सिटी को राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में से एक इंच भी जमीन देने का फैसला नहीं किया है। नम्बर टू, कोई भी फैसला करने से पहले आम राय, आम सहमति के बिना और परम सम्माननीय 1008 नारायणदास जी के बिना, उनकी सहमति के बिना और आदरणीय तिवाड़ी साहब, आपकी सहमति के बिना भी एक इंच काम नहीं करने दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं। श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं, एन ओ सी जारी की जा चुकी है, एन ओ सी जारी कर दी है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): नहीं, कोई एन ओ सी नहीं दी गई है। कोई एन ओ सी नहीं दी गई है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बिलकुल, एन ओ सी की कापी लाकर सदन में रख देंगे। कैसे नहीं दी है? आपसे पूछा ही नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): अब आप एन ओ सी लाकर दे दें मुझे, मुझे कापी दे दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्री महोदय, आपको पूछा ही नहीं है। सी.एस. ने और सन्नी सैबेस्टियन की मीटिंग हुई है और वी.सी. बैठा है, उनसे आपने लिखवा कर लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, आपके इसका तो हम स्वागत करते हैं कि आपने कहा कि नहीं दी जायेगी, लेकिन आपको इतना बता दूं कि दोनों कुलपतियों की सरकार ने मीटिंग करा दी और दोनों कुलपतियों की सरकार से मीटिंग होने के बाद यह बात आई। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आपका वह स्वागत करते हैं....

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने आपकी बात का पहले, आपके प्रस्ताव का जवाब दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बस, ठीक है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): कोई अभी संस्कृत विश्वविद्यालय से एक इंच भी, आखिर फाइल, आप भी जानते हैं...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन्होंने एक इंच भी जमीन नहीं दी और 72 बीघा जमीन के लिए दोनों कुलपतियों की बात हो गई, सहमति हो गई। इसके बारे में स्पष्ट करो आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एक मिनट आप विराजिये तो सही। आप विराजें तो सही। आप तो विद्वान आदमी हैं, परम्पराओं को भी समझते हैं, जब तक डिपार्टमेंट की कोई भी चीज मेरे पास आकर के यस नहीं हो जाय, तब तक तो दी नहीं जा सकती। अभी मेरे पास प्रपोजल ही नहीं आया। (व्यवधान) कागज या कार्यवाही शुरू होने का काम ही नहीं है। आपको फिर भी मैंने बता दिया। धन्यवाद।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण पुन: सैटलमेंट

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत नये सेटलमेंट के संबंध में निवेदन है कि जैसलमेर जिले की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 10-15 वर्ष तक ऐसी स्थिति थी कि लोगों को 30-40 कि.मी. की दूरी में पानी तक मिल नहीं पाता था।

(श्री छोटू सिंह भाटी)

जैसलमेर जिले में संवत् 2012 में संक्षिप्त समरी सेटलमेंट तथा संवत् 2028 में सेटलमेंट हुआ था। विकट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तथा अमीनों की कमी व साधनों के अभाव में उस समय के सेटलमेंट भी पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो पाये थे। पूर्व में हुए समरी सेटलमेंट के समय तरमीमों में हुई त्रुटियों के कारण काबिल-काश्त भूमि गैर-मुमकिन मगरा एवं अन्य गैर-मुमकिन श्रेणियों में दर्ज हुई व गैर मुमकिन भूमि मुमकिन के रूप में दर्ज हुई। कई काश्तकारों की भूमियां समरी सेटलमेंट एवं 1970 नियम के तहत अलाटमेंट के समय गलत तरमीमों की वजह से मूल स्थानों से हटकर अन्य स्थानों पर तरमीमें हो गईं, परन्तु काश्तकार अपने कब्जे के हिसाब से पुरानी भूमियों पर काश्त कर रहे हैं। वर्तमान में लोगों को भूमि संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार जिले की सम्पूर्ण भूमि का पुन: सेटलमेंट का निर्णय ले ताकि लोगों की पुरानी समस्याओं का निदान हो सके तथा जो लोग पूर्वजों से अपनी भूमि पर बैठे हैं परन्तु उन्हें रिकार्ड में अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है, उन्हें अपने वाजिब हक मिल सकें। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पुन: सेटलमेंट का निर्णय ले ताकि जिले के हजारों किसान अपना हक पुन: अर्जित कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवन दुग्गल।

घड़साना को पुनः नगरपालिका घोषित किया जाना

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10( )न.पा.(गठन)सीमा डीएलबी/08/4268 द्वारा मण्डी घड़साना को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने घड़साना को नगरपालिका देकर आने वाले समय में विकास का रास्ता खोला था। लोगों ने भी इसका पुरजोर स्वागत किया। इसी प्रक्रिया में पूर्ववर्ती सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक प.8/नियमन डीएलबी/08 दिनांक 13.10.2008 के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की नियुक्तियां कीं जिसके तहत वर्तमान सरपंच एवं उप-सरपंच को कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ-साथ ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा तहसीलदार (राजस्व) को नव

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सृजित नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का कायर्यभार सौंपा गया था। इसी के तहत नगरपालिका, घड़साना ने अपना कार्य विधिवत रूप से शुरू कर दिया था। अप्रैल, 2009 में नगरपालिका, घड़साना का वर्ष 2009-2010 का बजट पास किया गया। इसी दौरान विभिन्न कार्य जैसे स्टेशनरी, फोटोस्टेट, पार्कों के रखरखाव व सफाई, आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित कर कार्य करने के लिए कार्य-आदेश दिये गये और निविदाओं द्वारा धरोहर राशि भी जमा करवाई गई एवं कार्य भी प्रारम्भ किये गये। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक प.10()न.पा.(गठन)सीमा डीएलबी/09/4269-4291 दिनांक 18.09.2009 के द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 6.10.2008 को प्रत्याहरित कर दिया जिससे न केवल आम लोगों की भावना को ठेस पहुंची, अपितु क्षेत्र का विकास रुका। इसके साथ-साथ, नगरपालिका बनने के दौरान ठेकेदार फर्मों को उनके कार्य का भुगतान व धरोहर राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया, हालांकि समय-समय पर नगरपालिका की बैठकें होती रहीं। वार्डों का पुनर्सीमांकन, नगरपालिका मतदाता सूची भी वार्डानुसार बनाई गई। इसके साथ-साथ, वार्ड पार्षदों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को मिलने वाला मानदेय भी आज दिनांक तक नहीं दिया गया जिससे न केवल जन-मानस को बल्कि जन-प्रतिनिधियों को भी अपमान का घूंट पीना पड़ा।

अत: मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि घड़साना को पुन: नगरपालिका घोषित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का सुचारू संचालन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित निवेदन करना चाहता हूं :-

1. नवजीवन योजना हेतु निर्धारित बजट का उपयोग जिन-जिन जातियों के उत्थान हेतु किया जाना है उसमें कोताही बरती जा रही है। पिछले चार वर्षों में निर्धारित बजट की राशि पच्चीस प्रतिशत तक भी व्यय नहीं की गई है। इसमें सम्मिलित जातियों के छात्रों की शिक्षा, रोजगार हेतु विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षित

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

व्यक्तियों को रोजगार हेतु अनुदान, आदि कार्यों में अधिकारियों की उदासीनता की वजह से कई परिवार इस योजना के लाभ से वंचित हैं। कृपया छात्रों की नि:शुल्क शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के इच्छुक व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, रोजगार हेतु अनुदान के अधिक लक्ष्य निर्धारित कर उनकी स्वीकृति जारी करावें।

2. नवजीवन योजना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पोलीटेक्निक कालेज स्तर के प्रशिक्षण हेतु भी इसमें सम्मिलित जातियों के इच्छुक छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाये।

3. पाली जिले में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गाड़िया लौहार मकान से वंचित हैं, कई गाड़िया लौहार परिवार मकान एवं रोजगार हेतु औजार से महरूम हैं। कृपया जिले के गाड़िया लौहारों का व्यापक सर्वे करा मकान से वंचित परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड, मकान एवं औजार हेतु अनुदान की व्यवस्था करावें।

4. पाली जिले के विकलांगों हेतु आटो ट्राई-साइकिल भी अनेक विकलांगों को नहीं मिली है। कृपया 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले प्रत्येक विकलांग को आटो ट्राई-साइकिल दिलायें।

5. पालनहार योजनाओं में विधवा की दूसरी संतान एवं अनाथ बच्चे को विद्यालय में पढ़ने का प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में उसे इस योजना में लाभान्वित नहीं किया जाता। अनेक अत्यधिक गरीब विधवा-संतान एवं अनाथ बालक इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कृपया विद्यालय में पढ़ने का प्रमाण पत्र ना होने पर भी इन्हें इस योजना में लाभान्वित किया जावे एवं इनकी शिक्षा हेतु विभाग द्वारा अलग से प्रयास किये जावें।

6. पाली जिले में विधवा पुत्री विवाह, सहयोग एवं सुखद योजना में अनेक आवेदन इस कारण लम्बे समय से लम्बित हैं कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक राशि के विरुद्ध बहुत कम राशि आबंटित की जाती है। कृपया सरकार द्वारा सम्पूर्ण आवश्यक राशि आबंटित की जावे।

7. अधिकांश अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति इस कारण नहीं दी जा रही है कि इसमें राशि बहुत ही कम आवंटित की जा रही है। कृपया छात्रवृत्ति हेतु अधिक राशि का प्रावधान करें।

8. एक ही परिवार के दो सदस्यों के विकलांग होने की स्थिति में उस परिवार को आस्था कार्ड दिया जाता है एवं आस्था कार्डधारी परिवार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को चयनित परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। परन्तु अनेक पात्र परिवारों को लम्बे समय से आस्था कार्ड जारी नहीं किये गये हैं। उन्हें नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा एवं दो रुपये किलो गेहूं को छोड़कर अन्य चयनित परिवार वाली सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कृपया लम्बित आस्था कार्ड जारी करावें एवं सभी सुविधा प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश जारी करावें।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यायपालिका के आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। वर्तमान में जनता जल योजना में पम्प चालक के पद पर राजस्थान में कुल 6,737 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो दिन-रात एक कर राज्य की इस महती योजना में कार्य कर जनता को पेयजल सुलभ करवा रहे हैं।

गांवों में अनियमित बिजली आने के कारण पम्प चालक को अपने सारे काम छोड़कर केवल पम्प चलाने में समय देना पड़ता है। पम्प चालकों को पानी सप्लाई के लिए 8 घंटे से 12 घंटे का समय देना पड़ता है, जिस कारण ये अपने स्वयं का कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जाता है। राज्य सरकार पम्प के रखरखाव के लिए 4,000/- एक वर्ष के लिए देती है लेकिन पम्प चालकों को इनके रखरखाव के लिए 10,000/- से 15,000/- रुपए तक का खर्चा आता है। अत: पम्प चालक को करीब 6,000/- से 11,000/- तक स्वयं को भरने पड़ते हैं।

इस संदर्भ में श्रीमान् जी को विदित रहे कि उक्त कार्य के बदले में इन कर्मचारियों को वर्ष 1994 से 2008 तक प्रतिदिन मजदूरी के रूप में केवल 17 रुपए व 1 सितम्बर, 2008 से आज तक 33 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता रहा है जिससे ये अपने परिवार का भरण-पोषण भी नहीं कर सकते हैं।

इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का आदेश जयपुर हाई कोर्ट द्वारा रिट नं. 1837/2008 में दिनांक 6.01.2012 को जज

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एम.एम. भण्डारी ने दिया; डबल बेंच रिट नं. 987/2012 में मुख्य जज अरुण मिश्रा व नरेन्द्र कुमार ने आदेश दिया; दिनांक 3.10.2012 को रिट नं. 572/12 कोर्ट आफ कन्टेस के जज महेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया; रिट नं. 3621/2011 दिनांक 02.11.2011 को लगाई जिसके फैसले में जोधपुर हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश कर दिया गया। नागौर कोर्ट ने रिट नं. 2195/12 को आदेश कर दिया गया; दिनांक 5.11.2012 को जयपुर हाई कोर्ट के जज आलोक शर्मा ने न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उपरोक्त आदेशों की पालना नहीं की है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हाई कोर्ट के आदेशों की पालना कर कर्मचारियों के साथ न्याय करे।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

धौलपुर में कानून एवं व्यवस्था की बदतर स्थिति

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। धौलपुर की कानून व्यवस्था का मंजर पिछले 2 वर्षों में बद से बदतर हो गया है। हर सुबह का आगाज जुर्म से, रात की आमद चोरी, लूट और डकैती से होती है। महिलाओं पर अत्याचार अथवा बालिकाओं को भगाने अथवा किडनेप के प्रकरण में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने नए आयाम और नए रिकार्ड स्थापित किए हैं। हत्याओं व अपहरण के प्रकरण पुलिस के लिए चुनौती हैं।

नरेश कुशवाह की सुपारी देकर हत्या के प्रकरण ने सम्पूर्ण कुशवाह समाज को झकझोर दिया है। मृतक के पिता की गुहार, कुशवाह समाज के द्वारा चेतावनी व धरने-प्रदर्शन ने भी पुलिस की अन्रात्मा पर भी कोई प्रभाव नहीं डाला है। लगभग 2 माह पूर्ण होने के बावजूद भी पुलिस प्रभावशाली उद्योगपति व बसपा नेता को गिरफ्तार करना नहीं चाहती है। सारे सबूत व साक्ष्य के बावजूद हत्या के मुख्य साजिश करिन्दा को भगाने की आजादी दी गई है, जो शर्मनाक बात है। इंसाफ सिसककर दम तोड़ रहा है। अवाम का भरोसा, विश्वास पुलिस से उठ गया है। इंसाफ की कीमत चुकानी होती है। नरेश कुशवाह की आत्मा इंसाफ के लिए गुहार कर रही है। ऐसे सैकड़ों नरेश इंसाफ की गुहार लगाकर चीख रहे हैं लेकिन रहबर व रहनुमा शायद कान और आंख मूंदे हुए हैं।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

ग्राम विचौला, थाना राजाखेड़ा से 14 वर्षीय छात्रा सोनी पुत्री श्री रामवरण शर्मा का अपहरण नामजद व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसकी नामजद रिपोर्ट दिनांक 23.12.2012 को दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, आई.जी. पुलिस रेंज भरतपुर तथा अन्य उच्च अधिकारियों से बार-बार निवेदन किया जा चुका है। किन्तु आज दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस घटना से राजाखेड़ा नगर आंदोलित हुआ है तथा भारी आक्रोश है। 11 जनवरी, 2013 को राजाखेड़ा बंद रहा है तथा आंदोलन लगातार जारी है।

गांवों से आने वाली छात्राओं और अभिभावकों में भय व्याप्त है जिससे बालिकाएं गांवों से आने में भी डरती हैं। बालिकाओं ने प्रदर्शन कर सुरक्षा की मांग की है। अख़बारों में शाया जुर्म की सुर्खियां अब सिर्फ अख़बारों में मान बिक्री का सामान बनकर रह गई हैं। कानून के रखवालों के लिए इनके मायने सिर्फ समाचार से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये तो सिर्फ सुर्खियां हैं और इनमें दबी सैकड़ों जुर्मों की दास्तां मंजरेआम होने के इंतजार में दम तोड़ देती हैं और इनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है।

क्या कानून आम आदमी को इंसाफ दिला पाएगा? धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखाराम नेतड़िया।

मेड़ता के कई गांवों को डार्क जोन में डाल देने से उत्पन्न पानी की समस्या

श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता): सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व का विशेष उल्लेख ।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कई गांवों का क्षेत्र ऐसा है जिसे डार्क जोन में डाल दिया गया है। इन गांवों में पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है तथा व्यापक स्तर पर पशुधन की हानि हो रही है। ऐसी गम्भीर समस्या होने के बावजूद भी सरकार इन क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित करने के बजाय पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा क्यों नहीं कर रही है? मेड़ता में सिंचाई लगभग कुओं एवं नलकूपों पर आधारित हैं। हर किसान पालतू पशुओं के साथ अपने पूरे परिवार की पानी की आवश्यकता की पूर्ति कुओं एवं नलकूपों से करता है। ये कुएं एवं नलकूप पिछले 20-30 वर्षों

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

से चालू हैं जिस कारण कई जगहों से इनके पाइप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या चोक हो जाते हैं और पानी नहीं निकाल पाते हैं। अत: इन किसानों को इसी कुएं के पास ही दूसरा कुआ खोदने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। साथ ही जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से जो ऋण लिया गया है उसे इन हालातों में जब कुआ बंद हो जाए या पाइप खराब या चोक हो जाए तो उन्हें ऋण माफ करने चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132/220 के.वी.ए. के जी.एस.एस. की स्थापना

श्री अजय सिंह (डेगाना): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर 132 के.वी.ए. अथवा 220 के.वी.ए. जी.एस.एस. स्थापित करने की आवश्यकता को सदन के सामने लाना चाहता हूं।

महोदय, डेगाना उपखण्ड मुख्यालय तीन ग्राम पंचायतों गौरेडी, चांचा, लंगौड़ एवं झगड़ावास से मिलकर बना है, जिसमें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कई कार्यालयों सहित राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंक स्थित हैं। डेगाना कस्बा जोधपुर-जयपुर व जोधपुर-दिल्ली रेलमार्ग का महत्वपूर्ण जंक्शन है। डेगाना कस्बे में स्थायी निवास कर रहे 20 हजार से अधिक लोगों के साथ कस्बा 50 किलोमीटर की परिधि के गांवों व ढाणियों का प्रमुख व्यापारिक, व शैक्षिक केन्द्र है जिसमें क्षेत्र के विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी प्रतिदिन आवागमन के साथ अधिकांश अस्थायी रूप से निवास भी करते हैं।

दुर्भाग्य है कि जिले के मध्य स्थित इतने बड़े कस्बे में विद्युत आपूर्ति 30 किलोमीटर दूर स्थित सांजु में बने जी.एस.एस. से हो रही है। सांजु से आने वाली विद्युत सप्लाई डेगाना कस्बे से होकर आसपास के 30 किलोमीटर की परिधि के गांवों में होती है। इनमें कई गांव मकराना, परबतसर विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। डेगाना कस्बे में 3,150 के.वी.ए. व 5,000 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर 33 के.वी.ए. लाइन से जुड़े हुए हैं। इसी लाइन पर लंगौड़ में 3,150 के.वी.ए. एवं ईड़वा में 1,600 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर भी जुडा हुआ है। सांजु से आने वाली विद्युत सप्लाई में लम्बी लाइनों एवं अधिक उपभोक्ताओं के कारण प्रसारण एवं वितरण की हानि अधिक होती है। लाइनों में फाल्ट व ट्रिपिंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। फलस्वरूप डेगाना कस्बे व आसपास के गांवों की

(श्री अजय सिंह)

विद्युत आपूर्ति प्राय: बाधित रहती है जिसके कारण उपखण्ड मुख्यालय पर गांवों से आने वाले ग्रामीणों को बिना कार्य वापस लौटना पड़ता है।

उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान डेगाना कस्बे में 132 के.वी.ए. अथवा 220 के.वी.ए. जी.एस.एस. स्थापित कर किया जा सकता है।

यहां उल्लेखनीय है कि डेगाना कस्बे के समकक्ष राज्य के अधिकाश उपखण्ड मुख्यालयों पर 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. स्थापित हैं। विद्युत सेवाओं के मामले में सरकार कस्बे व क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला एवं उपेक्षित व्यवहार कर रही है।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से आग्रह है कि डेगाना क्षेत्र के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र डेगाना में 132 के.वी.ए. अथवा 220 के.वी.ए. जी.एस.एस. स्थापित कर आम जनता को राहत दिलवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर के गंगलाव तालाब को अतिक्रमण मुक्त किया जाना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। प्राचीन एवं ऐतिहासिक गंगलाव तालाब पर अतिक्रमण, कैचमेंट एरिया में पट्टे जारी करने और विभिन्न विभागों द्वारा बिना अनुमति के पेयजल, विद्युत, सीवरेज, सड़क के कार्य करवाने के क्रम में मेरा यह प्रस्ताव है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर के अति प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के गंगलाव तालाब पर षड्यन्त्रपूर्वक अतिक्रमण करने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा अनुरोध है कि :-

1. गंगलाव तालाब एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का तालाब है, जिससे बहुत गहरी जन आस्था जुड़ी है।
2. प्रशासनिक उदासीनता और मिलीभगत के चलते उक्त गंगलाव तालाब पर षड्यन्त्र पूर्वक अतिक्रमण कर पट्टे देने की योजना पर बहुत त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में गत कुछ समय में ही तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को नियमित कर पट्टे दिये जा रहे हैं; उक्त कैचमेंट क्षेत्र में काबिज अतिक्रमियों को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

लाभ पहुंचाने के लिए यहां सीवरेज और पेयजल लाइनें बिछाई गईं विद्युत कनेक्शन दिये गये और सड़क निर्माण करवाया गया है। सीवरेज लाइन को तो गंगलाव तालाब में ही मिला दिया गया है। कुल मिलाकर एक योजना क्षेत्र की तरह अतिक्रमित कैचमेंट क्षेत्र को विकसित कर अवैध अतिक्रमियों को अब पट्टे दिये जा रहे हैं।

3. मेरी आपत्ति है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि तालाब के कैचमेंट एरिये में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जावे और किसी भी सूरत में इन्हें नियमित कर पट्टे नहीं दिये जायें तो फिर किस आधार पर गंगलाव तालाब के भीतर और कैचमेंट क्षेत्र में काबिज अतिक्रमियों को पट्टे दिये जा रहे हैं? उक्त क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों के बारे में स्थानीय अतिक्रमण पर्यवेक्षण अधिकारियों ने समय रहते सूचना देकर अतिक्रमण हटाने के प्रयास क्यों नहीं किये?

4. उक्त तालाब और कैचमेंट क्षेत्र की समस्त भूमि को संरक्षित करने के लिए कई बार चारदीवारी निर्माण, तारबंदी, आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, परन्तु एक बार भी कार्य नहीं करवाया गया।

अत: मेरा निवेदन है कि उक्त समस्त प्रक्रिया अन्तर्गत गंगलाव तालाब एवं कैचमेंट एरिये में दिये गये पट्टों को अविलम्ब निरस्त किया जाये और षड्यंत्रपूर्वक तालाब एवं कैचमेंट एरिया की भूमि पर अवैध अतिक्रमियों को पट्टा देने वाले दोषी अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही समस्त अतिक्रमण हटाकर तालाब का गुलाब सागर–फतेह सागर की तर्ज पर जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण कार्य करवाया जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली।

बयाना की रूपवास तहसील को नगरपालिका घोषित किया जाना

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

महोदय, बयाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय रूपवास जो उपखण्ड मुख्यालय भी है, अभी ग्राम पंचायत क्षेत्र ही है। कस्बा रूपवास की जनसंख्या लगभग 20,000 है। पुराना कस्बा है, जो पर्यटन का भी

(श्री ग्यारसाराम कोली)

महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां की जनता जन-सुविधाओं से वंचित रह रही है एवं सफाई, पानी, बिजली, सड़क के अभाव में कस्बा नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गत दो वर्षों में विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से यह ज्वलंत मुद्दा उठाया गया है किन्तु सरकार का कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आया। अब आम जनता ने यह ठान ही लिया है कि इस कस्बे को नगरपालिका करवाना है। रूपवास से छोटे कस्बे राजस्थान में नगरपालिका हैं। जनता द्वारा कस्बा रूपवास में 21 दिन से धरना, प्रदर्शन एवं प्रत्येक दिन ज्ञापन दिये जा रहे हैं। सभी पार्टी संगठन एक साथ इस कस्बे को नगरपालिका बनाने का मानस बना चुके हैं। किन्तु सरकार मौन बैठी है, जो न तो जनता के प्रति और न ही क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार का सकारात्मक रवैया है। जनता सड़क पर आ चुकी है।

अत: मेरा प्रस्ताव है कि इसी बजट सत्र में रूपवास को नगपालिका घोषित किया जाकर जनता की पुकार को प्राथमिकता दी जाये ताकि इस कस्बे का विकास सम्भव हो सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

किसानों को मौसम आधारित फसली बीमा का लाभ

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से किसानों को फसली बीमा का मुआवजा दिलाये जाने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मौसम आधारित फसली बीमा योजना लागू करने हेतु सरकार द्वारा तहसील स्तर में एक या दो वैदर स्टेशन लगे हुए हैं, जो सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के मौसम का आकलन न करके केवल एक ग्राम जहां वैदर स्टेशन लगा है, वहां के मौसम का आकलन कर डाटा संग्रहित करता है, जिसकी दूरी अन्य गांवों से 30-40 किलोमीटर है। वहां घटित प्राकृतिक ओले, शीत लहर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान व तापमान, आदि का सही आकलन नहीं होने से तहसील के अन्य गाँवों के किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है।

अत: मैं सरकार से मांग करती हूं कि गिरदावरी आधारित फ़सली बीमा किया जाये, ताकि तहसील के प्रत्येक गांव में हुए खराबे का उचित फ़सली मुआवजा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा की ग्राम पंचायतों में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन का भुगतान

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन का भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की दूदू पंचायत समिति के अधीन आने वालीं नरेना, हबसपुरा, चैनपुरा, श्रीरामपुरा, बरडोटी, कोरसीना, सादुलपुरा, काचरोदा, रोजड़ी, सुरसिंहपुरा और हिरणोदा ग्राम पंचायतों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन डेढ़-दो वर्ष पूर्व स्वीकृत हो गई थी लेकिन आज तक उन लोगों को इसका भुगतान नहीं किया गया है। उक्त चयनित व्यक्ति लगातार पंचायत समिति के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और उनको इस पेंशन से वंचित रखा जा रहा है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप जांच करायें, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें और उक्त वंचित लोगों को पेंशन का लाभ दिलाकर न्याय करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के अन्तर्गत श्री जीवाराम चौधरी को दो मिनट के लिए बोलने की इजाजत है।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमसा मेघवाल।

सूचना

केरू ग्राम (जोधपुर) के सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मुआवजा व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, जोधपुर जिले में केरू गांव में विश्नोई समाज के शिवलाल विश्नोई अपने परिवार के साथ किसी शादी समारोह में जा रहे थे और किन्हीं कारणों से पुलिस की गाड़ी पीछे पड़ी और वह आगे भागता ही रहा। उसकी मां, उसकी बेटी और बहू सारा परिवार एक ही गाड़ी में था और भागते-भागते एक पुलिया के ऊपर से उसका

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

एक्सीडेंट हो गया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही उसकी मां की डैथ हो गई और मथुरादास माथुर हास्पिटल, जोधपुर में उसके पूरे परिवार को भर्ती करवाया गया। तीन दिन विश्नोई समाज ने बड़ा आंदोलन किया और सरकार से मांग की कि उसकी मां की डैथ हो गई है और शिवलाल खुद हास्पिटल में भर्ती था और उसकी पत्नी की भी आज के दिन रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और वह भी हास्पिटल में भर्ती है। उसकी मां की बाडी तीन दिन बाद उठाई गई। सरकार ने किसी तरह की न तो उसकी मां के प्रति या उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, न ही कोई सहायता राशि दी। तीन दिन बाद शिवलाल विश्नोई खुद था, उसकी भी डैथ हो गई।

आज तीन दिन हो गये, हास्पिटल में आज के दिन उसका शव पड़ा है और विश्नोई समाज का एक बड़ा ही प्रदर्शन हो रहा है जोधपुर जिले में। हजारों विश्नोई समाज के लोग वहां बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए और पच्चीस लाख का मुआवजा दिया जाए और जो पीछे गाड़ी थी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। विश्नोई समाज में बड़ा आक्रोश है।

सरकार को भी चाहिए कि आज तीन दिन से उसका परिवार, मतलब कम से कम इस हादसे को आज पन्द्रह दिन हो गये और तीन दिन से तो उसकी बाडी, आज के दिन, अभी वर्तमान में भी जोधपुर हास्पिटल में पड़ी है और सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं चाहती हूं कि सरकार तुरन्त प्रभाव से उस हास्पिटल में जाए और उनके जो परिवार के हैं, जो विश्नोई समाज के बैठे हैं, उनसे वार्ता करके, आज हिन्दू समाज में किसी की डैथ होने के बाद अपन उसकी जल्दी से जल्दी अंत्येष्टि करते हैं, तीन दिन से वे वहां बैठे हैं, वे खाना-पीना नहीं खा रहे हैं। 10 दिन से हजारों भाई वहां भूखे-प्यासे बैठे हैं और सरकार पर किसी तरह की जूं तक नहीं रेंग रही है।

मैं सरकार से और मुख्य मंत्रीजी, जो कि जोधपुर जिले के हैं, से मांग करती हूं कि विश्नोई समाज जिसके साथ 36 कौम साथ हैं, ऐसे परिवार के साथ जाकर वार्ता करें और गृह मंत्रीजी भी अड़ियल रुख छोड़कर पहल करके उस परिवार की जो मांग है, उसे पूरा करें।

गृह मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैं उनसे जवाब जानना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): 15 दिन से यह मामला चल रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है।

श्री सभापति: वे पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के अन्तर्गत बोल रही हैं। मैडम, अब आपका टाइम हो गया है।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): टाइम हो गया है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? तीन दिन से वे भूखे और प्यासे बैठे हैं। टाइम होने से क्या मतलब हो गया?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापति महोदय, गृह राज्य मंत्रीजी विराजमान हैं, कोई न कोई हल निकालने का प्रयास किया जाये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) पूरा विश्नोई समाज उद्वेलित है। कोई अनहोनी घटना घटित न हो जाये, गृह मंत्रीजी इसके लिये क्या कर रहे हैं? उनके परिवार के प्रति बड़ी चिंता कर रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठिए; आसन पैरों पर है, कृपया बैठिए। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के अन्तर्गत इतना बोलने की उनको इजाजत दी गई थी, उन्होंने अपनी बात कह दी, सरकार के नोटिस में आ गई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में पैट्रोल व डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं इससे पहले एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा। 6 महीने बाद संसदीय परम्पराओं के अनुसार यह सदन आहूत हुआ है शून्य काल के अन्तर्गत चाहे पाइंफ आफ इन्फोर्मेशन से, चाहे पर्ची से, चाहे स्थगन से हम अपनी भावनाएं यहां कहते हैं। सरकार में तीन दर्जन मंत्री हैं जिसमें से तीन भी यहां नहीं बैठे हैं और इन तीनों में एक-दो तो संसदीय सचिव हैं, उनको खुद को यह पता नहीं कि वे क्या बन गये। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इसके लिये तो सरकार को बाध्य करें कि जब शून्य काल हो तब तो यहां विराजें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहूंगा। पूरा देश इस समय महंगाई से त्रस्त है। सभापति महोदय, इसी 16 फरवरी, 2013 को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल के मूल्य में 1.50

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये और डीजल के मूल्य में 45 पैसे की बढ़ोतरी की। एक महीने पहले 17 जनवरी को केन्द्र सरकार ने तेल वितरण कम्पनियों के छद्म घाटे की चिंता करते हुए डीजल के मूल्य को बाजार के हवाले कर दिया और उसी दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल में 50 पैसे की बढ़ोतरी की। यानी एक महीने में किसान के उपयोग में आने वाला डीजल, आम आदमी के वाहन में जलने वाला डीजल 95 पैसा महंगा हो गया। फरवरी, 2013 को भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने यह कहा कि पैट्रोलियम कम्पनियों को डीजल में 10.83 रुपये का घाटा प्रति लीटर हो रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिये पूरे देश में हर महीने डीजल की दरों में 50 पैसे की बढ़ोतरी होगी। सभापति महोदय, 13 सितम्बर का वह दिन था जिस दिन पूरा हिन्दुस्तान इस बात के लिये बंद हुआ था कि एक साथ डीजल की कीमतों में 5.90 रुपये और रसोई गैस की कीमतों में 369.17 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

इन सारी बातों के चलते यह सरकार जो कहती है कि हमारे शासन का आधार हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के पृष्ठ 22 पैरा संख्या 2 की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम करेगी। यानी इस घोषणा पत्र में इन्होंने आज से 4 वर्ष और 6 महीने पहले लिखा, आज साढ़े चार वर्ष गुजर गये, सरकार अपने अंतिम चरण पर है, सरकार मृतप्राय है, सरकार का समय समाप्त हो रहा है, सरकार की अंत्येष्टि होने वाली है, ऐसे समय में मैं सदन के माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि आपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम वैट की दरों को कम करेंगे, पिछले एक महीने में 95 पैसे डीजल बढ़ गया, आपका क्या इरादा है?

सभापति महोदय, मैं वह बात जो अभी प्रश्न काल में यहां उठी थी, मंत्रिमण्डलीय आज्ञा 181/2012, इसी सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने मंत्रिमण्डल की बैठक करके यह कहा कि हम तीन गैस सिलेण्डर सब्सिडाइज्ड् रेट पर राजस्थान की जनता को देंगे। 10 महीने पहले की घोषणा, किसने कहा था कि आप राजस्थान के आम अवाम को गुमराह करें? आप यह घोषणा करें, जब आप दे नहीं सकते और फिर उसकी मंत्रिमण्डलीय आज्ञा निकाल रहे हैं। सभापति महोदय, यह पहला मामला होगा, जब मंत्रिमण्डलीय आज्ञा निकलने के बाद भी सरकार ने एक अतिरिक्त सिलेण्डर भी सब्सिडाइज्ड रेट पर नहीं दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैंने एक सवाल किया था, इसी सरकार में पिछले सत्र में प्रश्न संख्या 2695, मैंने पूछा था कि पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट, क्रूड आयल और प्राकृतिक गैसों से कितनी आय होती है; इनके उत्तर में है कि 2009-10 में 2,974 करोड़ रुपये की, 2010-11 में 3928 करोड़ रुपये और 2011-12 में 4,071 करोड़ की और इस बार 5 हजार करोड़ से ज्यादा वैट और पेट्रोलियम पदार्थों से इनको राजस्व मिलेगा। 2010-11 की बात करें, राजस्थान की जो कुछ टैक्स रेवेन्यू है, वह थी 12,700 करोड़ और 3,928 करोड़ रुपये इनको सिर्फ वैट और पेट्रोलियम पदार्थों से मिल गया; यानी 26 फीसदी पैसा इनको आज इनसे मिल रहा है। हम देश में सर्वाधिक वैट लेने वाले चार राज्यों में शामिल हैं। हमारे पड़ोसी दिल्ली-डीजल पर 13.29 वैट है, पंजाब में 8.25, हरियाणा में 8.84 और हमारे यहां 18 फीसदी।

सभापति महोदय, इसके अलावा, केन्द्र सरकार, जिस सरकार के बारे में माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमें सरकार बहुत सहायता दे रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं कोट भी करना चाहता हूं, 12 सितम्बर, 2012 को केन्द्र के वित्त मंत्री ने सारे राज्यों को लिखा कि राज्य सरकार अब पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम करें। मुख्य मंत्रीजी, जिनकी आजकल नहीं बनती, इनके प्रदेशाध्यक्ष ने ही लिखा, एक दर्जन मंत्रियों ने फोटो खिंचवाते वक्त मुस्कराते हुए कहा कि वैट की दरें कम होनी चाहिये, पर वैट की दरें कम नहीं हुईं। वैट की दरों की बढ़ोतरी के कारण पंजाब से 200 लाख करोड़ लीटर डीजल स्मगलिंग होकर आज हमारे यहां आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा तीन वर्ष में डीजल की कीमत 3.88 रुपये बढ़कर 49.12 रुपये हो गई; ढाई वर्षों में 12 बार पेट्रोल बढ़ा और तेल विपणन कम्पनियां दावा कर रही हैं कि हमारा घाटा डीजल में प्रति वर्ष 94 हजार करोड़ रुपया और पेट्रोल में 45 हजार करोड़ रुपया है। सभापति महोदय, इन्हीं पेट्रोलियम कंपनियों की जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2012 की बैलंस शीट नैट पर देखी थी, इंडियन आयल को मुनाफा हुआ 9,617 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम को मुनाफा हुआ 5 हजार करोड़ रुपये, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को मुनाफा हुआ 2,327 करोड़ रुपये। यानी ये सारी कम्पनियां लाभ में हैं। केन्द्र सरकार छद्म रूप से इनके घाटे की चिंता कर रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारी इस सरकार ने घोषणा की थी कि हम वैट की दरें कम करेंगे, मंत्रिमण्डलीय आज्ञा निकल जाती है, उसके बाद भी सरकार कुछ करना नहीं चाहती। इसी सत्र में परसों एक सवाल लगा था तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य का, इन्होंने पूछा कि क्या आप वैट की दरों को कम करोगे; तो उत्तर में लिखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर की एम्पावर्ड कमेटी में 20 परसेंट न्यूनतम वैट पेट्रोलियम पदार्थों पर तय हो गया है और जिन राज्यों में अधिक है, उन राज्यों से आग्रह करें कि वह 20 परसेंट करें। यानी यह सरकार आने वाले, इसी वित्तीय वर्ष में जो 18 परसेंट वैट की दर है डीजल पर, उसको 20 परसेंट पर ले जाने का काम करेगी। यह इनके उत्तर से स्पष्ट दिखता है।

सभापति महोदय, इसलिए मेरी मांग है, जब एक ओर पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट से 5 हजार करोड़ रुपये सरकार प्रति वर्ष कमा रही है और दूसरी ओर लगातार हर महीने, मार्च में फिर 50 पैसे डीजल बढ़ेगा, यह राजस्थान का अवाम कहां जायेगा? यह महंगाई से त्रस्त लोग कहां जायेंगे? एक रुपया अगर बढ़ता है तो पूरा महंगाई सूचकांक 10 परसेंट बढ़ जाता है, सभापति महोदय, जिसमें आटा-तेल से लेकर सब्जी तक शामिल हैं। यह राजस्थान के लोग कहां जायेंगे? आज राजस्थान वैसे ही मर रहा है। इन्होंने वादा क्यों किया था? या सरकार खड़े होकर कह दे कि हमने वादा खोटा किया था, हम अपनी बात को वापस लेते हैं, हम मान लेंगे। क्योंकि जो बात इन्होंने कही, आज साढ़े चार वर्ष के बाद मेरा अधिकार है कि मैं इस सरकार से पूछूं कि आपने वादा क्यों किया; किया तो इस वादे के अनुसार आप वैट की दरें कम कर रहे हैं या नहीं?

सभापति महोदय, मुझे उम्मीद है, वैसे तो संवेदनशील सरकार बनने का ढोंग रचते हैं, संवेदनहीनता तो सदन के प्रति दिखाई दे रही है, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब कृपा करके सरकार से दिलवायेंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, सरकार कमाई कर रही है। 2 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिले हैं चार साल में वैट के चक्कर में और अभी सवा सौ करोड़ पर तालियां बजाई हैं इन्होंने। 2 हजार करोड़ रुपये कमा कर तालियां बजा रहे हैं। यह मर्म की बात है, गरीब राज्य की स्थिति है, गरीब किसानों की स्थिति है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए। श्री अनिल जैन।

(13.00 बजे)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): किसान पर मार-पर-मार पड़ती जा रही है, किसान की फसल का दाम बढ़ता नहीं है। सभापति महोदय, ऐसे में आज किसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। डीजल की रेट कितनी बार कहां से कहां पहुंचा दी है, गैस के भाव कहां से कहां पहुंचा दिये हैं। आज एक आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। मैं आपके मार्फत यह आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपको डीजल के भाव लगातार बढ़ाने हैं तो बढ़ायें परन्तु गेहूं खरीद का भाव भी बढ़ाइये, सरसों के समर्थन मूल्य का भाव भी बढ़ाइये, जिससे किसान की पीड़ा कम हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, यह बात कह दी गई है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि दो साल पहले साढ़े सत्रह रुपये की छूट भारत सरकार ने दी थी, इन्होंने एक नया पैसा राजस्थान के किसानों को नहीं दिया। साढ़े सत्रह रुपये अकाल के टाइम में भारत सरकार ने, 6 अगस्त 2010 का आर्डर है, उसमें एक नया पैसा किसानों को नहीं दिया, यह सरकार हजम कर गई। चाहती तो केन्द्र से पैसा लाकर किसानों को बांट सकती थी।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़ पर्ची के माध्यम से बोले हैं। (व्यवधान) आपको इजाजत नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। आपकी बात कह दी है राजेन्द्र जी ने। (व्यवधान) क्यों आप रिपीट कर रहे हैं?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: जो बात राजेन्द्र जी राठौड़ ने कह दी है, वह बात आप रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान) विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आपको इजाजत नहीं है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: सचेतक महोदय से निवेदन है, आप अपनी बात कह चुके हैं। बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महादेय, सब लोगों को जो संदेह है, वह यह है कि जो एम्पावर्ड कमेटी दिल्ली में बैठी है, उस एम्पावर्ड कमेटी ने वैट को 20 परसेंट करने का सुझाव दिया है, न्यूनतम। आज राजस्थान का 18 परसेंट है, हम 18 परसेंट में भी लगभग कई राज्यों से दुगने हैं। कई राज्यों का 9 परसेंट वैट है, कई का 8 परसेंट है, कई का 14 है, कई का 15 है। हम आज भी 18 परसेंट पर हैं। अगर उस एम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अगर 20 परसेंट वाला हुआ तो हमको और 2 परसेंट वैट बढ़ाना पड़ेगा। इन हालात से तो राजस्थान कम से कम इस मार को, यहां का किसान, यहां का कामन आदमी बरदाश्त नहीं कर पाएगा। मैं सोचता हूं कि कहीं आप इस एम्पावर्ड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कमेटी को किसी न किसी तरीके से लागू करने का मन तो नहीं बना बैठे हो? अगर मन बना बैठे हो तो कम से कम इस सदन में कह दो, तो कम से कम राजस्थान की जनता को यह तो पता लगे कि हम किस तरीके से, हमारी आमदनी, जितना हमने बजट पेश किया, उस समय हमने कैलकुलेशन किया कि इस साल के बजट में हमको इतनी आमदनी इससे होगी, अगर उससे अधिक आमदनी हो रही है तो कम से कम उतनी छूट तो दे दो जिससे कम से कम कामन आदमी को, जो डीजल से प्रभावित है, उसे राहत तो मिलेगी। या एम्पावर्ड कमेटी से आप बिल्कुल बंध ही गये हो और 20 परसेंट करना ही है, तो उसके बारे में भी कह दो।

श्री सभापति: श्री अनिल जैन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, नेता, प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात कह दी। वह ही बात आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं। कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी यहां हैं, कहो, क्या मंशा है?

श्री सभापति: कृपया विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या आप घोषणा पत्र के अनुसार कम करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: श्री अनिल जैन। मैं दूसरा नाम बोल रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: श्री अनिल जैन। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री सभापति: कृपया विराजिये, श्री अनिल जैन।

खानपुर के बकानी आई टी आई स्कूल का भवन

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मेरे क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

झालावाड़ जिले के खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गरीब परिवारों का, गरीब छात्रों का बहुत ही गम्भीर मामला है।

(श्री अनिल जैन)

झालावाड़ जिले के खानपुर विधान सभा क्षेत्र के बकानी पंचायत समिति मुख्यालय पर वर्ष 1996 में आई टी आई की स्थापना हुई, जिसको वर्तमान में नेशनल काउंसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त है। उक्त आई टी आई भवन, बकानी में दरारें आने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया गया जिस पर लगभग 14-15 लाख रुपये खर्च हुए। बावजूद इसके, इस संस्थान को झालावाड़ मुख्यालय पर स्थित आई टी आई भवन में शिफ्ट कर दिया गया। आज भी बकानी आई टी आई झालावाड़ में ही चल रहा है।

बकानी क्षेत्र के छात्रों को प्रतिदिन बकानी से झालावाड़ अपनी पढ़ाई करने आना पड़ रहा है। आवागमन का खर्चा बढ़ती महंगाई के कारण लगातार बढ़ रहा है। गरीब तबके की जनता पर अपने बच्चों की पढ़ाई हेतु आवागमन पर अतिरिक्त खर्चा लादा जा रहा है, जिसको कि वे वहन करने में अक्षम हैं। हर वर्ष किराये के भवन का निरीक्षण तकनीकी शिक्षा यूनिट, कोटा के अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा एन सी वी टी के मापदण्डों के अनुकूल नहीं बताकर झालावाड़ मुख्यालय पर ही बकानी आई टी आई को चलाये जाने के सुझाव देते आ रहे हैं। बकानी आई टी आई स्कूल का निर्णय सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रशासन व तकनीकी शिक्षा यूनिट के अधिकारियों की आपसी खींचतान में व्यर्थ झूल रहा है व नुकसान मेरे क्षेत्र के छात्र व माता-पिता उठा रहे हैं।

जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में आंदोलन सा माहौल हो रहा है। पूर्व में भी आंदोलन हुए हैं। मेरे द्वारा पूर्व में इसके लिए विधान सभा में प्रश्न के जरिये मांग की गई है कि, शीघ्र बकानी आई टी आई को झालावाड़ मुख्यालय से पुनः बकानी मुख्यालय पर शिफ्ट किये जाने के लिए सरकार व प्रशासन सख्त कदम उठायें।

गरीबों के प्रति अगर सरकार में सहानुभूति बची हो तो इसी सदन में आदेश दिये जाएं, बकानी आई टी आई को, उन गरीब छात्रों पर रहम करके आदेश पारित करवाये जाएं कि वापस बकानी ही शिफ्ट की जाए ताकि वहां के बच्चों को उसका लाभ मिले। पिछले पांच साल से बच्चे सफर कर रहे हैं, आवागमन का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। आई टी आई वही बच्चे करते हैं जो गरीब परिवार के हैं।

तो सरकार से मैं कहूंगा कि थोड़ा संवेदनशील होकर इस पर निर्णय सदन में ही, मंत्रीजी विराज रहे हैं, उनसे दिलवाया जाए और वापस बकानी में आई टी आई शिफ्ट की जाये।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, मंत्रीजी विराज रहे हैं, यह बहुत गरीब छात्रों का मामला है। जवाब दिलवाओ साहब। गरीबों के प्रति सरकार की सहानुभूति नहीं बची। (व्यवधान)

सूचना

हैदराबाद बम ब्लास्ट में मारे गये भीनमाल (जालौर) के युवक के परिजनों को सहायता

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था, मैं टायलेट गया था, क्षमा चाहता हूं। मैं आपका एक मिनट लूंगा।

अभी पिछले दिनों हैदराबाद में हुए बम ब्लास्ट में मेरे गृह जिले जालौर की तहसील भीनमाल का सोगाराम नाम का लड़का उस ब्लास्ट में मारा गया। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह गरीब परिवार का लड़का था, घर में कमाने वाला एक ही था, मैं इस दुःख की घड़ी में मेरी ओर से एक महीने की तनख्वाह उस दुःखी परिवार को देने की घोषणा करता हूं और राज्य सरकार से कम से कम दस लाख रुपये की सहायता देने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह हैदराबाद की बम ब्लास्ट की जो घटना हुई, उसमें राजस्थान का एक व्यक्ति, जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य ने कहा, मैं सोचता हूं कि सारा राजस्थान आज जो राज्य है, कम से कम इस स्थिति में तो है, उस बम ब्लास्ट में जो बाकी लोग हुए हैं वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको उनकी सहायता दी, लेकिन चूंकि यह राजस्थान का है, इसको किसी भी प्रकार की मदद वहां से नहीं मिली। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार अपना मन बनाकर के उस परिवार को, जो उस बम ब्लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, हमें उसमें जरूर मदद करनी चाहिये। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम राजस्थान के लोग इस प्रकार की घटना से अपने आपको एक तरह से अलग कर देंगे। कृपया करके, एक ही व्यक्ति को, कोई इतना बड़ा भार नहीं है, लेकिन जिस घटना में, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई है, हमें सरकार के नाते जरूर उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, अब तक सरकार की तरफ से एक भी प्रतिनिधि नहीं गया।

श्री सभापति: आपको इजाजत नहीं है। आपको, माननीय सदस्य, मैं बोल चुका हूं। (व्यवधान) दो बार नाम, दो बार नाम बोल चुका हूं। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: अनीता सिंहजी, शुरू करें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नगर के सीकरी कस्बे के अनेक मकानों को पाइप लाइन के दबाव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक बहुत लोक महत्व के विषय को पर्ची के माध्यम से उठाना चाहती हूं। (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक सीकरी कस्बे में 25-30 घरों में अब से 6 महीने पहले, पहले 2-4 घरों में दरारें आयीं, फिर 10 में, फिर 20 में, ऐसे करके 25-30 घरों में दरारें आनी शुरू हो गयीं। जब इसकी जांच की गयी कि दरारें क्यों आ रही हैं और महीने भर के अन्दर जो 25-30 घर थे वे बहुत, मतलब जो दरारें थीं, वे बहुत फट गये; उन दरारों के बीच में 2-2, 4-4, 5-5 इंच से इस तरह फट गये कि पूरे मकान ऊपर से नीचे तक, वह करने लायक नहीं रहे। जब उनकी जांच की गयी कि ये ऐसे मकान इसी इलाके में क्यों फटे हैं, न तो यहां कोई भूकम्प आया है, न यहां कोई धरती हिली, फिर उसके बावजूद इतने मकानों में इतना ज्यादा नुकसान होने लगा और उनकी छतों में, दीवारों में, जगह-जगह दरारों से वे फट गये तो उनकी जांच करने लगे। जांच में यह बात सामने आयी कि वहां पर एक जो पहले जी.एल.आर. बनी हुई थी, सीकरी कस्बे में, पूरे कस्बे में जहां से पानी का डिस्ट्रिब्यूशन होता था, वह जी.एल.आर. जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी और उस जीर्ण-शीर्ण अवस्था की वजह से पी.एच.ई.डी. ने उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद उसकी जो पाइपलाइन थी, वह सीधे उस कस्बे से डायरेक्ट जोड़ दी गई, जिसका इतना प्रेशर हुआ कि जो पाइपलाइन कस्बे में जा रही थी, वह

(श्रीमती अनीता सिंह)

पाइपलाइन फट गयी और पाइपलाइन फटने से पूरे कस्बे के आसपास के जो घर थे, उन घरों के नीचे पानी जमा होने लग गया। पानी नीचे जमा होने की वजह से उनकी जो नीवें थीं, वे नीवें हिल गयीं और नीवें हिलने की वजह पूरे जो मकान थे उनमें दरारें आ गयीं। वे फट गये और रहने लायक नहीं रहे। आज वहां पर 30 ऐसे घर हैं, जहां पर लोग अपने घर से बेघर हो गये और बाहर रहने के लिये मजबूर हैं क्योंकि घर कभी भी गिर सकते हैं।

इतना सब होने के बावजूद भी बराबर एस.डी.एम. को कहा गया, कलक्टर को कहा गया, वहां जो सम्भागीय आयुक्त बैठते हैं उनको कहा गया कि इसकी जांच करिये और जांच कराकर उन लोगों के जो घर फटे हैं, जो पाइपलाइन नीचे से फटने के बाद जो पूरा पानी क्षेत्र के, गांव के नीचे जमा हो रहा है, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है मकानों में, उसकी जांच भी कराई जाए। लेकिन आज तक वहां पर कोई जांच नहीं की गयी। पाइपलाइन ठीक कराने के नाम पर, लगातार छह महीने से कहने के बाद भी पाइपलाइन को कभी ठीक कर देते हैं, कभी उसको खोद देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आज की तारीख में भी वहां पर और जो आसपास के मकान हैं, इनमें भी दरारें आनी शुरू हो रही हैं, वे मकान भी फटने की स्थिति में आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां पर जब इतने सारे लोगों के, इतने बड़े कस्बे में इतने सारे लोगों के घर लगातार टूटते जा रहे हैं, उसकी कोई प्रशासनिक जांच आज तक नहीं हुई। इसलिये डिपार्टमेंट की वजह से, पी.एच.ई.डी. की वजह से, पाइप फटने की वजह से उनके मकानों में जो नुकसान हो रहा है, कस्बे में जो पानी आने की सुविधा थी वह भी खतम होती जा रही है। उसके लिये न तो प्रशासनिक जांच की गयी, न कोई मुआवजे की मांग की गयी। सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आज सदन में मैं इस बात को उठा रही हूं, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिये मुआवजा भी दिया जाए और प्रशासनिक जांच के लिये एक कमेटी गठित की जाए जिससे कि इसकी जांच हो कि इतने सारे मकान, इतने सारे लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वे घर से बेघर हो गये, उनकी पाइपलाइन भी दुरुस्त हो, पानी की व्यवस्था भी उनकी दुरुस्त हो। इसके साथ, उनके मकानों को जो उनको नुकसान हुआ है आर्थिक रूप से उसका मुआवजा भी मिले और एक कमेटी गठित करके इसकी जानकारी कराई जाए।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो नगर से आने वाली माननीया विधायक ने उठाया है। 20-25 घर तो बिलकुल बरबाद हो गये हैं। अगर यही लापरवाही सरकार की चलती रही तो आगे कितने मकानों में नुकसान होगा, इसका अंदाजा नहीं है। लोगों की जान जा सकती है। मेहरबानी करके विभाग के अधिकारियों को इसकी जांच कराने के लिये निर्देशित करें। जांच कराकर, जिनको नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे की व्यवस्था करें और कोई जन हानि नहीं हो, इसके लिये जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करने का प्रावधान करें। यह आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान जैसलमेर की तरफ लाना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, तीन महीने से लगातार...(व्यवधान) किसान और पशुपालक सुजलोन कम्पनी के विरोध में, पवन चक्कियों के विरोध में आमरण अनशन कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी गये, मुख्य मंत्री महोदय भी पधारे। तीन महीने से लगातार वे अनशन कर रहे हैं कि प्राकृतिक सेवण घास को बचाया जाए लेकिन सरकार की हठधर्मी से... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाएं।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): उस प्राकृतिक सेवण घास को बचाया नहीं जा रहा है और पशुपालकों का गला घोंटकर वहां पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं। मैं यही आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जैसलमेर में जमीन की कोई कमी नहीं है, आप पवन चक्कियां लगाओ, पंखे लगाओ, बिजली पैदा करो, जमीन खूब है लेकिन एक ऐसा टुकड़ा है प्राकृतिक सेवण घास का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आपको इजाजत नहीं है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कृपया विराजिये। श्री केसाराम चौधरी।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

मारवाड़ जंक्शन की खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की समस्या की ओर आपका ध्यान

(श्री केसाराम चौधरी)

आकर्षित करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जब 2009 में यह सरकार पावर में आयी थी, उस समय इन्होंने लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की थीं कि हम राजस्थान के अन्दर सड़कों का जाल बिछा देंगे। दुनिया को ऐसे बरगलाया और नाना प्रकार की घोषणाएं करके इन्होंने सत्ता हथिया ली। मगर इन्होंने जो वायदे किये कि हम सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, सड़कों को पेवर करेंगे, नई सड़कें बनाएंगे; माननीय सभापति महोदय, जो वसुधंराजी ने सड़कें बनाईं, उनके गढ्ढे पाटना भी इनके बस में नहीं रहा।

मेरे क्षेत्र में स्टेट हाइवे है 61 नम्बर, उस 61 नम्बर को वसुंधराजी ने 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी, टेण्डर जारी हो गये थे मगर उन्होंने उस सड़क को मनरेगा में डाल करके, खुदाई करके डाल दिया। 3 साल तक वह सड़क खोद डाली जिससे एक्सीडेंट हुए, कई लोग उससे हताहत हुए, कई लोगों के वीहिकल्स टूटे, मगर सरकार का ध्यान उसको ठीक करने में अभी तक नहीं है। मारवाड़-जंक्शन की मुख्य सड़क स्टेट हाई-वे नम्बर 61 है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है मगर उसकी हालत ऐसी खस्ता है कि अब उस पर चलना भी मुश्किल हो रहा है।

इसी तरह से स्टेट हाइवे नम्बर 62, जो धुन्धला से लेकर देसूरी तक जाता है, उसमें एक ठेकेदार ने पेवर किया, उसकी शिकायतें हुईं लेकिन उसी साल वह सड़क उखड़ गयी और आज दिन तक उसको वापस रिपेयर नहीं किया गया। उस सड़क पर आज भी कम से कम 2-2 फीट और डेढ़-डेढ़ फीट के गड्ढे पड़े हैं। आप आज भी जांच करवा लें, अगर इसमें गलत हो तो मुझे जो भी सज़ा दें, दे देना। वह सड़क फुलाद से लेकर वोपारी तक बिलकुल ऐसी हालत में है, कोई वीहिकल चलने लायक आज भी नहीं है। सिरयारी एक पर्यटक स्थल है, उस पर्यटक स्थल पर जाना या पहुंचना भी बड़ा दुर्लभ हो गया है।

इसी तरह से स्टेट हाइवे नम्बर 58, जो धुन्धला से लेकर के कंटालिया होते हुए, बिराखण होते हुए भीम को जाती है, उसमें वन विभाग का क्षेत्र आता है। वह स्वीकृत हुआ मगर इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण वन विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में सड़क बनाने ही नहीं दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर वन विभाग आपको सड़क नहीं बनाने दे, वन विभाग के पहले रास्ते थे, वन विभाग जब पैदा हुआ उसके पहले भी वह रास्ते थे, उन रास्तों में अगर पेवर या डामर

(श्री केसाराम चौधरी)

रोड स्वीकृत होती है तो वन विभाग उसमें रोक लगाता है। ऐसी रोक को हटाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी सड़कें हैं खारची के अन्दर जिनका हाल बेहाल हो रखा है। खारची से बाड़साब वाली सड़क पर गढ्ढे पड़े हैं। इन गड्ढों को पाटने के लिये उसके पैच वर्क का कार्य दिया। नान-पैचेबल सड़क दी थी, पेच ऐसे किये कि आज भी गड्ढे उसमें वैसे के वैसे हैं। तीन किलोमीटर तक पैच किये, आगे तीन किलोमीटर तक फालतू पड़ी है, जबकि उसका टाइम पीरियड खतम हो गया। 10 साल के बाद हरेक सड़क को वापस पेवर करने का नियम है मगर वे सड़कें ऐसी हैं जैसे गोलाई से कंटालिया वाया शेखावास, मारवाड़ जंक्शन से खारिया-स्वामी तक और राणावास से नीमली वाया ठाकुरवास और बिठोड़ाकलां से भगवानपुरा, ये सड़कें बिलकुल ऐसी नाकारा हो गई हैं, जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है मगर उनको पेवर नहीं किया जा रहा है।

इसी तरह से गजनीपुरा से मामावास तक की और मामावास-गजनीपुरा, यह थ्रू रूट में लिया था मगर मामूली तीन-चार किलोमीटर का टुकड़ा मामावास तक जोड़ने में छोड़ दिया। विलेज पोर्शन, जो गुड़ा ठाकुरजी उसमें विलेज पोर्शन था, यह थ्रू रूट में थी सड़क मगर उस थ्रू रूट में जो विलेज पोर्शन में सीमेंट-कंकरीट करनी थी, उसको छोड़ दिया। वह भी हालत खराब हो रही है।

इसी तरह से डालाना से निपल बिलकुल चलने लायक नहीं है। यह भी 15 साल पहले सड़क बनी, उसकी भी हालत बिलकुल खराब है। डालाना से निपल, गजनीपुरा, जवाली से ढारिया और मेगा हाई-वे से सावलता तक और खिवाड़ा से पनोता और खिवाड़ा से रायपुराइया के बीच पांचेटिया तक और प्रतापगढ़ से पांचेटिया तक, ये सड़कें बिलकुल मटियामेट हो चुकी हैं। ये सरकार अपने आपको कहती है, यह सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता,प्रतिपक्ष): जवाबदेह।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, जवाबदेह, ऐसी सरकार। मैं इस सरकार को कहता हूं, सड़कों में गड्ढा-दर्शी, भ्रष्टाचार में पारदर्शी, घोषणा में संवेदनहीन और लाठीचार्ज में प्रथम स्थान रखने वाली यह सरकार, ये सड़कें कब तक ठीक कर देगी, मुझे यह जवाब चाहिए। माननीय मंत्रीजी, 13 टीटी

(श्री केसाराम चौधरी)

और 26 डिब्बों की यह सरकार किस तरह से चल रही है, यह आने वाला समय बता देगा। अगर ये सड़कें ठीक नहीं कीं तो यह जनता कभी बरदाश्त नहीं करेगी और आपको आने वाले समय में पूरा जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पंचायती राज विभाग

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.4(7) एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/2649 दिनांक 17.12.2012;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.4(7) एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/107 दिनांक 29.1.2013;

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.4(7) एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/135 दिनांक 11.2.2013;

(4) अधिसूचना संख्या : एफ.4(7) एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/136 दिनांक 11.2.2013 जिनके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में कतिपय संशोधन किये गये हैं; एवं

(5) अधिसूचना संख्या : एफ 4(25) नोटिफिकेशन/लीगल/पीआर/2012/114 दिनांक 1.2.2013 जिसके द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती हेतु कार्यानुभव के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को भर्ती में बोनस अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

यातायात विभाग

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यातायात विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 6(59)/परि/कर/मु/05 दिनांक 12.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान महिला कल्याण मण्डल संस्था, विश्वामित्र आश्रम, ग्राम चाचियावास, जिला अजमेर के बोलेरो वाहन को आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बहु-विकलांग एवं मानसिक विकलांग बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, आदि समाज हितकारी कार्यों हेतु कर में छूट दी गई है;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (229)/परि/कर/मु/11 दिनांक 5.12.2012 जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, मालवीय नगर, जयपुर के ट्रैक्स क्रूजर वाहन को विकलांग व्यक्तियों को आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पर लाने-जाने हेतु कर में छूट दी गई है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या : एफ. 6(138)/परि/कर/मु/10 दिनांक 5.12.2012, जिसके द्वारा रावतभाटा हैल्थ सर्वे एण्ड हैल्थ रजिस्ट्री, चित्तौड़गढ़ को टाटा मेमोरियल हास्पिटल एण्ड एडवांस्ड सेंटर फार ट्रीटमेंट, रिसर्चेज एण्ड एजुकेशन इन कैंसर, मुम्बई द्वारा हस्तांतरित मोबाइल स्क्रीनिंग वैन संख्या-एमएच-06-जे-3854 को कैंसर रोगियों के उपचार एवं राज्य में कैंसर रोग से बचाव संबंधी प्रचार-प्रसार के प्रयोजनार्थ कर में छूट प्रदान की गई है।

गृह विभाग

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह विभाग की निम्नांकित एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या : एफ. 11(29)गृह-10/2011 दिनांक 24.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष न्यायालय नियम, 2013 विरचित किये गये हैं।

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (संख्या 47) (वर्ष 2011-12)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आपने अनुमति के लिए कहा था लेकिन आपने तो अनुमति दी ही नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दे दी, आटोमेटिक। नाम बुलाया है बाकायदा। आप यहां पर बैठे-बैठे भी एब्सेंट रहते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय, मैं कहूंगा कि आप इतने बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, घनश्याम जी, पहले तो आपने कभी यह बात नहीं उठाई। आज ही क्यों उठाई? विशेष तौर से लंच के बाद ही आप ऐसे सवाल उठाते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतने योग्य आदमी चेयर पर बैठे हैं इसलिए उठाई, जो इस मर्म को समझते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिए कोई बात नहीं। (व्यवधान)

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

(संख्या 28) (वर्ष 2011-12)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जल विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल्स के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (जुलाई 2005 से जून 2006), (जुलाई 2006 से जून 2007), वर्ष 2007-08 तथा (वर्ष 2010-11)

(1) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

(डा. दयाराम परमार)

का वार्षिक प्रतिवेदन जुलाई, 2005 से जून, 2006, जुलाई, 2006 से जून, 2007, वर्ष 2007-2008 तथा वर्ष 2010-2011; एवं

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2004-05), (वर्ष 2005-06), (वर्ष 2006-07), (वर्ष 2007-08), (वर्ष 2009-10) एवं (वर्ष 2010-11)

(2) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 एवं 2010-2011

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह इतना जल्दी क्यों रखा? और आगे रख सकते थे दो-चार साल बाद भी। अगर 2005 का अभी रखना पडा, तो 2015 में रखते तो भी कोई हर्जा नहीं है, ऐसे तो। पूछना तो चाहिए यूनिवर्सिटी को कि आखिर इस तरह से इतने विलम्ब से क्यों आता है?

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आगे ध्यान रखेंगे।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमारी तरफ से तो विलम्ब केवल दो साल का ही हुआ है लेकिन आपकी तरफ से जो विलम्ब हुआ 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, उसका क्या जवाब है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यहां पर हाउस में आया न, तो कम से कम आपका इतना उत्तरदायित्व बनता है, चाहे गलती हमारे टाइम पर भी हुई हो, लेकिन वहां के प्रशासन से इस बारे में पूछना चाहिए। हिदायत देनी चाहिए कि आखिर यह क्या तरीका है। यह क्या तरीका है?

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' (वर्ष 2012-13) के प्रतिवेदन (सं. 23 से 25)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

समिति 'ख', 2012-2013 के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:-

(1) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 का 23वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 का 24वां प्रतिवेदन; एवं

(3) श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 का 25वां प्रतिवेदन।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): धारीवाल साहब, जनता भी प्रतिवेदन तैयार करके बैठी है। तैयार हो जाओ आप लोग।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल तैयार हैं।

श्री सभापति: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री करण सिंह राठौड़।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 13वीं विधान सभा के दशम सत्र में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हर वर्ष प्रथम सत्र में, विधान सभा के बजट सत्र में होता है और उसमें सरकार का लेखा-जोखा, सरकार की सोच और सरकार के द्वारा जन कल्याण के बारे में जो भी निर्णय लिये जाते हैं, उसका जिक्र करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाता है। उसमें जो सरकार की सोच जनता के प्रति है और जो जनता के प्रति सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उसका पूरा ब्योरा रखते हुए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। मैं उसको, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो भी जिक्र किया गया है, इसमें सरकार की पूरी जो सोच रही है चार वर्ष के अन्दर, उसका पूरा लेखा-जोखा और विवरण पेश किया गया है। उसमें कतई किसी प्रकार की भ्रांति नजर नहीं

(श्री करणसिंह)

आती है। आप देखिए कि आज से चार साल पहले उस गांव के गरीब के बारे में, उस झोंपड़ी में रहने वाले, उसके बारे में किसी भी सरकार ने सोचने का प्रयास नहीं किया। आजादी के 64 साल बाद जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो फैसले लिये हैं, उसकी आम जनता सराहना कर रही है। आज जनता में जिस तरह से एक विश्वास जागा है, उस गरीब जिसके बारे में किसी ने सोचने का प्रयास ही नहीं किया, उसका घर बसाने के लिए, उसके घर में उजाला करने के लिए, उसका पक्का मकान बनाने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए, उसको दो वक्त रोटी देने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने की है।

मैं इस संबंध में, जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई हैं, यह फ्लैगशिप योजनाएं पहले नहीं थीं। इसलिए इस पर हमारे विपक्ष के लोगों ने काफी प्रहार करके और आरोप और प्रत्यारोप करके इसको बलि चढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सदन के अन्दर पूछना चाहता हूं कि क्या दो रुपये किलो गेहूं 38 लाख लोगों को, उन गरीबों के घर में जिस तरह से पहुंच रहा है, आज के साढ़े चार साल पहले नहीं पहुंचता था। जिस घर में दो रुपये किलो गेहूं पहुंच रहा है उस गरीब को एक विश्वास जगा है कि कम से कम सुबह-शाम का भोजन बनाकर हम अपना जीवनबसर कर सकते हैं और हमारे बाल-बच्चों को सुबह-शाम का भोजन करवा सकते हैं।

इसी तरह से, आप देखिए कि दो रुपये किलो का गेहूं जिस तरह से पहुंच रहा है, एक सरकार की सोच और उस गरीब का, सरकार ने वापस गेहूं 15 रुपये किलो में बाजार से खरीदकर उसके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। ऐसी सोच, पहले सरकार में किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया। हां, थोड़ी-बहुत इसमें, मैं देखता हूं क्योंकि मैं भी गांव-गांव जाता हूं और जाने के बाद जो कमियां नजर आती हैं, इसकी वितरण प्रणाली में अभी व्यवस्था सुधार करने की आवश्यकता है। उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम दो रुपये किलो का गेहूं, सरकार का खजाना गरीब तक जा रहा है पर उसका लाभ अभी भी ठीक तरह से गांव के गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके सिस्टम को थोड़ा हमें सुधारना पड़ेगा। रसद की जो यह प्रणाली है, जिस तरह से डीलरों तक यह गेहूं जाता है, कई बार डीलर के पास ठीक तरह से गेहूं नहीं पहुंच पाता है। डीलर के पास पहुंचने के बाद, जो पुराने डीलर बने हुए हैं, जो नए डीलर हैं, उन पर भी कण्ट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि

(श्री करणसिंह)

गरीबों का आधा गेहूं अभी भी ब्लैक के माध्यम से बाजार के अन्दर आकर बिकता है। हमारे को इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं इसका इसलिये जिक्र कर रहा हूं कि यह व्यवस्था आज नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था पहले से खराब चली आ रही है। इसलिये इसमें कोई बीच में टोका-टोकी करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो इरादा है, गरीब के घर में सुबह-शाम भोजन बनाने की व्यवस्था हो, यह हम चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। इसलिये हम सबकी सोच बनती है। इसमें यह नहीं है कि हमारी सरकार है तो राशन व्यवस्था में गड़बड़ है, यह व्यवस्थाएं पहले से खराब चली आ रही थीं, क्योंकि पहले तो गेहूं पहुंचता ही नहीं था दो रुपये किलो गेहूं मिलता ही नहीं था। इसलिये मैं आपके सामने यह सारी बात रख रहा हूं।

इसी तरह से आप हमारी दूसरी योजना ले लीजिये, मुफ्त मकान; किसी ने सपना सोचा था कि गरीब का पक्का मकान बन जायेगा? 10 लाख गरीबों का पक्का मकान, शहरों में रहने वाले 5 लाख व्यक्तियों के लिये पक्का मकान; जिसने कभी सीमेंट का मकान, ईंट कभी लगाई नहीं, उसके पक्के मकान अगर बनाने की बात सोची है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोची है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसके अन्दर पूरी पारदर्शिता रखी है। सीधा पैसा उसके खाते में जाता है। किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं, किसी तरह की बेइमानी नहीं और घर-घर में जहां जाते हैं बंजारों के, भीलों के, सहरियों के, गाड़िया लुहारों के, कंजर के, सांसी के और गरीब आदमी, जो कभी पक्का मकान बना नहीं सकता था, उसके आज हमारे खेतों में, खलिहानों में और गांवों में पक्के मकान दिखने लगे हैं। यह किसका सपना था? इस बात को किसने सोचा? कभी किसी सरकार के किसी मिनिस्टर ने, किसी नेता ने आजादी के 64 साल बाद भी सोचने का प्रयास किया? अगर इस बात को सोचा है तो हमारी कांग्रेस सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है। उस गरीब का पक्का मकान बनाकर उसको आंधी से बचाने का काम, उसको और उसके बच्चों को धूप, तूफान और बारिश से बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 10 लाख मकान बनाये हैं और 5 लाख मकान शहरों में बनाने का जो प्रयास किया, यह बहुत सराहनीय कदम है। मैं तो आने वाले टाइम में सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, जिस दिन हिन्दुस्तान में गांव में गरीब का मकान बन जायेगा, उस दिन हम समझेंगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज

(श्री करणसिंह)

करणसिंहजी का पक्का मकान हो सकता है और हमारे राठौड़ साहब का पक्का मकान हो सकता है पर जिस दिन उस गरीब का पक्का मकान देखेंगे, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा कि हम देश में कुछ कर रहे हैं। सपना अधूरा आप जैसे लोगों का रह सकता है, बाकी हमारा इरादा तो पूरा ही है, आप चिन्ता मत करिये। अगर सरकार दुबारा बनेगी तो 50 लाख मकान हमारे मुख्य मंत्रीजी बनायेंगे। आप 10 लाख की चिन्ता मत करिये, 50 लाख मकान बनायेंगे दुबारा सरकार आने के बाद। आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर गरीब के घर में उजाला होगा।

अभी तो आप सुनते जाइये, अभी तो मेरा शुरू ही कहां हुआ है। अभी तो आप सुनते रहिये, अभी तो शुरुआत हुई है। बीच में टोका-टोकी नहीं करोगे। कल मैंने राठौड़ साहब की पूरी डिबेट सुनी थी, मैंने कल बीच में राठौड़ साहब को टोका नहीं। भवानी सिंहजी, आपकी डिबेट चालू होगी तो आप बोल नहीं पाओगे। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): एक के भी गृह प्रवेश में गये क्या?

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं? मैं प्रत्येक गृह प्रवेश में जाता हूं। भवानी सिंह जी, आप लोग जिसका पक्का मकान बना, उसके घर के सामने खड़े नहीं रह सकते। क्योंकि गरीब का मकान हमने बनाया है, उसके घर में लाइट हमने लगाई है, उसके घर में उजाला हमने किया है, उसको दो रुपये किलो का गेहूं दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। आपको गांव में कोई घुसने नहीं देगा। इसलिये मैं अभी डिबेट पर चल रहा हूं, क्योंकि बहस में पडूंगा तो आप बीच में व्यवधान पैदा कर दोगे। हमारे भवानी सिंहजी, ओम बिड़लाजी, दोनों साथ बैठ गये; इधर राठौड़ साहब टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। आप कम से कम मेरी बात सुन लेना, मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। टोकोगे तो चक्कर पड़ जायेगा, क्योंकि मैं नया खिलाड़ी हूं।

अब मैं मुफ्त मकान की बात करता हूं। माननीय सभापति महोदय, 10 लाख मकान बनेंगे। उस गरीब का जब मकान बन रहा है, जब उसके घर में उसका चैक आता है और उसके बाद में उसका पक्का मकान बना है तो गांव-गांव में पक्के मकान देखकर हमारी आत्मा प्रसन्न हुई और हमें खुशी हुई कि जिस गांव में बैठने को हमें जगह नहीं मिलती थी, जिसका पक्का मकान बना है, वह हमारा स्वागत करता है, बोलिये, करणसिंहजी, मेरा पक्का मकान

(श्री करणसिंह)

बन गया, आप मेरा पक्का मकान देखने चलो, वहां मैं आपको चाय पिलाऊंगा। ऐसी सोच हमारी जनता की बनी है। जनता में हमारे प्रति हमारा विश्वास जगा है।

अभी प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान चला है और प्रशासन-गांवों-के-संग -के अभियान में मैंने सारे कैम्प अटैण्ड किये। उन कैम्पों के लिये हमारे पुराने साथियों ने, विपक्षी लोगों ने उसको ढकोसला बता दिया है। सभापति महोदय, मेरे यहां पांच हजार पेंशन बनी हैं, छह हजार लोगों का बी पी एल में चयन कराया है और दस हजार बी पी एल लोगों की लाइट मेरे क्षेत्र में लगी है और कम से कम आठ से दस हजार बी पी एल का चयन करके गरीबों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमने करीब 20 हजार परिवारों को सीधा-सीधा फायदा हमने दिया है। आज तक किसी ने उन गरीबों की सुध नहीं ली थी। झोंपड़े में रहने वाले व्यक्ति के दु:ख-दर्द को दूर करने का अगर प्रयास किया है, उसके दु:ख-दर्द को अगर किसी ने हल करने का सोचा है तो हमारी सरकार ने सोचा है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, हिन्दी में पढ़िये, इंग्लिश में पढ़िये; उन्होंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, पर उसमें जो मसाला है, वह ऐसा मसाला है उस पर आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है।

माननीय राठौड़ साहब ने कहा है, साढ़े छह महीने की सरकार रह गयी है, घंटी बजने वाली है। राठौड़ साहब, साढ़े छह महीने का नहीं है, यह सरकार वह है जिसने जनता का विश्वास जीता है। आपको पुरानी बोतल में पुरानी शराब नजर आ रही है, पुरानी बोतल में वही पुरानी शराब नजर आ रही है। आपके चेहरे को साढ़े चार साल पहले जनता ने नकार दिया था। आपकी वसुन्धरा जी 25 सीटों में से 4 सीटें देकर गयी थीं, उसी चेहरे को आप वापस प्रजेंटशन करना चाहते हो। आप लोग उसी चेहरे को लाकर, मेरे सामने जो नेता लड़ा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया था। पूरी त्राहि-त्राहि मच रही थी साढ़े चार साल के अन्दर। कटारिया जी जैसे व्यक्ति सिर झुकाकर बैठते थे, घनश्याम तिवाड़ीजी सिर झुकाकर बैठते थे पर आज कटारिया जी सिर उठाकर बैठ रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ा है और आप कह रहे हो, साढ़े छह महीने बाद वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बन जायेंगी। वसुन्धराजी को मुख्य मंत्री बन जायेंगी तो कटारियाजी बैठाकर आप इनका अपमान क्यों करना चाहते हो? इस बूढे आदमी को, जिसको जनता सुनना चाहती है, उसको छह महीने के लिये बलि का बकरा क्यों बना दिया आपने? इसलिये सारी जनता को सारी बात समझ में आ रही है। मैं और आगे धीरे-धीरे अपनी बात कहूंगा।

(श्री करणसिंह)

अब आइये अन्न सुरक्षा योजना, इसके बाद जननी सुरक्षा योजना, इसका पूरा नाम समझेंगे तो पता पड़ जायेगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना। जच्चा और बच्चा, दोनों का इलाज। जिसके डिलिवरी होती थी, उसकी मां भी मरती थी, उसका पेट का बच्चा भी मरता था और आदमी भी +++ हो जाता था। (व्यवधान) आप बात सुन लीजिये। हमारे माननीय विधायक, बोलिये मत, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। मेरी डिबेट है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। जिसका बेटा भी मरता था और जिसकी मां भी मरती थी, दोनों मर जाते थे। आज तक किसी ने ऐसी योजना चलाई क्या? गांव-गांव गाड़ी जा रही है। बच्चा जच्चा के हो रहा है, गाड़ी हमारी जा रही है और डिलिवरी के लिये 1,400 रुपये हमारी सरकार ऊपर से और दे रही है और उसको दूध-दलिया पिलाकर वापस घर भेज रही है। यह इतनी शानदार योजना है। उस गरीब के घर में जिसकी सासू चिन्ता करती थी, जिसका पति चिन्ता करता था कि आज मेरे घर में डिलिवरी होने वाली है, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, गाड़ी मेरे पास है नहीं, किस तरह मेरी बेटी की डिलिवरी होगी, किस तरह मेरी बहू की डिलिवरी होगी, यह उसको रात भर चिन्ता रहती थी। उस चिन्ता को दूर करने का काम किसी ने किया है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

ये जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। यह कोई 90-बी के माध्यम से भू-माफिया की तरह से, कोई बड़े-बड़े रैकेट बनाकर जमीन हड़पने का काम नहीं किया है। हमारे गरीब के दु:ख-दर्द को, उसके माता के बेटे होने की चिन्ता को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दूर किया है। हमारे यहां लाखों महिलाएं मरती थीं। हमारे राठौड़ साहब ने कहा, 17 प्रसूताओं की मौत हो गयी। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 28 की हुई है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): 15 प्रसूताओं की हुई है, मैंने नोट किया है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो बार हुई हैं, दो बार।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप जोधपुर के राठौड़ हो, वे चूरू के हैं, आप बैठिये। आपने कहा, 17 प्रसूताओं की मौत हुई है, मैंने नोट किया है। मैंने नोट भी किया है जो मुझे बोलना है। माननीय राठौड़ साहब, हजारों महिलाएं मरती थीं; 17 क्या, गांव के अन्दर हजारों महिलाएं मरती थीं। गांवों में डिलिवरी की व्यवस्था नहीं थी। दाई मां डिलिवरी कराती थी। हजारों महिलाएं मरती थीं और बच्चा भी मर जाता था और मां भी मर जाती थी। आपने 17 प्रसूताओं का ही इश्यू उठा लिया। लाखों महिलाएं मरने की तुलना में 17 की कोई वैल्यू नहीं

(श्री करणसिंह)

होती है। आपकी सरकार में तो हजारों महिलाएं मरी हैं। उस समय यह व्यवस्था थी ही नहीं।

आप 17 प्रसूताओं के ऐसे-ऐसे मुद्दे लाते हो, रगड़-रगड़कर कभी लैपटाप का लाओगे, कभी 17 प्रसूताओं का लाओगे, कभी एम पी के मकान का ले आते हो। मनगढ़ंत बातें, जिनका जनता से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना-देना ही नहीं है। खाली मीडिया में अपनी बात को बताने के लिये, अख़बार में फोटो छपाने के लिये नाटकबाजी है। आपके पास में एक भी इश्यू नहीं है, एक भी काम आपके पास नहीं है। जनता में बोलने के लिये साढ़े चार साल में एक भी इश्यू नहीं दिया हमारे मुख्य मंत्रीजी ने। आप यहां विधान सभा में जरूर बोल सकते हो, मगर बाहर सड़क पर बोलने के लिये आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चाहे सड़क का ले लें, चाहे बिजली का ले लें, चाहे पानी का ले लें, चाहे चिकित्सा का ले लें, चाहे समाज कल्याण पर लेलें, चाहे जननी शिशु पर ले लें, चाहे मुफ्त मकान पर ले लें, चाहे मुफ्त लाइट पर ले लें, एक भी इश्यू आपके पास नहीं है। झूठमाठ में नाटकबाजी करेंगे, मीडिया के सामने चल जायेंगे। यहां से उठकर बाहर चले जायेंगे, बाहर मीडिया में जायेंगे, फोटो खिंचायेंगे और अपना काम करते रहेंगे। बाहर बैठकर कहते हैं, हम सब एक हैं और अन्दर आकर कहते हैं, हम वसुन्धराजी को मुख्य मंत्रीजी बनायेंगे और बाहर कहते हैं, कटारियाजी भी तैयार हैं; कभी कहते हैं, हमारे तिवाड़ी जी भी साथ हैं। अब कल मेघवालजी को पटा लिया। मेघवालजी ने +++ लगाया था, हमने नहीं लगाया था। पूरे अखबारों में छपा है। आदरणीय भैरोंसिंहजी ने कहा था +++ हमने थोड़े ही कहा था, आपके नेताओं ने कही थी यह बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह अभिभाषण में है क्या?

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह अभिभाषण में नहीं है, मैं बोल रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अभिभाषण पर बोलो, गप्प मत लड़ाओ। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): 22 हजार करोड़ का आरोप मैंने नहीं लगाया, आदरणीय भैरोंसिंह जी ने लगाया था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अभिभाषण पर बोलो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं उनसे मिलने जाता था...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): करण सिंहजी, मेरे विद्वान मित्र, मेरे साथी विधायक, अभिभाषण पर बोलो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मैं भैरोंसिंहजी से मिलने जाता था, वे मेरे छबड़ा क्षेत्र से तीन बार लड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता था, वे मुझसे कहते थे कि करणसिंहजी, 22 हजार करोड़ खा गये। अखबारों में भी छपा है और मेरे यहां से जो मंत्री थे...(व्यवधान) मेरे पास तो अखबारों की कटिंग्स हैं पुरानी। (व्यवधान) मैं असत्य नहीं बोलता हूं। मैं इनके वक्तव्यों को दोहरा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, भैरोंसिंहजी का नाम नहीं ले सकते। आप एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): 22 हजार करोड़ का घोटाला, पूरे राजस्थान की जमीन बेच खाई 90-बी कर-कर के। (व्यवधान) 22 हजार करोड़ की जांच होनी चाहिए।

श्री सभापति: कृपया विराजिए। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, आप इनको कहिए, केवल अभिभाषण पर ही बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): साढ़े चार साल आप कुछ कर नहीं पाये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): 22 हजार करोड़ की जांच के लिए आदरणीय भैरोंसिंह जी बोले हैं, कैलाश जी मेघवाल बोले हैं। मैं ही नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिए। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आप एक मिनट बैठें। कृपया विराजिए। (व्यवधान) आपको, किसी को इजाजत नहीं है। कृपया शांति बनायें। आप ही का टाइम जाया हो रहा है। अगले वक्ता के रूप में बिड़ला साहब का टाइम

(श्री सभापति)

जाया हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कृपया विराजिए, आपका टाइम घट रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं। (व्यवधान) जब आपका नम्बर आये तब आप बोलिएगा। आप बोलिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, माननीय राठौड़ साहब ने आरोप लगाया था मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कि साढ़े तीन करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च कर दिए गए। मैं दूसरी बात पर आना चाह रहा हूं। राठौड़ साहब ने सदन में हमारे मुख्य मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, हमारी परम्परा यह है कि जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है और आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते, उनके नाम का रेफरेंस यहां करना उचित नहीं है। अगर आप उसकी पालना करो तो सदन का भी डेकोरम बना रहेगा और हमारी बहस का भी डेकोरम बना रहेगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): चलो, मैं नाम नहीं लेता हूं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूं लेकिन जो परसों हुआ इस हाउस के अन्दर, प्रोसीडिंग्स में है वह। इस परम्परा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की तरफ से हुई। जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये। ठहाके लगाये जा रहे थे, असत्य आरोप लगाये जा रहे थे। (व्यवधान) आप बात करने दीजिए न, आपके नेता की बात का समर्थन कर रहा हूं मैं। आप अपने नेता की बात का समर्थन नहीं करना चाहते क्या? (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): क्या बताना चाह रहे हैं आप?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): नेता, प्रतिपक्ष के बयान से मैं सहमत हूं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): इतने बड़े-बड़े घोटाले इस सरकार ने कर दिए, फिर आप क्या बताना चाह रहे हो?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं यह बताना चाहता हूं, कम से कम अपने नेता की बात तो मानो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सारे अखबारों में छपा है। यह करणसिंह नहीं बोलता है। (व्यवधान) यह बाबो सा ने बोला है। बाबो सा बोलकर गये यह बात।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ये असत्य आरोप लगाकर, यह चुनाव का साल है। सभापति महोदय, जिस तरह से परसों ये आचरण कर रहे थे कि वह आ रही है और वह जा रहे हैं, राजस्थान की जनता को जिस बात का फैसला करना है...

श्री सभापति: सचेतक महोदय, बैठिए आप। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया बैठिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या यह फैसला ये चन्द लोग कर लेंगे? आपको तो खुद मैदान में जाना है। आप कौन होते हो तय करने वाले?

श्री सभापति: कृपया आप बैठिए। यह बात नोट कर ली गई, आसन द्वारा भी और सारे सदन द्वारा भी, जो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है। उनकी बात को नोट कर लिया गया। अब आप बोलिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, उन आरोपों के शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकलवाओ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। सदन चलेगा कैसे? प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप अपने माननीय सदस्यों को समझाओ।

श्री सभापति: देखिए, एक बार नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात कह दी, अब आप सदन चलने दीजिए। (व्यवधान) आप सदन का टाइम जाया कर रहे हैं। आप ही के सदस्य का टाइम जाया हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मेरा डिबेट का नम्बर बहुत मुश्किल से आया है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे बड़े भाई ने एक आरोप और लगाया कि साढ़े तीन करोड़ रुपये का टेण्डर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिना विज्ञापन के दे दिया है। मैं उस पर आना चाहता हूं।

मेरे छबड़ा में 08 दिसम्बर, 2005 को भूमि पूजन हुआ था। उसमें माननीय भवानी सिंह जी राजावत की पगड़ी भी थी, ओम बिड़लाजी भी थे, राजेन्द्र राठौड़जी भी थे। भारतीय जनता पार्टी का जश्न मना। बिना टेण्डर

(श्री करणसिंह)

किये राजस्थान में सभी जगह इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट करवाया। असत्य नहीं बोल रहा हूं मैं। इन्होंने एक-एक, दो-दो करोड़ के विज्ञापन नहीं दिए हों तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। इन्होंने दिए हैं। साढ़े तीन-तीन लाख के लड्डू इन्होंने बांटे हैं। इन्होंने जनता के पैसों से पटाखे फोड़े हैं। इस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है।

अगर ये मेरे मुख्य मंत्रीजी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं सदन के अन्दर तो मैं भी आरोप लगाने में चूकूंगा नहीं। जवाब देने का तरीका होना चाहिए। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऐसा नहीं होता है। सुबह-शाम रबड़ी पीते हो और हमें कहते हैं कि रबड़ी नहीं पीते हैं। ऐसा काम मत कीजिए। आरोप हम भी लगाना जानते हैं, आरोप आप भी लगाना जानते हो लेकिन बात को समझना पड़ेगा। राजनैतिक व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा, चरित्र को मेनटेन करना पड़ेगा। जिसका चरित्र राजनीति में नहीं है, उसका हनन होता है, उसका शोषण होता है। जनता खूब जानती है कि कौन आदमी क्या है। आपने कह दिया कि आपकी सरकार आयेगी साढ़े छह महीने बाद, घंटी बज रही है सरकार की; घंटी नहीं, घंटा बज रहा है सरकार का। ठीक हो जाएगा। (व्यवधान) घंटा बज रहा है हनुमानजी का।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): घंटा आपकी सरकार का बज रहा है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): हनुमान जी का घंटा और अशोक गहलोतजी का पंजा। (व्यवधान) घंटी जब तक नहीं बजेगी, यह घंटा-घंटी नहीं बजने वाली है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, यह घंटा और घंटी क्या होती है? आप किसी तरह बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): जिस तरह आप बोलते हो, उसका जवाब उसी भाषा में देना पड़ेगा। (व्यवधान) मेरी एक भी बात असत्य निकले, कह दिया कि साढ़े तीन करोड़ का विज्ञापन दे दिया। (व्यवधान) इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लाखों रुपये लिए हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आरोप साबित करके बताओ, गिरफ्तार करके बताओ, तब मानेंगे आपकी सरकार को। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): संस्था बनी और एक ही व्यक्ति को ठेका दे दिया।

श्री सभापति: कृपया हाउस में अनुशासन बनाये रखें वरना आसन को कोई दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप उनका वक्तव्य सुनिए। जब आपकी बारी आये तब आप बोलें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हम परसों चुपचाप सुन रहे थे। गलत परम्परा आपने शुरू की। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनसे बहुत सीखा है और सीखना है। माननीय राठौड़ साहब ने कहा कि साढ़े तीन करोड़ का घोटाला कर दिया, पहले विज्ञापन छपते थे और झटके चलते थे और लड्डू बंटते थे। झालावाड़ में भरत सिंहजी से पूछ लो, हेमामालिनी का डांस होता था सरकारी खजाने से, माननीय कटारिया साहब। शर्म की बात है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): फिर वही बात। (व्यवधान) अगर ऐसी परम्परा डल गई तो...(व्यवधान) ये कामों को गिनाते हैं...(व्यवधान) बीच-बीच में खड़े होकर ...(व्यवधान) हम आपके कार्यकाल में हुए कामों को गिनाते हैं।...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सारा सरकारी खजाना ...(व्यवधान) हमको बदनाम किया। चार वर्ष तक जनता के कल्याण के लिए, निवास के लिए, मेट्रो, सड़कें, बिजली उत्पादन, पेयजल योजना; हमारी योजनाएं देखें आप, मेट्रो, सड़कें, बिजली का उत्पादन, मिसिंग लिंक योजना, गांव के गरीब को भोजन, गरीब का इलाज, गरीब का मकान, गरीब की लाइट; ये सब चीजें कांग्रेस शासन की देन हैं। पशुओं का इलाज, गायों का इलाज, अब तो हीजड़ों का इलाज बाकी रह गया बस, हीजड़ों का। तो मैं सदन में कहूंगा कि इन हीजड़ों को भी पेन्शन बांध दें मुख्य मंत्रीजी, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इनका मुद्दा मैं उठाऊंगा, हिजड़ों को पेन्शन के बारे में कोई नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हमने किसी तबके को नहीं छोड़ा, गाय को नहीं छोड़ा, गाय की पूजा करने वालों, भैंस का इलाज हम करा रहे हैं, ऊंट का इलाज हम करा रहे हैं, बकरी का इलाज हम करा रहे हैं, मोर का इलाज हम करा रहे हैं, हिरण का, चीतल का इलाज हम करा रहे हैं।...(व्यवधान) आप सुनिये, आप सुन ही नहीं सकते हो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बोलते रहो, मैं तो अपना काम करता रहूंगा, आप चिंता मत करिये।

अब चला प्रशासन-गांवों-की-ओर।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): गाय को भी नहीं छोड़ा। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे एक बात कहने में बहुत अफसोस है कि आप सदन की गरिमा क्यों नहीं बनाकर रख रहे हैं? अगर वे अपना भाषण दे रहे हैं, आपको इसके अन्दर कोई एतराज है तो आप अपने भाषण के अन्दर बोलिये न। उनको बोलने दीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, आप प्लीज विराजिये। विराजिये। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इसका क्या मतलब है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस तरह की भाषा परसों बोली गयी थी। आप नहीं थे वरना आपको शर्म आ जाती खुद को। मजे ले रहे थे सारे लोग। जब हम सुन सकते हैं तो आप भी सुनो। क्या दिक्कत है?

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं चुप था, राठौड़ साहब, मैं बिलकुल चुप था। छोटे भाई की तरह पूरा सम्मान किया मैंने इस बार आपका। मैंने इसलिए किया कि भाई, साढ़े छह महीने बाकी रह गये, आप कहीं रगड़ फेंको हमको, इसलिए साढ़े छह महीने ध्यान रखूं मैं आपका, पर आपने मेरा ध्यान नहीं रखा। भवानी सिंह जी, मैं आपका हमेशा ध्यान रखता हूं तो आपका क्यों पेट दुखा, भाई? थांको पेट किया दुख्यो। थांको पेट न दुखनो चाइजे।

अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं, अब आपको बुरी नहीं लगेगी। राजीव गांधी सेवा केन्द्र, अब आप समझते नहीं हो, राजीव गांधी सेवा केन्द्र क्या है, यह भी आपको समझाना पड़ेगा मुझे? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री का सपना था कि देश के हर गांव, गरीब के पास तक सारा पैसा पहुंचना चाहिए, सारी सुविधा गांव के किसानों को मिलनी चाहिए, गांव के गरीब को फायदा मिलना चाहिए, गांव के घर में उजाला होना चाहिए, उसका बच्चा बढ़े, उसकी बेटी पढ़े, उसके घर में खुशहाली हो। आजादी के 64 साल बाद भी आज हमारे हिन्दुस्तान में गांव, गरीब को सुविधा नहीं मिल पा रही। हमारे राजीव गांधी का सपना था, प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाया। दस-दस लाख रुपये हमने ग्राम पंचायतों को दिये हैं, 25 लाख पंचायत समिति को दिये हैं। हमारे भरत सिंह साहब और मालवीय साहब के नेतृत्व में पूरे ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये गये हैं, पूरे वर्ल्ड को हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. डाट काम से जोड़ दिया है, राठौड़ साहब। इंटरनेट के माध्यम से हिन्दुस्तान के अन्दर पहला काम अगर हुआ है,

(श्री करणसिंह)

राजस्थान में हुआ है; इंटरनेट के माध्यम से, जहां लोग इंटरनेट के बारे में अभी जानते नहीं हैं, उस इंटरनेट से जोड़ने के लिए, पूरे वर्ल्ड से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अशोक गहलोत जी ने किया है। वह क्यों किया है? गांव के गरीब को, आप तो चाहते हो, बेवकूफ बनाकर के उसको गरीब ही रहने दो, उसको पिछड़ा रहने दो, उसको भूखे मरने दो, उसको नंगा रहने दो, उसके बदन पर कपड़ा न हो। उसको कपड़े पहनाने के लिए, उसको सारी जानकारी देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसको सरकार का पैसा दिलाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो अशोक गहलोतजी ने किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट सुविधा, पूरे हिन्दुस्तान की जानकारी उसको मिलेगी, पैसा उसको मिलेगा, बैंक की सुविधा वहां मिलेगी, उसको वहां जमाबंदी मिलेगी, नकल उसको वहां मिलेगी।

आपका पेट दुखता है राजीव गांधी सेवा केन्द्र से; बात यह है, आपको रात भर नींद नहीं आती है। राजीव गांधी सेवा केन्द्र, अभी तो देखते जाइये आप, किसान केन्द्र अलग आ रहा है। (व्यवधान) पहलवानजी, बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इंटरनेट चलेगा कैसे? बिजली तो आती नहीं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पहलवान जी, आपने पहले भी डिस्टर्ब किया। बोलने नहीं दूंगा आपको, बैठ जाइये। पहलवान साहब, हमेशा डिस्टर्ब करते हो आप। ऐसे पहलवानों को निपटा के आया हूं मैं। आप से तगड़ा पहलवान था वह।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हैं?

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपसे तगड़ा पहलवान, राजस्थान का लुटेरा, उसको निपटा के आया हूं मैं। ऐसे पहलवानों को जनता जानती है। (व्यवधान) आप चिंता मत करिये। +++ जनता को लूट कर बैठे हो आप। इसलिए आप चिंता मत करिये, घबराइये मत। मैं चूकूंगा नहीं, सदन में मेरी बात को काटोगे तो।

मैं बोल रहा हूं, राजीव गांधी सेवा केन्द्र क्या है, इसमें गांव के गरीब को लाभ मिलेगा, उसका निवास सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका जन्म-मरण प्रमाण पत्र मिलेगा, किसानों को सारी जानकारी मिलेगी, यह राजीव गांधी सेवा केन्द्र

(श्री करणसिंह)

है। पूरे हिन्दुस्तान में अगर जोड़ने का कोई काम किया, तो किसने किया है? आपकी सोच है यह? आपकी सोच तो यह है कि धर्म के नाम पर वोट ले लो, हिन्दू-मुस्लिम दंगा करा दो, जाति बनवा दो और वोट लेकर राज कर लो। आपने कभी गरीब के बारे में सोचा है? गांव में किसी कल्याणकारी योजना को पहुंचाने का सोचा है? आपने गरीब को दो रोटी देने की बात सोची है? घर में बिजली देने की बात सोची है? क्या गरीब का इलाज कराने की बात सोची है? एक भी काम अगर आपने किया हो तो मैं आपसे सड़क पर डिस्कस कर सकता हूं, विधान सभा के बाहर। विधान सभा के बाहर आपका मंच लगा लीजिए और मेरा मंच लगा लीजिए, दोनों का जवाब जनता सुनेगी। यहां कौन सुनेगा? यहां पचास तो उधर बैठे हैं, पचास इधर बैठे हैं और अख़बार वाले पता नहीं, क्या छापेंगे? ये अख़बार वाले छापते हैं, वे ही देखते हैं हल्ला करने वालों को। इसलिए मैंने भी सोचा, जब मेरे मुख्य मंत्रीजी पर कोई आरोप लगा सकता है तो मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, हम भी चुप नहीं रहेंगे।

आपने साढ़े चार साल पहले लूटा है, जनता भूली नहीं है और सड़कों पर वापस वह ही फोटो दिखने लग गयी। सभापति महोदय, जनता कह रही है कि वे ही लुटेरे वापस आयेंगे, वापस हमको दीमक की तरह खा जायेंगे। सारी जनता कह रही है कि कोई नया चेहरा नहीं आया है। ये कटारियाजी गरदन नीचे हो कर बैठे हैं, आज तिवाड़ीजी इस सदन में नहीं आ रहे हैं, नरपत सिंहजी कोने में बैठे हैं, देवी सिंहजी भाटी का पता नहीं। वे ही, वह ही गैंग 9-10 आदमियों की, वह ही फोटो सड़क पर दिखने लग गयी। जनता को विश्वास कैसे होगा? जिसने साढ़े चार साल पहले अन्याय किया, किसानों पर गोली चलायी, गुर्जरों पर गोली चलायी, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बेइमानी, अराजकता, कोई शासन नहीं, कोई सुशासन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): गोपालगढ़ में गोलियां किसने चलायीं?

श्री करणसिंह (छबड़ा): बैठ जाइये, पहलवान जी।

सड़कों का काम ले लीजिए, गांव-गांव में सड़कें हमने पहुंचायीं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, मिसिंग लिंक के माध्यम से, धार्मिक स्थल के माध्यम से। धर्म का चोला पहनते हैं, वोट ले लेते हैं, मन्दिर के आगे सड़क बनायेंगे; मन्दिर के आगे सड़क बनायी है तो कांग्रेस सरकार ने बनायी है, सारे मन्दिरों के आगे सड़क बनायी है तो कांग्रेस सरकार ने बनायी है, हज हाउस बनाया है

(श्री करणसिंह)

कांग्रेस ने बनाया है, हिन्दू-मुस्लिम की बात की है कांग्रेस ने की है। आप तो झूठ-माठ कर के नाटक फैलाते हो।

फिर पहलवान जी खड़े हो गये...(व्यवधान) सभापति महोदय, पहलवान जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन पहलवान साहब का पता नहीं, मैंने क्या बिगाड़ दिया। (व्यवधान)

हां, रघुजी, मुझे इशारा कर रहे हैं, करण सिंह, यह पर्ची जरूर पढ़ना। इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी पर 50 लोगों ने कब्जा कर लिया है, 50 का गिरोह। जनता, जल, अपराध जगत, कांग्रेस हेतु कराये गये...और जाने क्या-क्या बातें लिखी हैं, पर 50 लोगों के गिरोह का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता आज भी चिंता कर रहे हैं कि हम किस तरह जनता में वोट मांगने जायेंगे।

अभी तो साढ़े चार साल पहले का घाव भरा ही नहीं है और अगर किसी ने घाव को कुरेद दिया तो नासूर निकलेगा इसके अन्दर। क्या निकलेगा? नासूर। अभी वह घाव भरा नहीं, वह घाव भर जाता तो ही बात ठीक होती है। वह दर्द छिपा नहीं। जिस मां का बेटा मरा, जिस पत्नी का पति गोलियों से मरा, जिसके बेटे जेलों में बंद हैं, वह जनता भूलने वाली नहीं है। उस घाव को कुरेदने की जरूरत है और, सभापति महोदय, कांग्रेस के एम.एल.एज. से कहूंगा कि उस घाव को कुरेदिए, उसको नासूर बना दीजिए और नासूर बनने के बाद जनता आज भी इस बात पर तैयार बैठी है कि हम बेइमानों को सत्ता में नहीं आने देंगे। साढ़े छह महीने हैं, कांग्रेस दोबारा राज में आयेगी, यह गांव-गांव में कांग्रेस को वोट मिलेंगे। झूठ-माठ फोटो छपाने से, अखबारों में नाम छपाने से नाटक नहीं होता है।

सभापति महोदय, किसानों की फसल नष्ट हुई, इस पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने डिक्लेयर कर दिया, कोई मौका नहीं दिया, पर किसानों का सर्वे तुरन्त करवाएं, सर्वे कराकर के किसानों को जो उचित राहत देनी है, वह देने की कृपा करिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा, सदन में बैठे हुए मंत्रीजी से कहूंगा, हमें कुछ सोचना होगा किसानों के बारे में। किसान आज भी परेशान है गांव का। किसान की बिजली माफ करनी पड़ेगी, किसानों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने पड़ेंगे और किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। किसानों का समर्थन मूल्य अभी कम है। भारतीय जनता पार्टी

(श्री करणसिंह)

की सरकार थी, उस वक्त क्या भाव थे? सोयाबीन 800 रुपये क्विंटल; गेहूं का भाव क्या था, 700 रुपये क्विंटल; सरसों का भाव क्या था, हजार रुपये क्विंटल। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सोयाबीन का भाव 3,000 रुपये क्विंटल है; गेहूं का भाव 1,500 रुपये क्विंटल है और सोयाबीन का भाव 3,000 रुपये क्विंटल है। आपके ग्वार ...(व्यवधान) वह बता रहा हूं, आगे आ रहा हूं। आपके ग्वार का भाव 30 हजार, 40 हजार रुपये क्विंटल। मैंने ग्वार देखी नहीं, हमारी तरफ नहीं होती है, यह इस तरह का भाव रहा है। ये नाटक करते हैं, साहब, खाद का, डीजल का भाव बढ़ गया। तो मैं इस सदन में कटारिया जी साहब से कहूंगा कि मेरी बात को गम्भीरता से सुन लें, एक बीघा के अन्दर खाद कितना डलता है? ओम बिरला जी बता दें मुझे कि खाद कितनी डलती है? किसान को बेटा होगा, वह ही बता पायेगा कि खाद कितनी डलती है। एक बीघा में कितनी खाद डलती है, यह बता दें मुझे कोई।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कौनसी फसल में? कौनसी फसल के लिए?

श्री करणसिंह (छबड़ा): गेहूं में डी.ए.पी. कितना डलता है? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग क्वांटिटी होती है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): चलिये, बैठ जाइये, मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कागजों में पढ़ लिया होगा।

(14.00 बजे)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं बता रहा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं बताऊंगा अभी। गेहूं में खाद एक बीघा में बीस किलो डलता है (व्यवधान) सुन लीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 20 किलो नाइट्रोजन चाहिए खाद, यूरिया का नहीं। जानकारी तो है नहीं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक बीघा में बीस किलो डी ए पी डलता है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जलवायु की दृष्टि से ...(व्यवधान) एरिये में खेत के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। आप कौन से इलाके की बात कर रहे हो?

श्री करणसिंह (छबड़ा): डी ए पी बीस किलो डलता है, डी ए पी का रेट बढ़ा है। पहले डी ए पी का रेट कम था, अब डी ए पी का रेट थोड़ा ज्यादा हो गया। एक बीघा में किसान के ऊपर बोझ पड़ गया महंगाई का 150 रुपया बीघा, मगर एक बीघा में समर्थन मूल्य के माध्यम से जो किसानों का भाव बढ़ा, 1,385 रुपया भाव है सरकार का गेहूं का; एक बीघा में आप तीन हजार रुपये बीघा के प्रतिफल के हिसाब से आप जोड़ें तो प्रत्येक बीघा में किसान को तीन हजार का फायदा हुआ है। उसको नुकसान कितना हुआ 150 रुपये पर? किसान को समर्थन मूल्य बढ़ाकर के जो भाव दिया गया, वह, माननीय सदस्य, करीब ढाई से तीन हजार रुपये का फायदा हुआ। सोयाबीन में भी यही हाल है और सरसों में भी यही हाल है।

इसी तरह, बिजली का और डीजल का, दोनों जोड़ लें तो 300 रुपया बीघा खर्चा बढ़ा है किसान का। 300 रुपया खर्चा बढ़ा है किसान का, तो किसान की फसल का भाव भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 800 रुपया क्विंटल सोयाबीन था, आज तीन हजार रुपये क्विंटल है। (व्यवधान) आप कुछ भी बोलो, जनता को मालूम है। पहले गेहूं का भाव भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर 800 रुपया क्विंटल था, हमारे टाइम पर 1385, यह हमारी सरकार ने किया है। मक्का का भाव तीन रुपया किलो, ज्वार का भाव चार रुपया किलो; आज मक्का डेढ़ हजार रुपया क्विंटल है, 1,200 रुपया क्विंटल है, ज्वार का भाव इस तरह का है।

इस तरह से हमारी सरकार ने किसानों के भाव बढ़ाकर के उनको राहत दी है। इस तरह महंगाई की बात करते हैं, डी ए पी खाद की, तो इतना असर नहीं हुआ। अगर डीजल, खाद का भाव नहीं बढ़ायेंगे और एक तरफ हम भाव नहीं बढ़ायेंगे किसानों की फसलों का, तो जनता को हमको जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे टाइम में से जा रहा है टाइम। सभापति महोदय, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। गेहूं का समर्थन मूल्य 1,385 है, 200 रुपया और बढ़ाना चाहिए, नहीं तो सामने बैठने वाले हल्ला करेंगे। हल्ला करेंगे, बढ़ायेंगे नहीं ये। राजनाथ सिंहजी जब कृषि मंत्री थे, तब गेहूं का भाव 650 रुपया था। इसलिए हल्ला करने का मौका देना नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा सदन के माध्यम से कि 200-300 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा दें।

(श्री करणसिंह)

एक काम और कर दें साथ ही साथ, गेहूं की खरीद की व्यवस्था भी ठीक करनी चाहिए। अगर गेहूं की खरीद की व्यवस्था ठीक कर दी, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा ठीक दिलवा दिया और गरीब के पक्के मकान बना दिए, उसके इलाज की व्यवस्था ठीक कर दी, उसकी डिलिवरी की व्यवस्था कर दी, उसके लाइट लगाने की व्यवस्था कर दी, तो साढ़े छह महीने नहीं, हम साढ़े छह साल राज करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी बात से व्यक्तिगत किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा चाहूंगा, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत ठेस पहुंचाई, इसलिए मैंने भी जवाब करारा दिया है। सदन में बोलते हुए मैं घबरा नहीं रहा हूं। क्योंकि आपके चेहरे जनता जानती है, आपको पहचानती है पब्लिक, आपकी शक्ल को टी वी में, अखबारों में रोज देखती है, आपका कल्याणकारी कार्यक्रम एक तो बता दो साढ़े चार साल में। किसको दवाई दी आपने? साढ़े छह करोड़ पैरासीटामोल दे दी, गरीब की बुखार की गोली तो गई साढ़े छह करोड़ में; एक गोली का नाम और दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे, सिट्रिजिन क्या थी वह, साढ़े छह करोड़ वह चली गयी। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।

किसी गरीब के घर में जा रही है; दो रुपये किलो उस गरीब के घर में जा रहा है; मकान गरीब का बन रहा है; प्रशासन-गांवों-के-संग में उसका इन्तकाल खुल रहा है; उसको जमीन का, भूमि का आवंटन हो रहा है; प्रशासन-गांवों-के-संग में लोगों के काम हुए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पांच हजार पेंशन बनी है; किसी गरीब का भला हुआ है, लूले, लंगड़ों का, जो दर-दर भटकते थे।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से और आपसे भी कि विधवाओं की पेंशन बननी चाहिए। जो विधवा की पेंशन में आपने राइडर लगा रखा है पच्चीस साल का, उसको पैंतालीस कर दीजिए आप। पैंतालीस साल में, पैंसठ-सत्तर साल की माताएं-बहनें आती हैं, उनकी पेंशन बन जाएगी।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि एक तो ओलावृष्टि का मुआवजा शीघ्र करा दीजिए और दूसरा, विधवा माताओं की पेंशन, जो मांगती हैं, उनको देने की कृपा करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ओम जी टोकोगे तो बोलने नहीं दूंगा। नमस्कार कर लो पहले एक बार।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सदन है, बोलने का अधिकार आपको है, टोकने का अधिकार हमें है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए चार साल के शासन का एक झूठ का पुलिन्दा सदन के पटल पर रखा। लेकिन मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में आते ही यहां की संवेदनहीन सरकार पर एक ऐसा तमाचा मारा जो राजस्थान की जनता ने देखा। जब वे राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयीं तो जयपुर के पास एक छोटी सी बस्ती के अन्दर, मदरामपुरा के अन्दर बरसात से लोग डूब रहे थे, घर का सामान बह गया था, कपड़े बह गये थे, भोजन की सामग्री बह गयी थी। उनको सम्भालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। दो कदम पर बैठी सरकार, अहंकार में डूबी हुई सारे तमाशे को देख रही थी। उस समय महामहिम राज्यपाल महोदया वहां गयीं, उनके दुःख-दर्द, पीड़ा को सुना और इस संवेदनहीन सरकार को जगाने का काम किया। उसके बाद मुख्य मंत्रीजी गये, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी भी गयीं।

एक घटना नहीं, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने आदिवासियों का बजट, जिसके नाम से सरकार बनती है, उस बजट का बारह प्रतिशत हिस्सा भी खर्च नहीं करने पर राज्य सरकार पर उंगली उठाई। उन्होंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली सरकार जो एक साल से लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर पाई; महिला अत्याचार, एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, टाइम मुख्य मंत्रीजी को नहीं था, महामहिम राज्यपाल महोदया गयीं। आज भी वह बच्ची मौत और जिन्दगी के बीच संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार को चिन्ता नहीं। मैं इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदया को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में जो हालात हैं, चार साल के अन्दर, जिसका बहुत बड़ा घोषणा पत्र और बजट घोषणाओं के आधार पर सरकार ने कहा था कि हम जवाबदेह सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे और हर योजनाओं को डिलिवर करेंगे; आम अवाम को, किसान, मजदूर, नौजवान, मजबूर के जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे; आज चार साल हो गये हैं इस सरकार को, अपने कार्यकाल के अन्तिम दौर में सरकार चल रही है। कर्ज में डूबा यह

(श्री ओम बिरला)

प्रदेश, कर्जा बढ़ाते गये, अच्छा होता, कर्ज तब बढ़ाते जब अन्तिम व्यक्ति कहता कि उस कर्ज का लाभ मेरे जीवन स्तर को सुधारने में लगाओ, राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होता, सम्पत्तियां बनतीं और उसके आधार पर राजस्थान विकास की दौड़ में आगे होता; लेकिन सभापति महोदय, आज हालात क्या हैं? तमाम सामाजिक योजनाएं जिनके लिए बजट का पैसा होता है, जनता का टैक्स होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर उस अन्तिम व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का काम, उन तमाम योजनाओं का एक खाका अगर नजर में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस चार साल के अन्दर इस सरकार ने राजस्थान को धरातल पर, जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। जो राजस्थान वसुंधरा राजे सिधिंया के नेतृत्व में विकसित प्रदेशों की गिनती में आ रहा था, आज 4 साल बाद प्रदेश अविकसित, अविकासशील राजस्थान की दृष्टि में आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर सारे देश में जब 74 प्रतिशत साक्षरता है, उस समय राजस्थान 67 प्रतिशत पर है। आज भी 15,632 विद्यालयों के अन्दर एकल विद्यालयों के रूप में विद्यालय चल रहे हैं पैरा-टीचर के माध्यम से, संविदा के माध्यम से। आज भी गांव-ढाणी में विद्यालय के अन्दर बच्चों के लिये टायलेट नहीं हैं, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, राजस्थान के अन्दर, अगर इनकी सर्वे रिपोर्ट भी देखी जाए तो ड्राप-आउट बच्चों की संख्या भी 4 साल के अन्दर लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा का स्तर, निजी विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक स्तर, जिस तरीके से राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, 4 साल के अन्दर 1 लाख 17 हजार अध्यापकों की नियुक्ति का दावा करने वाली सरकार केवल 23 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करके राजस्थान की शिक्षा को इन्होंने जिस जमीं पर दिया है, ऐसा लगता है, राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से लगातार जो स्वप्न हमारे भूतपूर्व उप-राष्ट्रपतिजी ने देखा था कि राजस्थान को साक्षर बनाऊंगा, केरल प्रदेश की तरह राजस्थान साक्षर होगा तो देश के अन्दर आम अवाम, मतदाता सही तरीके से सरकार चुनेंगे, लेकिन आज स्थिति खराब है।

आज चिकित्सा व्यवस्था की हालत देख लो, आज फ्लैगशिप योजना की बात कर रहे हैं, मुफ्त दवा योजना की बात कर रहे थे, हमारे साथी बात कर रहे थे कि जननी और शिशु दोनों सुरक्षित हैं, आपकी सरकार के आपके आंकड़ें बता रहे हैं कि राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो शिशु-मृत्यु दर में

(श्री ओम बिरला)

तीसरे नम्बर पर है। जहां पर एक हजार बच्चों में न्यूनतम का मापदण्ड होना चाहिये, वहां पर हालत यह है कि 45 का मापदण्ड पूरे देश के अन्दर और राजस्थान में 55 बच्चे मर रहे हैं। मां सुरक्षित नहीं हैं। गांव के अन्दर जाकर देखो, वहां की हालत बदतर हो चुकी है। शहर के मेडिकल कालेजों की हालत देखो, जिस तरीके से प्रसव के पहले माएं दम तोड़ रही हैं, जिस तरीके से शिशु मृत्यु की ओर नजर आ रहे हैं, आपने योजना बना दी, मुफ्त दवा बना दी लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर न गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर पाये हैं, न राजधानी के इन बड़े अस्पतालों के अन्दर कर पाये हैं। इसी कारण राजस्थान के अन्दर मातृ-शिशु मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। यह चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, कोटा के मेडिकल कालेज चले जाओ, एक हजार बेड का मेडिकल कालेज शायद डिस्पेंसरी से भी बदतर हालत में होगा। आज भी एक गरीब को बाइपास कराने के लिये उस प्राइवेट निजी अस्पताल के अन्दर 2 लाख 30 हजार रुपये देने पड़ते हैं। जब कोटा सम्भाग जैसे मेडिकल कालेज की हालत यह होगी तो राजस्थान की उन डिस्पेंसरीज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चर्चा करना बेकार है क्योंकि हाड़ौती सम्भाग की 39 सी एच सी में से केवल 4 सी एच सी के अन्दर सीजेरियन आपरेशन होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो बदतर हालत चिकित्सा की राजस्थान में हुई है, ऐसी 4 साल के अन्दर बदतर चिकित्सा कभी नहीं हुई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बता रहे हैं कि राजस्थान बीमारू प्रदेश है, इस प्रदेश में 7 करोड़ 63 लाख लोग नि:शुल्क दवाएं ले चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, या तो राज्यपाल के अभिभाषण को किसी ने पढ़ा नहीं होगा, या राजस्थान बीमारू प्रदेश होगा। जहां 7 करोड़ लोग बीमार हों, उस प्रदेश की चिकित्सा की हालत पर राज्यपाल महोदय के इस भाषण पर क्या चर्चा की जाए। यह तो पोल अपनी कागज में खुद खोल चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी किसान की बात कर रहे थे, किसान के बेटे हैं; मैं किसान का बेटा नहीं हूं लेकिन 2003-2008 तक गेहूं का भाव करीब 650 रुपये नहीं था, डी ए पी का भाव कभी 1,285 रुपये नहीं था, डीजल का भाव कभी 50-35 पैसे नहीं था। यह किसकी बात बता रहे हैं, किसान की? राजस्थान का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में डूबता है।

(श्री ओम बिरला)

आपने जिस तरीके से किसान की माली हालत को खराब किया है, जिस तरीके से डी ए पी, यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का भाव किसान को मिलना चाहिये, आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। आज राजस्थान के किसान की हालत क्या है? किसान जमीन में पैदावार कर लेता है, पैदा करके मण्डी में लाता है, आप बोनस की घोषणाएं कर देते हैं लेकिन किसान के उस माल को 1,385 की घोषणा करने के बाद 1,100-1,200 रुपये में बेचना पड़ता है। जब किसान का माल बिक जाता है, कारोबारियों के हाथ में आता है, तब वही किसान का गेहूं 1,800-1,900 रुपये में आढ़त बाजार के भाव में बिकता है। यह सरकार की पालिसी है, यह केन्द्र और राज्य सरकार की नीति है। किसान का माल सस्ता जब आढ़तियों के पास चला जाए, तब किसान का माल महंगा। माननीय सभापति महोदय, इसी कारण किसान की आज बदतर हालत हो रही है।

किसान के लिये फसल बीमा योजना बना दी, आपने मौसम बीमा योजना बना दी, योजनाएं बना दीं लेकिन उनके मापदण्ड तय करते समय यह नहीं सोचा कि धरातल पर मापदण्ड तय करें। आखिर हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? ओलावृष्टि से किसान बरबाद हो चुका है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या के कगार पर आ गया, सरकार कह रही है, हम गिरदावरी करा रहे हैं, हम गिरदावरी की रिपोर्ट करा रहे हैं। इस दुनिया के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर जब शेयर के बाजार ऊपर-नीचे होते हैं तो राजस्थान सहित, दिल्ली सहित मुम्बई हिलता है, लेकिन किसान का माल जब आसमान से जमीन पर आ जाता है तो सरकार हिलती नहीं है, शेयर बाजार की तरह मीडिया बोलता नहीं कि किसान का माल औने-पौने में बिक गया है। किसान की ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो चुकी है। किसान को मुआवजा मिले, उसके आंख के आंसू पुछ जाएं, माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि हम जीरो परसेंट पर ब्याज-मुक्त ऋण देंगे, हिन्दुस्तान के अन्दर उन किसानों की हालत देखो, जिसने 1 लाख मूल लिया है उससे 10-10 लाख रुपये वसूल कर रहे हो! कम से कम किसान की तो चिन्ता करो। उसके मूल में जितना पैसा जमा है उससे डबल ब्याज ले लें, बाकी तो कम से कम माफ करें। लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप कहां गये उस टाइम पर? एक भी पट्टा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला है। बता दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सो रहे थे।

श्री करणसिंह (छबड़ा): अब यह सरकार है, उसने आर्डर कर दिया है; सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा कर मुआवजा दे रहे हैं। चिन्ता करने की जरूरत नहीं है आपको। सरकार हमारी है, यह घर-घर जायेगी। आप चिन्ता मत करिये। एक गरीब के दुःख-दर्द को दूर करेंगे हम। (व्यवधान) नहीं, राठौड़ साहब, आप बैठ जाइये। आपके कहने से थोड़े ही बैठूंगा मैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मजदूर की हालत बदतर है। राजस्थान ही प्रदेश एक ऐसा है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तीनों प्रदेशों की न्यूनतम मजदूरी उठाकर देख लो, सबसे कम अगर न्यूनतम मजदूरी मिलती है तो राजस्थान के मजदूर को मिलती है। पलायन करके उसको दिल्ली जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है। एक राज्य कर्मचारी को दो सौ दिन काम करने के बाद भी छठा वेतन आयोग और कोई आयोग लगा तो उसका वेतन बढ़ जाता है, लेकिन उस मजदूर की चिन्ता नहीं करते। राजस्थान में दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सबसे कम, न्यूनतम मजदूरी पर मजदूर मजदूरी करे, सरकार अंधी-गूंगी होकर सुनती रहे; कम से कम मजदूर की चिन्ता तो करो जो मजदूर आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस सरकार को मजदूर की चिन्ता नहीं है।

नौजवान की हालत क्या है? यह सरकार दावे कर रही थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे; माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश बेरोजगारी में नम्बर एक प्रदेश है, यहां 18 से 22-24 प्रतिशत बेरोजगारी है। 1 लाख 76 हजार बेरोजगार नौजवान हर साल यहां पर रोजगार दफ्तरों में दर्ज होता है। जिन 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, इस सरकार ने 50 हजार नौजवानों को भी सरकारी नौकरियां नहीं दीं। निजी क्षेत्र में हालत यह है कि धरातल पर राजस्थान पहुंच गया। एक तरफ गुजरात है, जहां नई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, डवलपमेंट हो रहा है, पर्यटन का सारा काम उठाकर गुजरात ले गये हैं और राजस्थान के अन्दर नौजवान को नौकरियां नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, निजी उद्यमिता बंद हो गयी, पशुपालन उद्योग बंद हो गये, लघु कुटीर उद्योग बंद हो गये। छोटे से छोटा काम जो राजस्थान की धरती पर होता था, उस काम को कोलेप्स करने का काम इस सरकार ने किया है, जिसके कारण बेरोजगार धरातल पर खड़ा है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय उठकर दो कदम पर जाकर के देख लें, इस विधान सभा के गेट पर, जब विधान सभा चलती है, नौजवान

(श्री ओम बिरला)

अपना बदन खोलकर, भूखा-प्यासा गांव से चलता है, विधान सभा में कोई तो सुने। कोई दिन नहीं बचता जब विधान सभा की धरती पर वह नौजवान इस सरकार को चेतावनी देना नहीं चाहता। लेकिन मत सुनो आप जनता की आवाज, नौजवान की आवाज। अरब देशों में जिस तरह से क्रांति हुई ना, उस तरीके से राजस्थान में क्रांति होगी, बेरोजगारी के खिलाफ गरीब सड़कों पर लड़ेगा। आपको सत्ता के सिंहासन से यह साढ़े 4 साल में उतारने के लिए आज भी विधान सभा के बाहर गांव-ढाणी से नौजवान इस कगार पर खड़ा है कि उसकी बुनियादी बातों को सुनो।

सभापति महोदय, जिसकी बात अभी हमारे कुछ साथी कर रहे थे कि जनता जो बोले सो बोले, यहां के कोर्ट बोलते हैं, यहां के कोर्ट ने जो टिप्पणियां कीं, ऐतिहासिक टिप्पणियां। अरब देशों के अन्दर बिजली की मांग करने वाले लोगों पर लाठी चार्ज हुआ था, वहां के प्रधानमंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया था। आपके बारे में कोर्ट ने क्या कहा, कि इससे कमजोर सरकार नहीं हो सकती। जिस माथुर आयोग को बैठाने की बात कर रहे थे, जिस पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, 4 साल से जिन बातों को कर रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ था पूर्ववर्ती सरकार में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी; इस माथुर आयोग के बारे में क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जो दागदार हैं, जिनके दाग लगा हुआ है, उनसे आप जांच कराओगे?

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जो 4 साल से सरकार है, राज्यपाल के पहले अभिभाषण के जवाब पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो बातें कही थीं, अच्छा होता कि राजस्थान के मुख्य मंत्री उन मुद्दों पर राजस्थान की जनता को बताते; नहीं तो संवैधानिक पदों पर रहते हुए किन्हीं संवैधानिक व्यक्तियों पर आरोप लगाना राजस्थान की राजनीति के लिये मर्यादित नहीं है। यह स्वर्णिम राजस्थान भी नहीं है, इस राजस्थान के ऊपर कालिख पोतने का काम भी मत करो। जो राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान के रूप में जाना जाता था, उसकी हालत क्या है?

सभापति महोदय, सिविल लाइंस फाटक के नजदीक एक अज्ञात शव मिलता है, ऐसे 5,700 अज्ञात शव आपको राजस्थान में मिले हैं, जो 42 साल, 35 साल, 25 साल के हैं। सत्ता के नजदीक बैठे लोगों, वह भूख से तड़पता व्यक्ति जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं था, जिसके तन पर कपड़े नहीं थे,

(श्री ओम बिरला)

वह सिविल लाइंस फाटक पर अज्ञात व्यक्ति मर रहा है; मजदूरी करने आया था। ऐसे 5,700 अज्ञात शव राजस्थान में मिले हैं। लेकिन इस संवेदनशील राजस्थान को दया नहीं। मैं दावे के साथ एक-एक पुलिंदा रखता हूं।

सभापति महोदय, हम इसलिए चिल्लाते हैं यहां पर, इसलिए बोलते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हम जनता के नुमाइंदों के रूप में हैं। लेकिन यहां पर ना तो मुख्य मंत्री रहते हैं, ना मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं। फिर भी हम हमारा दायित्व निभाते हैं।

सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान में आंदोलन हुए हैं, इनके डैटाज बता रहे हैं, 18 गोलियों से मारे, 309 आंदोलन किसानों ने किये, 296 आपकी तनख्वाह पर पले हुए राज्य कर्मचारियों ने किये; किसान ने किया, नौजवान ने आंदोलन किया। कौन व्यक्ति राजस्थान में आंदोलित नहीं बैठा है? आज राजस्थान की धरा पर एक-एक व्यक्ति अपने बुनियादी सवालों को लेकर खड़ा है। लेकिन यह सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है।

सभापति महोदय, जिनकी यह बात करते हैं, हमारे माननीय शांति धारीवाल साहब कह रहे थे कि हम स्कीम लाये हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, गरीब के लिये मकान देंगे, 5 लाख मकान देंगे, उन मकानों की किश्तों का हाल देखें। उसकी पात्रता रखी है 5 हजार रुपये, 5 हजार रुपये आमदनी वाले को 2 लाख 70 हजार में मकान। 2 लाख 70 हजार कब चुकाना पड़ेगा, 11 महीने में। सभापति महोदय, आप ही देख लें, जो व्यक्ति यह कहता है कि 5 हजार रुपये वालों को स्कीम में मकान देंगे, उसको 1 किश्त का 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्या यह सम्भव है?

सभापति महोदय, दाल से लेकर तेल तक के भाव देखो, 2008 से लेकर 2012 तक, दाल 32 रुपये किलो थी जो अब 62 रुपये किलो है। जो दाल नहीं खा सकता, जो तेल नहीं खा सकता, उस गरीब से आप यह अपेक्षा करो कि 5 हजार की आमदनी के आधार पर हम मकान देंगे और आपको 1 लाख रुपये की 1 किश्त देनी पड़ेगी, 20 हजार रुपये की पहली किश्त देनी पड़ेगी; यह मजाक गरीब के साथ मत करो। गरीब के साथ ऐसा इनजस्टिस मत करो।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर आपने क्या किया? राजस्थान के अन्दर आप नयी इंडस्ट्री लाये? राजस्थान का व्यक्ति आय की दृष्टि से कैसे विकसित हो

(श्री ओम बिरला)

सकता है? आप देखो, इंडस्ट्री के अन्दर, जो इंडस्ट्री का रेशो यहां पर 39-40 था, वह 29 हो गया। आप उन सारे प्रोजेक्टों को धरातल पर लाये नहीं; सरकारी नौकरियां आप दे नहीं सको। आप लघु, कुटीर उद्योगों को पनपा नहीं सको; राजस्थान के अन्दर जो विदेशी सेलानी के रूप में आते थे उनकी संख्या 23 प्रतिशत घट चुकी है; आप राजस्व किससे लाना चाहते हो? एक रिफाइनरी के आधार पर आप राजस्थान के राजस्व को बढ़ाने की बात करते हो।

आप जैसलमेर में चले जाओ, वे जैसलमेर के एम एल ए साफ कह रहे थे कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है, जिस पर हम खेती करते थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उन लोगों को सौर ऊर्जा के नाम पर दे दी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं लगाये। सरकार की आंखें बंद हैं क्योंकि सरकार कहीं न कहीं डूबी हुई है।

सभापति महोदय, जो आरोप यहां पर लगे, क्या उनका जवाब दे सकते हैं? कालीसिंध के अन्दर 117 करोड़ रुपये का एडवांस और 47 करोड़ का काम। दुनिया में नहीं देखा मैंने। जिस तरीके के आरोप इस सरकार पर लगे हैं, तो अच्छा होता कि यह पारदर्शी सरकार उन आरोपों की जांच कराती। चाहे कालीसिंध का घोटाला हो, चाहे गोदाम बनाने का घोटाला हो, चाहे वह निजी भागीदारी में बिजली घरों का घोटाला हो, चाहे वह लैपटाप का मामला हो, तमाम जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिनके टेंडर बनते हैं, उनकी शर्तें ठेकेदार कमरों में बैठकर तय करते हैं; उसकी प्री-क्वालिफिकेशन के आधार पर किसको टेंडर मिलेगा, मेरा यह आरोप है सरकार पर कि प्री-क्वालिफिकेशन में यह तय हो जाता है कि यह टेंडर इस ठेकेदार को मिलेगा, इस फर्म को मिलेगा। इस तरीके की पारदर्शी सरकार है।

सभापति महोदय, आपने तो कहा था कि हम जवाबदेह सरकार लायेंगे, आपने सुनवाई-का-अधिकार दे दिया, आपने लोगों को कहा कि हम लोगों के काम कराने की गारंटी योजना ला रहे हैं, आपने कहा था कि हम विशेष न्यायालय बनाकर के भ्रष्टाचार रोकेंगे, फिर आपके प्रशासन-शहरों और गांवों में 2 लाख 92 हजार नामान्तकरण खोलने की क्यों जरूरत पड़ी? जब आपने सेवा गांरटी अधिनियम बना रखा है तो फिर 2 लाख 92 हजार लोग नामान्तकरण के लिए क्यों तरस रहे थे? 1 लाख 96 हजार विधवा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्यों तरस रहे थे? प्रशासन-शहरों-की-ओर और गांवों-की-ओर में क्यों लोग जा रहे थे, जब आपने कानून बना रखा है, आपने सुनवाई-का-

(श्री ओम बिरला)

अधिकार का कानून बना रखा है, आपने सेवा-गारंटी-अधिनियम बना रखा है, आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष न्यायालय बना रखे हैं?

सभापति महोदय, आपने संपत्तियों का जो ब्योरा दिया। आपके मंत्री जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, बड़बोले हैं, अच्छा होता कि उनकी संपत्तियों की ठीक से जांच करते।

डिलिवरी सिस्टम ठीक करने की आवश्यकता है। आप योजनाएं बना दें, नीतियां बना दें, आप योजनाओं का ढिंढोरा पीट दें, उसके आधार पर आप स्वर्णिम राजस्थान बनाने की बात करें, लेकिन आज गरीब को डिलिवरी नहीं हो रही है। स्टेच्यू सर्किल पर खड़ा वह गरीब, उद्योग मैदान पर खड़ा वह आदमी, वह गरीब जो बैठा है कच्ची बस्ती के अन्दर जिसको पीने का पानी नहीं, जिसके तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं। सभापति महोदय, राजस्थान के 17 हजार गांव जहां पर फ्लोराइड-युक्त पानी पिला रहे हैं, जहां बच्चे कुबड़े-लंगड़े हो रहे हैं, उस राजस्थान की चिंता नहीं।

राजस्थान पहला प्रदेश बना था, आपकी सरकार राजस्थान में, आपकी सरकार दिल्ली में, आपने विशेष दर्जे की मांग क्यों नहीं की? आज राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, आज हर दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अच्छा होता, जब यहां पर प्रधान मंत्री आए थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आए थे, मुख्य मंत्री दिल खोल कर कहते कि अगर यहां पर चिंतन शिविर करना है तो पिछड़े राजस्थान को विशेष पैकेज दिया जाए, लेकिन हमारे धन पर, करोड़ रुपये खर्च करने के बाद सरकार एक घोषणा नहीं करे, पिछड़े राजस्थान की चिंता नहीं करे, लोगों को पीने का पानी नहीं पिला सके, लोगों को चिकित्सा नहीं दिला सके, लोगों को शिक्षा नहीं दिला सके और आम अवाम भूख से तड़फ रहा है, आज जिस तरीके से किसान आत्महत्या के नजदीक पहुंच रहा है उनके साथ न्याय करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके से आरोप लगे हैं, अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी उन सब तथ्यों की जांच करवाते।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बहुत छल-कपट किया है। चार साल के अन्दर यह सरकार संवेदनहीन, अपारदर्शी और जिसे आम जन के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करना चाहिए, यानी योजना तो बना दी लेकिन योजनाओं के माध्यम से उस नौजवान का, उस गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम नहीं किया।

(श्री ओम बिरला)

इसलिए, सभापति महोदय, अब बहुत कम दिन बचे हैं, राजस्थान का तमाम आम अवाम कह रहा है, हमारे साथी कह रहे थे कि चार-साढ़े चार साल बाद क्या होगा; इसी सदन में आप होंगे, नहीं होंगे लेकिन राजस्थान की जनता देखेगी कि फिर से वसुन्धरा राजे के शासन में, जिस स्वर्णिम काल को हमने 2003 से 2008 तक शुरू किया था, उसे फिर शुरू करेंगे और राजस्थान को इस बार देश का सबसे अव्वल राज्य बनाकर एक नये राजस्थान का निर्माण करेंगे।

आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

वैसे तो किसी भी परिवार या किसी भी घर में सभी को खुश नहीं रख सकते, राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है तो उसमें कहीं न कहीं खामियां तो होती हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने जितनी बढ़िया योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, उसमें कोई शक नहीं कि वे गरीब से जुडी हुई, जमीन से जुडी हुई हैं। अगर दो रुपये किलो एक गरीब को अनाज मिला है, मिल रहा है, जिसे पेट पालने के लिए नहीं था, तो थोड़े से पैसे में भी अपना पेट पालन कर रहा है।

नि:शुल्क दवा योजना, नई योजना है, कमियां जरूर हैं, पूरी तरह दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी जो यह सोचता था कि मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा, बी पी एल वाला सोचता था, मैं बड़ा आपरेशन कैसे करवाऊंगा, तो नि:शुल्क दवाइयां और बी पी एल योजना जो मुहैया की है, एक गरीब भी अपना इलाज बिना गहने गिरवी रखे जाकर अपना इलाज करवा लेता है।

जननी सुरक्षा योजना में पहले हम देखते थे कि एक गरीब महिला आठ-आठ दिन तक कष्ट में वहां पड़ी रहती थी और वह वहां नहीं जा सकती थी। अकुशल दाइयों के हाथों से या तो सुलझ जाती थी या वह मर जाती थी। आज सरकार ने जो जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना दी है, गाड़ी जाकर लेकर आती है, वहीं छोड़ती है, कलेवा देते हैं, उनकी जांच भी महीने भर तक फ्री होती है, खून, वगैरह की भी व्यवस्था है। तो इसमें शक नहीं कि यह जीवन-दायिनी योजना है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री सूरजभान धानका)

मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना में 10 लाख मकान देने की जो योजना बनाई है, तो जो गरीब सड़कों पर, झोंपड़ी में रहता था, अगर उसको मकान मुहैया होगा तो इससे बड़ा सपना उनका क्या पूरा होगा आज के महंगाई के जमाने में?

राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, यह भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा।

फसली ऋण जो किसानों को दिया जा रहा है, एक लाख रुपये बिना गारण्टी के, तो यह भी किसान, अपना समय पर बीज-खाद लेकर अपनी खेती, जो महंगाई का जमाना है तो खेती भी बगैर पैसे के नहीं होती है तो हमारे किसान को ऋण मिलेगा, एक लाख रुपये तक का ऋण है, तो जो वह अगर समय पर दे दिया जाएगा तो वह बिना ब्याज के होगा।

मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, वैसे शिक्षा के बारे में मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर गिरा है। जब राइट-टू-एजुकेशन आया था तो मैंने खुद ने इसका विरोध किया था मंत्रियों के सामने, सी एम के सामने कि यह गलत है। जिस मकान की नींव कच्ची होगी तो मकान भी ठीक से नहीं बन पायेगा। यह तो खामी है, इसको दूर किया जाये। आठवीं के बच्चे को अगर आप बारहखड़ी पढ़ाना चाहें तो नहीं पढ़ पायेगा, अंग्रेजी तो दूर की बात है, इसलिए शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है।

शहरों-और गांवों-के-संग-प्रशासन अभियान जो चला है, तो मैं बहरोड़ में एक दुकान पर बैठा हुआ था, हालांकि वह बी जे पी का था, तो उसने बताया, कहा कि यह पट्टा जो मिला है, वह मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दुकान का पट्टा कभी मिल जाएगा। तो यह जो पट्टे गरीबों को मिले हैं और जो वहां गांव में और शहरों में पट्टे दिए हैं, उनमें वे अपना मकान बनायेंगे।

सड़कों के बारे में निश्चित रूप से राजस्थान में कहीं मिसिंग लिंक ... (व्यवधान) देखिये, सच्चाई को तो सच्चाई कहनी पड़ेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इसमें सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे धानका समाज को 1976 में अधिकार दिया गया था जनजाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेकिन एक अवैध, तथ्यहीन चिट्ठी केन्द्र से आने पर, जबकि गजट नोटिफिकेशन, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर से गुजर कर, राष्ट्रपति के दस्तखत होते; तो वह कौन से अधिकारी हैं जिनके अवैध आधार पर हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है? मैं तो यह कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों

(श्री सूरजभान धानका)

को सज़ा का हक है। आज सरकार इस चीज को नहीं कर पाई कि गजट नोटिफिकेशन को, आखिर जब गला घुटने लगा, कुछ लोग कोर्ट में चले गये, तो कोर्ट का सहारा ले रखा है। तो न्याय, इसमें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी, आप भी गड़बड़ कर रहे हैं, इसको आप दिखवायें। हमारे हक को, यह तो सही है कि कोर्ट में चल रहा है, कहीं कोई इस हक को नहीं खा सकता लेकिन डिले किया जा रहा है। इसके लिए हमारे समाज को काफी नुकसान हो रहा है, पीड़ित हमारी तरफ देख रहे हैं।

ओलावृष्टि, अभी हमारे क्षेत्र में परसों के रोज बेर चमन का से लेकर सौ-सौ ग्राम तक के ओले पड़े हैं और जाकर के मैंने खुद ने देखा है, 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक फसलें खराब हो गई हैं, सरसों, प्याज का काम खतम हो गया, सब्जियां खतम हो गईं। इसलिए उसका सर्वे करवाकर कम से कम पन्द्रह-बीस हजार रुपये बीघा के हिसाब से दिए जाएं किसानों को। बहुत बुरी हालत है, उनको किसी प्रकार मुआवजा दिलाया जाए।

विधवा और विकलांग, इसमें कुछ ऐसे राइडर लगा रखे हैं, एक विकलांग होता है तो उसके यह राइडर लगा रखा है, उसके कोई सहारा न हो, उसके बाप न हो, उसके मां न हो, पत्नी न हो। तो आप उनके मां-बाप को दे रहे हो या विकलांग को? तो यह राइडर की बड़ी समस्या आती है। तो उसको पेंशन जो है, विकलांग को दे रहे हो, इस राइडर को हटाया जाए। जो विकलांग है, चाहे उसके मां है, बाप है, कई विकलांग ऐसे हैं जिनके मां-बाप हैं, मां-बाप नहीं होंगे तो उनको बना कर कौन खिलाएगा? अगर आप पेंशन भी दे रहे हैं तो इस राइडर को हटाया जाए। और विधवा का राइडर है कि बेटा है और यह इतनी उम्र की होनी चाहिए।

दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन। इसमें भी यह होता है, दूसरे राज्यों में हम देखते हैं कि अच्छी लग्जरी कारों में आते हैं और निश्चित उम्र के बाद उनको पेंशन दी जाती है। लेकिन ऐसे राइडर हैं कि जिसके बेटा है, देखिए, आजकल बेटा, आए- दिन पढ़ रहे हैं कि कहीं कुल्हाड़ी से मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनको पैसा देना तो दूर, खाली खिलाना भी मुश्किल है। वह भी जब उनके बहन-बेटी आती है तो उनकी भी इच्छा होती है कि अपन जेब से उनको कुछ दें, या अपने खर्चे का कुछ दवाई, वगैरह का करें। तो यह राइडर, उम्र के हिसाब से आम पेंशन करनी चाहिए।

आपने जो समय दिया, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा मेरा बोलने का नहीं, मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं, आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो अभिभाषण, पूरे 46 पेज और 91 बिन्दुओं में समावेश करके जो अभिभाषण दिया है, उसकी जितनी तारीफ करें, शायद वह कम है और राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, इसकी मैं बहुत-बहुत तारीफ करता हूं, समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन से पक्ष और प्रतिपक्ष द्वारा अभिभाषण के ऊपर वाद-विवाद में कई बातें सामने आई। मुख्य रूप से पूरे राजस्थान में इस पानी के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के इस रेगिस्तान में और बाड़मेर में जो यह कई सालों से लम्बित मांग है, इस मांग को देखते हुए और जन-भावनाओं को देखते हुए राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक अकेले विधान सभा क्षेत्र को इन दोनों योजनाओं के लिए 1,200 करोड़ रुपये देकर जो जनता को राहत दी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति महोदय, आज पूरे जिले में, बाड़मेर में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये पानी के ऊपर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं, कई सालों से इसके ऊपर गत सरकार में और पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कई झूठे उद्घाटन किये, चुनरियां ओढ़ी गईं और कई आश्वासन दिये गये, लेकिन सपने को हकीकत में किसी ने बदला है तो लोकप्रिय माननीय अशोक गहलोत जी ने बदला है।

माननीय सभापति महोदय, आज बारिश हो, चाहे ओलावृष्टि, किसान के फैसले की जो बार-बार चर्चा हो रही है, इस मुद्दे पर, माननीय सभापति महोदय, ये पहले लोकप्रिय मुख्य मंत्री हैं, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने बिना आंदोलन, बिना हड़ताल और बिना मांग किये हुए विशेष पैकेज और इसके बाद में तुरंत घोषणा की है कि उनका सर्वे करवाया जाएगा, गिरदावरी होगी, आकलन होगा और किसान के हित में उचित फैसला मुख्य मंत्रीजी ने लिया है। लेकिन आज बड़ा दुःख होता है, किसान का हितैषी कौन है और किसान का हितैषी कौन नहीं है, लेकिन सिर्फ मीडिया के माध्यम से अखबारों में जनता में यह संदेश देना चाहते हैं कि हम किसान के हित की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, आपने बाद में बात की, इससे पहले मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी और किसान के हितैषी कौन हैं, हितैषी कौन नहीं हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। आगे भी कई उदाहरण हैं, माननीया सोनिया गांधी जी और

(श्री मदन प्रजापत)

मनमोहन जी के नेतृत्व में 73 हजार करोड़ का जो पैकेज और लोन माफ करके पूरे हिन्दुस्तान में यह साबित कर दिया कि किसान के हित का कोई फैसला ले सकती है तो वह कांग्रेस सरकार ले सकती है।

माननीय सभापति महोदय, जो कल भी और घोषणा की है, खड़ी फसल के लिए 600 करोड़ रुपये, जो छोटे काश्तकारों के लिए पैकेज की घोषणा की है, आप देखिए, हमको पूरा विश्वास है कि किसानों के हितैषी, गरीबों के मसीहा, लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी किसान के हित में जो भी फैसला होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वह किसान हित में तुरन्त फैसला लेते हैं, आगे भी लेंगे लेकिन एक दिखावे के लिए किसान की बात करके, गरीब की बात करके, मैं यह बताना चाहता हूं कि किसान और आपका, शायद कोई लेना-देना नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि राजनीतिक मुद्दे अलग हैं लेकिन गत बजट में और गत 15 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो क्रांतिकारी फैसला लिया, शायद पूरे राजस्थान की जनता आज यह अहसास करती है कि आज गौ-माता के लिए, तुरंत पशुओं के लिए जो यह फैसला लेकर आम पशुओं के लिए जो दवाइयां फ्री करके यह क्रांतिकारी फैसला अगर कोई लेने की हिम्मत रखता है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। आज जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वोट आते हैं, गौ-माता और चुनाव चले जाते हैं तो आवारा पशु, ये दो बातें नहीं चलती। गौ-माता के हित में किसी ने फैसला लिया तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने लिया है। आप जानते हैं, कभी गायों को लेकर आए, कभी मंदिर को लेकर आए और आज बड़ा दुःख होता है, इस चुनावी साल में आज विवेकानन्द जी को लेकर आ गये। माननीय सभापति महोदय, गौ-माता के हित में फैसला लेने के बाद आज आम काश्तकार और पशुपालकों को राहत दी है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है।

माननीय सभापति महोदय, आज महंगाई की बात के ऊपर चर्चा हुई और बड़े-बड़े उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इतने सालों में जो भी माननीय प्रधान मंत्री बने और आगे भी बनेंगे, लेकिन कौन दावा करता है कि बनने के बाद में, बनने के बाद में इस महंगाई को कम कर सकता है?

(श्री मदन प्रजापत)

यह जो सिलसिला, इनकम भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि ये जो लम्बी बातें करते हैं, यह महंगाई जनता का मुद्दा नहीं है, यह चुनावी मुद्दा है, यह राजनेताओं का मुद्दा है। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले जो मजदूर को मात्र दो रुपये मजदूरी मिलती थी, आज वह पांच सौ रुपये मिलती है; मजदूर को रोटी मिलती थी, आज भी मजदूर को रोटी मिलती है और इससे ज्यादा न पहले मिलता था और न आज मिल सकता है। चाहे कर्मचारी हैं, जब ढाई सौ रुपये तनख्वाह मिलती थी, प्रति तोला सोना एक महीने की तनख्वाह में तब भी मिलता था और आज 35-40 हजार रुपये मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि आज भी एक तोला सोना पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है। लेकिन अगर आप दावा कर सकते हैं, पूर्व प्रधान मंत्री की, जब आपकी सरकार बनी, आज बताया जाए कि हमने 7 सालों में इतनी परसेंट महंगाई घटाई? यह चुनावी साल है, यह राजनेताओं का मुद्दा जरूर है; जनता जान चुकी है, आम जनता का मुद्दा नहीं है। आज जनता खुश है, जब इनकम सोर्स बढ़ा हैं...

इस बात में, माननीय सभापति महोदय, आज मैं माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कइयों के प्रेरणा-स्रोत और हमारे पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान में पहली बार युवा दिवस के रूप में, खेल दिवस के रूप में 40 हजार युवाओं ने भाग लिया। माननीय सभापति महोदय, आज बड़ा दुःख होता है, वे पूज्य स्वामी विवेकानन्द जी, हिन्दुस्तान ही नहीं, उन्होंने विश्व में हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया, आज दुनिया याद करती है, दुनिया उनका पूजन करती है लेकिन चुनाव आने के कारण, खुद के स्वार्थ में कोई राजनीतिक मुद्दा बनाकर अगर उनको एक राजनीतिक परिस्थिति से जोड़कर उनकी कद्र करता है, तो, माननीय सभापति महोदय, हकीकत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको राजनीति से नहीं जोड़कर सम दृष्टि में रखा जाए तो पूरे हिन्दुस्तान के वे सम्माननीय हैं। ये झंडे और पर्दे लेकर आ गए, जनता कहती है कि मदन भाई, ये वापस आ गये, तो मैंने कहा कि ये वे ही लोग हैं जो कभी गऊ मां का नाम लेकर आये और आज विवेकानन्द का लेकर आ रहे हैं। लेकिन यह जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह के दिखावे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब ये हरा चश्मा लेकर गत कुछ साल पहले आये और हरा

(श्री मदन प्रजापत)

चश्मा इस तरह से दिखाया कि एक हमारा साथी जो एक साधारण आदमी था, वह बहुत दु:खी था कि क्या करूं, मजदूरी कम है और घोड़े को हरा चारा दे नहीं सकता; तो ये हमारे सामने वाले भाई आये और कहा कि घोड़े के लिए तो मामूली बात है, चल मेरे साथ जोधपुर के बाजार में, और वहां जाकर पांच रुपये में हरा चश्मा ले लिया और उस घोड़े के आगे लगा दिया। तो उस घोड़े को हरा-हरा ही दिखता है। इस तरह से उन्होंने घोड़े को गुमराह किया। तब हमारे साधारण साथी ने कहा कि घोड़े को आपने गुमराह कर दिया तो उन्होंने कहा कि घोड़ा तो मामूली जानवर है, हमने भगवान राम को भी गुमराह कर दिया, हम किसी को भी गुमराह कर सकते हैं। इसलिए यह बार-बार हरा चश्मा चलने वाला नहीं है, जनता जागरूक है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने हमेशा विकास में विश्वास किया है। आज अभिभाषण में देख सकते हैं कि हर बिन्दु पर चर्चा है। आप चाहें तो बजट में देख सकते हैं, चाहे गत बजट की घोषणा आप देख सकते हैं, उनको हमने हकीकत में पूरा किया है। कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती है, कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांगती है। कांग्रेस ने हमेशा ही देश की आजादी से लेकर आज तक खून देकर राज किया है और ये खून लेकर, झगड़ा करवाने पर राज करने वाले एक भी उदाहरण दे सकते हैं, बतायें। ये देशभक्ति की बात करते हैं। मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता पर यह दुनिया जानती है कि एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, सिर तो बहुत बड़ी बात है, एक अंगुली कटने का उदाहरण नहीं दे सकते।

माननीय सभापति महोदय, इस बात में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार में अगर कोई बड़ी उपलब्धि थी तो यह संदेश गया कि एक शराब की दुकान गांव के कोने में, गांव के बाहर होती थी लेकिन बड़े-बड़े शोरूम खोले गये; चुनरियां ओढ़ी गईं और अब वापस उन चुनरियों की तैयारी हो रही है। मैंने अख़बार में पढ़ा है कि अब का नजरिया गांवों में होगा। ये चाहे गांवों में जाएं, चाहे शहर में जाएं, वह वापस चुनरियां और इनसे जनता गुमराह होने वाली नहीं है।

मैं माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को इस बात का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने रिफाइनरी के लिए जो आगे बढ़कर प्रयास किया है और जब राजस्थान में रिफाइनरी खुलेगी, बाड़मेर में रिफाइनरी खुलेगी....

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): आप बार-बार रोज सुनरियों की कहते हैं तो यह सुनरी क्या है? सुनरी क्या चीज है?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ओढ़नी, लूगड़ी। अपन बाद में समझ लेंगे, आप वापस आ जाना, अपन बैठकर समझा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज रिफाइनरी के लिए चाहे राजस्थान और बाड़मेर के लिए पहल करके जो बहुत बड़ा पैकेज दिया है, यह पैकेज देने की हिम्मत कोई रखता है, यह माद्दा कोई रखता है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत रखते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो प्रयास है, आने वाले महीनों में राजस्थान में जब रिफाइनरी लगेगी तो राजस्थान का विकास होगा। एक वक्ता जो कह रहे थे कि रिफाइनरी से राजस्थान का विकास होगा, आज भी मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आठ हजार करोड़ रुपया रायल्टी, राजस्थान की योजना के आकार के बजट की 20 प्रतिशत इन्कम का जरिया तो अभी बना है और भी बढ़ेगा, करोड़ रुपये की रायल्टी आयेगी। आने वाले समय में अरब देशों की तुलना से ज्यादा राजस्थान और बाड़मेर की इनकम बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर में मेट्रो की बात लें तो यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर मेट्रो लाने का श्रेय किसी को जाता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत को जाता है। यह इतिहास कायम किया है। बात करनी अलग बात है लेकिन उस बात पर खरा उतरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे मेट्रो हो, चाहे युवा एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के मामले में यूनिवर्सिटीज हों, इतने बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिये हैं।

आज से हफ्ते भर पहले हमने जो अख़बार में पढ़ा कि उनके बात हो गई और एक मुख्य मंत्रीजी बन गये, दूसरे उप मुख्य मंत्रीजी बन गये। चुनाव होंगे, लोकतंत्र में फैसला जनता के हाथ में है। चाहे हम भी बन जाएं, चाहे आप भी बन जाएं पर यह पावर लोकतंत्र में जनता को दिया है। मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल का गठन भी हो गया कि एक मुख्य मंत्री, एक उप-मुख्य मंत्री और तीसरे बन गये कोप भवन के मंत्री।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं उन बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि बड़े अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे, करणसिंह जी और इनके बीच में टोका-टोकी हो रही थी। ये तो पहली बार राजस्थान की विधान सभा में आये लेकिन कई बार और वरिष्ठ होने के बावजूद भी परसों जो हमने देखा कि

(श्री मदन प्रजापत)

देवतुल्य का विरोध कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर भावुक होकर देवतुल्य और संत की उपाधि दें तो वह भी इनके ऊपर जायज है क्योंकि एक साधारण व्यक्ति की पूरे हिन्दुस्तान में माननीय अशोक गहलोत जी की छवि है। आज हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसे ईमानदार और इस छवि के मुख्य मंत्री के कम उदाहरण मिलते हैं।

माननीय राठौड़ साहब ने कहा कि ये 'देवतुल्य' हो गये, ये 'अवतारी' हो गये, आज से पांच साल पहले जब 'योगमाया' और 'दुर्गा' की रूप बनीं, देवी बन गईं, तब आप कहां गये थे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय जसवंत सिंह को कि उन्होंने विरोध जरूर किया कि व्यक्ति देवी नहीं बन सकता, व्यक्ति दुर्गा नहीं बन सकता, व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। अगर आप न्याय करते हैं तो इस बात का नजरिया देखें कि कहीं मूर्तियां लग गईं, कहीं पूजन शुरू हो गया, कहीं कलेण्डर छप गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर नहीं जाते हुए कहना चाहता हूं कि आज झूठ की कला की बात करते हैं और इस बात में मैं वरिष्ठ सदस्य माननीय राठौड़ साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो झूठ की कला आप में है, वह शायद पूरी विधान सभा में....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आउट-आफ-ट्रैक मत करो, बहुत सारी चर्चा हम भी कर सकते हैं। ये जिस तरीके से आउट-आफ-ट्रैक जा रहे हैं, इनको बोल दीजिये, माननीय सभापति महोदय,...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बिलकुल एक-एक शब्द इसमें है और तर्क है, जो बोला है। जो सदस्य बोले हैं उनका तर्क है; ये अभिभाषण के शब्द हैं, इनके अलावा एक भी पाइंट नहीं है।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जो झूठ बोलने की कला है उसमें अगर किसी का एक नम्बर स्थान लगता है तो माननीय राजेन्द्र जी का लगता है। हमें गर्व महसूस होता है। इस तरह के दिये... (व्यवधान) उस किताब का पैरा जो हमीदा सईद ने कहा, उस किताब ने जो कहा, अगर आप में सच्चाई है तो उस किताब और अख़बार को विधान सभा के पटल पर रखें और हमें बतायें कि वास्तव में किस बात में कितना वज़न है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, जो व्यक्ति सदन में नहीं है उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(व्यवधान) व्यक्तिगत टिप्पणी सदन का अपमान है। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो हम सब लोग व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जो बोलने की क्षमता रखता है, वह सुनने की भी क्षमता रखे।

एक माननीय सदस्य : यह झूठ शब्द काम में कैसे ले रहे हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सदन की गरिमा रखी जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाए। (व्यवधान) सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपकी दुकान में माल है वह बाहर लाइये।

एक माननीय सदस्य : यह झूठ शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है इसको हटायें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सदन की गरिमा रखी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, मेरी बात सुनिये। जब आपने कोई बात कही है, आपके प्रतिपक्ष के नेता ने एक बात यहां पर कही है, वह सब ने नोट कर ली है। बिरला जी ने भी कही है कि उनका बोलने का हक है और आपका टोकने का हक है। लेकिन किसी हद तक, किसी गरिमा के साथ। बोलिये आप। माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें। आप अब समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, हम भी साथ हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, लेकिन एक वाक्य हमें और सुनने को मिला और बड़ी शर्म महसूस होती है कि हम मुंह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब किसी बात को सुनते हैं तब भी हमें शर्म महसूस होती है। माननीय सभापति महोदय, एक वरिष्ठ सदस्य के मुंह से यह शब्द निकला, मफत लाल गहलोत। किसी जाति विशेष को अगर दूसरा बताया जाए, यह शोभा नहीं देता। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको 'राठौड़' की जगह 'मोदी' कहा जाए तो मन में क्या महसूस होगा? इसलिए व्यक्ति चाहे छोटा है या बड़ा है लेकिन इस तरह के उदाहरण देना, अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। आप विकास की चर्चा करें, आप देश की चर्चा करें, आप राजस्थान की चर्चा करें। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): पढ़ो, पढ़ो, मुख्य मंत्री चालीसा पढ़ो; मुख्य मंत्री चालीसा पढ़ो। (व्यवधान) मुख्य मंत्री चालीसा पढ़ रहे हैं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उदाहरण वह दे सकता है जो पाक साफ हो। (व्यवधान) आप भी तो उपयोग कर रहे हो। इसलिए बोल रहे हो कि बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं हैं आपके पास।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): निर्दलीय आने वाले हमारे मित्र पहलवान जी ने जो चर्चा की, यह राजस्थान की जनता देख रही है, अगर

(15.00 बजे)

शायद सर्कस में जाते तो हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर आते, इस तरह की चर्चा की है। आपकी भाषा है, आपका रवैया है, स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद यह भूल से राजस्थान की विधान सभा में आ गये, अगर ये सर्कस में जाते तो पूरे विश्व में नाम रोशन हो जाता।

माननीय सभापति महोदय, आज यह बात आती है कि लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब के लिए मकान योजना लागू की, एक साथी हमें मिला, जिसने कहा कि क्या 50,000 रुपये में मकान बन सकता है; मैंने कहा कि भई, 50,000 रुपये में मकान तो नहीं बन सकता लेकिन गरीब के रहने के लिए सिर ढंकने की जगह जरूर बन सकती है। उस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से ठीक चार साल पहले जब आप 35,000 रुपये देते थे तो उस समय मकान, क्या हवेली बनती थी? जब 35,000 रुपये में मकान बन सकता है तो हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। यदि 50,000 रुपये में मकान नहीं बनता तो 35,000 रुपये में क्या बड़ी हवेली बनती थी आपके टाइम में?

माननीय सभापति महोदय, मैं आज बताने में बहुत खुश हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गेहूं दो रुपये किलो के अलावा मकान फ्री, दवाई फ्री, लैपटाप फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, जापे का खर्चा फ्री, पानी का टांका फ्री, मजदूर की साइकिल फ्री, कानून फ्री और किसान की बात करते हैं, ब्याज की बात करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि आपने ये जो कदम उठाये हैं, इससे महसूस हुआ कि किसानों का हितैषी कोई है, गरीबों का कोई मसीहा है तो माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी हैं और एक लाख रुपये तक का काश्तकार का ब्याज माफ करके यह साबित कर दिया कि किसान की हितैषी कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। माननीय

(श्री मदन प्रजापत)

सभापति महोदय, आज के इस कलयुग में सगा भाई बिना ब्याज 10,000 रुपये नहीं देता है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित में, किसान को राहत देते हुए ये फैसले लिये हैं।

आज नरेगा की बात करते हैं, मजदूर कम लगे हैं या ज्यादा लगे हैं लेकिन, सभापति महोदय, आज हमें गर्व महसूस होता है, नरेगा किसी की देन है तो कांग्रेस सरकार की देन है।

माननीय सभापति महोदय, आज कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इनके अलावा पेंशन और शहरी क्षेत्र में गांवों में जो कैम्पों में निस्तारण मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार, सरकार ने जो निस्तारण किया है, आम गरीब को जो राहत मिली है, आने वाला समय हमेशा याद रखने वाला है।

एक बात सुनने को मिलती है कि समय जाने वाला है, समय कम रहा है, अगर समय का गुमान करते हैं तो यह उनकी भूल है। यह जनता का निर्णय सर्वोपरि है। आज अपन एक घंटे बाद में, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, क्या होगा, खाना खा सकते हैं? थाली वाला रोटी नहीं खा सकता है। यह किसी के हाथ में नहीं है, यह ईश्वर के हाथ में है और वोटों का फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन अगर समय का गुमान करें, इंसान को कोई मालूम है कि समय क्या आयेगा, क्या नहीं आयेगा, यह इनकी मानवीय भूल है। अगर कोई गुमान करता है, जब चुनाव आयेंगे महीनों बाद में, तब विधान सभा में यह मुकाबला नहीं होगा; आमने-सामने फौजें लड़ेंगी, मुकाबला होगा। आपने किया होगा, आप बता देना; हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है, हम जनता के सामने जायेंगे; फैसला जनता करेगी। समय कम नहीं रहा, छह महीने भी नहीं रहे; आने वाले दस साल तक, कई सालों तक, आम जनता आपसे पहले भी ऊब चुकी है।

अभी घोटालों की बात करते हैं, अभी सुबह छात्रवृत्ति की बात आई, कम से कम आप शर्म तो महसूस करो, माननीय देवनानी जी, आप तो मत बोलो। आपने कौन से रिजल्ट निकलवाये! बोलने का हक वह रखता है जो माद्दा रखता है, जो ईमानदारी रखता है, जो बात में वज़न रखता है, जो हौसला बुलंद रखता है। आपने एक मामूली रिजल्ट के लिए, आप स्वयं नहीं कर सके और आप ही उदाहरण दे रहे हैं। यह टीवी और अख़बार के माध्यम से सुबह राजस्थान की अवाम देखेगी कि कौन क्या बोल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात कहते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। आज राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान ने हमारे

(श्री मदन प्रजापत)

लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी को सराहा है। आज राजस्थान की जनता भाग्यशाली है कि ऐसे ईमानदार, सेवाभावी और गरीबों के मसीहा मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी का नेतृत्व राजस्थान को मिला है।

माननीय सभापति महोदय, आज बातें तो करते हैं लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्रीजी जब बाड़मेर आये और बाड़मेर की जनता के लिए चाहे पानी का बजट हो, चाहे हमारे क्षेत्र में माननीय बेनीवाल जी भी विराजमान हैं, हाल ही, हफ्ते भर पहले डी टी ओ आफिस का उद्घाटन करना; हमने मांग की कि जनता को राहत देते हुए जिला परिवहन कार्यालय खोला जाये, परिवहन कार्यालय खुल गया; हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया, ओवरब्रिज खोला जाये, ओवरब्रिज खुल गया। हमने निवेदन किया, सीवरेज की समस्या है, 57 करोड़ रुपये दे दिये; हमने निवेदन किया, पानी की समस्या है, 1,200 करोड़ रुपये दे दिये; हमने निवेदन किया, सड़कों की कमी है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया।

हमने विकास किया है। अगर किसी में है तो आप भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारा बाड़मेर है, पश्चिमी राजस्थान है, धोरों की धरती है, मुकाबला बाद में होगा; यहां विधान सभा में जनता के हित के मुद्दे उठाना और सरकार ने कोई कमी रखी है तो आप उसकी बात रखें, उन घोटालों को उजागर करें, हमने कोई कमी रखी हैं तो आप विद प्रूफ करें लेकिन अनर्गल बातें जनता समझती है। आज जो राजस्थान में विकास किया है तो कांग्रेस ने विकास के ऊपर हमेशा विश्वास किया है, विकास के नाम पर जनता में जायेगी और हमें पूर्ण भरोसा है और जो आपका सपना है, आप बन तो आपस में गये लेकिन जो बने हैं, राजस्थान की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक बात का मैं आग्रह करता हूं, यह जो बजट अभी आ रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह चुनावी साल है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो चार बजट पेश किये, शानदार बजट थे और गत बार भी प्रतिपक्ष को बोलना पड़ा कि यह तो चुनावी बजट है। वह चुनावी बजट कहां था? वह तो दो साल पहले वाला बजट था, चुनावी साल का बजट तो इस बार आ रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चाहे चुनाव हो, चाहे चुनाव नहीं हो, जन हित में फैसला लेते हुए विकास के लिए बजट पेश किये हैं। इस बार भी हमें पूर्ण भरोसा है, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट पेश करेंगे, आपके बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज भी नहीं है। मामूली बात, जो आज सुबह तर्क आया है कि वह हो गया, और वह हो गया और इसका

(श्री मदन प्रजापत)

प्रमाण नहीं, वह नहीं; इस तरह की शायद बातें हैं। आपका भी धर्म है, हम आपका भी स्वागत करते हैं, येन-केन-प्रकारेण, जो समय है, उनको कायम रखते हुए अपनी बात को रखते हो लेकिन पूरा बड़ा मुद्दा आज भी प्रतिपक्ष के पास नहीं है।

कम से कम, मेहरबानी करके, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कम से कम घोटालों और शराब की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देतीं। जो इस बात का विरोध करता है माननीय केसारामजी, जो हमारे वरिष्ठ भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, कि आज आप हमारे को शराब-शराब कर रहे हैं, हमारे को आप शराब का विरोधी कह रहे हैं, वह चार साल पहले मैडम से आप निवेदन करते कि मैडम, हम इसका विरोध करते हैं तो फैसला मैडम ही ले लेती। आज यह विरोध करने से और यह राजस्थान में इसके ऊपर अलग से चर्चा भी हुई लेकिन दांत खाने के आपके अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। राजस्थान की जनता विकास को पसंद करती है और राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में आज कांग्रेस ने देश को दिया है, आम जनता जानती है। यह जरूर बात है, आप इस बात में माहिर हैं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...और समय की भी कमी है; माननीय मुख्य मंत्रीजी,...

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापतिजी, ये बहुत बढिया बोले हैं। हमारे समय में से समय काट देना भले ही; कोई है नहीं और। बोलो, बोलो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...अंत में, माननीय सभापति महोदय, हजारों का घोटाला है, लाखों का घोटाला है, लेकिन 32-32,000 करोड़ के घोटाले, और खुद की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं लेकिन अब वे विरोध में घोटाले हैं। अब चुनाव आ गये हैं, दोनों को डर लग रहा है, राजीनामा कर लो क्योंकि डूबी हुई नाव है, जरूर कुछ सहारा लग जाये। चाहे किसी से राजीपा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, नाव डूबने के बाद में वापस ऊपर नहीं आती है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पुन: माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजस्थान में विकास की गंगा बहाई, राजस्थान के

(श्री मदन प्रजापत)

जन के हित में फैसले लिये, आम गरीब को राहत मिली, आपका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए, पुनः आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कलयुग है, लंकेश ही तुम लोगों को जला देगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा कशीदे पढ़े जा रहे हैं और गाने गाये जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी के और सरकार के। यह अभिभाषण असत्य का कितना पुलिंदा है कि राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि महामहिम राज्यपाल आयें और कुर्सी पर सिर्फ दो-ढाई मिनट विराजें और भाषण देकर चले जायें। यह चूंकि अभिभाषण असत्य का पुलिंदा है, सरकार की सही मायनों में पोल खोलने वाला है, उनके झूठे घटनाक्रम को बताने वाला है, इसलिए मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठीं और वे ढाई मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाईं। मैं इतना ही कहूंगा ऐसे लोगों के बारे में, मैं शुरुआत एक गीत की पंक्ति से करता हूं – क्या कहिये ऐसे लोगों का जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आये, असली सूरत छुपी रहे; उसकी पंक्ति मैंने कही है।

माननीय सभापति महोदय, जो यह असत्य का पुलिंदा अभिभाषण है जिसमें सरकार के कामों के गुणगान किये गये हैं पिछले वर्ष के, एक सबसे बड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा नौगांवा कस्बा है, यह जो निःशुल्क चिकित्सा का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मुख्य मंत्री निःशुल्क चिकित्सा, उसके बारे में एक दिन नौगांवा में हमारे वहां के डायरेक्टर, पंचायत समिति सदस्य, वहां के जिला पार्षद, वहां के पंच और सरपंच, लगभग पचास-साठ लोगों को लेकर के नौगांवा में गया और वहां गया तो मैंने कहा, डाक्टर वहां तीन की बजाय एक, कम्पाउण्डर और पैरा- मेडिकल स्टाफ सात की बजाय दो और अस्पताल में भारी गंदगी और मैंने जब पूछा वहां बैठे हुए एक स्टाफ के मेम्बर से कि चार सौ दवाइयां मुख्य मंत्री के द्वारा घोषित हैं, अपने यहां कितनी दवाइयां आ रही हैं; तो उन्होंने कहा कि बहुत दवाइयां हैं; मैंने कहा, कितनी दवाइयां हैं; तो उसने कहा कि नब्बे; तो मैंने कहा, कम्प्यूटर खोलो; कम्प्यूटर में इन्द्राज सारा, कम्प्यूटर खोला तो कुल चालीस दवाइयों की लिस्ट मिली और चालीस दवाइयों में भी कैसी दवाइयां, जैसे बीपी की दवा है एमलवास, एमलवास का दो मिलीग्राम, ढाई एम जी, दस एम जी, बीस एम जी यानी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दवाई एक ही, उसको पांच कैटेगिरी में किया; कुल आठ दवाइयां मिली। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ा असत्य क्या हो? आप नौगांवा की जनता से पूछें, वहां के जनप्रतिनिधि से पूछें; मैं खुद गया और मैंने आंखों-देखा -हाल आपको कहा है।

इस संबंध में मैं इतना ही कहूंगा, बड़े-बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, खसरा के टीके का एक प्रोग्राम हुआ, सरकारी प्रोग्राम है, मैं सोचकर के हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के साथ ही गया और उसमें जब गया और वह प्रोग्राम, उद्घाटन हुआ लेकिन ताज्जुब यह है कि पूरे जिले में तो सत्तर-पिचेत्तर प्रतिशत से ऊपर खसरे के टीके लग गये, आप भी उसी जिले के हैं, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है इनके खुद चिकित्सा मंत्री महोदय के क्षेत्र में कुल मिलाकर अभी तक बाईस प्रतिशत खसरे के टीके लगे हैं। यह है इनकी उपलब्धि।

बड़ा-बड़ा गुणगान कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, कितनी ढोल की पोल है। बसों पर, रोडवेज पर बड़े-बड़े विज्ञापन लिखे हुए हैं, तीन साल में दस लाख मकान; यह ग्रामीण क्षेत्र में और अब कहा है कि शहरी क्षेत्र में पांच लाख मकान; आप कब बनायेंगे? आप कब बनायेंगे इन मकानों को? अभी तक तो दस हजार मकान भी पूरे नहीं हुए। मैं इसमें भी आलोचना नहीं कर रहा, आपका व्यक्तिगत नाम लेकर नहीं बोलता, मैं कभी आलोचना नहीं करता, पर आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक दस हजार मकान भी नहीं बने, कब ये एफोर्डेबल मकान बनेंगे? कब ये बी पी एल के मकान बनेंगे, राशि कितनी कैसे? उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, हमारे सम्माननीय ओम बिरला जी बोल चुके, बाकी वक्ता भी बोल चुके, लेकिन कब बनेंगे?

यह वैसे ही है, माननीय सभापति महोदय, राज के घमंड में सरकार हो रही मस्त-मस्त, एक चीज बड़ी है मस्त-मस्त, उसके संबंध में, राज के घमंड में हो रहे मस्त-मस्त और राजस्थान का विकास हो गया इन चार सालों में पस्त-पस्त और आपसे जनता ऊब गई, अब हम आ रहे हैं उस तरफ। अब आपसे जनता ऊब गई, हम आ रहे हैं सरकार बनाने, नहीं होने देंगे राजस्थान का अस्त-अस्त और आप हो गये पस्त-पस्त और ख्वाहमख्वाह हो रहे घमंड में मस्त-मस्त।

माननीय सभापति महोदय, यह जो दस लाख और पांच लाख मकानों का बताया, इसके बारे में सारी कलई खुल गई और कांग्रेस के विधायक भी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जानते हैं, आम जनता भी जानती है, एक बात में मैं सहमत हूं मदन प्रजापतजी से कि जनता फैसला करेगी; फैसला तो जनता ही करेगी और जनता देख रही है चारों तरफ ढाणियों में, चारों तरफ गांवों में, चारों तरफ छोटे -छोटे पुरा में और हमारे भरतपुर में, ब्रज में कहते हैं नगला और नगली, सब तरफ एक ही भावना आई, बी जे पी आई, माननीया वसुंधरा जी आयीं; केन्द्र में भी बी जे पी आई और प्रांत में भी बी जे पी आई। यह चारों तरफ वातावरण है कि नहीं है? आपका दिल जानता है। 72 डिग्री के दिल पर हाथ रखकर सोचें और आप बतायें, क्या वातावरण है?

अभी कोई कवि सम्मेलन हुआ बाबूलाल जी हमारे एम एल ए के क्षेत्र में, वहां एक कवि ने कहा कि एम एल ए साहब, आप किस, आज सुबह ही हुआ, आप किस पार्टी के एम एल ए हैं, मुझे पता नहीं लेकिन एक बात तो तय है; कवि ने बड़ी जोरदार कविताएं सुनायीं, जैसा बाबूलाल जी बता रहे थे कि भाई मैं तो इतना ही जानता हूं कि दिल्ली में भी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कांग्रेस के विकेट लगातार गिर रहे हैं, गिरेंगे, और गिरेंगे। यह एक कवि ने आज सुनाया, आज के कवि सम्मेलन की बात है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो विद्यार्थियों के लिए है, चौपट कर दिया, बरबाद कर दिया शिक्षा को, चाहे प्राथमिक शिक्षा, चाहे माध्यमिक शिक्षा और चाहे उच्च शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के आपने स्कूल खोले और कुछ क्रमोन्नत किये, हालांकि उसमें राजनीति भी की, राजनीति की, हमारे क्षेत्र में वे स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए। आज हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, विधायकों को बराबर का कोटा मिलता है, बराबर का लेड मिलता है, एम एल ए लैड; बराबर के सारे काम होते हैं। मैं प्रशंसा करूंगा पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर महोदय की, इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन शिक्षा में पक्षपात हुआ। हमारे क्षेत्र में तो शिक्षा के स्कूल नहीं खुले लेकिन जो स्कूल आपने खोले, वहां पर आज की स्थिति में अगर दस शिक्षकों की वहां पर स्वीकृति है तो दो शिक्षक हैं, जहां पर पन्द्रह शिक्षकों की जरूरत है वहां चार शिक्षक हैं, जहां दस शिक्षकों की जरूरत है वहां तीन शिक्षक हैं। ऐसा चौपट किया शिक्षा का हाल। फिर आपने 2008 से 2009 में जीरो, 2010 में जीरो, 2011 में जीरो, भर्ती की नहीं और आपने असत्य, अभिभाषण में भी और प्रश्न के जवाब में भी असत्य बोला। यह आपने शिक्षा की दुर्गति की है।

एक बात और कही है कि उच्च शिक्षा में पांच सौ रुपये हम लोग देंगे एक लाख उन विद्यार्थियों को जो टाप आयेंगे। अभी तक क्या लिस्ट तैयार हुई

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

है? क्या, क्यों छाप दिया अभिभाषण में, काहे को यह असत्य छाप दिया? यह असत्य छाप दिया। कहां पांच सौ रुपये एक भी विद्यार्थी को जिसने टाप किया, मिले हैं क्या? लैपटाप भी कहीं मिले; मुझे तो पता नहीं, मैं लिस्ट लेकर डी ई ओ से आया, अभी तक कोई लैपटाप मिलने की बात नहीं है। हां, जो साइकिल हम दे रहे थे, माननीय वसुंधरा जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो साइकिल दे रहे थे उसका वितरण भी साढ़े चार साल में अब जाकर नवीं कक्षा के उन स्टूडेंट्स को, बच्चियों को किया है। यह आपका हाल है, यह आपकी दुर्गति है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जल परिवहन की बात कही, पता नहीं, कहां जल परिवहन, जल व्यवस्था की बात की है। चालीस हजार गांव राजस्थान में और उससे दोगुनी ढाणियां, मैं समझता हूं कि जल की व्यवस्था की सबसे ज्यादा त्राहि-त्राहि है। आप कोई भी विधायक, पक्ष या विपक्ष का, अपने विधान सभा क्षेत्र में चले जायें, लोग एक ही डिमांड करते हैं कि हैण्ड पम्प चाहिए; लोग एक ही डिमांड करते हैं कि सिंगल फेज चाहिए; लोग एक ही डिमांड करते हैं कि पानी चाहिए, पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। कहां 1,200 करोड़ आपने कहे, सी.पी. जोशी साहब, हालांकि वे नहीं हैं, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, इसलिए नाम ले रहा हूं, उन्होंने चम्बल से भीलवाड़ा तक का 1,224 करोड़ का स्वीकृत करवाया पैसा; पता नहीं वह इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वह कहीं आप 1,200 करोड़ तो नहीं कह रहे, माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, लेकिन हमारे क्षेत्र में पानी के संबंध में जितनी घोर अव्यवस्था है, पानी के लिए जितनी त्राहि-त्राहि है और जितना कण्डेम इस अभिभाषण पर इस सरकार को करना चाहिए, मैं कर रहा हूं; इसलिए इस अभिभाषण का मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, जल के बारे में जो मैंने कहा है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में पूरा गोलमाल हुआ। उसके बारे में कुछ मैं बोल चुका हूं, आज ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि समय के हिसाब से मैं अपना भाषण, चर्चा पूरी करना चाहता हूं।

एक बात पिछले बजट में कही गई तीन विश्वविद्यालय; मैं फिर कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आप भी उस जिले से हैं, ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर; मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर; शेखावाटी विश्वविद्यालय; उसके लिए पांच करोड़ रुपये, और यह व्यवस्था करेंगे, जमीन लेंगे; अभी तक

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए जमीन फाइनल नहीं हुई है। पांच करोड़ आपके वैसे के वैसे पड़े हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। आप कहां पर विश्वविद्यालय खोलेंगे? यह डिमांड, हमने घोषणा की थी इस मांग की, माननीय वसुंधरा जी ने की थी, आपने तीन साल के बजट के बाद चौथे बजट में घोषणा तो की, मगर असत्य ही असत्य, जो कुछ बोलूंगा, सदन में ही माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर बजट में घोषणा करें, जो कुछ बोलूंगा असत्य बोलूंगा, असत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, तो वाह-वाह, आश्चर्य; बहुत ही शर्म की बात है। विश्वविद्यालय का कहीं भी कोई हमें नजर नहीं आ रहा।

स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला, स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं कहीं हिन्दू-मुस्लिम की बात वैसे नहीं करता इन दिनों, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। आपने कहा, स्वामी विवेकानंद की जयन्ती पर मुख्य मंत्रीजी ने चालीस हजार सरकारी स्टूडेंट, सरकारी विद्यालयों के स्टूडेंट बुलाकर के बैठा लिया। आपके साथ जनता तो नहीं आई; आपके साथ किसान नहीं आया, मजदूर नहीं आया, व्यापारी नहीं आया, विद्र्याथी नहीं आया, बेरोजगार नहीं आया। स्कूलों की तो बेचारों की मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, कि चालीस हजार विद्यार्थी आपने बिठा दिये। तो क्या अब धर्म निरपेक्षता छोड़ दी कांग्रेस ने? माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा गर्व से कहो, हम हिन्दू हैं; तो क्या आपने अब धर्म निरपेक्षता छोड़ दी है? इसकी घोषणा इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी करें, इससे ज्यादा इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये जो कहना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर के बदनाम करना चाहते हैं।

एक बात जो और आ रही है, 27 नम्बर पेज पर ''राज्य के 48 हजार 359 मंदिर और उसमें एक मंदिर को 1,200 रुपए देंगे। 1,200 रुपए में +++ 1,200 रुपए में वहां का पुजारी खाएगा, 1,200 रुपए में प्रसाद बांटा जाएगा; 1,200 रुपए में मंदिर का मेंटीनेंस होगा। मतलब, 48 हजार 359 मंदिरों को 1,200 रुपए देंगे और 5 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट रखा है। इसके आगे और देखें' 10 हजार से अधिक छोटे मंदिरों व देवालयों को उनकी पूजा-अर्चना, आदि के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि को दुगना किया गया है और इस हेतु 1 करोड़ 20 लाख 43 हजार रुपए दिए हैं। 10 हजार मंदिर और रूपया 1 करोड़ 20 लाख 43 हजार! कितना रूपया आएगा मंदिर में? पुजारी कहां

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बैठेगा? क्या खाएगा? क्या उसका वेतनमान? क्या उसकी सुविधा? क्या परिवार को भूखा मारेगा? आत्महत्या करेगा मंदिर में बैठकर के? अब मंदिर में बैठकर के आत्महत्या करेगा। मंदिर का रखरखाव, पूजा-पाठ और सेवा अर्चना और उसका प्रसाद बांटना और इससे आगे मैं इस बिन्दु पर और निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात आई पेज नम्बर-32 बिन्दु संख्या-60 पर, ''राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा वर्ष 2012-13 में विशेष दक्षता आधारित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।'' इससे आगे है, ''प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 8 माह का सुनिश्चित रोजगार एवं स्व-रोजगार के इच्छुक युवाओं को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिलवाया जा रहा है।'' आपने आपके रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने युवकों को रोजगार दिया? मैं दावे के साथ कहता हूं, सभापति महोदय, मैं हर महीने दो, तीन सौ, पांच सौ कर्मचारी, आई टी आई, डिप्लोमा इंजीनियर तो भिवाड़ी, खुशखेड़ा, नीमराना, शाहजहांपुर, अलवर लगा देता हूं, लेकिन आपके रोजगार कार्यालय का एक सौ लोगों को लगाने का भी रिकार्ड नहीं है। एक जिले का आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, जैसी मैंने जानकारी की है। आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, इससे आगे भी प्रशिक्षण देने की बात कही है, ''सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त सभी योजनाओं द्वारा 67 हजार 350 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।'' जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, बराबर देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है; वैसे ही जैसे भ्रष्टाचार की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन स्पेसिफिक भ्रष्टाचार जब हम नहीं निकाल पाते तो सिर्फ भ्रष्टाचार चिल्लाना, भ्रष्टाचार चिल्लाना, रोजगार का प्रशिक्षण देना; यह कहना और रोजगार देना, इसमें दिन और रात का फर्क है। यह असत्य है और इससे बड़ा असत्य हो नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, खनिज संपदा की उपलब्धता के बारे में कहा गया है पेज नम्बर-33 और बिन्दु संख्या-61 पर ''खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रमुख स्थान है।'' यह बात मैं बिलकुल सही कह रहा हूं कि आपने जो लिखा है वह सही है, एक बात आपकी सही है; क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि मां सरस्वती जिह्वा पर बैठती है तो 24 घंटे में कोई एक बात तो आप सही कहेंगे, यह बात सही है कि खनिज की उपलब्धता

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हमारे राजस्थान में देश में नम्बर एक पर हैं हम लोग, लेकिन उसके बारे में मैं कहूंगा, जैसा आपने कहा है, ''वर्तमान में प्रधान खनिज के 3 हजार 30 खनन पट्टे, अप्रधान खनिज के 11 हजार 868 खनन पट्टे एवं 18 हजार 341 क्वारी लाइसेंस प्रभावशील हैं, जिनसे लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है'', बिलकुल असत्य। मैं उस एरिये से हूं, जितना आपने कहा है, जितने आपने खनन पट्टे दिए हैं, जितने आपने कहा है कि हमने अप्रधान खनन पट्टे दिए हैं व क्वारी लाइसेंस दिए हैं, उससे ज्यादा। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मैं लगातार पत्र भेजता रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट का पत्र मेरे पास जवाब में आया है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आया है, अलवर जिले में, बाकी भीलवाड़ा और बाकी जिलों में भी चलते होंगे, अलवर जिले में 5 हजार डम्पर अवैध रूप से चल रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। मुख्य मंत्रीजी के सामने जब कहा तो वहां एक मंत्रीजी ने खड़े होकर के कहा कि इनको इस रोजगार में लगे रहने दो, इनको अवैध खनन करने दो, ये अवैध खनन नहीं करेंगे तो सोने की नकली ईंटें बेचेंगे। ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, गौ-तस्करी करेंगे, गौ-हत्या करेंगे, ये नकली नोट बनाएंगे, नकली नोट लाएंगे, अवैध हथियार बनाएंगे इसलिए इनको अवैध खनन करने दो। आपने जितने पट्टे दिए हैं, माननीय सभापति महोदय, उससे दस गुणा नहीं, सौ गुणा अवैध खनन हो रहा है। आपने पूरी पिकेटिंग की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिकेटिंग की सरकार ने और उसमें खनिज विभाग, उसमें आर टी ओ के इंस्पेक्टर, उसमें पुलिस के इंस्पेक्टर, उसमें आपके सेल्स टैक्स के इंस्पेक्टर, आफिसर सब लगाये, क्या हुआ? ढाक के तीन पात, लगातार अवैध खनन चल रहा है। प्रतिदिन, मैंने कहा, पांच हजार से अब सात हजार हो गए हों डम्पर तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बताया, एसपी को कहा, कलक्टर को कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लेकिन अवमानना हुई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लताड़, हमारे माननीय ओम बिरला जी ने कहा, आपको कोई असर ही नहीं होता। क्योंकि हम लोग इतने ढीठ हो गए, इतने शर्महीन और बेशर्म हो गए कि उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है।

एक बात आप और बतायें। एक टीवी चैनल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक बार शाम को पट्टी चल रही थी माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम लेकर के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ''माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को दी सौगात

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और एक लाख लोगों की भर्ती।'' मैंने कहा यह क्या हुआ? पता किया हमने, कितनी भर्ती हुई; शिक्षा में कितनी भर्ती हुई, पुलिस में कितनी हुई, वन में कितनी हुई। सारा जब पता किया तो पता लगा कि कुल मिलाकर के 53 हजार 406 लोगों की भर्ती अब तक हुई है इन साढ़े चार सालों में। यह वैसा ही है, एक किसी सज्जन के पास एक शंख था। उस शंख से वह पांच रुपए मांगता पांच रुपए देता था; दस रुपए मांगो तो दस रुपए देता था। किसी पड़ोसी ने देख लिया और उस शंख को चोरी कर लिया, शंख चोरी करके दूसरा शंख उसकी जगह रख दिया। अब बेचारा वह सज्जन आया, उसको ज्यादा आवश्यकता तो होती नहीं थी, उसने शंख से पूजन करके, अगरबत्ती जलाकर के कहा कि शंख महोदय, मुझे आज दस रुपए चाहिए; बोले लो पचास रुपए, बोले पचास रुपए तो लो सौ रुपए; बोले लाओ सौ रुपए तो लो पांच सौ रुपए, लाओ पांच सौ रुपए तो लो हजार रुपए। आखिर वह हजार, दो हजार, लाख तक बढ़ गया। जिसके पास शंख था उसने कहा कि पहले तो यह नहीं था, मैं दस रुपए के लिए कहता तो दस रुपए देता था और अब तुम दस के पचास लो, पचास

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

के सौ लो, सौ के पांच सौ लो, तो यह क्या बात है? तो उस शंख ने कहा, मैं वह शंख नहीं हूं, मैं तो ढपोर शंख हूं। वह ढपोर शंख बोलते हैं, बजट पर भी बोलते हैं, कितनी समितियां, कितनी कमेटियां; हमारे जो, नाम इसलिए ले रहा हूं वैसे मैं उनका सम्मान करता हूं माननीय राजीव गांधीजी का, लेकिन उनके नाम पर असत्य के बीसों मिशन; बीसों समितियां। कितनी नीतियां, यह खनिज नीति, यह व्यापार नीति, यह सेल टैक्स नीति, यह-यह नीति, यह-वह नीति, यह भेड़ नीति, यह बकरी नीति; यह सिंगल विंडो; कमाया नहीं भिण्डी और टिण्डो। पता नहीं, कितनी नीतियां, कितनी समितियां, कितने आयोग, कितने कमीशन, ये सब बनाने के बाद ढपोर शंख जी बोले, दस रुपए लो, दस रुपए का पचास रुपए लो, पचास का सौ लो, मिलने वाला कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है, राजस्थान की जनता दुःखी हो गई है आपसे, राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में आपको लानत पड़ रही है। एक हमारे बीच में है, वह तो नॉन-वेज है लेकिन मैं वेज करके सुनाता हूं, किसी बेशर्म के किसी ने मारी पीछे से लात, तो उसके दोस्त ने पूछा क्या हुआ; बोले, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं धूप में बैठा था, मैं छाया में बैठ जाऊंगा। तो आप तो बेशर्म हो गए हैं। आपको कितना ही जनता कह रही है, आपको पता

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

है, आपकी आई बी बोल रही है, आपकी सी आई डी बोल रही है, आपका प्रशासन आपको बता रहा है कि जनता आपके खिलाफ है; फिर भी कहते हैं, जनता निर्णय करेगी। जनता निर्णय करेगी, जनता निर्णय करेगी, निश्चित करेगी, उस जनता के बारे में आप और हम हैं।

अब इतना ही कह करके, क्योंकि घंटी बजी है, मैं अनुशासन भंग नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है; सिंहासन खाली करो कि वसुंधरा जी आती हैं; सिंहासन खाली करो कि गुलाब जी कटारिया आते हैं; सिंहासन खाली करो कि घनश्याम जी तिवाड़ी आते हैं; सिंहासन खाली करो कि राजेन्द्र जी राठौड़ आते हैं; सिंहासन खाली करो कि ज्ञानदेव आहूजा आ रहा है; सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, जहां तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है, निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखी है। मेरे कांग्रेसी भाई कह रहे हैं, विकास। यह सही है कि हमारे देश की आजादी के बाद हमारे यहां पर सबसे लम्बे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है लेकिन जिन नीतियों पर, जिस रास्ते पर ये सरकारें चली हैं, उन नीतियों का परिणाम है, हमारे खेत में, हमारे घर में, हमारे पशु के यहां, हमारे घर में दूध पैदा होने वाला है, चूंकि, सभापति महोदय, आप तो खुद फौज में रह करके और किसान के घर पैदा होकर के आये हैं, वह और बोतल वाला पानी एक भाव बिके; और जो बोतल का पानी बेचता है, उसके घर में निश्चित लक्ष्मी नाचती है, उसका विकास हुआ है।

कौनसी नीतियों को लेकर के चल रहे हैं? आज जिन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि चाहे कभी कांग्रेस की सरकार रही चाहे कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज हालत यह बनाकर रख दी कि जिसकी जेब में पैसा होगा, उसके बेटे और बेटी की शिक्षा की बात करें। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियों ने मिल करके राजस्थान में शिक्षा का बंटाढार करने का काम किया है। आज गरीब के बेटे के लिए शिक्षा वह होगी जो एकल अध्यापक के आधार पर गांवों में चलने वाली है। सरकार इनकी भी रही, अध्यापकों की पूर्ति ये भी नहीं कर पाये और

(श्री पेमाराम)

सरकार इनकी भी रही, अध्यापकों की पूर्ति कांग्रेस भी नहीं कर पायी। एक काम किया, शिक्षा माफिया पैदा करने का, दोनों पार्टियों ने मिलकर के। जो इनका समर्थक था, वह इनके गुणगान करता रहा, उसका भी उसका विकास हुआ; जो कांग्रेस का समर्थक था, वह कांग्रेस का गुणगान करता रहा; उन शिक्षा माफियाओं का निश्चित तौर पर विकास हुआ है।

आज हालत यह बनाकर रख दी, जहां फ्लेगशिप योजना के बारे में कह रहे हैं, हमने यह दवा फ्री कर दी, हमने वह दवा फ्री कर दी मगर आपने एक काम जरूर कर दिया, राजस्थान में कौनसी नीतियों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं; उम्मीद तो यह थी कि हमारा देश आजाद हो जाएगा तो जो भी सरकार बनेगी, वह सरकार लोक कल्याणकारी काम करेगी; सरकार की जिम्मेदारी होगी, शिक्षा की व्यवस्था करे, चिकित्सा की व्यवस्था करे, सड़क की व्यवस्था करे, उजाले के लिए बिजली की व्यवस्था करे; आज सरकारों ने अपने दो कदम पीछे हटा करके सारा काम का सारा निजी हाथों में दे दिया और उसी का परिणाम है, सभापति महोदय, कह रहे हैं, पशुओं के लिए दवा फ्री कर दी; हमने हमारे जिले का सर्वे करवाया, सरकारी सर्वे नहीं है, बीस प्रतिशत ऐसे लोग हैं सीकर जिले में जो भूमिहीन हैं, जो भैंस नहीं रख सकता, जो गाय नहीं रख सकता उसके घर में कोई हो सकती है दूध निकालने के लिए तो एक मात्र बकरी हो सकती है। वह किसके लिए कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? आजाद भारत में, आजादी के पैंसठ साल बाद में सरकारों को कभी तो सोचना पड़ेगा कि बीस प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं।

कह रहे हैं कि हमने दो रुपये किलो कर दिया। सभापति महोदय, पहले राशन कार्ड हुआ करता था, राशन कार्ड के आधार पर गेहूं मिलता था, चीनी मिलती थी, कपड़ा मिलता था, केरोसीन तेल मिलता था। ढाणियों में कनेक्शन तो, यह मुझे पूरे राजस्थान का तो पता नहीं, हमारे सीकर जिले में माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन देने के बाद 27,000 पत्रावलियां लम्बित हैं। उजाला करने के लिए चिमनी चासने के लिए जो केरोसीन तेल मिला करता था, इन्होंने मिलकर के बंद कर दिया।

अभी तरह-तरह की बात कर रहे थे, एक परिवार को जिन्दा रहने के लिए 35 किलो अनाज की आवश्यकता होती है, यह कोई मैं नहीं कह रहा हूं, अभी वाहवाही लेने की बात कर रहे हैं कि हमने दो रुपये किलो कर दिया, मैं

(श्री पेमाराम)

कहना चाहूंगा कि दो रुपये किलो नहीं किया, यह सही है कि दो रुपये किलो के हिसाब से पहले जो अनाज पैंतीस किलो मिला करता था वह 4.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता था और पैंतीस किलो अनाज के उस गरीब से 157.50 रुपये लिये जाते थे, वाहवाही लूटने वाली, बात करने वाली सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने पच्चीस किलो तो पचास रुपये में दे दिया और दस किलो बाजार के हवाले छोड़ दिया; 18 रुपये किलो के हिसाब से वह बी पी एल 180 रुपये देकर के लाएगा। पहले 35 किलो अनाज 4.50 रुपये किलो के भाव में 157.50 रुपये में खरीदा जाता था। यह उस गरीब बी पी एल की जेब पर डाका डालने का काम आपने किया है। 230 रुपये से नीचे वह नहीं मिल पाएगा, यदि उसे जिन्दा रहना है तो। एक परिवार को एक महीने 72.50 रुपये का नुकसान पहुंचाने का काम किया है तो वह माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया है। 38 लाख राजस्थान के लोग हैं, उनका तीन करोड़ बीस लाख साठ हजार, दो रुपये किलो का प्रचार करते हैं, तीन करोड़ बीस लाख साठ हजार रुपये ज्यादा वसूल कर उस गरीब की जेब पर डाका डालने का काम करने वाला कोई है, तो यह राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार है। मैं समझता हूं कि राशनिंग व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। अभी 20 और 21 को जब हमारा विधान सभा का सेशन चालू हुआ, पहले पैंतीस किलो मिलता था, मंत्री महोदय, साढ़े चार रुपये प्रति किलो के भाव मिलता था।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अशोक जी से पहले किसी मुख्य मंत्री ने दो रुपये किलो गेहूं दिया था क्या?

श्री पेमाराम (धोद): लेकिन पहले किसी को जिन्दा रहने के लिए पैंतीस किलो मिलता था, मंत्री महोदय, पैंतीस किलो से नीचे जिन्दा रह नहीं सकता। बाजार के हवाले छोड़ दिया आपने। बाजार में पहले जो उसका भाव था, आपको पता है, 157.50 रुपये में मिलता था पैंतीस किलो अनाज; आपको हिसाब नहीं आता तो मैं जोड़ कर बता देता हूं, 157.50 रुपये में पैंतीस किलो मिलता था और पैंतीस किलो जिन्दा रहने के लिए आज 230 रुपये में मिलता है। 72.50 रुपये उसकी जेब पर डाका डालने का काम किया आपने। कौन सी वाहवाही ले रहे हो आप राशन कम करके? आप राशन बढ़ाते तो बात समझ में आती। पहले केरोसीन मिलता था, वह बंद कर दिया; चीनी मिलती थी, वह बंद कर दी; कपड़ा मिलता था, वह बंद कर दिया। राशनिंग व्यवस्था को तो चौपट कर दिया। गरीब की वाहवाही लेने की बात कर रहे हो।

(श्री पेमाराम)

मैं कहना चाहूंगा कि अभी जब विधान सभा का सेशन शुरू हुआ तो पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, हमारे राजस्थान में भी तमाम श्रमिक संगठन, चाहे वह कांग्रेस को वोट देने वाला मजदूर है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मजदूर है और चाहे हमें कम्यूनिस्ट पार्टियों को वोट देने वाला मजदूर है तमाम मजदूर संगठन एक जाजम पर बैठे, इस सवाल को लेकर के बैठे कि आज महंगाई ने कचूमर निकाल दिया, हर घर के ठीहे को हिलाकर रख दिया, उस महंगाई पर नियंत्रण करे सरकार। सारा का सारा राजस्थान ठप था, न रोडवेज चल रही थी, न फैक्टरियां चल रही थीं। स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक सड़कों पर थे।

मैं समझता हूं, सभापति महोदय, महंगाई कोई भगवान की देन नहीं; महंगाई अगर देन है तो सरकार की गलत नीतियों की। एक तरफ डीजल बढ़ता जाएगा, एक तरफ पेट्रोल बढ़ता जाएगा, एक तरफ बस का किराया बढ़ता जाएगा; एक तरफ खेती में काम में आने वाला डी ए पी, यूरिया बढ़ता जाएगा और खेत में पैदा होने वाला, मैं पूरे राजस्थान का नहीं कह रहा हूं, मेरे जिले में, जहां से मैं चुन करके आया हूं, लहसुन पैदा होता है, किसान जब लहसुन लेकर मण्डी में आये तो आढ़तिये ने लहसुन उतारने से मना कर दिया; किसानों ने हमें बुलाया, आढ़तिया कह रहा है कि इस लहसुन का भाव नहीं है, खरीददार नहीं है। क्या हालत बना कर रख दी। कौनसी नीतियों पर बढ़ रहे हो? कहां लेकर जायेंगे? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लोक कल्याणकारी सरकार हुआ करती थी, वह रास्ता इन सरकारों ने छोड़ दिया।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, कभी आकाश में बिजली बनाते हैं, कभी पाताल में बिजली बनाते हैं। आज आजादी के 65 साल बाद गांवों की तो यह हालत है, मैं ढाणी में रहता हूं, मेरा बेटा आज भी सरकारी सीनियर सेकण्डरी स्कूल में पढ़ रहा है, शहर में बिजली आयेगी और मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया है कि वहां बिजली आयेगी नहीं? क्या कर दिया? कोई बताओ मेरे को, कहो मेरे को। (व्यवधान) बताओ, बिजली दे रहे हो तो? सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार अगर लोक कल्याणकारी होती तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको बिजली के कनेक्शन देती। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उन्हें भी बिजली का कनेक्शन देने के लिये सरकार कोई योजना बनाकर व्यवस्था करती, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। एक ही काम किया, बिजली की रेट

(श्री पेमाराम)

बढ़ाने का काम किया, हर साल रेट बढ़ेगी। हालत यह बनाकर रख दी, रेट इतनी ऊंची कर दी...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तो अभी खड़ा ही हुआ हूं। कभी कांग्रेस बोली, कभी भारतीय जनता पार्टी बोली; हम बीच वाले...

श्री सभापति: आपका तो टाइम ही नहीं था, मैंने तो 15 मिनट दे दिये।

श्री पेमाराम (धोद): मैं थोड़ी सी देर में अपनी बात रख देता हूं।

सभापति महोदय, इन्होंने एक ही काम किया, रेट बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया। कभी बी सी आर भर कर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रावलियां जमा करा दीं, उनके घर में जाते हैं, पहले दो हजार रुपये एक किलोवाट का हुआ करता था, अभी नौ हजार रुपये का हुक्म जारी किया है राजस्थान की सरकार ने। आजादी के 65 साल बाद, पक्ष और विपक्ष का नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूं कि आजादी के 65 साल बाद भी मांगने के बाद भी बिजली नहीं मिली और किसी ने जम्पर डालकर लट्टू चासने का काम कर लिया तो कोई गुनाह नहीं है। उस पर 9 हजार रुपये की पेनल्टी लगेगी। बिजली के नाम पर लूटने का काम किया। ट्रांसफार्मर में मीटर फिट कर दिया। जले हुए ट्रांसफार्मर, मंत्रीजी कहेंगे, हम 72 घंटे में बदल रहे हैं; हमारे सीकर जिले में मेरा इलाका सारा का सारा इलैक्ट्रिफाइड है, मेरे इलाके में सात-सात दिन तक लगातार किसान इनके दफ्तर के चक्कर लगाता रहता है। जहां तक घरेलू मीटर का सवाल है, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं, छोटे उपभोक्ता के तो मीटर घर के बाहर लगेगा और जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, उनके मीटर अन्दर लगेगा। बाहर वाले मीटर का कोई भी अध्ययन करेगा, पत्थर मार कर फोड़ देगा तो उससे तो मीटर का चार्ज वसूल करने का हुक्म जारी कर देंगे और फैक्टरी में जहां चार चौकीदार बैठे रहेंगे, वहां इनके अधीक्षण अभियंता से नीचे का कोई उस मीटर को संभालने के लिये नहीं जा सकता। दो तरह का सिस्टम कर दिया, गरीब के लिये यह सिस्टम रहेगा और अमीरों के लिये यह सिस्टम रहेगा।

सभापति महोदय, जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है, थानों में महिला कांस्टेबलों की बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा है। चोरियां बढ़ी हैं,

(श्री पेमाराम)

बलात्कार बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सरकार को इन पर नियंत्रण करना चाहिये। यदि पुलिस में नफरी कम है तो राजस्थान की सरकार को दिल खोलकर नफरी पूरी करनी चाहिये। यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो उसके अनुरूप साधनों की व्यवस्था करनी चाहिये। आज भी थानों में हालत यह है कि वही बाबा आदम के जमाने की जीप जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा दौड़ नहीं सकती, और अपराध इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को कोई उपाय खोजने चाहिये।

सभापति महोदय, नरेगा एक बहुत बढ़िया योजना है और मैं आज यहां सदन में खड़ा होकर कह सकता हूं कि नरेगा योजना में डामर की सड़क, जो यह निजी हाथों में देने वाली सड़कें हैं, मैं सीकर से चलकर आता हूं, यहां एक निजी हाथों में देने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, सभापति महोदय, उस नरेगा योजना में हमारी कांस्टिट्यूएंसी की, वैसे राजनीतिक भेदभाव हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने भी उस मुख्य सड़क को पैसा नहीं दिया और इनकी सरकार आई, इन्होंने भी नहीं दिया; आकाश में हाथ छूटा, नरेगा में सैंक्शन करवाया, वहां के मजदूर भी आये, वहां की जनता भी लगी और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जिस सीकर जिले में बाढ़ आई, सेना आई, उस सड़क के ऊपर से नदी भी दौड़ी, हमारे उप नेता घनश्याम जी भाई उस सड़क को देखकर आये हैं, मंत्री महोदय भी उस सड़क को देखकर आये हैं, ये टोल वाली सडकें टूट सकती हैं लेकिन जनता की बनाई हुई सड़कें टूट नहीं सकतीं। आज उस नरेगा का कचूमर निकालने का काम सरकार ने कर दिया। बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन पर मंजूरियां जारी नहीं कीं। आज भी मजदूर बैठा इंतजार कर रहा है। 6 नम्बर फार्म भरना वह जानता नहीं, सरकार काम चलाना चाहती नहीं, सरकार भी पिंड छुड़ाना चाह रही है और उसी का परिणाम है कि जिन परिवारों को 100 दिन काम मिलना चाहिये, वह संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

सभापति महोदय, जहां तक महिलाओं का विकास करने की बात है तो मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि बजट आने वाला है, मानदेय बढ़ाओ, न्यूनतम वेतन तो दो, पूरे दिन काम लेते हैं। अगर यह भी हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा।

जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, सभापति महोदय, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि न तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे, मैं तो आपसे

(श्री पेमाराम)

ही कहना चाहूंगा कि सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र ने जो सिफारिशें की हैं, राजस्थान में किसी मां ने दूध पिया है तो दिल खोलकर कहो, क्योंकि इधर का राज आता है तो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले साम्प्रदायिकता फैलाते हैं लेकिन इधर राज आया, आज भी साम्प्रदायिक तनाव राजस्थान में तेजी से बढ़ता जा रहा है। वाकई में जिस तरह से दलित जमीन से जुडे हुए हैं, वैसे वाकई में अल्पसंख्यकों में भी गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। जब तक सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र की सिफारिशें लागू नहीं होंगी, तब तक अल्पसंख्यकों का विकास हो नहीं सकता।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं इस अभिभाषण का विरोध करना चाहता हूं, विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, इनसे भी कहना चाहता हूं और ये मुंह धोकर तैयार हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि आपका टाइम जायेगा और आपका टाइम आयेगा नहीं; राजस्थान में आने वाले विधान सभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के लोग जीतकर आयेंगे, आपकी इन गलत नीतियों को पलटेंगे और राजस्थान की सरकार का खजाना जनता की तरफ करेंगे जिससे जनता का विकास होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में मैं अपनी बात रखूंगा।

यह जो अभिभाषण की प्रति है इसके बारे में पक्ष और विपक्ष की बातें सामने आई हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, खास तौर से जो विपक्ष के लोग हैं जो इस अभिभाषण को असत्य का पुलिंदा बता रहे हैं, उन लोगों से खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो बात सही है वह तो कम से कम हम इस सदन में कहें, लेकिन फितरत यह है कि हमें तो बुराई करनी है। ऐसे-ऐसे यहां पर कह कर गये हैं, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उनकी सच्चाई निकलवाई जाए तो सिरे से खारिज हो जाएंगी।

अभी मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई भी रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार नहीं दिये गये, यह अभी दस मिनट पहले की ही बात है; मैं कहना चाहूंगा कि इन्ही रोजगार कार्यालयों की वजह से मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में, अलवर जिले के और भी कई क्षेत्रों में कैम्प लगाए

(श्री टीकाराम जूली)

गए हैं और वहीं से मौके पर भर्ती की गई है। हजार युवा तो मैंने अपने क्षेत्र के लगाए हैं जो कि आज अपनी जिंदगी अच्छी गुजर-बसर कर रहे हैं।

एक कहावत है, जो हम भी सुनते आए हैं कि मंदिर में तो खाने का, जमीन पर सोने का, झूठ बोलने का कोई आंकड़ा तो होता नहीं है, जितनी मर्जी उतना बोले जाओ। कहीं कोई पैमाना हो तो निश्चित तौर पर इतनी बातें यहां से निकल कर नहीं आएं।

सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा एक से एक स्कीम, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, तब तक का पूरा इंतजाम इस सरकार ने उसके लिए किया है। बच्चा पैदा हुआ, सरकार की जिम्मेदारी उसको अस्पताल लेकर जाएगी; उसका आपरेशन, उसका अल्ट्रासाउण्ड, उसका इलाज, उसका खाना-पीना, रहना और आने जाने का किराया सरकार दे रही है; जब बच्चा स्कूल जाएगा तो पढ़ने की वहां की सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, वहां पर बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था सरकार कर रही है; उसके बाद में छात्रवृति की व्यवस्था सरकार कर रही है; उसके बाद जब शादी होती है, उसमें भी तरह-तरह के उसके जो पात्र होते हैं, हमारे मजदूर का बेटा है, बेटी है और श्रम विभाग से उसका रजिस्ट्रेशन है तो 51-51 हजार रुपये सरकार उसके कन्यादान में दे रही है; आज अलग जाति में अगर लड़का-लड़की विवाह करते हैं तो उसके लिए सरकार पैसे दे रही है। कोई ऐसी स्थिति, ऐसा कोई जीवन का, मैं समझता हूं, कोई पड़ाव नहीं है जिसमें सरकार साथ नहीं हो, बुजुर्ग है तो बुढापा पेंशन उसके लिए सरकार दे रही है; विधवा है तो विधवा पेंशन सरकार दे रही है। नि:शक्त जन है तो उसके लिए पेंशन सरकार दे रही है। कोई एक चीज तो बताएं कि वहां सरकार मदद नहीं कर रही है।

दवाइयां फ्री कीं, जैसे ही सरकार ने दवाइयां फ्री कीं तो विपक्ष के पास इसकी कोई काट नहीं थी, एक हल्ला मचा दिया कि दवाई नहीं है, दवाइयों की घोषणा कर दी, अस्पताल में दवाई नहीं है; लेकिन जब 10-15 दिन व महीने के बाद वह सारी तस्वीर जो आप लोगों ने धुंधली की थी, वह तस्वीर साफ हुई। लोग गये। क्योंकि शुरू-शुरू में तो आप लोगों ने लोगों को भेज दिया कि ले आओ दवाई, बीमार है, तब भी और बीमार नहीं है, तब भी। ऐसे-ऐसे आदमी एडमिट करा दिये जिनके कोई बीमारी ही नहीं है। सिर्फ सरकार की इस योजना को फ्लाप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मरीज आप लोगों ने भेजे,

(श्री टीकाराम जूली)

लेकिन वह तस्वीर एक महीने के बाद साफ हो गई। आज कहीं से भी पूरे राजस्थान में, इक्का-दुक्का मैं कह नहीं सकता वरना कहीं से भी यह शिकायत नहीं आ रही कि हमें दवाइयां नहीं मिल रहीं। सब जगह दवाइयों की व्यवस्था सरकार ने करा दी है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा 108 की सेवा, 104 की सेवा, आम आदमी को इसका लाभ मिल रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आवास, गरीब व्यक्ति का एक सपना होता है, बरसात में, धूप में, सर्दी में, उसके बच्चे कैसे अपना जीवन बसर करेंगे? मैंने ऐसे घर भी देखे हैं, उसी में मां सो रही है, उसी में बाप सो रहा है, उसी में पत्नी सो रही है, उसी में बच्चे सो रहे हैं, एक ही कमरा है और उसके ऊपर बात यह है कि उस परिवार की किचन भी उसी में है, उसका चूल्हा भी उसी छापर के अन्दर है। आज उस व्यक्ति को अपना मकान मिला है, उसको अपने सिर पर छत मिली है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।

इस बजट में इस सरकार ने पिछले चार सालों में जो काम किए हैं, आम आदमी को ध्यान में रखकर वे काम किए हैं। किसान के लिए, जब सरकार ने सब किसानों के कर्जे माफ किए, निश्चित तौर पर किसानों को राहत की सांस मिली। उसके साथ-साथ जो किसान हमारे भाई थे, जो समय पर अपना ऋण चुकाते थे, उन लोगों ने कहा कि डिफाल्टर को तो फायदा होगा और जो शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी था, जो समय पर अपना ऋण चुकाता रहा, उसको इस चीज का कोई फायदा ही नहीं मिला। अशोक गहलोत जी ने उसके बारे में सोचा और उसका जो ब्याज था, एक लाख रुपये तक के के सी सी के लोन है, उसके ब्याज का जो पैसा था वह हमारे परसादीलाल मीणा जी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान सरकार उस ब्याज को भर रही है; किसान को ब्याज नहीं भरना पड़ रहा।

आज आम आदमी के लिए लोक सेवाओं को प्रदान करने की गांरटी, जन सुनवाई अधिनियम, ये सारी चीजें सरकार ने शुरू की हैं।

जब दवाइयां फ्री की तब हमारे जो भाई हैं, उन लोगों को यह मुद्दा मिल गया कि यह तो वोट के चक्कर में दवाइयां फ्री की हैं। गहलोत साहब ने पशुओं की दवा भी फ्री कर दी, अब कह दो कि पशुओं के वोट लेने के लिए यह पशुओं की दवा फ्री की है सरकार ने, कह दो अगर कहना चाहो तो। यह जो स्कीम चलाई है, पशुओं की दवाई बहुत महंगी होती थी और आम आदमी को इसका लाभ मिले, इसके लिए यह चीज की गई है।

(श्री टीकाराम जूली)

साथ ही साथ, एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि एक चाव चढ़ा हुआ है पूरे विपक्ष को कि यह सरकार जा रही है और यह सरकार आ रही है, हमारे अभी तीसरे वाले हैं वे तो वे ही कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। मैं एक चीज यह कहना चाहूंगा कि आज जो आप लोगों की स्थिति है, केन्द्र में भी 7-8 साल पहले एक बहुत भारी फील गुड फैक्टर का नारा आया था, भारत का उदय हो रहा था और सब जगह फील गुड कि बस, अब तो यह सरकार आई; पर नतीजा क्या हुआ, यह आप सब लोगों के सामने है। यही स्थिति पिछले चुनाव में थी कि हम तो दुबारा आ रहे हैं, परिस्थिति जो हुई, वह सब आप लोगों के सामने है।

मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछली बार तो सारी चीजें आपके हाथ में थीं, सारी चीजें तो आपने तय कर रखी थीं, लड़ाई यह भी चल रही थी दुबारा आकर कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, कौन क्या करेगा; अब भी वह बात गई नहीं। चलो, यह बात मान ली कि हारने के बाद छाया मंत्रिमण्डल; हमने तो पूरे देश के अन्दर देखा नहीं जो यहां पर बना है। उसके बावजूद, फिर भी इस चीज से काम नहीं चला तो आने वाले समय में फिर तैयारियां हो रही हैं कि कौन क्या बनेगा।

मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं जानता पर हम जब भगवान में विश्वास रखते हैं तो एक चीज यह जरूर सोचते हैं कि जो जितनी ज्यादा दुआएं लेगा, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का भला होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का चैलेंज करना चाहूंगा कि जितनी दुआएं इन पिछले चार सालों में हमारे अशोक जी गहलोत साहब को मिली हैं, इतनी दुआएं शायद किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलीं। एक से एक स्कीम, एक से एक काम उन्होंने किए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज उन्होंने घोषणा की कि हम इन दो वर्षों में, हमारे जो विद्यार्थी दसवीं क्लास में टाप करेंगे, 12वीं क्लास में टाप करेंगे और हर 8वीं के स्कूल में जो बच्चा टाप करेगा, 56 हजार एक साल में और 56 हजार दूसरी साल में, कुल मिलाकर 1 लाख 12 हजार बच्चों को अच्छी क्वालिटी के लैपटाप दिये जाएंगे; 30-35 हजार की लागत के लैपटाप दिए जाएंगे। आप यह नहीं समझें कि वे 1 लाख 12 हजार बच्चों को ही दिए जा रहे हैं, ये लैपटाप एक क्रांति लेकर आएंगे और हर बच्चे को इसको पाने की ललक पैदा होगी, वह इसके लिए दिन-रात मेहनत करेगा, पढ़ाई में ध्यान देगा और हर बच्चा यह

(श्री टीकाराम जूली)

लक्ष्य बनाएगा कि अब मुझे टाप में आना है और यह लैपटाप मुझे हासिल करना है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा छात्रवृति जो बच्चों को दी जाएगी, निश्चित रूप से उनका इसके प्रति रुझान बढ़ेगा।

(16.00 बजे)

मैं आज एक बात इस सदन में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे भाई हैं, वे सारी चीजें, उन बातों को भी भूल गये कि जो बजट के समय में आपने अपने मुंह से सरकार की तारीफ की थी, उनमें से एकाध की तो आप कह ही देते। यह वही सरकार है जिसने कोई भेदभाव नहीं करते हुए मिसिंग लिंक हर विधायक को दीं, धार्मिक सड़कें हर विधायक को दीं, 21-21 किलोमीटर की सड़कें सब लोगों को, कोई इसमें पार्टी की बात नहीं रखी। एक विधायक का पूरा मान-सम्मान रखते हुए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उसको दिया है। क्या एक बार भी धन्यवाद इस चीज का नहीं दे सकते थे? पिछली सरकार ने, हमने ऐसे भी देखे हैं कि हमारे कांग्रेस के विधायकों को एक-एक स्कूल के लिये कहते-कहते पांच साल गुजर गये लेकिन आप लोगों ने उनके क्षेत्रों में उनके कहने से स्कूल नहीं खोले। तो आज उन लोगों को...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक स्कूल नहीं खोला, एक स्कूल।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, सड़क बनी की नहीं?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): स्कूल की बात है।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): चलो, आप लोगों ने सड़क दी हो तो बता दो। (व्यवधान) ऐसा है बी.जे.पी. की फुल फार्म 'बहुत झूठी पार्टी' है, इसे दूसरे रूप में भी हम कह देते हैं कि 'भागो जनता पीटेगी' । (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): राजा हरिश्चन्द्र कांग्रेस है।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): इसकी फुल फार्म दूसरे शब्दों में लो तो 'भागो जनता पीटेगी'। इसलिये मेरे भाइयों, जो चीज है, सही-सही कहो। जहां सरकार कोई गलत बात करती है, निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन जब सरकार सही काम कर रही है, सबके लिये काम कर रही है, हर जाति, हर धर्म, हर सम्प्रदाय के लिये, सबके लिये काम कर रही है तो उस चीज की आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए। अकेले में तो आप लोग

(श्री टीकाराम जूली)

जाकर बधाई दे देते हो मुख्य मंत्रीजी को पर यहां सदन में कहते हुए आप लोगों को जोर पड़ता है।

मैं साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि बिजली और पानी के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। घर-घर तक बिजली पहुंची है, कनेक्शन दिये हैं। पानी के लिये खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा, एस.सी./एस.टी. और अल्पसंख्यक समाज के जो बास थे, ढाणियां थीं, गांव थे, उनमें काम हुआ है। मैं इस चीज का भी चैलेंज करना चाहूंगा, इन चार वर्षों में जो काम हुए हैं, ऐसा काम पहले कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया।

मैं साथ की साथ एक चीज और कहना चाह रहा हूं, अभी हमारे भाई जो जिले से ही आते हैं, कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, यह घोषणा तो पिछली सरकार ने की थी और चुनाव से दो-डेढ़ साल पहले की थी, उस समय तो इसमें कुछ हुआ नहीं। अब, पिछले साल आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अलवर जिले को सौगात दी है, मत्स्य विश्वविद्यालय की, उसके बारे में कोई बात नहीं मिली तो यही कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वह यूनिवर्सिटी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनने जा रही है। उसकी जमीन चिह्नित हो गयी है, 15 करोड़ रुपये उसका बजट आबंटन होकर आ गया है और उसका ओ.एस.डी. लगा दिया गया है? इससे बड़ी बात क्या होगी?

साथ के साथ, मैं जो हाल ही में दो अभियान बहुत बड़े चल रहे हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। प्रशासन-गांव-के-संग और प्रशासन-शहर-के-संग। आप लोगों का एक बहुत बड़ा मानस यह था कि शहर तक तो बी.जे.पी. आती है और शहर में हमारे वोटर हैं, आज तक आपने उन लोगों को क्या दिया। उनको पट्टे का हक आज तक किसी ने नहीं दिया, इस सरकार ने दिया है। 20-20 लाख पट्टे दिये जा रहे हैं एक-एक शहर में और उतने ही आवेदन अब भी आ रहे हैं। सरकार ने आवेदन ज्यादा आने के बाद इनका टाइम बढ़ाया और युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भ्रष्टाचार से दूर, आदमी की परेशानी से दूर ...(व्यवधान) इतना बढ़िया काम, अब आप लोगों के नहीं जंचे तो नहीं जंचे। आप में से तो बहुत से सदस्य, जब हम मिलते हैं कहीं भी, तो वे कहते हैं कि यह अच्छा काम हुआ है। आप लोग भी इस चीज को मानते हैं, परन्तु यह जो परिधि है, इसके अन्दर आने के बाद पता नहीं, क्या हो जाता है? गैलेरी तक तो सही रहते हैं, जैसे ही अन्दर आये और आप लोगों की बात ही

(श्री टीकाराम जूली)

बदल जाती है। मैं जो सही काम हैं, उनकी कह रहा हूं। प्रशासन- गांवों-के-संग में गांव-गांव, पंचायत हैड-क्वार्टर पर कैम्प लगाये जा रहे हैं; डिपार्टमेंट के लोग वहीं जा रहे हैं, वहीं आप लोगों की बात सुन रहे हैं, बच्चों के प्रमाण-पत्र बनाये जा रहे हैं, किसानों के नामान्तरण खुल रहे हैं, विभाजन वहां पर किये जा रहे हैं सभी प्रकार के।

मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने, जो हमारी कस्टोडियन भूमि थी अलवर जिले में, भरतपुर में, उस पर जो पिछली सरकार ने डी.एल.सी. रेट का 25 प्रतिशत उनको रेगुलराइज करने के लिये किया था, उसको घटा कर साढे 12 सौ रुपये किया है। उसी किसान की जमीन, वही जोत रहा था, सारी चीजें उसके पास, पर वह गैर-खातेदार था। उसको खातेदार करने के लिये आपने डी.एल.सी. का 25 प्रतिशत लागू किया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस सरकार को, आदरणीय गहलोत साहब को कि वे हमारे बीच में आये और जब लोगों ने उनके सामने अपनी यह बात रखी तो उन्होंने इस बात को महसूस किया और हजार-बारह सौ रुपये में, प्रति बीघा उसकी दर करते हुए उन सब किसानों को इस चीज का फायदा दिया और उनको इसका पट्टा दिया।

मैं माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपनी बात यहां पर खतम करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। ठीक टाइम पर आपने अपना भाषण खतम किया।

श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आदरणीय सभापति जी, मैं ममनून हूं कि आपने मुझे यहां गवर्नर्स एड्रेस पर बोलने का मौका दिया है। मैं अपने तासु रात, ख्यालात, जज्बात आपके माध्यम से इस आगस्ट हाउस में रखना चाहूंगा और मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ करना चाहूंगा कि 'अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है; तुम्हारे काम इतने तो नहीं हैं, तुम्हारा नाम जितना चल रहा है'।

यहां गृह मंत्रीजी को मुखातिब करके कह रहा हूं, ''यहां बंजर-सरों की खेतियां हैं, यहां उम्र भर रोते रहोगे; और यहां सिर्फ मौत चुन सकते हो अपनी, बताओ कब, कहां, कैसे मरोगे'', और ''हजारों सदियों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों

(श्री अब्दुल सगीर खां)

पर, हमारे पांवों को भी पर बना देता तो अच्छा था; परिन्दों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिन्दों का, खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था।''

सभापति महोदय, बहुत सारे विचार, बहुत सारे ख्यालात जो सदन में आये हैं, मैं यहां से अपनी बात कहना चाहूंगा कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी जब वह अपने इलेक्शन में जाती है तो वह एक सेक्रेड डाक्यूमेंट, जिसे हम इलेक्शन मेनिफेस्टो कहते हैं, वह जनता के सामने लेकर जाती है और वह एक मुआएदा होता है। It is a sacred document and a kind of contract between the electorates and the elected. हम वायदे करते हैं कि जब हम बरसरे इख्तिदार होंगे तो हम राजस्थान को चमन बना देंगे। किसानों को बिजली देंगे; पानी देंगे; खेतों को सब्ज-हरे कर देंगे; अल्पसंख्यकों के दु:खों को हम खतम कर देंगे; हम ही अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, हमने ही अल्पसंख्यकों की हिफाजत की है, उनको महफूज रखा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े इल्जाम आते हैं हमारी पार्टी पर, लेकिन मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि तथाकथित सेकुलर पार्टी, जो अपने आपको हिन्दुस्तान की सेकुलर पार्टी कहती है, उसने राजस्थान के अन्दर अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म किये हैं उसकी दास्तान राजस्थान का मुसलमान ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान का मुसलमान कभी भूलेगा नहीं। आप नजीर देते हैं गुजरात की लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर साम्प्रदायिकियों को सजाएं मिल रही हैं; कानून में, मोदी जी के संरक्षण में कंविक्शंस हुए। कांग्रेस का इतिहास, मुझे बता दें कोई भी खड़े होकर, इतने साम्प्रदायिक दंगे हिन्दुस्तान के शहरों में हुए, कहां पर कम्यूनल रोइटर्स को सजाएं दी गईं, जब आपके कांग्रेस के मुख्य मंत्री हुआ करते थे? गोपालगढ़ कोई भूल नहीं सकता है। सपना नहीं देखो कि तुम बरसरे इख्तिदार आओगे और फिर से राजस्थान पर शासन करोगे। राजस्थान का मुसलमान तैयार बैठा है, गोपालगढ़ लोगों के दिलों पर लिखा हुआ है, आपने सूरवाल, फूल मोहम्मद...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, वहां पर चार बार राज कर रहे हैं। मोदी...(व्यवधान) तब तो नहीं बोले।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको सुनेंगे। आपको मौका मिलेगा, बैठ जाइये भाई जान। मैं सब बताऊंगा आपको। अभी जरा बाइल होगा आपका ब्लड, जब एक अल्पसंख्यक आपके मुंह पर कहेगा कि आपने क्या किया अल्पसंख्यकों के साथ।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

फूल मोहम्मद की शहादत, एस.आई. को मारा गया, राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान की सरकार इंसाफ नहीं दे पाई। सी.बी.आई. के माध्यम से गोपालगढ़ के अल्पसंख्यकों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, वह तारीख इसकी गवाह है; शहादत है, भूलेगी नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने बड़े-बड़े वादे किये कि बरसरे इख्तिदार आएंगे, हम राजस्थान के अल्पसंख्यकों को एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत जिंदगी देंगे। सबसे पहले काम किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की डिग्री को बैन किया। यह बैन करने वाली यह कांग्रेस, यहां के जो बैठे हुए हैं, वे इसमें शामिल हैं।

आपने साढ़े तीन साल के बाद, मुख्य मंत्रीजी मौजूद थे विधान सभा में, मैं फिर से इस बात को उठाता हूं कि अगर आप मुसलमानों के खैर-ख्वाह हो, अल्पसंख्यकों के खैर-ख्वाह हो तो साढ़े तीन साल बाद, तीन साल बाद वक़्फ़ बोर्ड का आपने चेयरमैन बनाया; तीन, साढ़े तीन साल के बाद माइनोरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया; आपने मदरसा बोर्ड का चेयरमैन तीन साल, साढ़े तीन साल बाद बनाया; आपने मेवात बोर्ड का अभी तक बनाया नहीं। ये तो स्टेट्यूटरी बोडीज हैं, आपकी जेब से क्या जाता था?

मेरे उदारवान मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप जहां पर भी सुन रहे हो, 950 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने मुसलमानों की फलां बहबूदी के लिए, अल्पसंख्यकों की फलां बहबूदी के लिए भेजा, आप योजनाएं नहीं बना पाएं। 950 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, वापस चला गया। आप छात्रवृत्ति, कुछ चंद छात्रवृत्तियां बांटकर अल्पसंख्यकों के वोट को लेने का जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हो, भूल जाओ। आप उसको मजबूरी मत समझो कि यह मुसलमान की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी, आर.एस.एस. का भय दिखाकर, डर दिखाकर हम मुसलमानों के वोटो को तो ले ही लेंगे, ये कहां जाने वाले हैं? मुसलमान ने अपना रास्ता उत्तर प्रदेश में चुन लिया है, बिहार में अपना रास्ता चुन लिया है, मध्य प्रदेश में अपना रास्ता चुन लिया है और इस बार राजस्थान का अल्पसंख्यक कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगा कि अब राजस्थान पर वह ही शासन करेगा जो राजस्थान को अच्छी परफार्मेंस करके दिखाएगा।

(16.14 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

किसानों के लिए आपने क्या दिया? जिस किसान को आप बिजली नहीं दे पाए। रात को 12 बजे ठंड में ठिठुरता हुआ किसान जब जाकर अपने

(श्री अब्दुल सगीर खां)

बिजली के बटन को दबाता था तो पांच मिनट में ही लाइट चली जाती थी, मुख्य मंत्रीजी। किसान भूलेगा नहीं। पानी आप दे नहीं पाए। पीने के पानी के लिए राजस्थान तरस रहा है, आप पीने का पानी नहीं दे पाए। आप किसान को, कंज्यूमर्स को बिजली नहीं दे पाए; नहीं, हम खरीदेंगे नहीं, हम उत्पादन करेंगे। साढ़े चार साल, पौने पांच साल होने को आ रहे हैं लेकिन आप अभी भी बिजली देने में असमर्थ हो, पानी देने में असमर्थ हो।

आप बात कर रहे हैं खैर-ख्वाही की कि हमने फ्री मेडिसिन लुटायीं; हमने पशुओं को फ्री मेडिसिन दीं; मनुष्यों को फ्री मेडिसिन दीं; बी.पी.एल. को हमने यह दिया। अपनी जेब से नहीं दिया, यह सोशल वेलफेयर स्टेट का कार्य है जो आप कर रहे हैं। लेकिन उसके अन्दर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? वे दवाइयां गरीबों को नसीब नहीं हो रही हैं। आप 400 की लिस्ट बताते हैं लेकिन पचास या सौ गोलियां एक ही तरह की, अलग-अलग एम.जी. की वहां पर मौजूद हैं।

तो आज आप जो नजारा दिखा रहे हैं कि हमने इतने सोशल वेलफेयर स्टेट के कार्य किये हैं, इतनी हमारी योजनाएं हैं, आपने जननी सुरक्षा योजना, शिशु जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की? 27 मौतें जोधपुर के अन्दर हुईं। जब 27 मौतें जोधपुर के अन्दर हुईं, हर दिन दो-तीन मौत होती थीं, राजस्थान हिल गया, हिन्दुस्तान हिल गया। पन्द्रह दिन तक मौतें होती रहीं। तब जाकर आपको मालूम पड़ा कि कंटेमिनेटेड ग्लूकोज की वजह से मौतें हो रही हैं, उनका कौन हत्यारा है? उन लोगों ने, जो डाक्टर्स, जो इन्एफिशिएंट वहां पर बैठे हुए थे, उनके मात्र आपने ट्रांसफर किए; उनको सस्पेंड तक करने की जहमत नहीं की। इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे?

मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, हमारी सरकार अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है, संवेदनशील है, आज राजस्थान में जितने जुल्म हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। मेरे गृह जिले में दो महीने के अन्दर आठ महिलाओं का, बालिकाओं का अपहरण हुआ है। मैं गृह मंत्रीजी से जाकर मिला, उनके निवास स्थान पर, वे बहुत ही मृदुभाषी हैं लेकिन मृदुभाषी होने से काम नहीं चलेगा, हमारे कई मंत्री मृदुभाषी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन क्या कार्यवाही की दो महीने के अन्दर? एक निर्मम हत्या की गई एक नौजवान की, नरेश कुशवाह की। डी.एल. कुशवाह के नाम से उसका पिता ज्ञापन देता है, सारे सबूत देता है

(श्री अब्दुल सगीर खां)

पुलिस को। दो महीने हो गये, भागने का मौका दे दिया, अंडर-ग्राउंड है। आई.जी. को दे दिया, डी.आई.जी. को दे दिया, मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को बता दिया लेकिन उसके बावजूद भी कोई अरेस्ट नहीं।

राजाखेड़ा की एक 14 साल की बालिका, स्कूल जा रही है, अपहरण होता है; नामजद रिपोर्ट होती है; ढाई महीने हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं। अल्पसंख्यक महिलाओं, बालिकाओं का अपहरण हो रहा है लेकिन आप कह रहे हैं कि 2011 से 2012 में कम हुए हैं और 2012 से 2013 में हम और कम करेंगे; कारण क्या है कि आप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने देते, निर्देश कि आप एफ.आई.आर. दर्ज मत करो। मोटर-साइकिल चोरी होती है तो कोई एफ.आई.आर दर्ज नहीं होती, और बड़ी-बड़ी चोरियां होती हैं तो कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती। इस तरह की कानून-व्यवस्था राजस्थान के अन्दर है। इस कानून-व्यवस्था के बारे में...(व्यवधान)

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप, मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपकी पीड़ा मुझे पता है।

श्री सभापति: आपको किसने इजाजत दी? विराज जाएं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आपकी पीड़ा पता है, जब मौका आये, बोल लेना। और आप गृह मंत्रीजी का जवाब देना चाहें, तो उनकी इजाजत लेकर दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह नजारा है, यह मंजर है हमारी कानून-व्यवस्था का।

शिक्षा, हमने कहा कि हम मदरसा बोर्ड में; अमीन साहब चले गये, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत ही भोले और सीधे मंत्री हैं; एक महीने में, सगीर साहब, साढ़े तीन हजार मदरसों में मैं कम्प्यूटर और आपरेटर्स लगा दूंगा। मैं अभी उनसे यही पूछता कि मंत्रीजी, कितने मदरसों में आपने कम्प्यूटर लगवा दिये? साढ़े तीन हजार कम्प्यूटर की घोषणा आन-द-फ्लोर–आफ-दी हाउस मंत्रीजी ने की थी।

मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने लॉ कालेज की बिल्डिंग की बात उठाई, मुख्य मंत्रीजी ने खड़े होकर कहा कि धौलपुर का टाप प्रायोरिटी पर हम भवन बनायेंगे। मुख्य मंत्रीजी, अभी तक वहां पर कोई भवन का

(श्री अब्दुल सगीर खां)

शिलान्यास नहीं हुआ है। हम आपको दावत देना चाहते हैं, न्योता देना चाहते हैं कि आपके हाथों से ही हो और इन्हीं पांच सालों में हो जाये। घोषणाओं में आप माहिर हैं, सपनों के सौदागर हैं, जादूगर हैं; बहुत ही सीधे, महात्मा गांधी के विचारों में विचार रखने वाले, विश्वास रखने वाले मुख्य मंत्री हैं; मुझे उम्मीद थी कि शायद आपने आन-द-फ्लोर-आफ-दी हाउस यह कमिटमेंट किया, प्रोसीडिंग्स बताऊंगा, एक मुख्य मंत्री, ईमानदार मुख्य मंत्री, जिसकी हम इज्जत करते हैं, वह आन-द-फ्लोर-आफ-दी हाउस, क्या डिगनिटी है इस हाउस की? अगर मुख्य मंत्री कोई घोषणा करे, वादा करे आन-द-फ्लोर-आफ दी हाऊस, पब्लिक में आप क्या कहते हैं, मुझे गरज नहीं, लेकिन आप आन-द-फ्लोर-आफ-दी-हाउस अगर कहें कि यह काम हम टॉप प्रायोरिटी में इसी सत्र में करा देंगे और आज तक, मुख्य मंत्रीजी, उसका अता-पता न हो, मेरे लिये इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती।

आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, आपने कहा, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, पूरा का पूरा इलेक्शन मेनिफेस्टो और उसके बाद जितनी भी बजट घोषणाएं, मैं पूरा राजस्थान नहीं घूमा, मैं राजस्थान का नेता नहीं हूं, लेकिन जितना भी मुझे मौका मिला है, मैं अपने जिले की दर्दनाक कहानी आपको बता सकता हूं। मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया, महिला थाना बनायेंगे; स्टाफ दे दिया, किराये की किस बिल्डिंग में कहां चल रहा है, पता नहीं है। डी वाई. एस पी का आफिस खुलेगा, भवन निर्माण की कोई स्थिति नहीं है; कहां पर बनेगा, किस जगह बनेगा। यह वादों की बात मत करो। जितने वादे किये हैं, उसके 40 प्रतिशत वादे भी इन्होंने पूरे नहीं किये तो फिर उन वादों का क्या मतलब है? उन बजट घोषणाओं का क्या मतलब है? आन-द-फ्लोर-आफ-दी-हाउस आप बड़ी-बड़ी घोषणाएं कहें, तालियां बजती हैं। हम यह बनायेंगे, दे दे तालियां और उनका हश्र क्या होता है कि पांच साल तक उनके अते-पते नहीं होते। कहा, वहां हवाई पट्टी बनेगी, वह हवा में ही लटक रही है, एनीकट बनेंगे, पता नहीं, कहां पर कट गये।

इस तरह का वातावरण, मुख्य मंत्रीजी, जादूगिरी, काठ की हंड़िया एक बार चढ़ती है; यहां से कबूतर निकाल दिया, यहां से चार रूमाल निकाल दिये, यहां से एक माला निकाल दी, गांवों के अन्दर तो यह जादूगिरी चलती है, लेकिन विधान सभा में और बाहर जाकर समझदार लोगों के बीच यह जादूगिरी नहीं चलेगी। लोग हिसाब मांगेंगे, आपको बजट घोषणाएं दिखायेंगे कि आपने पहली बजट घोषणा में यह कहा, दूसरी में यह कहा, तीसरी में यह कहा, चौथी

(श्री अब्दुल सगीर खां)

में यह कहने जा रहे हैं या पांचवीं में क्या कहोगे, उसका हिसाब दो। अभी शुरू किया, पैसा हमने अलाट कर दिया, पैसा पहुंचते-पहुंचते कई साल लग जाते हैं, पैसा पहुंचता नहीं। ग्राउण्ड रियलिटी यह है कि कोई काम शुरू होता नहीं। अब उन वादों का, अगर जहां आपके कुछ लोग बोले कि हमारे यहां हमने सड़क मांगी, हमें सड़क मिल गयी; हमने पुलिया मांगी, पुलिया मिल गयी, अगर यह हो रहा है तो शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, वहां की जनता के साथ में आपने जो भेदभाव किया है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी। आपको वहां के लोग माफ नहीं करेंगे। आप पूरे राजस्थान के मुख्य मंत्री हो, आप सिर्फ कांग्रेस के विधायकों के मुख्य मंत्री नहीं हो। मुख्य मंत्रीजी, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आपको यह खयाल रखना होगा कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जो वादे आपने जाकर किये हैं, उनका क्रियान्वयन करो; नहीं तो वैसे ही होगा कि जब आप पहुंचेंगे तो लोग आपको आपके वादे याद दिलायेंगे और, मुख्य मंत्रीजी, आप लोगों का सामना नहीं कर पायेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए मैंने कई बार कहा है कि घोषणाएं करना, योजनाएं देना, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, प्रशंसा करने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, योजनाएं कोई भी सोशल वेलफेयर स्टेट की, जहां पर लोगों का भला हो, आपको फ्री मेडिसिन मिलें, स्वागत योग्य हैं, लेकिन उसमें भेदभाव हो, उसमें घपले हों...

'हरित राजस्थान' चलाया मई-जून में, यहां पर मैंने कहा था कि होमवर्क नहीं किया है, मई-जून में पीने का पानी नसीब नहीं है, एक-एक लोटा डालकर पेड़ों को कागजों में लगाओगे? आज इतना बड़ा घपला है, मैं तारीफ करूंगा, कांग्रेस बड़ी अच्छी योजना लेकर आती है, आप किसी भी एजेन्सी को बिठा दो, अगर वह एजेन्सी यह पता लगा ले कि कितने वास्तव में लगे, कितने वास्तव में मरे और कितने सिर्फ पेपरों में ही लगे, यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है। वेल थाट, वेल केलकुलेटेड स्कीम, जहां पर खाओ और खाने दो, यह अभियान चल रहा है। अभी धौलपुर के अन्दर इसी प्रकार से वन विभाग में इस तरह के लगाये गये, जहां पर पहले लगाये गये थे, वही लगाये जा रहे हैं। वे वास्तव में लगाये नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्हें कागजों में दिखाया जा रहा है। 'हरित राजस्थान' के नाम पर छलावा, दिखावा और लोगों के साथ में सबसे बड़ा फरेब।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

इससे बड़ी बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारी पार्टी पर इल्जाम लगाये कि इन्होंने मस्जिद गिरवाई। भीलवाड़ा के अन्दर कलन्दरी मस्जिद, 400 साल पुरानी, कांग्रेस के मेम्बर आफ पार्लियामेंट +++ उनके डायरेक्टर, उनकी मिलीभगत से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम भी अंकित नहीं होगा; उसके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की हुई है या व्याख्यान किया हुआ है, वह भी अंकित नहीं होगा। सम्माननीय सदस्य महोदय, ध्यान रखें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): पर मैं कहना चाहता हूं कि एफ आई आर में जिन-जिनके नाम दर्ज हैं, उन नामों के दर्ज होने के बावजूद भी उनको प्रोटेक्ट किया गया। आज अलवर के अन्दर 'टुडे मुस्लिम' करके मैगजीन निकलती है, मैंने प्रश्न भी लगाया है, शायद खुशनसीबी हुई तो वह लगे; मस्जिद पर कब्जा कराने वाले लोग सत्ता दल के हैं और मैं इल्जाम लगाऊंगा और मैं स्पीकर साहब को लिखकर दूंगा, इस मैगजीन के अन्दर सारी बात छपी है। अगर हिम्मत है तो उसको कंट्राडिक्ट करो। इसमें भी सत्ता दल का हाथ। अब मस्जिदों का व्यापार करेंगे कांग्रेस के लोग, मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं।

यह सरकार जो अपने आपको अल्पसंख्यकों का मसीहा कहती है, वह अल्पसंख्यकों की नम्बर वन की दुश्मन है। हिन्दुस्तान में और राजस्थान में सबसे ज्यादा शासन अगर रहा तो कांग्रेस का रहा। अगर आप हिन्दुस्तान को तरक्की पर ले गये, राजस्थान को तरक्की पर ले गये तो सच्चर कमीशन और रंगनाथन मिश्र इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान, राजस्थान का मुसलमान एस सी और एस टी से भी बदतर हालत में है और बहुत पिछड़ा हुआ है। पांच हजार करोड़ रुपया अगर इनकी शिक्षा पर खर्च करो तो इनकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। मैं आप कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा माइनोरिटी के वोट लेकर इस देश पर और इस प्रदेश पर शासन किया है, पांच हजार करोड़ में से आपने अब तक इन साढ़े चार साल, पौने पांच साल में कितना पैसा खर्च किया? मुख्य मंत्रीजी जब अपना उत्तर भाषण दें तो यह जरूर बतायें कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को हमने रिकमंड करके हमने इतना कार्य राजस्थान में कराया।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर, आर एस एस का डर दिखाकर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना पायेंगे। यह एक ऐतिहासिक हकीकत है। इसको अगर आपने दिमाग में नहीं रखा तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आपको समाप्त कर दिया गया, बिहार से, मध्य प्रदेश से सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से अगर विकल्प मिलेगा, वसुन्धरा राजे ही एक विकल्प है। इस राजस्थान का मुसलमान लग-बैक करके वसुन्धरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनायेगा और कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देगा। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 07 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री मेवाराम जैन।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है और इस धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। इस अभिभाषण में बिन्दु संख्या 1 से 91 तक में जो वर्णन किया गया है, ये बिन्दु हमारे राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री, श्री अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार के लिए, एक आम आदमी, गरीब, किसान, एस सी, एस टी, महिला, छात्र, अल्पसंख्यक, ओ बी सी सभी का किस तरह का उनका विकास हो, किस तरह से वे आगे बढ़ें, एक-एक बिन्दु पर इन सभी वर्गों को इसमें जोड़ा गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन चार-सवा चार साल के कार्यकाल में राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने का श्रेय उनको मिला। उसमें आप देखेंगे कि एक आम आदमी को कैसे सस्ती रोटी मिले, किस तरह से उसको रहने के लिए मकान मिले, किस तरह से उनकी सड़क

(श्री मेवाराम जैन)

की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, लाइट उनको कैसे मिले, इतनी योजनाएं हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में जो लागू की हैं, अगर एक-एक का वर्णन करें तो मेरे खयाल से प्रतिपक्ष में बैठे हुए, यह जरूर है कि यहां हमें पक्ष में बोलना है और प्रतिपक्ष को यहां विरोध करना है, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि जो अच्छी योजनाएं हैं, सबके हित में हैं। अच्छी योजनाओं का स्वागत भी करना चाहिए; कहीं त्रुटि है तो उसके लिए जरूर कहना चाहिए पर सभी यही कह रहे हैं कि यह झूठ का पुलिन्दा है, कुछ नहीं हो रहा है; ये सारी बातें गौण हैं।

आज गरीब को दो रुपये किलो गेहूं मिल रहा है; आज पूरे राजस्थान में जितने भी बी पी एल, दस लाख मकान देना, आज गांवों के अन्दर प्रशासन गांवों-की-ओर शिविर लगाकर किस तरह से गरीब परिवार को, विधवा हो, विकलांग हो, असहाय हो, उनको पेंशन देना; किस तरह से प्रशासन-गांवों-की-ओर कैम्पों में पट्टे वितरण करना; जो भूमि काश्त करते आ रहे हैं, उनका नियमन करना; और इतने सारे कार्य जो प्रशासन-गांवों-के-साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं, यह अपने आप में एक मिसाल है।

आज प्रशासन-शहरों-की-ओर शिविर चल रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में इस तरह की योजना, इस तरह के कार्य, पूर्व में आप देख लें, किस तरह इन कैम्पों के अन्दर लोगों को पट्टे दिये जा रहे हैं। लोग कई सालों से तड़प रहे थे, उनके वार्ड में जाकर कैम्प लगाकर उनको पट्टे दे रहे हैं। जिस तरह से इसका सरलीकरण किया गया, जैसे कि पहले कृषि भूमि की 90-बी किस तरह से हुआ करती थी, बी जे पी के पूर्व के कार्यकाल में क्या-क्या नहीं हुआ, वह आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है; आज उस सारी प्रक्रिया का सरलीकरण कर, किस तरह से उसको उस जमीन का पट्टा मिले, उसको जमीन का हक मिले, आज एक कमेटी बनाकर उसी नगरपालिका/नगर निकाय को सारे के सारे अधिकार दे दिए जो यहां मंत्रिमण्डल के पास थे। उसका ही नतीजा है कि लोगों को प्रशासन-शहरों-की-ओर में भरपूर फायदा मिला।

मैं बाड़मेर जिले की बात करना चाहता हूं, वहां 6100 पट्टे वितरण किये गये, तीस करोड़ रुपये की नगरपालिका को आय हुई। लोग 10-15 सालों से पट्टों का इंतजार कर रहे थे, उनको पट्टे दिए गए और आज वे सराह रहे हैं कि हमको घर बैठे पट्टे मिलना बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया।

(श्री मेवाराम जैन)

आज सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है, वह है मुफ्त दवा योजना। अपन बात करते हैं, दो दिन से मैं काफी चर्चा सुन रहा था कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, आधी भी नहीं मिल रही हैं, डाक्टर्स नहीं हैं, ए एन एम्स नहीं हैं; मैं परसों ही बाड़मेर गया। मैंने सोचा वास्तव में हो क्या रहा है देखूं तो सही; मैं अस्पताल में गया। मैं वहां डाक्टर्स को बिना बताये गया। मैंने वहां दो घंटे में दो सौ मरीजों से पूछताछ की होगी, 90 परसेंट की मैंने पर्चियां देखीं। उनको जो दवाइयां मिलीं उसका विवरण देखा; कोई एकाध दवा मुश्किल से उसको बाजार से लानी पड़ी हो तो अलग बात है बाकी 90 परसेंट उन लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है। मैंने पूछा तो बताया कि दवाई मुफ्त होने से पहले कोई अस्पताल में एडमिट होता तो कम से कम आठ से दस हजार रुपये का उसका बिल होता। वह पैसे कैसे लाता? या तो वह कोई गहने बेचता या कोई जमीन गिरवी रखता या फिर किसी से उधार लेकर अपना इलाज कराने के लिए आता। उसका मुफ्त में इलाज करने का हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा निर्णय किया, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। अन्य राज्य भी इस योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे जननी सुरक्षा की बात हो, आप 108 नम्बर घुमाओ या 104 नम्बर घुमाओ, आपके घर गाड़ी जा रही है और उस महिला को लाने का, जाने का खर्चा और साथ में पैसे देना और मुफ्त में दवाई दी जा रही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता।

चाहे आप पशुओं की बात कर लीजिए, पशुओं के लिए मुफ्त दवा की व्यवस्था की गई है। राजनीति में सब कुछ है, कोई सोच नहीं सकता, कहते हैं, मनुष्यों के लिए करो लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने तो पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा का प्रबन्ध कर दिया। उन्होंने सोचा कि पशुओं की हानि नहीं हो इलाज की वजह से कोई मरे नहीं। यह भी हमारी सरकार की सोच है।

आज किसानों के लिए, एक लाख रुपये तक की राशि किसान ले तो उसका ब्याज सरकार भरेगी। यह भी पहली बार ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है।

मुख्य मंत्रीजी ने कल ही घोषणा की, वह आज के ही अख़बार में आया, किसानों को किस तरह से मुआवजा देने की बात हुई। आज यहां इस सदन में भी बात हुई कि यह घोषणा कैसे हो गई? किसानों के लिए कोई अच्छी योजना आये तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। चाहे ओलावृष्टि का मामला हो, हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत इतने संवेदनशील जिन्होंने तत्काल सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा स्वीकार

(श्री मेवाराम जैन)

किया। फसलों के नुकसान की किस तरह से भरपाई की जाए, वह हमारी सरकार कर रही है।

बाड़मेर जिले की मैं बात करना चाहूंगा, हम पचास सालों से पानी के लिए तरस रहे थे। हिमालय के मीठे पानी का लोगों के मन में एक सपना था कि पानी बाड़मेर लाने की बात तो कर रहे हैं सिर्फ बातें ही रहेंगी। पहले हमारी सरकार थी तब स्कीम बनी, शिलान्यास हुआ परन्तु कार्य शुरू नहीं हुआ। फिर सरकार बदल गई, इनकी सरकार आयी। पांच साल में छह महीने पहले दुबारा सिर्फ शिलान्यास किया, बारह पाइप वहां जरूर डाले गये लेकिन एक पैसे का वहां काम नहीं हुआ। हमने इन चार सालों के अन्दर, लोगों का जो सपना था उसको हकीकत में बदला। हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसका लोकार्पण किया और बाड़मेर में मीठा पानी पहुंचा। आज पूरे गांवों के अन्दर स्कीम बन चुकी, टेण्डर हो रहे हैं और आज पूरे जिले के अन्दर तीन हजार करोड़ रुपये पानी की योजनाओं के लिए स्वीकृत हुए हैं और उसका कार्य प्रगति पर है। आज पानी के लिए बात करें, इस चार साल के कार्यकाल में कितने ट्यूब वेल खुदे हैं, कितनी पाइपलाइनें लगी हैं, कितने हैण्डपम्प खुदे हैं, यह जनता को पता है।

अपन यहां बैठे-बैठे कुछ भी बातें करें, हकीकत तो यह है कि गत बजट जब यहां प्रस्तुत हो रहा था, उसके पहले यह चर्चा खूब हो रही थी, प्रतिपक्ष में बैठे हुए यही चर्चा कर रहे थे कि सरकार तो हमारी आ गयी, बस आने वाली है, यही महसूस हो रहा था कि बस, सरकार आ ही रही है; जब बजट प्रस्तुत हुआ और आज उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अब मन में तो इनको भी पता है कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है; हमारी सरकार आयेगी, आयेगी, ये बातें ही कर रहे हैं और इनको करनी भी है, पर हकीकत यह है कि किस तरह से जनता को लाभ मिल रहा है, गांवों में जाएं तो पता पड़ेगा कि किस तरह से विकास हो रहा है। हर तरह से, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा में कितनी स्कूलें खोलना, कितनी क्रमोन्नत करना, कितनी भर्तियां करना, कितने पदोन्नत करना, यह कार्य हमारी सरकार ने किया। आज आर.ए.एस., आई.ए.एस. का प्रमोशन कितने सालों से हुआ है, कितने अन्य अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है। आप देखिए कि हर विभाग में कितनी भर्ती हो रही है। तो यह कार्य हमारी सरकार कर रही है।

आज राजीव गांधी विद्युतीकरण है, राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत जो गरीब हैं, जिनके पास कोई पोल नहीं था, आज बाड़मेर में 65 हजार

(श्री मेवाराम जैन)

नि:शुल्क कनेक्शन वहां के गरीब लोगों को मिले। चार हजार मेगावाट से ऊपर का बिजली का उत्पादन, पांच साल तक बिजली की रेट नहीं बढ़ाना, यह अपने आप में कोई कम बात नहीं है।

आज अपन रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, आज से सात साल पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से रिफाइनरी की बात चलती आ रही है, हमारे बाड़मेर में एक प्रोग्राम हुआ था रेलवे स्टेशन में, जिसमें पूर्व विधायक आये, एक प्रोग्राम ढोल-नगाड़ों के साथ किया कि रिफाइनरी हमारी आ गयी; वह आपको और हमको पता है कि क्या आ गयी। अब आप और हम सब सुन रहे हैं, थोड़े ही दिनों में रिफाइनरी की घोषणा होगी, बाड़मेर में रिफाइनरी होगी, राजस्थान का विकास होगा।

सड़कों की बात करें, आज पहली बार धार्मिक सड़कें राजस्थान में बनायी गयीं। एक-एक विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच किलोमीटर सड़क दी गयी है। आज से पहले, पचास साल पहले भी कोई दी होगी, अगर दी है तो हमें बता दें। इसके साथ-साथ अन्य सड़कें हैं, चाहे नेशनल हाई-वे हैं, स्टेट हाई-वे हैं, 250 से 500 के बीच वाली सड़कें हैं, इनका किस तरह से विकास हुआ है, यह आपके सामने है।

आज बाड़मेर में किसानों की भूमि अवाप्त की गयी, राजस्थान में, एशिया में सबसे ज्यादा भूमि की अवाप्ति हुई तो बाड़मेर में हुई और मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई। 40 हजार रुपये बीघा से ऊपर जमीन किसानों से ली। आपके समय में किसानों की जमीन अवाप्त की, सिर्फ 23 हजार रुपये प्रति बीघा किसानों को मुआवजा दिया और हमने उसी जमीन का तीन लाख रुपये का मुआवजा किसानों को देकर और राज़ी-खुशी से और सहमति से उनकी जमीनें लीं।

आज अपन किसानों के हित की बात करें, कुछ भी करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य महोदय, आप अपनी जगह से बोलें। आप अपनी जगह से बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, किसानों के हित के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं और इनके हित के लिए जो भी फैसले लेने हैं, वह सरकार ले रही है।

आज राजस्थान कैसे विकास की तरफ जा रहा है, जयपुर में मेट्रो की कोई सोच रहा था? आज मेट्रो थोड़े दिनों बाद ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको बोलने की इजाजत दी जाए तब बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): राजस्थान में ये जो योजनाएं चालू की गयीं, आज उनका लाभ आम आदमी को कैसे मिला है, यही तो तकलीफ हो रही है। आज गांवों में जाएं, ढाणी में जाएं, किस तरह से गांवों का और शहरों का विकास हो रहा है।

पहले गांवों में खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं था, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी विधेयक लाये और रास्ते की प्राब्लम को सोल्व किया।

आज कितने हास्पिटल खुल रहे हैं, कितने सब-सेण्टर खुले हैं, सी.एच.सी. और पी.एच.सी. कितनी खुली हैं, कितनी डाक्टर्स की भर्ती हुई है, कितने सब-सेण्टर्स में ए.एन.एम. की भर्ती हुई है, यह सब आपके सामने है। पुलिस की भर्तियां देखो, शिक्षा की भर्तियां देखो, अन्य जितने विभाग हैं, उनके अन्दर देखो; कोई एक दिन भी ऐसा अख़बार नहीं आयेगा कि उसके अन्दर इतनी वैकेंसी नहीं हो।

तो हर तरह है। किस तरह से गरीब का भला हो, किस तरह से किसान और व्यापारी, चाहे उद्योगपति, चाहे ओ.बी.सी., चाहे महिलाओं का, चाहे छात्राओं का, कैसे विकास हो, यह हमारी सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी के समय कोई मन्दिर के नाम से, कोई मस्जिद के नाम से, कोई भगवान गणेश को दूध पिलाने के नाम से, इस तरह से आपस में कोई लड़ा कर, झगड़ कर और लोगों से वोट लेना, यह कितने दिन चलना है? आखिर सारी जनता इनको जान गयी है।

बातें तो भले ही करें कि हम वापस सरकार में आ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार का मामला है, यह कोई कहने की बात नहीं है, सब को पता है और सब को विदित है। किस तरह से इनके कार्यकाल में क्या +++ चला, किस तरह से भ्रष्टाचार पनपा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार के इस चार साल के कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हैं और जनता को जिस तरह से राहत मिली है और जो यह बजट आयेगा, उस बजट के अन्दर तो मेरे खयाल से इनको एक भी, कुछ भी मिलने की संभावना रहेगी ही नहीं कि यह बजट कैसा है। चुनावी बजट तो गत साल वाले बजट को कह रहे थे और इस साल का बजट जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से इनके होश उड़ जायेंगे और इनको कहने को कुछ बचेगा ही नहीं।

(श्री मेवाराम जैन)

इसलिए, सभापति महादेय, मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान विकास की ओर, किस तरह से आम आदमी और गरीब को फायदा मिले, किस तरह से राजस्थान का विकास हो, आम आदमी का कैसे विकास हो, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है, हमारी सरकार की सोच है।

इस आने वाले समय में, आठ-दस महीने बाकी बचे हैं और मैं आज यह भी कह रहा हूं कि आप सोचना कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी और आपके जो ये सपने हैं, अभी जो बता रहे हैं, ये मन में ही रहेंगे। भले ही मुख्य मंत्री अभी घोषित कर दो और चाहे उप-मुख्य मंत्री घोषित कर दो और मंत्रिमण्डल बना दो, हकीकत तब आयेगी जब आप लोगों के सामने वोट मांगने जाओगे, तब पता पड़ेगा कि हकीकत क्या है।

सभापति महोदय, आज आपने इस मौके पर मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक शब्द का प्रयोग किया, +++, यह +++ जो प्रयोग किया, यह अच्छे काम के लिए किया कि बुरे काम के लिए किया? (व्यवधान) +++ शब्द का आपने प्रयोग किया, यह अपमानजनक है। इसलिए मैं बता देता हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): निकाल दो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बताना चाहता हूं कि गोरखनाथ जो थे, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उनको यह कृष्ण के बाद और राम के बाद और भगवान ...

श्री सभापति: बाबूलाल जी, आप विराज जाओ, यह ज्ञानवर्धक बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, ज्ञान नहीं, मैं कहना चाहता हूं, गोरखनाथ, इन्होंने +++ शब्द का प्रयोग किया है, +++ शब्द का प्रयोग गोरखनाथ जी का अपमान है। यह +++ शब्द था, जब भगवान को सोचने के सौ रास्ते उन्होंने बताये, इसलिए उसको +++ कहते हैं। इन्होंने इसको जहां उपयोग किया, उसमें भ्रष्टाचार के साथ जोड़ कर किया। इसलिए या तो इस शब्द को हटाना चाहिए...। मेरा कहना यह है।

श्री सभापति: इस व्याकरण में जो त्रुटि रही है, इसको आप अपलिखित कर दें।

श्री बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, दो दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष की एक मजबूरी है कि इस अभिभाषण की सराहना करना और प्रतिपक्ष का धर्म बनता है कि जो सरकार की कमियां रही हैं, उनको सरकार के ध्यान में लाना। मैं कोई भविष्य-वक्ता तो हूं नहीं लेकिन इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि लोकतंत्र में पांच वर्ष के लिए सरकारें चुनी जाती हैं और इस सरकार का यह अन्तिम पड़ाव है और अन्तिम पड़ाव आता है तो कोई भी हो, छटपटाता है कि वापस मुझे पुनर्जन्म मिले, उसके लिए कई प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं। मैं यहां पर यह सुन रहा था तो सबसे ज्यादा वक्ताओं ने भविष्यवाणी यह की कि वापस हम आ रहे हैं, इधर से भी भविष्यवाणी हुई कि हम आ रहे हैं। वह समय किसी ने नहीं देखा है, वह समय आने वाला है, आएगा तब सबको पता लगेगा लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस राज के जो चार साल गुजर गये, उनमें जितना भी हुआ; अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकार का खजाना किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, सरकार का खजाना उस प्रदेश की रहने वाली, गरीब से अमीर तक, सारी जनता के खून-पसीने का पैसा होता है। जो भी सरकार में जीत कर आता है, सरकार बनाता है, उसको जनता इसलिए चाबी देती है कि पांच वर्ष के लिए आप मुनीम के नाते इस प्रदेश की रखवाली करना और जो सरकार का खजाना है, जिसमें हक गरीब का भी है, अमीर का भी, उसको जैसी आवश्यकता है, उस हिसाब से खर्च करना। यहां तो कांग्रेस के बन्धुओं ने यह कहा कि हमने यह कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने यह पैसा कौन से खेत से कमाकर निकाला?

सभापति महोदय, आज इस अभिभाषण में, अभी ओम जी बिरला यहां नहीं हैं, उन्होंने एक जिक्र किया था महामहिम राज्यपाल का, उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने एक चिन्ता व्यक्त की और सरकार को आगाह किया कि खजाने का पैसा ठीक प्रकार से खर्च नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया। लेकिन शायद यह शब्द सत्य होगा कि कांग्रेस की उम्र बहुत ज्यादा हो गयी है और किसी भी प्राणी की उम्र ज्यादा होती है तो पुराना बचपना आ जाता है; उसको दिखता कम है, सुनाई कम देता है, ये सारी चीजें आती हैं। शायद वह ही मुझे लग रहा है।

महामहिम राज्यपाल महोदया कह रही हैं, जनजाति क्षेत्र में गयी थीं, उन्होंने अनुभव किया, हमें खुशी है कि इस प्रदेश का पहला नागरिक यह बोलता है कि जनजाति क्षेत्र में खर्च होने वाली राशि केवल मात्र तीस प्रतिशत

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

हो रही है। किसका भला कर रहे हैं? बाकी पैसा कहां गया? किस आदिवासी को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं? सभापति महोदय, यहां तक नहीं, आगे चलकर उन्होंने कहा, गरीब को रोजगार देने में सरकार विफल रही है, रोजगार पूरा नहीं दिया है; उन्होंने कहा, वहां भी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। किसको पढ़ाना चाहते हो? किसको आगे, ऊपर उठाने की बात करते हो? उनकी पीड़ा वाजिब है। उन्होंने कहा, आपने हास्पिटल खोल दिए, आपने मुफ्त दवाइयां बांटना शुरू कर दीं। लेकिन, उन्होंने एक बात कही, हास्पिटलों में डाक्टर नहीं हैं। वास्तव में सत्य है, यह बात हमेशा हम कहते आए हैं कि दवाई मुफ्त हैं, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन उस पर्ची पर दवाई लिखने वाला डाक्टर नहीं होगा तो किसका भला करोगे? कौन लिखेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? यह विचारणीय विषय है। केवल बातों से भला किसी का नहीं होता है, योजनाएं बनाने से कोई भला नहीं होता है, योजना की जमीनी स्तर पर क्रियान्विती कितनी होती है, कैसी होती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जनता का भला कर रहे हैं।

आज गांवों का जाकर के देख लो, मैं गांव से आता हूं, गरीब घर से आया हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दुःख-दर्द को आप समझो तो सही, गांव और गरीब की पीड़ा तो समझो। आज मेरे क्षेत्र की मैं बात करता हूं, उबड़-खाबड़ एरिया है, भगवान भरोसे खेती होती है। अगर ठीक बरसात होती है तो थोड़ा बहुत पक जाता है। फिर भी बारह महीने वह मजदूरी पर आश्रित रहता है।

आज नरेगा की बात आप खूब कर रहे हो, वाहवाही, तालियां बजा रहे हो, आज गांवों में नरेगा की क्या हालत है? कितने काम चल रहे हैं? जवाब देना आप। नरेगा के काम बंद पड़े हुए हैं, मजदूर मजदूरी पर जाता नहीं है। योजना अच्छी है लेकिन मजदूर जाता है, महंगाई आसमान पर है, बाजार में जाएगा दाल लाने के लिए, 100 रुपये में दाल आएगी, 100 रुपये में तेल आएगा; आप उस मजदूर को मजदूरी कितनी देते हो, मेजरमैंट के आधार पर बीस रुपये, पच्चीस रुपये और कभी-कभी पन्द्रह, दस और पांच भी आयी है। इस सवाल का जवाब क्या है? आप बताएं हमको, जब जवाब दें तब। अगर उसके परिवार में पांच सदस्य हैं और उसको बीस रुपये मजदूरी मिली, तो क्या उस परिवार के एक व्यक्ति का पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता है। इसलिए आपके नरेगा में श्रमिक मजदूरी करने के लिए न जाकर के किसी सेठ-साहूकार

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

के यहां मजदूरी करता है। उसकी मजबूरी है। या वो गुजरात जाएगा मजदूरी करने के लिए। मित्रों, हालत यह है; इससे भी बदतर हालत है।

आज हम जनजाति की बात करते हैं, हमारे जनजाति मंत्री भी उसी एरिये से आते हैं, जनजाति का पैसा खर्च नहीं होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बजट का हम प्रावधान करते हैं बहुत बड़ा और हम तालियां पीटते हैं, चार साल से इसी मंच से मैं बोलता हूं, कहता हूं कि बजट जितना भी आता है, जितना बजट प्रावधान होता है, उसमें 30-33 परसेंट ही खर्च होता है। क्या हालत है! फिर हम बात करके यह कह दें कि हमने अच्छा काम कर दिया, इससे आदिवासी का भला नहीं होगा।

मैं पूछना चाहता हूं जनजाति मंत्रीजी से, ब्लास्टिंग की बात आती है, आदिवासी कहता है कि मेरा कुआ गहरा हो जाएगा; हमने भी फार्म भरवा लिए, फार्म पास भी हो गया, उसके बाद क्या होता है, भू-जल विभाग के पास गाड़ियां नहीं, खटारा गाड़ियां हैं, वह प्राइवेट टेण्डर करता नहीं है और जब काम शुरू होता है तब तक बरसात आ जाती है। काम वहीं का वहीं।

इससे आगे चलेंगे, विद्युतीकरण की बात आयी। जनजाति विभाग चाहे तो गांवों का विद्युतीकरण कर सकता है लेकिन जनजाति विभाग ने अपने मद से पैसा देकर एक भी गांव को जोड़ा हो तो जवाब देना। यही नहीं, इन्होंने कहा हम बी पी एल परिवारों का विद्युतीकरण करेंगे राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत; मैं यहां असत्य नहीं बोलूंगा, बिलकुल सत्य कहूंगा और दावे के साथ कह रहा हूं आप सर्वे कराकर देख लेना, मेरे विधान सभा में, बाकी जगह किया होगा तो पता नहीं, तीस से पैंतीस परसेंट विद्युतीकरण हुआ है वह भी आधा फर्जी। ठेकेदार आए उन्होंने कहा कि आपको हम बिजली से जोड़ देंगे, आप खम्भे ले जाओ, खड्डे खोदो, खम्भे खड़े करो, लाइनें खिंचवाओ और उसके बाद भी हमारे को पैसा दो, उसके बाद लट्टू लगवायेंगे। यह आज भी चल रहा है। इस चीज को कौन रोकेगा? हम रोकेंगे क्या? जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। करके तो बताओ, फिर तालियां हम भी पीटेंगे। लेकिन एक असत्य बात कहकर के आप कहोगे कि आप भी तालियां पीटो, हम तालियां नहीं पीटेंगे। सही बात, आपको आगाह करेंगे कि अच्छा करो। अच्छा काम करो तो सही।

(17.00 बजे)

मित्रों, आगे बढ़ करके मैं कुछ कहना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने कह ही दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना, अच्छी योजना है, आप गरीब को

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

छत का सहारा दे रहे हैं, खुशी की बात है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कितने इंदिरा आवास पूरे हो गये? कितनी एफ आई आर दर्ज हुईं? बताना आप। गांव का आदमी 50 हजार में मकान बना लेगा? और उसमें भी आपने कंडिशन डाल दी, उसमें भी शर्त डाल दी कि आपको छत पक्की करनी पड़ेगी। उसके बाद विरोध हुआ; आपने कहा, आप पतरे डालो; पतरे कहां से लायेंगे? और उसकी लम्बाई-चौड़ाई देखें तो पांच सदस्यों के परिवार वाला व्यक्ति उस घर में रह नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से दो खाट लगेंगी। गांव के आदमी ने कहना शुरू कर दिया कि हम यह आवास नहीं लेंगे; लिखकर दे दिया, इससे हमारा भला नहीं होता, इस आवास को हम नहीं बनायेंगे।

उसमें आपने एक काम और किया; क्या किया, आपने हुडको से लोन लिया, ऋण लिया और ऋण लेकर किसको जिम्मेदारा ठहराया? सरकार है क्या जिम्मेदार? वह जिला परिषद् जिसके कोई आय के साधन नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, स्रोत नहीं हैं, उनको कह दिया कि आपकी गारण्टी है, हमारी गारण्टी नहीं है। क्या होगा बाद में? यह पैसा कौन भुगतेगा? फिर आप हमें कहते हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। किस बात का धन्यवाद दें?

इसलिये, सभापति महोदय जी, इंदिरा आवास का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, यह भी जन कल्याणकारी नहीं हो सकता, जनता के हित में नहीं हो सकता। आपको वास्तव में भला करना था तो चाहे सरकार लोन लेती, चाहे कहीं से भी लाती लेकिन जिला परिषद् के सामने नहीं रखती, खुद जिम्मेदार रहकर करती तो हम भला कार्य मानते। मैं तो कहता हूं, इस पैसे को और बढ़ाइये। शायद मुझे विश्वास हो रहा है, थोड़ा अंदेशा लग रहा है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, आप लोग भी चाहोगे कि हमारी बदनामी हुई, तो अब थोड़ा-बहुत ठीक हो जाए, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

आप कह रहे हैं कि अब का बजट आयेगा तो कुछ बोलने लायक नहीं होगा। हम भी नहीं कह रहे हैं ना; हम ही नहीं कह रहे हैं, जनता भी कह रही है कि अब का बजट तो अच्छा ही आयेगा और इस बजट से आपका भला नहीं होने वाला है, इस बजट से आपका नुकसान ही होने वाला है। अगर पहला बजट अच्छा होता, दूसरा बजट अच्छा होता और तीसरा थोड़ा गड़बड़ करते तो समझ में आता है। जनता भी समझ रही है, अब चुनाव जीतना है, इसलिये आ रहे हैं।

अभी सगीर खां जी यहां बैठे हैं, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, गरीब और अमीर, यह करके शासन किया है; आदिवासी और मेघवाल समाज को आपने

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

अपनी बपौती के वोट समझ लिये, इनका हम काम करेंगे तो भी वोट देंगे, नहीं करेंगे तो भी वोट देंगे, लेकिन आज गांवों में जाकर देख लेना, गांव का आदमी पढ़-लिखकर समझदार हो गया है। वह अपना हित देखता है कि मेरा अब भला किसमें है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें आशीर्वाद देगा, आप अच्छा करोगे तो आपको आशीर्वाद देगा। आपने नौकरियों का तो आइना दिखाया था कितनी नौकरियां दे दीं? क्या हालात हैं ये? मतलब आज जो हम यह चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा का विषय बन रहा है, उसके पीछे कुछ तो अच्छा भाव होना चाहिये।

एक आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कही थी अच्छी बात है, वाहवाही लूट रहे हो, यह योजना किसकी है? आपने बनायी थी योजना? हिन्दुस्तान की कुर्सी पर 6 साल छोड़ दो तो सारा का सारा समय आपका ही था ना? यह प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी न बनाते तो आज आप सपने ही देखते, जो गांवों को सड़क से जोड़ रहे हो ना यह परिसम्पत्ति, आपके पास में इतना बजट नहीं था कि आप गांवों को सड़क से जोड़ते। अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दो।

अब आपके इस भाषण में कुछ योजनाएं आयी हैं। पालनहार योजना आपने बनायी थी क्या? पालनहार योजना वसुन्धरा राजे सिंधिया ने बनायी थी कि पति मर जाता है, विधवा के बाल-बच्चों का कोई धणी-धोरी नहीं होता है; उसकी किसी ने चिन्ता की तो वसुन्धरा राजे ने की, उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है; गांव के गरीब का बच्चा अगर भूखा सोता है तो मेरी जिम्मेदारी है। आदमी के मरने के बाद सरकारी खजाने से पैसा देने का काम वसुन्धरा जी ने किया था। अब उसी का ढिंढोरा आप पीट रहे हो।

उसके बाद में जननी सुरक्षा योजना थी, वसुन्धरा जी की थी। अब उसमें एक लाइन आपने जोड़ दी, शिशु जननी सुरक्षा। अब इसके साथ हम शिशु की भी रक्षा करेंगे दो-तीन महीने तक, यही तो किया है ना? अब हम अच्छा करें तो भी गालियां दो; आप कुछ भी न करो, हमारी योजनाएं बता करके तालियां पिटवाओ, तो ये तो सारी चीजें ठीक नहीं हैं। कुछ तो हमको राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा।

इसलिये आज के इस अभिभाषण का मैं विरोध करते हुए, सभापति महोदय जी, आपने समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री नाथूराम जी सिनोदिया।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको गिना रहा हूं।

सरकार ने यहां विधान सभा में कहा कि किसान का पैसा पांच साल नहीं बढ़ेगा। कोई बढ़ा हो तो बताओ। अब यह तो कुछ भी कह दें। छह घण्टे बिजली दी है, पूरी दी है, कटौती होगी तो बाद में दी है। इनको पूछो, बिजली वालों को। बिजली वाले ही दो घण्टे देते हैं। अब ये असत्य बोलें तो मेरे से कुछ होगा नहीं। पर किसान की खेती को देखकर जान लेना, कितनी हुई है, उनके खेतों में फसल खड़ी है। वे पानी ले रहे हैं और भगवान भी दे रहा है। भगवान ने भी बार-बार पानी बरसाया है। आपने हमेशा कहा है, कांग्रेस और अकाल साथ-साथ हैं। अब के कोई बोला ही नहीं। कोई बोला हो तो बताओ। अब की बार कितनी बार बारिश हुई। और भी डर लग रहा है कि कहीं ओले नहीं पड़ जाएं। असत्य है कि सत्य?

कृषि में किसानों को 4,000-5,000 हर किसान को फ्री, गांव में पैसे बंट रहे हैं, लाइन लग रही है को-आपरेटिव के माध्यम से। गांवों में जाकर देख लो आप, को-आपरेटिव भरी पड़ी है। उनको कौन दे रहा है? यह सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? किसानों को करोड़ रुपयों का बीज और खाद फ्री बांटा है, इस सरकार ने बांटा है। यह बात असत्य हो तो आप बता दो। पर आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है। आगे और भी बांटेगी सरकार। खूब बांटा है सरकार ने। दूसरी सिंचाई पर भी बांटा है। क्या यह कम बांटा है? सारे विधान सभा क्षेत्रों में बांटा है, आपके यहां भी बांटा है। यह नहीं कि इसमें कोई भेदभाव किया है। बिजली आपके भी छह घण्टे आयी है और हमारे भी छह घण्टे आयी है। आपके यहां आयी है, यह आपको कहना पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी है, आपका तो कहना ही यही है।

पर आपको मैं एक बात बता दूं, जब वसुन्धरा जी सीमा पर आयीं, तब आप भगे ना तो टिकटों के लिये वह भीड़ थी। टिकट मिलेगी एक को, बाकी सब उलटे पांव भगेंगे, जब जाना पड़ जायेगा आपको। यह आपको खुद को ही ढोना है। वह भीड़ किसकी थी? वह टिकटार्थियों की भीड़ थी। चुनाव आते हैं तब भीड़ लगती है। यह सभी को लगता है। इसका इलाज तो बहुत मोटा है। इलाज सही करे ना, तो यह मिले ही नहीं।

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

आज दवाइयां मिल रही हैं। सेठों से उधार पैसे लेकर इलाज कराते थे। आज अपने आप ही जा रहे हैं और अपने आप ही इलाज हो रहा है। यह इस सरकार की देन है, अशोक गहलोत की देन है। वह माली साहब जादूगर हैं, उनका जादू सब पर चल रहा है। इन दवाइयों का आपने बहुत विरोध किया था, उन दिनों हजारों आदमी विरोध में इकट्ठे हुए थे।

मकानों के टाइम भी हजारों आदमी आये थे और बाहर के पैसे लेते ही नहीं और न पैसे लेने के लिये भगते हैं। वे तो कह रहे हैं, पचास हजार की बात कर रहे हो, वह दस हजार में ही ले लें। पैसे कौन नहीं देगा? हमारे पैसे लेते ही नहीं हैं, मकान बनाते ही नहीं। पचास हजार के भरोसे किसान नहीं है। पैसे उसके पास भी बहुत हैं।

अभी कैम्पों में गये, वहां क्या हुआ? हमने पूछा बी पी एल कितने हैं? कहते हैं कि हमारे यहां बिजली है ही नहीं, मीटर हैं ही नहीं। मीटर हैण्ड-टू-हैण्ड लग गये, नये मीटर दिये। आप खुद भी गये हो कैम्पों में, आपको भी मजा आ रहा है कि वहां काम हो रहा है। इनको बात अखर रही है जो मैं बोल रहा हूं। उठने को खड़े हो गये हैं कई लोग। आप भी जब बोलते हो तो हम नहीं उठते हैं।

गरीबों के बहुत मकान बने हैं और बनेंगे। आप कहते हो ना कि बिना ब्याज पैसे दिये हैं, लाख-लाख रूपया बिना ब्याज आपने दिये हैं क्या? आपने दिये हों तो बताओ। अशोक गहलोत जी ने दिये और इन मंत्रीजी ने दिये हैं, जो बैठे हैं, परसादी लाल जी मीणा। इन्होंने परसाद बांटा है फ्री में और बिना ब्याज। इसका कहां जवाब दोगे आप? इसका नाम ही नहीं ले रहे हो आप। आपने नहीं दिये थे।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): 9 परसेंट ही दे रही है। क्या कह रहे हो? 9 परसेंट ही।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): आपके मेम्बर रहते ही बहुत दिये थे। वोट ही बहुत दिये थे अजमेर में, पहले कांग्रेस में थे।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): गलत कह रहे हैं, 9 परसेंट ही दे रहे हैं काआपरेटिव में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके प्रतिपक्ष के नेता विद्वान हैं, जब ये अपना उत्तर देंगे तो उनका उत्तर भी पूरा कर देंगे। विराजें आप।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): माता-बहनों के ज्यादा फ्री; और तो और, लाने के लिए और छोड़ने के लिए गाड़ी फ्री। आपने कोई पैसे दिये हों तो बतायें। गाड़ी ले जाती और छोड़ती। अगर कोई नहीं छोड़ती हो तो मुझे फोन करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात कहें और पुरजोर कहें, लेकिन आपस में वार्तालाप ना करें।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): हां, नहीं करूंगा। मैं तो ज्यादा बोलना ही नहीं जानता हूं। आप जितना होशियार तो हूं नहीं।

मैं तो यह कहूंगा कि इस सरकार ने जितने कार्य कराये हैं, उनकी गिनती ही नहीं है, ईमानदारी की बात तो यह है। इतने काम किये हैं और इतनी योजनाएं हैं। एक मकान ही नहीं है। वे कह रहे थे कि खेतों में कुंड खुद रहे हैं, 5-5 लाख के और 10-10 लाख के खुद रहे हैं। उनसे सिंचाई हो रही है। वे इस बात को भूल जाते हैं। कृषि विभाग वाले मंत्री हरजीराम जी दे रहे हैं।

सभापति महोदय, जानवर जो कि मुंह से नहीं बोलते हैं उनको भी फ्री दवाई। अब इसका ही दर्द है इनको। काहे की अंधेरी है?

अशोक गहलोत की सरकार है, वह इतनी सूझ-बूझ से दे रही है और अच्छे-अच्छे काम किये हैं सबके। इतने काम कोई कर नहीं सकता है। सड़कें बहुत बनाई हैं। किशनगढ़ में पूरे राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी, जिसमें 25 हजार बच्चे पढ़ेंगे और इसके लिए 1,500 बीघा जमीन और यह 1,500 करोड़ रुपये की योजना है। आप देख लेना जाकर। हवाई अड्डा, उसमें भी 1,000 बीघा जमीन है और 1,500 करोड़ रुपये हैं। देख लो यह शंकर सिंह जी ही तारीफ कर रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है। ये मेरे पास आते हैं, अभी मिलकर गये हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं अभिभाषण के पक्ष में हूं। यह जो कह रहे हैं, इन्होंने छाया मंत्रिमंडल बनाया क्योंकि इनको वह मंत्रिमंडल तो मिलने वाला नहीं है। छाया मंत्रिमंडल बना लो, पहले भी बनाया था, फिर भी बना लेना। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, 21 फरवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसके कुछ पक्ष में और जो सही नहीं है, हम भी हमारी बात कह रहे हैं। महामहिम ने जो 4 साल में राज्य सरकार का काम हुआ, उसमें पूरा ही इसका उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय, देश को आजाद हुए 65 साल से ऊपर हो गये हैं लेकिन आज भी गांवों के अन्दर पानी, बिजली, सड़क की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। राज भी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। इनके राज में गरीब और किसान इतना दब गया कि वह आज तक ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। योजनाएं बहुत बन रही हैं, लेकिन पता नहीं, फिर भी गांव और गरीब का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है, यह अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है।

सभापति महोदय, आज के दिन शहरों में इतनी बिजली है और गांवों में, ढाणियों में जो लोग बसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार 10 दिन के अन्दर ही अलग-अलग आदेश निकाल देती है। कभी तो कहते हैं कि जो ढाणी बसी हुई है उसकी आबादी का पट्टा लाओ; थोड़े दिन बाद में अगर वे मेहनत करते हैं आबादी में कन्वर्ट करवाने की तो उसके बाद में कैबिनेट की एक मीटिंग करते हैं और एक आदेश निकाल देते हैं कि 50 की जो संयुक्त ढाणियां हैं, वहीं बिजली का कनेक्शन होगा। उसकी मेहनत करते हैं कि 50 की ढाणियां भी जुड़ जायें और ढाणी तक लाइट पहुंच जाये, तो उसके बाद और आदेश निकाल देते हैं। अभी 4-5 दिन पहले और आदेश आया कि अब 50 का छोड़ो, और 5 वाली करो। पता नहीं, बार-बार वे फार्म भरते हैं, फाइलें भरते हैं और उनके बिजली के कनेक्शन नहीं होते। आज गांवों के अन्दर बिजली नहीं है तो गांव का बच्चा कैसे पढ़ पायेगा?

सभापति महोदय, गांव के अन्दर स्कूल भी नहीं हैं तो गांवों का कैसे विकास होगा? विकास की सबसे बड़ी जो चाबी है, वह शिक्षा की है; बिना शिक्षा कुछ भी नहीं हो सकता है। वसुन्धरा जी ने पिछली बार घोषणा की थी, महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में देने की और उनको मिला भी, लेकिन उस आरक्षण का फायदा, जब तक महिलाओं में शिक्षा नहीं होगी, बच्चियों में शिक्षा नहीं होगी तो कैसे वे महिलाएं आगे आयेंगी? जब तक महिलाएं आगे नहीं आयेंगी, तब तक समाज का, राज्य का और देश का विकास हो नहीं सकता है। कहीं स्कूल के अन्दर भवन है तो टीचर नहीं हैं, और टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। आज भी अख़बार में आया था कि स्कूलों के

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

अन्दर बड़ी-बड़ी बच्चियां पढ़ती हैं और वहां टायलेट की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से बहुत सारी बच्चियों ने स्कूल भी छोड़ दिया है।

सरकार को चाहिए कि गांव के अन्दर मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और कैसे गांव का विकास होगा, कैसे गांव के अन्दर विकास की गंगा बहेगी, इस बारे में सोच-विचार सरकार को करना चाहिए। सरकार ने, हमेशा विधान सभा के चुनाव आये, गांव के अन्दर गये, जनता से वोट मांगे, जनता ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया लेकिन फिर भी राज बन गया। आगे लोक सभा के चुनाव आये, चुनाव में इन्होंने वादा किया कि हमारी कड़ी से कड़ी जोड़ो, हम विकास की गंगा बहायेंगे, तो लोक सभा में भी इनको पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद पंचायती राज चुनाव आये, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सरपंचों का मत कांग्रेस की तरफ था और पंचायतों में भी इनको पूर्ण बहुमत मिला। ऐसी कड़ी से कड़ी जुड़ी तो यह जनता के लिए एक बहुत बड़ी हथकड़ी बन गयी।

सभापति महोदय, गांव का सरपंच आज के दिन इतना रो रहा है कि आने वाले समय में सरपंच का कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार जैसे ही पंचायतों के चुनाव हुए तो टेंडर की पता नहीं क्या अलग-अलग व्यवस्थाएं कर दीं कि सारे राजस्थान के सरपंच यहां जयपुर में आये और उन्होंने अपना अधिकार मांगा। लेकिन सरकार ने अधिकार तो दिये नहीं बल्कि उनके ऊपर डंडे बरसाये। वे सरपंच आज भी गांवों के अन्दर बैठे-बैठे रो रहे हैं कि हमारे यहां किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। पंचायती राज भी पूरी तरह से पिछड़ गया है। मैं समझती हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। खाली खड़े होकर के यह कह दें कि हमारा राज बन जायेगा, वापस राज आ जायेगा, तो ऐसे राज आने वाला नहीं है। आपकी भी आत्मा जानती होगी कि वापस कांग्रेस का राज आने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आपको तो चिंता हो गयी कि वसुन्धराजी को अध्यक्ष बना दिया और वसुन्धराजी सी.एम. बनेंगी तो आप क्या करोगे? यह हमेशा अख़बार में देते हैं कि हमें भी हमारा बदलाव करना पड़ेगा, हमारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आपकी रातों की नींद उड़ गयी है कि अब आपका क्या होगा। आने वाला समय बतायेगा, राज तो आपका जाने वाला ही है और वसुन्धराजी सी.एम. बनेंगी, तभी राजस्थान का विकास आगे बढ़ेगा। जो योजनाएं मैडम के टाइम पर शुरू हुई थीं, वे जहां की तहां पड़ी हुई हैं।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

सभापति महोदय, हमारे भोपालगढ़ क्षेत्र में तिवरी-मथानिया की योजना थी, उसमें 10 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायक खड़े होकर कहते हैं कि हमारे गांव में पानी आ गया, बिजली आ गयी, सड़क आ गयी, लेकिन सरकार बी जे पी के एम एल ए के साथ दोहरा व्यवहार करती है। जो बी जे पी का विधायक है, वहां इस सरकार ने किसी भी तरह का एक भी काम नहीं किया। अगर कहीं भी किया हो तो आप बता दें कि इस विधायक ने काम लिखकर दिया और हमने किया। इन्होंने कहीं भी नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहती हूं कि यह जो नि:शुल्क दवाइयां हैं, ये भी बिलकुल थोथी घोषणाएं हैं। कहीं भी जाकर के देख लो गांव के अन्दर, मैं भी हमेशा गांव में ही रहती हूं, मरीज आता है, डाक्टर के पास जाता है, दवाई लिखते हैं, फिर पूरी दवाइयां हास्पिटल में नहीं मिलती हैं। ये भी खाली थोथी घोषणाएं हैं कि फ्री दवाइयां दे रहे हैं। दवाइयां भी ऐसी हैं कि मरीज अगर लेता है तो इलाज भी नहीं होता है। जब तक कि जेब से पैसा नहीं लगाते, तब तक मरीज का इलाज नहीं होता। तो सरकार खाली थोथी घोषणाएं कर रही है कि हमने दवाइयां फ्री कर दीं, पशुओं के लिए दवाइयां फ्री कर दी हैं। हैं ही नहीं पशु; गाएं तो हैं, वे तो सारी गौशालाओं में बैठी हैं; किसको दवाइयां दे रहे हो? बहुत कम हैं। गांव के अन्दर देख लो कहीं भी, बहुत कम पशु हैं किसानों के पास। किसानों के पास खेती ही नहीं है तो पशु भी नहीं हैं। खाली यह घोषणा करने से काम नहीं चलेगा कि हम पशुओं को दवाइयां फ्री दे रहे हैं। पशुओं के लिए भी पूरी दवाइयां नहीं हैं। आज सुबह भी यहां प्रश्न लगा था, जो दवाइयां हैं वे 74 दवाइयां हैं, जबकि घोषणा 85 की थी। वे दवाइयां भी आपके पास नहीं हैं। तो ऐसी खाली घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला है।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में सरकार शिविर लगा रही है लेकिन वहां भी काम वही हो रहे हैं जो हमेशा होते हैं। 6 महीनों के लिए सर्टिफिकेट बनता है। अगर ओ बी सी का आदमी है, ओ बी सी में पैदा हुआ तो जिन्दगी भर ही ओ बी सी में ही रहेगा; अगर वह शिड्यूल्ड कास्ट का भाई है तो वह जिन्दगी भर शिड्यूल्ड कास्ट में ही रहेगा; बार-बार प्रमाण-पत्र बनाने से क्या फायदा है? हर 6 महीने के बाद प्रमाण-पत्र बनाते हो। इससे ज्यादा और प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में कुछ हो नहीं रहा है। दफ्तर पूरे के पूरे खाली

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

पड़े हैं और वहां का काम, दफ्तरों का काम तो ठप हो गया है और प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के अन्दर भी ऐसा कोई ज्यादा काम हो नहीं रहा है।

तो मैं तो इस अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में विरोध करती हूं, जो थोथी घोषणाएं हैं।

अब भी अगर विकास नहीं होगा तो कभी होना ही नहीं है। 'मामा रो ब्याव और मां पुरसन वाली', केन्द्र में भी और यहां राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार; अब भी अगर विकास में कमी रह गई तो आने वाले समय में तो आप आशा ही रख सकते हैं; न ही आपका राज आएगा और न ही आप विकास करेंगे; जो काम बचेगा, वह वसुन्धरा राजे की सरकार आएगी तभी होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द, जय भारत।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं कुछ बात?

श्री सभापति: हां, फरमायें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): पिछले चार सालों से जिस जोड़ी को हम दो हंसों की जोड़ी के रूप में यहां देख रहे थे, उसको किसी की नजर लग गई। सभापति महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष आते हैं और वे चले जाते हैं; वे आते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष चले जाते हैं। तो यह दो हंसों का जोड़ा बिछड़वाया है किसी ने, हमको बहुत अफसोस है।

श्री सभापति: श्री भरोसीलालजी जाटव।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह दो हंसों का जोड़ा न पहले बिछड़ा था, न आज बिछड़ेगा और न भविष्य में बिछड़ना है।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान सरकार द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 फ्लैगशिप योजनाएं इस प्रदेश में लागू की गई हैं जिनके तहत राजस्थान में गरीब, निर्धन, एस सी, एस टी के व्यक्तियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 25 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो में दिया गया है और 38 लाख 83 हजार व्यक्तियों को दिया गया है। इसका असर यह हुआ है कि पूरे राजस्थान में गरीब लोग वाहवाही कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक

(श्री भरोसीलाल)

गहलोत की। उनकी योजना है, पूरे राजस्थान में गरीब लोगों के लिए यह एक वरदान साबित हुई है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बिजली के लिए तड़प रहा था। इस वर्ष राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में 4 साल में 4,075 मेगावाट बिजली उत्पन्न की है व गरीब की, किसान की ढाणी-ढाणी तक बिजली पहुंची है, इसका मैं पुन: समर्थन करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, 10 लाख लोगों को मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना में जिनके सिर पर छत नहीं थी उनके सिर पर छत रखने का काम किया है तो आदरणीय अशोकजी गहलोत ने किया है। जिस गरीब को छत नसीब नहीं थी, वह कभी सोच ही नहीं सकता था कि वह पक्के मकान में रहकर अपना जीवन निर्वहन कर सकेगा; ऐसी योजना जो पूरे भारत वर्ष में राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम अगस्त, 2012 में लागू किया गया, जिसमें 153 सेवाएं हैं। उसके तहत आम आदमी कोई भी नकल ले, या कुछ भी करे, उसको बहुत फायदा हुआ है। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन के तहत विशेष रूप से काफी लोगों को फायदा हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हिण्डौन में तीन-तीन ओवरब्रिज दिए हैं, 100 बेड का अस्पताल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे हिण्डौन में जो नाला था, विशेष रूप से उसके लिए 16 करोड़ रुपये देकर हिण्डौन की जनता को बहुत लाभान्वित किया है। हमारे क्षेत्र में नई उप-तहसीलें खोली हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़कें निकली हुई हैं।

मैं इस तरह से जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनके लिए और एक लाख रुपये किसानों को जो ब्याज-फ्री ऋण दिया गया है, उससे हमारे किसानों में एक बहुत खुशी की लहर है। 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ाने की घोषणा, यह भी एक अहम मुद्दा है और किसानों को समय-समय पर फसली ऋण देकर एक बहुत अच्छा काम किया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण है उसका मैं समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा इस 13वीं राजस्थान विधान सभा के दशम सत्र में जो अभिभाषण दिया गया है उसी पर आगे वाद-विवाद में मुझे भी कुछ अपने क्षेत्र की बातें रखनी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण की प्रति को मैंने भी बड़े गौर से पढ़ा है और पढ़ने के बाद काफी योजनाएं सरकार द्वारा जो संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जो वाहवाही कांग्रेस की सरकार द्वारा लूटी जा रही है, उसके बारे में लगातार सुन रही हूं लेकिन जो कुछ गांवों में जाने के बाद जिन-जिन समस्याओं से हम लोगों को रूबरू होना पड़ता है, सरकार दावा करती है कि हम इन सभी समस्याओं से जनता को राहत दिलाने का काम हाथ में ले रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की योजना हो, मात्र उन योजनाओं को पूरे चार वर्ष का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी, सबसे पहले तो बड़े शर्म के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, जिस बात को मैं लगातार 4 वर्षों से उठा रही हूं, आज तक भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है; चाहे वह किसानों से सम्बन्धित समस्या हो, चाहे वह रेल पटरी में आए हुए किसानों की भूमि का उचित मुआवजा देने की समस्या हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चालू की गईं पेयजल योजनाएं जो अधूरी रह गई थीं, उन योजनाओं का हो, आज तक कहीं कोई नामोनिशान नहीं है। मात्र इस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है कि योजनाएं चालू हैं, चालू हैं, चालू हैं।

वैसे किसी की बुराई करना मुझे आता नहीं है लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैं यहां पर रखूंगी। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हमारे बोराबास-पदमपुरा पेयजल योजना थी, उस योजना के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि यह योजना मात्र इसलिए लम्बित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने पचपार पेयजल योजना को स्वीकृत किया और उस योजना के निमित्त पूरी रामगंजमण्डी और झालावाड़ जिले के कई गांव, ढाणी-ढाणी तक चम्बल का पानी पहुंचाने की इस योजना को तीन टुकड़ों में करना था, लेकिन बड़े दु:ख के साथ बोल रही हूं कि यह मेरे क्षेत्र की योजना बोराबास-पदमपुरा योजना, नयागांव अखिलगढ़ योजना आज तक पूरी नहीं हुई हैं। कांग्रेस के जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने भी इस बात को माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया, जब वे कोटा गये। तो हम लोगों ने भी बार-बार उठाया लेकिन जो हमारा पठारी क्षेत्र है, वहां पर जनवरी के लास्ट वीक में जो हमारे रांवठा नया गांव, जो गांव हैं भंवरिया पंचायत के, वहां पर

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

यह स्थिति थी कि हमने प्रशासन से टैंकरों के लिए हमने चर्चा की कि उन लोगों को पीने का पानी मुहय्या करवाया जाए। आज तक योजना कागजों में चल रही है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हम चाहते हैं कि जनता को पानी मिले, तो इन सब बातों को भूल कर, जल्दी से जल्दी हम इन कार्यों को पूरा कराएं वरना हमारी घोषणाएं घोषणाएं ही रह जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मात्र इतना सा निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे से पूर्व, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा और बिजली की भी काफी चर्चा हुई लेकिन मैं बात करना चाहती हूं उन गांवों की जनता की, उन गांवों के किसानों की जो वास्तव में हमारे अन्नदाता हैं। वह अपने जीवन के सारे सुख-दुख को भूल कर पूरे जीवन को हम लोगों के लिए समर्पित करता है और दिन-रात फसलों को पैदा करता है और हमको अन्न उपलब्ध करवाता है। सरकार किसी की भी हो लेकिन मैं मानती हूं, सरकारों को किसान नीति बनानी ही पड़ेगी। आज किसान जिस दौर से गुजर रहा है, जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति किसान की है।

माननीय सदस्य बोल रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी; मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, हो सकता है, किसी को लगता हो कि माननीय सदस्या यहां भाषण दे रही हैं, मैं बिलकुल बाकायदा जिन गांवों में जाकर मैंने देखा है, मैं उसी बात को आप लोगों को बताना चाहूंगी। मैं पूरे 20-25 दिन कांस्टिट्यूएंसी में रहती हूं और एक दिन में 10 गांवों को नापती हूं। मैंने भी सोचा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि पूरा सर्वे फसलों का होगा, सभी को इसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन जब मैं हुण्डवा के अन्दर गई, जब मैं अरण्या के अन्दर गई, जब मैं सुकेत क्षेत्र के कुछ गांवों में गई। 6 दिन पूर्व तो मुझे वहां जाकर आश्चर्य हुआ कि अधिकारी और कर्मचारी इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे रामगंजमण्डी के अन्दर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों का नुकसान न हो, इस बात के लिए आज तक जो सर्वे शुरू नहीं हुआ है, उस सर्वे को शुरू करवाया जाए ताकि जो किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम लोग कर सकें। क्योंकि हमारी धनिये की फसल है, जैसे ही पानी गिरता है और जैसे ही ओले पड़ते हैं तो उस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

धनिये की फसल के जो फूल होते हैं, वे झड़ जाते हैं; धनिये में जो बीज आते हैं, धनिये के वे सारे काले पड़ जाते हैं और जब धनिया, जो हमारे रामगंजमण्डी क्षेत्र के अन्दर विश्वविख्यात धनिये की मण्डी है और वहां का धनिया, मैं मानती हूं, पूरे एशिया में फेमस है, अगर उसका कलर डार्क हो गया तो यह मान लीजिए कि किसानों को बहुत जबरदस्त नुकसान उसका लगता है। और यही स्थिति हमारी और फसलों की भी है। सरसों की फसल भी आड़ी पड़ चुकी है, बिलकुल खेतों के अन्दर फैली हुई है; मैथी की फसल जो किसान करते हैं, उस मैथी की फसल को भी बहुत जबरदस्त नुकसान है। मैं आप लोगों से मांग करती हूं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवाया जाए ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो। यह मेरा निवेदन है।

एक बात और कहना चाहूंगी कि किसान खेतों में काम करते हैं और जब किसान खेत में काम करते हैं, किसान जब खेत में जाते हैं, मैंने पिछले 4 महीने में अनेकों ऐसे केस देखे हैं जहां हमारी 11 के वी ए लाइन है या जो एल टी लाइन है, वे लाइनें गांवों के ऊपर से, किसान के खेतों में से निकल रही हैं और उस लाइन से यह स्थिति है, अभी मैं बड़ोदिया आंतरी के अन्दर गई, हमारी सलावत पंचायत का गांव है, उस खेत में एक 10 वर्षीय बालिका बैठी हुई थी, उसके माता-पिता भी वहीं थे, 11 के वी ए लाइन उस बालिका के ऊपर टूट कर गिरी; उसका एक हाथ पूरा नष्ट हो चुका है; उसको आज तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि फतेहपुर में हमारी एक महिला थी, जैसे ही उसने नीम के पेड़ को छुआ, 11 के वी ए लाइन से वह पेड़ टच हो रहा था, वह महिला पूरी झुलसकर कर वहीं पर लटकी की लटकी रह गई। उसको आज तक एक रुपया मुआवजे का नहीं मिला।

खेड़ारुदा, खेड़ारुदा के अन्दर 11 के वी ए लाइन निकल रही है, उस 11 के वी ए लाइन से पूरे गांव के अन्दर इतना करंट फैला कि एक व्यक्ति की मौके पर ही दो महीने पहले मौत हो गई। उसको भी आज तक एक रुपये का मुआवजा नहीं मिला।

और तो और, माननीय सभापति महोदय, सुरेड़ा टीनटापरी के अन्दर मैंने खुद ने जाकर देखा, लोगों ने मुझे फोन किया कि बहन जी, आकर देखिए, किस तरह से तार से महिला बिलकुल झुलती हुई नजर आ रही है और पूरी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जल चुकी है; उसकी बाडी मैंने खुद ने जाकर देखी। आप देखिए, उस महिला का पूरा मुंह नीचे का हिस्सा पूरा जल चुका। उस महिला को मैं एक महीने से देख रही हूं, मुझे इस बात का दुःख है कि मैं उस महिला के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैंने जन सहयोग से कुछ राशि एकत्रित करके जयपुर हास्पिटल में उस महिला को पहुंचाया और आज वह महिला जीवन-मृत्यु के बीच जूझ रही है। सरकार योजना चला रही है। मैंने माननीय कलक्टर साहब से भी उस महिला के लिए निवेदन किया कि अगर कुछ इस महिला को मदद मिल सके तो मदद करवाइए। आज एस एम एस में वह महिला है। अगर उस महिला के मुंह में कोई भी अगर चम्मच से पानी डालता है तो नीचे का पूरा मुंह उसका डैमेज हो चुका है, इसकी वजह से पूरा पानी बाहर निकल कर आ जाता है। अगर उस महिला को कोई देख ले तो मुझे लगता है कि बच्चे को डर लग जाए, ऐसी स्थिति में वह महिला है और उसकी ऐसी स्थिति हो गई। उसके घर पर जो 11 के वी ए की हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, उस हाई टेंशन लाइन पर मैंने खुद ने जाकर देखा, मैंने अपना हाथ ऊंचा किया तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पैरों को ऊंचा कर दूं तो उस हाई टेंशन लाइन को मैं कुछ छू सकती हूं। यह स्थिति गांवों के किसानों की है।

मेरा बिजली विभाग से आपके माध्यम से निवेदन है कि हम पूरे राजस्थान के गांवों के अन्दर इस तरह की व्यवस्था करें कि गांवों में जहां-जहां एल टी लाइन और हमारी जो 11 के वी ए लाइनें हैं, इनसे जनता को खतरा है, गांव के लोगों को खतरा है; उसमें कहीं न कहीं अगर हम कुछ करते हैं, जिस तरह लाइनें खुले में डली हुई हैं, उसको भी हम कवर करने का प्रयास करें और यह सभी जगह करेंगे, तो मुझे लगता है कि सभी को इससे राहत प्राप्त होगी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी, ट्रांसफार्मर्स के बारे में माननीय सदस्यगण की सामने से आवाज आ रही थी कि 72 घंटे में आप चेंज कर रहे हो, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ में, मैं भी यहीं खड़ी हुई हूं और आप भी यहीं बैठे हुए हैं, एस ई साहब से अभी भी फोन करके पूछ सकते हैं कि नया गांव, बीड़ मण्डी, जहां दो महीने से आप लोग ट्रांसफार्मर चेंज नहीं कर पाये। क्या कारण है? क्या उस गांव के बच्चे पढ़ाई नहीं करते? उन लोगों की परीक्षा आने वाली नहीं है? मैं लगातार शिविर में गई और मैंने इसीलिए एक-एक गांव का शिविर अटेंड किया है, मैंने दो-दो पंचायत समितियों के एक साथ शिविर अटेंड किये हैं कि कम से कम मेरे जाने से कुछ न कुछ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अधिकारियों को थोड़ा सा लगे कि यहां का जन-प्रतिनिधि बैठा है और उनके किसी काम में अगर कहीं भी रुकावट आ रही हो तो जनता कम से कम नेताओं पर थोड़ा-बहुत विश्वास करके सामने आये और उनके काम हो जाएं। इसीलिए मैं इन लोगों के बीच गई। मैंने वहां पर भी निवेदन किया लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं। एस ई साहब बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर्स की कोई कमी नहीं है, ए.ईएन. साहब बोलते हैं, मैडम, ट्रांसफार्मर नहीं हैं; जे.ईएन. साहब बोलते हैं, कुछ अता-पता नहीं है। तो यह जनता को गुमराह करने वाली बात है।

मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिस तरह से, आप तो गांवों की बात कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता सकती हूं कि पिछले कितने दिनों में रामगंजमण्डी हनुमतखेड़ा की जो हमारी कालोनी है, उसके अन्दर आपने ट्रांसफार्मर चेंज किये। मैं यहीं से, मैं आपको बोल रही हूं, आप पूछ कर पता कर सकते हैं। हो सकता है, यह सरकार की कमी हो या अधिकारियों की कमी हो, कमी किसी की हो लेकिन जो गलती करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनता को कुछ न कुछ इसका फायदा मिलेगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि भले ही हम दो रुपये किलो गेहूं दे रहे हों, चाहे हम आटा दे रहे हों, चाहे हम शक्कर दे रहे हों लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि आज भी कोटा नगर निगम और वह मेरी कांस्टिटयूएंसी, जो रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा है, जहां पर, मैं मानती हूं, आज की तारीख में दोनों वार्डों के अन्दर 50 हजार वोटर हैं लेकिन आज तक पूरे तीन साल से मैं देख रही हूं कि उन लोगों को, जब से वे नगर निगम में आएं, न तो कोई व्यक्ति यह जानता है कि बी पी एल का गेहूं क्या होता है; कोई भी व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता कि ए पी एल को भी गेहूं मिलता है क्या, या राशन की दुकानों का गेहूं, कहीं कोई अता-पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसीलिए बोल रही हूं कि हो सकता है, मंत्रीजी इस बात को भी दिखावें कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन लोगों ने इन दुकानों पर ऐसा कब्जा जमा रखा है कि जनता को कोई जवाब नहीं दे सकता है; अगर शिकायत करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती। और तो और, अभी मैं खुद गांव में, सातलखेड़ी के अन्दर, पूरी एस सी, एस टी की बस्ती है, हमारी वहां की कम से कम 20

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हजार पापुलेशन है सातलखेड़ी गांव में और वहां की यह स्थिति है कि राशन का गेहूं जाता कहां है, कोई अता-पता नहीं है और वर्षों से सुनते आ रहे हैं। मैंने एक दिन रात को 12 बजे तक जग कर, अभी 15 दिन पहले ही, एक गाड़ी को वहां पर पकड़वाया, उसको थाने में भिजवाया और हम लोगों ने सभी ने डी एस ओ साहब से बातचीत करके उस गाड़ी को उनके सुपुर्द करवाया।

मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाती हूं कि इस तरह की कहीं भी कोई मुझे कमी देखने को मिलती है या कहीं लगता है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं, तो मैं खुद आगे से प्रशासन की पूरी-पूरी मदद करने का प्रयास करती हूं लेकिन दुःख तब होता है, जब प्रशासन गुमराह हो जाए और किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हो। अब आप ही बताइये कि हम और आप यहां बैठे हैं और जनता की समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखते हैं लेकिन अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते और यह बहुत शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार का कर्तव्य है कि राजस्थान की जनता को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में बैठी हो, चाहे वह नगर निगम के क्षेत्र में बैठी हो, चाहे वह नगरपालिका के क्षेत्र में बैठी हो, उस जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का दायित्व बनता है। लगातार मैं इस बात को बोल रही हूं कि नगर निगम की सीमा से सटे हुए गांव जो मेरी कांस्टिट्यूएंसी के 16 हैं और टोटल 35 गांव, जो हमारे पूरे कोटा के आस-पास के हैं, आज भी उन गांवों की यह दुर्दशा है कि हम लोगों ने घोषणा कर दी कि आपको यह मिलेगा, वह मिलेगा लेकिन उनको आज तक कोटा शहर में रहने के बावजूद बिजली नहीं मिल पा रही है। मैंने ट्रांसफार्मर देने के लिए बात की तो डी एफ ओ साहब ने और बिजली विभाग वालों ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आप बताइये कि 10-10 हजार लोगों की कालोनियां हैं और उन कालोनियों में आज भी लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। आज हम राजस्थान और भारत देश की बात करते हैं कि हमारे भारत देश ने बहुत विकास कर लिया, बहुत विकसित हो गया, राजस्थान विकासशील है, यह सब कुछ है लेकिन जनता को न तो हम पानी दे रहे हैं, न उनको हम बिजली मुहैया करवा सकते, तो फिर हम जनता के लिए कर क्या सकते हैं? आप देखिये कि हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां हैं, यू आई टी की कालोनियां हैं और अगर उन लोगों ने यू आई टी से प्लाट खरीदे हैं, अपने पूरे जीवन की लाखों रुपये की कमाई लगाकर वे मकान खरीदे और उनकी यह

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

स्थिति है! नगर निगम बोलता है कि पी एच ई डी पानी देगा; पी एच ई डी बोलता है कि नगर निगम देगा; नगर निगम बोलता है कि यू आई टी इन लोगों से पूरा पैसा वसूल रही है तो या तो यू आई टी हम लोगों को सुपुर्द कर दे।

कुल मिलाकर, मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी यह लैटर भिजवाया है, शायद उन्होंने देखा भी होगा, तो इन कालोनियों के लिए जो भी हम बैठकर कुछ कर सकते हैं वह प्रयास करें और जनता को पीने का पानी मुहैया करवायें। जो कालोनियां प्लान में नहीं हैं उन कालोनियों को पूरा पानी मिल रहा है और जिन लोगों ने लाखों रुपये लगाकर मकान खरीदे, आज वे पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली उनको मिल नहीं रही है, उनकी नालियां साफ नहीं हो रहीं। यह ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि नगर निगम का काम नगर निगम करेगा लेकिन जो सरकार का काम है, जल्दी से जल्दी उन कालोनियों को हैंड-ओवर करें, तो निश्चित है कि कुछ राहत उन लोगों को मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर में जाने का मुझे मौका मिला और मैंने बैठकर वहां जो देखा, आज हम बोल रहे हैं और नरेगा में बड़ी वाह-वाही लूट रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को कि नरेगा चल रही है, गांव के गरीब को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं अपने रोजगार के लिए पूरे प्रयास कर रही हैं कि उनको काम मिले लेकिन दु:ख तब हुआ जब मैं सलाउत पंचायत के गांव में प्रशासन-गांवों-के-संग शिविर में गई। आप देखिये कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं नरेगा, नरेगा, नरेगा, पर आप देखकर ताज्जुब करेंगे और मुझे लगता है, माननीय मंत्री महोदय अगर मेरी बात को सुन रहे हों, सी.एम. साहब भी अगर मेरी बात को सुन रहे हों तो गौर करें कि जब रामगंजमण्डी के गांवों के यह हालात हैं तो पूरे राजस्थान के क्या हालात होंगे; आप देखिये कि महिलाएं रोजगार मांगने के लिए सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं। मेरे पास उन जाब कार्डों की कापी है, मैं अभी जिरोक्स करवाकर लाई हूं, मेरे पास उनके बैंक की डायरियों की जिरोक्स कापियां रखी हुई हैं, आप सभी माननीय सदस्यों को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि तीन साल में तीन दिन का रोजगार। और पांच वर्ष में तीस दिन का रोजगार! हम क्या कल्पना कर सकते हैं इस राजस्थान की? जैसे ही मैं तीन बजे शिविर में पहुंची, मेरी दो पंचायत समितियां आती हैं, एक पंचायत समिति में मैंने शिविर अटेंड किया और फिर

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं खेरावास पंचायत समिति में पहुंची, तो मैंने देखा कि कम से कम 300 महिलाएं थीं और उन महिलाओं ने मेरे पैर पकड़ लिये, मेरी आंखों में आंसू आ गये, वे महिलाएं बार-बार बोल रही थीं कि बहन जी, हम लोग कहां जाएं, हमें रोजगार दीजिये। लेकिन मुझे उस दिन लगा कि वास्तव में सरकारी कर्मचारी जो इस तरह की लापरवाही करते हैं, उन्हें जो भी सज़ा हम दे सकते हैं वह सज़ा उनको दें। मैंने महिलाओं से पूछा कि आप इतने दिनों से कहां थीं? मैं उनकी पंचायत की बैठक में गई, पंचायत की बैठक में शायद ही कोई एम एल ए जाते होंगे लेकिन मैंने प्रयास किया कि अगर मेरे जाने से कोई अधिकारी आते हैं और काम होते हैं तो मुझे जाना चाहिए; मैं पंचायत की बैठक में दो महीने पहले भी वहां पहुंची, माननीय तहसीलदार साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने बी.डी.ओ. साहब से बात की, मैंने सी.ई.ओ. साहब से बात की, सब अधिकारियों से मैंने बात की और मैंने उनसे कहा कि इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। पर उसके बावजूद भी दो महीनों में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। वे 6 नम्बर फार्म की मांग कर रही थी लेकिन किसी ने भी उन महिलाओं को फार्म अवेलेबल नहीं करवाया। शायद मुझे लगा कि वे महिलाएं डरी हुई थीं, तो मैंने उनसे डर का कारण पूछा; तो सारी महिलाएं तुरन्त बोल पड़ीं कि नरेगा के जो भी ए.ईएन. साहब थे वे बैठे हुए थे और उन ए.ईएन. साहब ने नरेगा का जहां काम चल रहा था, वहां उन्होंने जाकर उनको धमकाया, वह काम एक दिन पहले ही शुरू किया गया और कहा गया कि एक भी व्यक्ति या महिला अगर शिविर में आ गये और यह बोल दिया कि हमें काम नहीं मिल रहा तो कल से आपका काम बन्द कर दिया जाएगा। शाम को 7 बजे तक पूरे प्रशासनिक अधिकारियों और मुझे गांव वालों ने घेरे रखा और 7 बजे हम निकले।

हम कौनसी नरेगा योजना की कल्पना करते हैं? नरेगा योजना में हमारे इतने एनिकट्स बने हुए हैं, चाहे जामुनिया बावड़ी का लो, चाहे नया गांव का लो, चाहे कूकड़ा पंचायत का लो, दो-दो महीने में एनिकट टूट रहे हैं। यह बड़े दु:ख की बात है। हम सरकार के पैसों का दुरुपयोग होते हुए देख रहे हैं और बार-बार शिकायतें करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, चाहे मोडक स्टेशन, मोडक गांव, चाहे चेचट के आस-पास का क्षेत्र, चाहे बड़ोदिया कलां, इन

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पंचायतों में आप जैसे भी हो सके, कम से कम उन महिलाओं को मजदूरी मिले, इतना सा मेरा यहां पर निवेदन करना है।

एक बात और कहना चाहूंगी कि ताखली सिंचाई परियोजना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ रुपये की शुरू की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वह पूरी नहीं हो पाई लेकिन हो सकता है, आपके कार्यकाल में वह पूरी हो जाए, लेकिन जिन किसानों ने अपनी जमीन दे दी, सब कुछ दे दिया; मैं मानती हूं, इतने किसान मुआवजे से वंचित हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनके कुएं का अता-पता नहीं है; जब अधिकारियों ने सर्वे किया होगा तो उस सर्वे में जब किसान की चार बीघा जमीन ले रहे हैं और उस चार बीघा जमीन के बीच में कुआ है तो उस कुए को कैसे छोड़ दिया गया? वह किसान किस पर विश्वास करेगा? आप देखिये कि पूरे जीवन की सारी जमीन दे दी उसके बावजूद उन किसानों को रहने के लिए कहां पर विस्थापित करना है, कहां उनको प्लाट देना है, वे लोग कहां जाएंगे, उनको मकान का कितना मुआवजा मिलेगा, यह पूरे सात साल होने के बावजूद आज तक उन लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। इस बात की वजह से बार-बार वहां पर इतना गंदा माहौल हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को गांव वाले भगा-भगा कर मारते हैं। हम लोग भी इतनी समझाइश उन लोगों से करते हैं, उसके बावजूद भी वे किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि ताखली सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में अधिकारी अगर चाहें तो कर सकते हैं लेकिन कुछ अधिकारी बीच में इस तरह से गुमराह होते रहे और अपना खुद का फायदा देखने की वजह से उन किसानों के बारे में चिंता नहीं की जिससे आज किसानों की यह हालत है कि किसान रोज पंचायत समिति, एस.डी.एम. कार्यालय के बाहर बैठे रहते हैं, बार-बार मुआवजे की मांग करते हैं और उन लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज कराते हैं। यह बड़ी गलत बात है। इसका हमें सही ढंग से निपटारा करना पडेगा।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि नालोदिया गांव, हमारे झुलमी से जो रेलवे लाइन निकली है, उस पर ट्रेन चलने की तैयारी है, सब कुछ कम्प्लीट है लेकिन 18 जो किसान हैं, गत विधान सभा सत्र में भी मैंने इस बात को उठाया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी मैंने लिखित में दिया और माननीय मंत्रीजी ने भी शायद इस बात को सुना होगा क्योंकि मैंने लैटर भी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भेजा था, उन 18 किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जब किसानों ने अपनी जमीन दे दी, उस पर लाइन बिछ चुकी, सब कुछ पूरी तैयारी है लेकिन उन किसानों को मुआवजा आज तक कहां अटका हुआ है? बीच में हम लोगों ने एस.डी.एम. साहब के माध्यम से भी यह जानने का प्रयास किया कि इसमें जिसको भी आप लोगों ने अधिकारी बनाया हो, उनके माध्यम से तुरन्त उनको राशि दी जाये; पता लगा कि झालावाड़ वाले एस डी एम साहब को इसमें अधिकारी बनाया गया है। उन लोगों ने वापस फाइलें सचिवालय में भेजीं और जब यह सूचना मुझे मिली तो सचिवालय में भी हम लोगों ने प्रयास किया, और भी लोगों ने किया तो वहां से सारी फाइलें गायब थीं। आज भी किसान बार-बार आन्दोलित होकर रेल की पटरी पर बैठते हैं, कभी एस डी एम कार्यालय पर बैठते हैं। मेरा निवेदन है कि उन सभी किसानों को जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दिया जाये, उनको मुआवजा मिलेगा तो उन लोगों को लगेगा कि हमने सरकार को जमीन दी है तो हमारा भी कुछ फायदा हुआ है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा की बातें हम बड़ी बढ़-चढ़कर कर रहे हैं, पिछले छह महीनों में जितनी भी नियुक्तियां आप लोगों ने, हम सब लोगों ने, सरकार ने दी हैं, उन नियुक्तियों में जितने भी टीचर्स हैं, वे बार-बार मांग कर रहे हैं कि हमें छह महीने से हमारा मानदेय नहीं मिला, जो हमारा वेतन नहीं मिला वह वेतन दिया जाये। वे बार-बार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिये, जितने भी विद्यार्थी मित्र हैं, जब रामगंजमण्डी-खैराबाद ब्लाक से कोटा के दूसरे ब्लाक, चाहे लाड़पुरा हो, चाहे सांगोद हो, उन ब्लाक्स के विद्यार्थी मित्रों का पेमेंट उठ सकता है तो क्या रामगंजमण्डी-खैराबाद ब्लाक के जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं, उन लोगों को हम लोग वहां एडजस्ट नहीं कर सकते? पिछले तीन महीनों से वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। बीईओ साहब ने इस तरह की मांग लिखकर भेज दी कि हमारे यहां पर कोई जगह खाली नहीं है। मैं जब प्रशासन- गांवों-के-संग शिविर में, गांवों के अन्दर गई और लोगों ने मुझे, जनता ने मुझे एप्लीकेशंस दी तो मुझे पता लगा कि एक सैकण्डरी स्कूल है, उसमें दो टीचर हैं और वहां के विद्यार्थी मित्र को हटा दिया गया। तो ऐसे कितने ही स्कूल हैं। तो मुझे लगता है, यह उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। उन लोगों को तुरत-फुरत में नियुक्ति दी जायें ताकि गांव के बच्चे, जिनको वास्तव में शिक्षा की जरूरत है, उन बच्चों को कुछ फायदा मिल सके। यह मेरा निवेदन है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, दो मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मैं चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि शायद हमने और सरकार ने बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं चलाई हैं, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं लेकिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ जो कमियां हैं, उन कमियों को भी हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। आज 108 एम्बुलेंस चल रही हैं लेकिन उन 108 एम्बुलेंस की क्या हालत हो रही है? आज रामगंजमण्डी के अन्दर 108 एम्बुलेंस के लिए मैं खुद फोन करती हूं जब मेरे पास गांवों से फोन आते हैं, कलक्टर महोदय को फोन करती हूं, सी एम एच ओ साहब को फोन करती हूं और बार-बार हमें इस तरह का जवाब मिलता है कि 108 एम्बुलेंस खराब है। आप देखिये, छह महीने पहले 108 एम्बुलेंस गई है, उस एम्बुलेंस को हम बार-बार खराब बता दें। ड्राइवर्स के अते-पते नहीं हैं, ड्राइवर्स को किसी अधिकारी के घर पर काम करने के लिए लगा रखे हैं; जो 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उनको अधिकारियों ने घरों पर काम करने के लिए लगा रखे हैं। यह कितनी बड़ी बात है! कैसे हम लोग जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं? इस एम्बुलेंस के चक्कर में, हमें बिलकुल नई एम्बुलेंस मिली है लेकिन कितने लोगों की, जो हमारे गांवों के लोग हैं, उन्होंने मौके पर तड़प-तड़प कर जान दे दी है, उन लोगों की जान जा चुकी है। यह बड़े दु:ख की बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि 108 एम्बुलेंस को जैसे ही हम लोग फोन करें, तुरन्त प्रभाव से मौके पर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा।

नि:शुल्क दवा वितरण योजना, उसमें भी दवाइयों में हम लोगों को कमी दिखती है, उस कमी को भी हम सब मिलकर पूरा करें। बहुत कम मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जेल का भी निरीक्षण किया महिला कमेटी के माननीय सदस्यों के माध्यम से, वहां भी हमें गिनी-चुनी दवाइयां दिखीं। शिविरों में भी मैं जाती हूं और वहां पर भी मात्र गिनी-चुनी मात्रा में हमें दवाइयां दिखती हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी दवाइयां हैं, 400-450-470, जो भी दवाइयां हम दे रहे हैं, वे पूरी दवाइयां उपलब्ध रखें वरना कोई मतलब नहीं है। दवाइयां मिलना, नहीं मिलना, सब कुछ इसी पर निर्भर रहता है और रही बात दवाइयों को लिखने वाले डाक्टर्स की, हम इसकी व्यवस्था करें। आज देखिये, जनता ने जन सहयोग से डेढ़ करोड़ रुपया इकट्ठा करके रामगंजमण्डी के अस्पताल के लिए दे दिया लेकिन सरकार को जो राशि देनी चाहिए थी, उसके लिए मैं पिछले चार साल से लगातार, बार-बार बोल रही हूं, आज तक वह राशि नहीं मिल पाई। सरकार

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जैसे ही बजट की घोषणा करे, तो उसमें जो हमारा बजट बचा हुआ है, उस बजट को भी देने का काम करे, यह मेरा निवेदन है।

एक और छोटा सा मैं निवेदन करना चाहती हूं कि...

श्री सभापति: 35 मिनट से ऊपर हो गये हैं आपको।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र एक बात निवेदन करना चाहूंगी कि 108 एम्बुलेंस का जो नर्सिंग स्टाफ है, अभी जो नर्सिंग की वैकेंसी निकली है, उस 108 के नर्सिंग स्टाफ को भी उसमें एडजस्ट किया जाये। यह भी मेरी मांग है।

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूं कि बहुत ज्यादा समय आज आपने मुझे बोलने के लिए दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल अहारी।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से एक मिनट लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: जी हां। विराज जायें एक मिनट आप।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्या ने जो आरोप लगाये हैं, जो शिकायत की है, मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं, आपने एक बार भी मुझे लिखकर नहीं दिया। आपने इतने सारे सवाल लगा दिये, वे सारे अधूरे रह जायेंगे। आप लिखकर दें, कार्यवाही करायेंगे। कौन अधिकारी हैं, उनको कहेंगे, उसका इलाज करेंगे, कार्यवाही करेंगे, परन्तु आप लिखकर देना नहीं चाहो और आप यहां पर आरोप लगाकर छोड़ जाओगे तो ये सवाल तो खड़े रह जायेंगे। हम जवाब देना चाहते हैं, कार्यवाही करना चाहते हैं, आप हमें लिखकर दीजिये। आप हमें लिखकर दीजियेगा, कार्यवाही करायेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं आपको लिखित में दूंगी और मैं सी.एम. साहब को भी लिखित में भिजवा चुकी हूं। जो कुछ मैंने कहा है, सब कुछ सही कहा है और आपको भी हम लोग लिखित में देंगे।

श्री सभापति: सम्मानित सदस्य महोदया, आपने जो बात कही, वह अंकित हो गई। अब मुझे यह नहीं प्रतीत होता कि लिखित में देने की आवश्यकता है। आपने सुन भी लिया और यहां अभिलिखित भी हो गई, आपको कार्यवाही करनी है, वह आप कर लें।

श्री शंकरजी अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण जो पढ़ा गया, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको खूब-खूब धन्यवाद।

माननीय सभापतिजी, सरकार की तारीफ करना, सरकार के कामों की तारीफ करके हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, उसकी तारीफ करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस समय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये चार साल गुजर रहे हैं और चार साल में मैंने ऐसा देखा, 1985 से मैं आपके बीच में हूं, मैंने सबके राज देखे, सब मुख्य मंत्री देखे चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों परन्तु इस समय में माननीय अशोकजी गहलोत द्वारा जो कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं, ऐसा मुख्य मंत्री मैंने यह पहला देखा। आदिवासी क्षेत्र में विकास की दृष्टि से काफी काम किये हैं और सर्वांगीण विकास में आदिवासी क्षेत्र को जोड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। अभी जो योजनाएं चलाईं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करीब-करीब 500 योजनाएं अपने हाथ में लेकर उनको क्रियान्वित कराया है। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो योजनाएं चलाई गईं, उनको क्रियान्वित करने का जिम्मा हमारा होता है। माननीय सदस्य अगर इसमें इंटरेस्ट लेवे, इसमें रुचि लेवें तो मैं समझता हूं, वे सदस्य अपने क्षेत्र से कभी हार नहीं सकते हैं। ऐसी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हम सबको दी हैं। चाहे विपक्ष में हों, चाहे पक्ष में हों, हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, हम सभी माननीय सदस्यों को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बिलकुल नीचे से ऊपर तक की योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि ग्रास रूट्स पर रहने वाला जो व्यक्ति है, वह अपनी आर्थिक, माली हालत कैसे सुधारे, कैसे सुदृढ़ करे, परिवार को कैसे मजबूत करे और आर्थिक दृष्टि से कैसे सबल हो, यह इन योजनाओं में, परिप्रेक्ष्यता की दृष्टि से अगर देखा जाये तो बहुत कुछ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रशासन-गांवों-के-संग, प्रशासन-शहरों-के-संग के रूप में एक वृहद पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान में माननीय सदस्यों ने अगर वहां जाकर उपस्थिति दी हो, तो मैं कह सकता हूं कि हजारों की तादाद में वहां भीड़ उमड़ती है और हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कराना चाहता है। शहरों में बुद्धिजीवी वर्ग बैठते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के मुंह से मैंने तारीफ सुनी है कि धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को, धन्यवाद अशोकजी गहलोत को जिन्होंने लम्बे समय से हमारी शहरों में बनी रहने वाली समस्या का समाधान कराया है। तो मैं समझता हूं

(श्री शंकर लाल अहारी)

कि हम लोग तो जो आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आते हैं, वे तो खुश हैं ही, पर बुद्धिजीवी वर्ग खुश हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

हमारे गांवों-के-संग अभियान में बहुत अच्छे कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। मैं राजस्व विभाग की तरफ जाता हूं। राजस्व विभाग ने प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में हमारे लोगों के नामान्तरण खोले; भूमि रूपान्तरित की, भाइयों के लम्बे समय से जो बंटवारे नहीं हो रहे थे, उन खातों के बंटवारे कराये; पट्टे दिलाये; हम जहां निवास कर रहे हैं, जिस मकान में हम रह रहे हैं, उन मकान

(18.00 बजे)

के पट्टे भी दिलाये। तो ऐसे काम हुए। कई स्थानों पर भूमि को लेकर के काफी अलाटमेंट किये और नि:शुल्क अलाटमेंट किये। उस काम को कराने के लिए हम हमारे गांव से डूंगरपुर जिले तक जाते-आते, समय खराब होता, पैसा आने-जाने का खर्चा होता, बगैर खर्चे से ये सारे काम हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो गांवों के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

इसमें, इन प्रशासन-गांवों-के-संग में फिर मैंने देखा, वृद्धावस्था पेंशन बनाना, विकलांग पेंशन बनाना, विधवा पेंशन बनाना, असहाय पेंशन बनाना और वह दिन तो दिन, सुबह काम पर आते दस बजे अधिकारी लोग और शाम को उसका रिजल्ट सामने कर देते थे और लोग खुश हो जाते थे कि आज हमारी पेंशन बन गई। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की तारीफ करना बहुत बड़ी बात नहीं समझूं पर मैं बहुत समझता हूं कि हमारी तारीफ सरकार की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं और हमारे विपक्ष के भाई हैं उनको भी तारीफ करनी चाहिए, जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको कहने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए; जो काम अच्छे हो रहे हैं, कहना चाहिए और उसकी वाहवाही आप सबको मिलनी चाहिए और वाहवाही लेनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दस लाख बी पी एल परिवारों को मुख्य मंत्री नि:शुल्क मकान देना और पचास हजार रूपया उस मकान के पीछे एक अनुदान के रूप में दिया गया। मेरे को कोई सपना भी नहीं आता था कि मेरे घर में मेरे बच्चों को कहीं पचास हजार रुपये मिल जाय, एक बाप को भी यह सपना नहीं आता था कि मेरे जो बच्चा अलग रह रहा है उसको भी पचास हजार रुपया मैं खुद नहीं दे सकता, तो सरकार क्या देगी। परन्तु सरकार ने

(श्री शंकर लाल अहारी)

पचास हजार रुपया देकर के कहा, शंकरलाल उठ, तेरा मकान, पक्का मकान आया है; आधी मेहनत तू कर दे, पचास हजार की मेहनत तू लगा दे और पचास हजार रुपया जो अनुदान के रूप में आया है उसका उपयोग कर लें, एक लाख में तू बढ़िया मकान बना दे। क्या बुरी बात है, साहब, अगर हम पक्का मकान बना लें? हम बरसों से, सदियों से कच्चे, केलू के मकान में रह रहे हैं। एक हमारे मुख्य मंत्री का, बांसवाड़ा में आपका प्रवास हुआ और आपकी सोच आदिवासियों के प्रति जागी, उठी और यह कहा कि आम आदिवासी भाई जो बी पी एल परिवार का है, वह पक्के मकान से जुड़ जाये। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को।

महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा इस अभिभाषण में हमारी सरकार की सारी तारीफ की गई है; जो काम और जो योजना बनाई है, उसकी तारीफ करते हुए उल्लेख किया गया है कि इस समय गरीब का कोई साथी है तो कांग्रेस है।

फिर इसके साथ-साथ जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, हमारे पहले जापे हुआ करते थे, कितने लोग मर जाते थे असुविधा में। आज जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 108 नम्बर की गाड़ी खड़ी, 104 नम्बर की गाड़ी खड़ी, गरीब भाई किसी झोंपड़ी से टेलीफोन करता है 108 नम्बर की गाड़ी को कि भाई, जल्दी आ जा, मेरे घर में जापा होने जा रहा है, तो हास्पिटल पहुंचाना है, तो यह गाड़ी वहां आकर के उसको ले जाकर के हास्पिटल में भर्ती करा देती है और वहां जापा हो जाता है। चौदह सौ रुपया उसको मिलता है, पांच किलो घी मिलता है और खुशी से वहां पर जापा करके घर की तरफ लौट आती है उसी गाड़ी में। तो यह आने-जाने की एक फ्री जो सेवा दी है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं, आपका यह कदम बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

इसी ढंग से हमारे नि:शुल्क दवा है, अब आप सबको फायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, मैं कह नहीं सकता परन्तु हमारे आदिवासी क्षेत्र में इसका भरपूर फायदा हो रहा है। जो बीमार है वह दवाखाने पर जाता है, उसको नि:शुल्क दवा मिल जाती है तो वह खुश हो जाता है और उसकी बीमारी भी मिट जाती है। यह मोटी बात हो रही है, साहब। एक बीमारी के पीछे दस-दस डाक्टर लगते थे, उस बीमारी के पीछे एक ही डाक्टर काफी है और वह दवा दे रहा है, सोच-समझ करके और उस बीमारी का निदान उस मरीज को हो रहा है। तो मैं प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

(श्री शंकर लाल अहारी)

मनुष्य तो बोलता है पर पशु बोलता नहीं है, पशु इशारे से समझता है। उस पशु के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फ्री दवा कर दी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, मेरे घर में एक बकरी आधी रात को बीमार हो गई, बकरी बाड़मेर-जैसलमेर की ही है, बड़ी अच्छी बकरी है और डेढ़-दो किलो दूध देती है। वह बकरी बीमार हो गई, तो भाई लोग आपस में चिल्लाने लग गये कि बकरी बीमार हो गई। मैंने भी ऐसी बीमारी देखी नहीं, मैं भी पास में था, मैं गया, क्या हुआ, भाई; बकरी बीमार हो गई; रात को टेलीफोन किया और पशु डाक्टर वहां आया, उसने तीन इंजेक्शन लगाये और बकरी बिलकुल मरती-मरती वापस जिंदा हो गई। तो मैं धन्यवाद देता हूं पशुपालन मंत्रीजी को कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, सराहनीय और प्रशंसनीय; मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है क्योंकि अनबोले जीव पर आपने दया की। वह जीव कहता नहीं है, बोलता नहीं है, जो भी आप इलाज करो, जो भी दाना-पानी दो, वह खाता है। आपने जो पशुओं के लिए व्यवस्था की है, मैं प्रशंसा करता हूं।

(18.06 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

इसके बाद में, हमारे दो रुपये किलो गेहूं देना; दो रुपये किलो गेहूं देकर के, दो रुपये किलो गेहूं का मतलब है, एक किलो का दो रुपया; एक व्यक्ति को पच्चीस किलो मिलता है, पच्चीस दूना पचास रुपया, पचास रुपये में पच्चीस किलो अनाज लेकर के घर जाता है। क्या उसके परिवार का भरण-पोषण नहीं होता है? पच्चीस किलो अनाज जो है, पांच-दस का परिवार होगा तो भी उसका भरण-पोषण हो जाता है।

इसी ढंग से, अभी मैंने सुना है कि हमारी भारत सरकार और डिसिजन लेने जा रही है, दो रुपये किलो गेहूं तो बी पी एल परिवार को दिया जायेगा और तीन रुपये किलो गेहूं ए पी एल परिवार को दिया जायेगा और चार रुपये किलो चावल दिये जायेंगे। यह बात भी बहुत जल्दी ही पास हो रही है और अपने बीच में आयेगी।

तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे नेक, ऐसे बिरले बहुत कम होते हैं जो जनता की आवाज को सुनते हैं, जनता के दुःख-दर्द में भागीदार बनकर सेवा करने की बात करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है सेवा करने का, बाकी कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो सेवा करेगा वह इस पद पर चलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर

(श्री शंकर लाल अहारी)

सकता। पर हमको ईमानदार बनने की जरूरत है, अगर हम ईमानदार बनेंगे तो निश्चित ही सारा संसार ईमानदार बन सकता है और हमारे में अगर कोई खोट हो तो फिर हम कह नहीं पाते। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है कि वर्तमान में सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है।

हमारे किसानों की बात कर रहा हूं मैं। कृषि के क्षेत्र में आपने हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किसानों को हाइब्रिड मक्की दी और हाइब्रिड बीज से हमको जोड़ा। आज वही मक्का हमारी फसल में उग कर काम आया, बाकी हमारा मक्का गल गया; इतना पानी पड़ा, वह पानी को सहन कर गया हाइब्रिड और अच्छा मक्का बना। तो मैं समझता हूं, कृषि मंत्रीजी, आपकी सोच और माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच आदिवासी क्षेत्र के लिए सराहनीय रही। मैं प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने समय पर खाद दिया हमको, समय पर बीज दिया हमको, समय पर हमको वह लोखण्ड के हल दिये हैं, समय पर हमको वह सुवड़े बोलते हैं न, अन्दर डालते हैं, वे दिये हैं और समय पर हमको आपने और व्यवस्था देकर के हमें बैल दिये हैं। तो हमारा गरीब भाई उस हाइब्रिड मक्की को बो कर के अपने जीवन का गुजारा आज कर रहा है, इतनी बढ़िया मक्की हुई और वही मक्की हमको आगे मिलनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा बीज हमको नहीं मिलना चाहिए, यह भी आपसे अनुरोध है हमारा।

इसी प्रकार से, कृषि के क्षेत्र में आपने हमें बूंद-बूंद, टीप-टीप योजना से जोड़ दिया, आपने हमको पाइप लाइन बहुत फ्री दिये हैं, नब्बे प्रतिशत फ्री दिये, और वहां का जो किसान है अपनी मशीन लगा करके, लम्बी पाइप डालकर के अपने खेतों में पानी पिलाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं, इस कल्याणकारी योजना से हम लोगों को जो जोड़ा, इसके लिए खूब-खूब आपका आभार व्यक्त करते हैं।

फिर हमारे किसानों को आपने सही समय पर, जब धान उगकर के अपने खलिहान में आ जाता है और खलिहान में आने के बाद भाव नीचे चला जाता है तो किसान रोता है, किसान की मेहनत नहीं के बराबर हो जाती है; आपने उस बात को ध्यान में रखा और जो फसल है, गेहूं का भाव 1,385 रुपए किया, यह बहुत बड़ी बात है। बी जे पी के समय में, मैं कह सकता हूं कि 700 रुपए था उसका और उसका जस्ट हमने दुगना किया। तो यहां के किसान

(श्री शंकर लाल अहारी)

को तो खुश होना चाहिए। यह महंगाई नहीं कहलाई जाती है। महंगाई के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं खड़ी की हैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोत ने, तो हम महंगाई का तो मुकाबला कर लेते हैं, पर यह भाव फिक्स किया और किसान को सही समय पर यह पैसा मिला, यह बहुत बड़ी बात है।

मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं सहकारिता क्षेत्र के सम्बन्ध में। मैं हमारे माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग जो थे, जब खेती का समय नजदीक आता तो हम हमारी औरत को कहते कि तेरे ये जो गहने हैं और आभूषण हैं वह दें; हम व्यापारियों के यहां जाकर के उनको गिरवी रखकर के, पैसा लाकर के हम फसल को बोएंगे। आपका जो कदम है, ग़रीबों के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी से मुक्त करने के लिए आपने एक लाख रुपया हम किसानों को देकर के, मुफ्त ब्याज करके जो आपने एक लाख रुपया दिया है, वह सराहनीय कदम है और मैं इसकी खूब-खूब प्रशंसा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी सोच आदिवासियों के प्रति ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। यह आपने आदिवासियों के लिए ही नहीं किया है, यह सभी किसानों के लिए किया है; यह एक किसान के लिए नहीं है, न तो बी पी एल है, न ए पी एल है, यह सभी किसानों के लिए लागू हुआ है। यह एक बहुत बड़ा काम आपने किया है।

मैं कृषि उपज मण्डी मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारा जो किसान है, रात को अगर पानी बरस गया तो वह रात को उठता है, कबाड़ा बांधने के लिए जाएगा, खेत में बांधने के लिए जाएगा, पानी रोकेगा। हो सकता है, जानवर ने काट लिया, तो उसके लिए एक लाख रुपया आप दे रहे हैं। इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।

अभी हमारे डूंगरपुर में आपने एक किसान मेला लगाया है। उस किसान मेले में हमने देखा है कि काफी आपने, कई प्रकार के संसाधन किसानों के लिए जुटाए हैं जिससे कि किसान की माली हालत बिलकुल ऊपर उठेगी, वहां का जो किसान है वह कभी भी गरीबी महसूस नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि आपके विभाग और आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है।

मैं बिजली के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि हमारा विपक्ष बोलता है कि बिजली के क्षेत्र में सरकार फेल है, बिजली के क्षेत्र में आप पिछले पांच सालों

(श्री शंकर लाल अहारी)

का रिकार्ड देख लें और अभी का देखें आप। जहां मैं निवास करता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं सुख-सुविधा को छोड़कर के गांव में एक झोंपड़ी में रहता हूं, उस झोंपड़ी में मेरे को लाइट के दर्शन होते हैं। इसका मतलब, मैं यह मानता हूं कि लाइट का जो विकास हुआ, वह बहुत ज्यादा विकास हुआ है, कहीं कमी नहीं हुई है, यह मैं कह सकता हूं।

मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि आपने, हमारी बहुत लम्बी मांग थी और उस मांग के अनुसार डूंगरपुर से सरतुना रोड, जो 63 करोड़ रुपया आपने दिया है। फिर गलियागोट का एक ब्रिज है, यह 14 करोड़ के लगभग है। फिर आपने हमारे डूंगरपुर से बांसवाड़ा, हाइवे सड़क दी है। तो आदिवासी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम हो रहा है। आपने छोटे-छोटे जो देवस्थान थे, उनको जोड़ने का काम किया है। यह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे डूंगरपुर से रतलाम, रेल लाइन से हमको जोड़ने का काम किया है। एक हम कल्पना करते थे, सपना देखते थे, उस रेल लाइन से हमको जोड़ा गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से हम अभी सी.सी. सड़कों का निर्माण कर रहे हैं एक-एक किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर की और वही 60:40 का रेशो है। उस 60:40 के रेशो में हम सी.सी. सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि एक-एक पंचायत में पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं तारीफ करता हूं नरेगा कि भविष्य में आने वाले समय में हमारे वहां कोई समस्या नहीं रहेगी। इस नरेगा के माध्यम से हमने इतनी समस्याओं का निपटारा किया है। हमें बहुत भूख थी, समस्याओं से हम जूझ रहे थे और नरेगा आने के बाद हमारे वहां विकास हुआ है और आज निरन्तर विकास होता जा रहा है। इसका भुगतान भी पन्द्रह दिवस में हो रहा है। अब ये सारी व्यवस्थाएं विधायकों को अपने सिर पर लेनी चाहिए, इसका जिम्मा लेना चाहिए और जिम्मा लेकर के अपन कोई काम करेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता है। अगर इसमें खोट निकालना चाहे तो खोट निकाल लेंगे और अगर अच्छाई करना चाहे तो अच्छाई कर देंगे। मतलब एक ही बात है कि अपना-अपना काम हम हाथ में ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर अपन कहीं किसी को मुंह को दिखाने वाले रहेंगे क्योंकि अपन काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं काम करेंगे तो नहीं रहेंगे। हमारे मुख्य मंत्रीजी अभी कहा

(श्री शंकर लाल अहारी)

कि हम टिकट उसी को ही देंगे जो पूरा समय क्षेत्र में लगाता हो, जो पूरी योजनाओं से जुड़ करके काम कराता हो और योजनाओं के साथ में लोगों को लाभ दिलाता हो, ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे। यह बात सही है और धन्यवाद देता हूं कि यह सोच भी बड़ी अच्छी है।

मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कहना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने राशि तय की है, साइकिल तय हैं, स्कूटी तय की हैं। हमारी 12वीं कक्षा में बच्ची अच्छा प्रतिशत हासिल करती हैं तो पचास हजार रूपया उसको इनाम दिया जाता है। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी अवार्ड से उसे सम्मानित किया जाता है और 10वीं कक्षा की बच्ची ने यदि अच्छा प्रतिशत हासिल किया तो उसको चालीस हजार रुपए दिए जा रहे हैं और 8वीं कक्षा की बच्ची को पच्चीस हजार रुपए दे रहे हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा से और अधिक जोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है; साइकिल दी जा रही है, अभी तो आदिवासी बच्चियों को ही साइकिल दी जाती थी, अब सारे सभी समाज के लोगों को दी जा रही है। स्कूटी दी जा रही है, दुनिया भर की किताबें दी जा रही हैं, हॉस्टलों की व्यवस्था है, वार्डन सही ढंग से काम कर रहे हैं।

तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की योजनाओं में कहीं खोट नहीं है। ये योजनाएं इतनी बढ़िया बनाई गई हैं, कि हम लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं से लाभ हुआ है। इनसे आदिवासी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा, आदिवासी अपनी माली हालत में सुधार करके बहुत मजबूत होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जल संसाधन विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले बजट में हमको काफी, हमारा एक क्षेत्र है जो गुजरात से सटा हुआ है, इससे हमारे डूंगरपुर का पानी बहकर के गुजरात में चला जाता है, हमने आपसे निवेदन किया कि गुजरात में बहते हुए पानी को रोकना है और उस पानी से किसानों को लाभ देना है, आपने हमारी बात को समझा और समझ करके आपने काफी करोड़ रुपए एनिकट के दिए हैं। उससे उनका निर्माण हो रहा है पूरे विधान सभा क्षेत्र में और हम जल को गुजरात में जाने से रोक रहे हैं।

एक वारंदा करके तालाब आपने दिया है सिंचाई के लिए, जो 14 करोड़ के लगभग का है। वह शिलान्यास के लिए आपका इंतजार कर रहा है कि आप

(श्री शंकर लाल अहारी)

उसका शिलान्यास कब करेंगे। यह शिलान्यास के लिए माननीय मंत्रीजी का इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसके लिए समय निकाल करके उस आदिवासी क्षेत्र में पधारें जिससे कि आदिवासी क्षेत्र का हौसला और बढ़े।

मैं पुन: महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन में बोलता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है इस चर्चा में मैं अपने आपको शामिल कर रहा हूं। अभी मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं कि मेरे पुराने साथी जो डूंगरपुर से आते हैं, हमेशा उन्होंने कहा कि योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि इनका विरोध नहीं करना चाहिए; मैं भी मानता हूं कि योजनाएं तो अच्छी हैं लेकिन जो योजनाएं हैं वे फील्ड में नहीं हैं, इनसे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं न मैं प्रशासन-गांवों-के-संग में जा रहा हूं, मैंने भी एक प्रशासन-गांवों-के-संग का कैम्प अटेंड किया है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है और ये जो चीजें हैं, ये रोज की हैं। इन कैम्पों में मैंने देखा है कि ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो मूल निवास प्रमाण-पत्र बना रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र ज्यादा बना रहे हैं और पेन्शन वाले ज्यादा आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पेन्शन के ऊपर कि हजारों फार्म, पिछले दो साल में भी भरे गये और इन कैम्पों में भी आप रिपोर्ट मंगाइये बी डी ओज से, 90 प्रतिशत समाज के पेन्शन फार्म भरे जा रहे हैं। क्यों न, सरकार से मैं मांग कर रहा हूं, इनमें से 70 प्रतिशत फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। गरीब आदमी के बीस-पच्चीस रुपये खर्च हो जाते हैं, वहां फोटो खिंचवाते हैं, एफिडेविट देते हैं। हरियाणा में जिस तरह से पेन्शन का तरीका है कि 65 साल से ऊपर की महिलाओं और बुजुर्गों को, विकलांगों को और जो दिमाग से मंदबुद्धि के लोग हैं, विकलांग हैं, उनको बगैर किसी जांच के पेन्शन दी जा सके तब तो हमारे राजस्थान में लोगों को पेन्शन मिल जाएगी, वरना आप रोज कैम्प लगाइये, रोज फार्म भरेंगे।

दूसरी बात, कैम्पों में भाई-बंटवारा तो होता है लेकिन मेरे ऐसे गांव भी हैं, राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं, गगवाना मेरी पंचायत है, वर्षों से वहां लोग रह

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

रहे हैं, उस पूरी पंचायत को ही खनिज क्षेत्र घोषित कर दिया है। पिछली साल भी कैम्पों में बात आई, इस बार भी कैम्पों में बात आई कि वहां पर घरों के पट्टे नहीं बनते। वहां के जो लोग वर्षों से खेती कर रहे हैं, उनके खेत नियमन नहीं हो रहे हैं। तो इस बार हमने तय किया है कि पूरी रिपोर्ट हम लोग गवर्नमेंट को भेजें और मुझे लगता है कि कलक्टर साहब ने भेजी होगी आपको। तो राजस्व मंत्रीजी आप इस पंचायत पर गौर करें, आखिर लोगों को लाभ कब मिलेगा, वे गांव में बैठे हैं, वर्षों से न उनको लाइट मिल रही है, न सरकार की कोई सुविधा मिल रही है और जो भी काम करते हैं, खनिज विभाग उसको रोक देता है।

अभी योजनाओं की बात चली, जो माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं एक योजना के बारे में जो विद्युत विभाग की है, मुख्य मंत्री विद्युत योजना, इसके बारे में आप लोगों ने पहले फार्म भराये, पांच की ग्रुप की आप फाइलें भरें, उसके छह महीने बाद सरकार ने इनको रोक दिया। फिर दो महीने बाद एक आदेश निकाला रेवेन्यू में होनी चाहिये ढाणियां जहां लोग रह रहे हैं। उसमें से अस्सी परसेंट जो ढाणियां हैं, वे बाकी रह गई। क्योंकि यहां जो ढाणियां बनी हुई हैं, या तो आगोर में है या में हैं या और किसी किस्म में हैं तो यह जो योजना आपने बनाई थी, विद्युत मंत्रीजी यहां बैठे हैं इस योजना में अभी तक नागौर में एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है।

बी पी एल योजना के कनेक्शन जो आप घरों में दे रहे थे, उन लोगों को तो कनेक्शन मिल गये जो पांच सौ मीटर के एरिये में आते थे, लेकिन जो पांच सौ मीटर से अधिक, छह सौ में हैं, साढ़े पांच सौ हैं, उन लोगों को ये कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अभी इस अभियान में भी जो मेन लाइन निकल रही थी, जो बी पी एल की लाइन थी, जो बी पी एल रह गये, उनके ही कनेक्शन कर रहे हैं; इन पांच सौ मीटर से अधिक वालों के नहीं। तो इसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है, ढाणियां जुड नहीं रही हैं। मैंने भी विधायक कोष से ढाणियां जोड़ने के लिए जो पैसे दिये थे, वे भी आज तक छह-छह महीने हो गये, बारह-बारह महीने हो गये, वे ढाणियां नहीं जुड रहीं। उसकी वजह यह है कि डी आर डी ए 70 परसेंट पैसा पहले देती है और तीस परसेंट जब काम पूरा हो जाता है, वहां पेश करते हैं। आपका जो विभाग है, विद्युत विभाग, वह पूरे पैसे पहले लेना चाहता है। तो इस पर भी, मंत्रीजी, आप गौर करें जिससे विधायक कोष से जो ढाणियां हम लोग जोड़ रहे हैं, वे ढाणियां जुड जाएंगी।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

किसानों की बात कहना चाहूंगा कि अगस्त में जो पाला और शीतलहर हुई थी, उसका सरकार अभी मुआवजा दे रही है। आप सब बढ़-चढ़ कर कह रहे हैं, किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक भी कह रहे थे कि अब किसान बहुत खुश हैं; मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जो आपने मौसम आधारित यंत्र लगाये हैं गांवों में, गांवों में तो, लाइट मंत्रीजी बैठे हैं, आप भी जानते हैं कि तीन-चार घंटे से ज्यादा मिलती नहीं है और जो बैटरियां हैं आपके यंत्रों की, चाहे बी एस एन एल टावर की हो चाहे मौसम विभाग की हो, वे तीन घंटे में चार्ज नहीं होती हैं। कब मौसम खराब हो जाता है, क्या हो जाता है, आज किसानों से आप 930 रुपये हैक्टेयर के पैसे लेते हैं और इस बार आपने जो मुआवजा दिया है, मंत्री महोदय, वह 330 रुपये है। मेरे विधान सभा क्षेत्र और खींवसर विधान सभा क्षेत्र के किसान तो चाहते हैं कि जो आपने यंत्र लगाये हैं, इन यंत्रों को आप वापस ले लें। आप क्यों फसल बीमा जबरदस्ती किसानों से कराते हैं? सरकार यों ही आपदा से दे रही है, जो अभी इन ओलों में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि वे तीन महीने या चार महीने के बिल माफ करेंगे। अभी सर्वे की क्या रिपोर्ट आ रही है, मुझे लगता नहीं है कि 40-50 परसेंट के ऊपर आपके जो पटवारी हैं या रेवेन्यू विभाग के अधिकारी हैं, वे रिपोर्ट भेजेंगे। तो किसान तो यों ही मर रहा है। बिजली के भाव बढ़ रहे हैं, दवाइयों के भाव बढ़ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने यंत्र लगाये हैं कम से कम मेरे एरिये से तो हटा लें नहीं तो हमें हटाने पड़ेंगे। 930 की बजाय आप 330 रुपये दे रहे हैं, तो किसान कहां खुश हैं? आप यहां किसान की सब बात करते हैं, अभी ओले पड़े, रात को ओले पड़े और सुबह ही मुख्य सचिव महोदय का एक स्टेटमेंट आया कि फसल आधारित बीमा के नियमों में ये ओले नहीं आते हैं और दूसरे दिन ही मुख्य मंत्रीजी का आ गया दिल्ली से कि हम किसानों को इमदाद देंगे। तो फिर फसल बीमा योजना क्यों लागू कर रहे हैं? इसी को आप क्यों न बंद कर दें?

पी एच ई डी मंत्री भी यहां बैठे हैं, आज यहां पर धरना भी है, जो जनता जल योजना है राजस्थान में, सबसे ज्यादा मेरे एरिया में ही है, 565 जगह। वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं कि इस जनता जल योजना को आप खतम करें। चलाने वाले आदमी को आप एक हजार रुपये महीने के देते हैं, 4,500 रुपये आप मशीन ठीक कराने के देते हैं। वह बंदा मशीन चालू करके चला जाता है, कब लाइट आती है और कब जाती है और मशीन खराब हो जाती है। आज 60 परसेंट गांवों में पानी पीने को नहीं है इस जनता जल योजना की

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

वजह से। तो मेरा आपसे यह कहना है, सुझाव है कि इसको आप क्यों नहीं अपनी पी एच ई डी में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो पांच विभाग दिये हैं पंचायत राज को, विद्युत विभाग है, पानी का है इनसे गांवों में बहुत नुकसान है। सरपंच बिलकुल काम नहीं करना चाहता। क्योंकि रोटेशन में है। पांच साल बाद कौन सरपंच आएगा? इसलिए सरपंच इन पांचों योजनाओं का, जो आप पंचायत राज को बहुत मजबूत करने के लिए बार-बार भाषणों में कहते हो कि हमने पांच विभाग पंचायतों को दे दिये हैं, मेरे हिसाब से वह शून्य है, चाहे पानी का विभाग हो, चाहे राजस्व का विभाग हो, चाहे नरेगा का हो।

मैं तो पूरे कैम्पों में गया हूं, एक भी नरेगा का काम चालू नहीं है मेरी पंचायत समिति नागौर में। आप किस नरेगा की बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेगा की, एक भी काम चालू नहीं है। जब हमने वहां एस डी एम से पूछा कि कब काम करोगे, तो कभी 15 तारीख बता रहे थे, कभी एक मार्च बता रहे थे, कभी एक अप्रैल। इस नरेगा का काम कब शुरू होगा, इसका भी आप निर्णय करें।

यह जो जनता जल योजना है, मंत्रीजी, आप हमारे प्रभारी भी हैं, इस पर आप गौर करें क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा यह मेरे एरिये में ही है और रोज का ही यह झंझट है। मशीनें तो पानी मामूली ऊंचा नीचा होने से ही जल जाती हैं। आजकल पानी भी बहुत डीप में जा रहा है, बारिश कम हुई थी लेकिन आप लोगों ने बारिश आने के बाद में नागौर को अकाल राहत में लिया था, उस अकाल राहत को खतम करके, न अकाल राहत चालू किया। अभी आप प्रभारी मंत्री हैं, हमने मांग की थी कि हमारे यहां गांवों में चारा डिपो खोलें, लेकिन दस दिन पहले उनके नाम तो डिक्लेयर कर दिये लेकिन आज तक एक भी चारा डिपो नहीं खुला है।

मैं इस मौके पर अल्पसंख्यकों के लिये कहना चाहूंगा, यहां तक कि मुख्य मंत्रीजी को यह बात कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिये आप बार-बार टीवी पर जो बात कह रहे हो कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये हम कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों के कल्याण का कोई काम हो रहा है। बी पी एल में आज तक जीरो पाइंट के आपके घर नहीं बने, अल्पसंख्यकों के दो-तीन नम्बर पर आ रहे हैं। अभी सगीर भाई कह रहे थे कि 500 करोड़ रुपये वापस सेंटर को रिटर्न हुए, यह बिलकुल सही बात है। एम पी

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

जो मीटिंग लेते हैं उस मीटिंग में हम भी बैठते हैं। ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि यहां पर नम्बर है, जब अल्पसंख्यकों के पैसे आ रहे हैं तो फिर आप उनको बी पी एल वाले घरों में क्यों जोड़ रहे हैं? इसको क्यों नहीं अलग करते? जिससे ये सेंटर के पैसे आ रहे हैं, उनसे अल्पसंख्यकों के घर बन जाये। क्योंकि अभी तो आपके जीरो बी पी एल वालों के ही घर नहीं बन रहे हैं।

आपने मुख्य मंत्री घर योजना चालू की, वह अभी चालू नहीं है। माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि यह बी पी एल घर योजना ही चालू है! जो मुख्य मंत्री घर योजना चालू की थी, उसमें तो आपका टार्गेट ही पूरा नहीं हो रहा क्योंकि बी पी एल ही अभी जीरो पर चल रही है। जब तक जीरो पाइंट चालू नहीं होगा, तब तक आप जीरो-वन तो नहीं ले सकते, जीरो-टू को नहीं ले सकते। अभी तो जीरो ही आपका पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री आवास योजना में तो आपके पास बजट ही नहीं है।

इसलिए हमने जब मांग की तो उन्होंने कहा कि हम वापस इसी योजना में ले रहे हैं। तो क्यों नहीं जो 590 करोड़ रुपये घरों के लिये सेंटर से आ रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिये उसको आप इस स्कीम से अलग करें? जब ये पैसे यहां लागू होंगे, वरना यह तो हमेशा, हर साल पैसे आते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं।

आज हमारा कब्रिस्तान के ऊपर क्वेश्चन लगा था, पूरे राजस्थान में 1972 में जब सेटलमेंट हुआ, उस समय राजस्व विभाग ने जहां कब्रिस्तान थे उनको हटा दिया गया; मंत्रीजी चले गये, आज तक वहां कब्रिस्तान हैं। आप पुराने मंत्री हो, इसलिए, उस रिकार्ड को कौन दुरुस्त करता? एम एल ए, एम पी पैसे देते हैं, डी आर डी ए में एक स्कीम है, श्मशान और कब्रिस्तान की आप बाउंडरी बना सकते हो लेकिन रिकार्ड में वह कब्रिस्तान नहीं है तो उनके हम कैसे काम करायें? कैसे बाउंडरी बनाये? आज प्रश्न भी लगा था लेकिन वह प्रश्न आया नहीं। मैं सरकार से मांग करता हूं और मुख्य मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि 1972 के सेटलमेंट में वक्फ बोर्ड की जो सम्पत्ति है, उसको सही दुरुस्त करें।

को-आपरेटिव की जो अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बात कर रहे थे, को-आपरेटिव भी पैसे बांट रही है लेकिन वह भी 9 परसेंट से लेकर 11 परसेंट मुआवजा दे रही है। मंत्री जी, आप इसको दिखावें, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है, मेरे क्षेत्र में को-आपरेटिव के अध्यक्ष पैसे बांट रहे थे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कोई भी किसान कर्जे को सही समय पर जमा करायेगा तो एक रुपया भी ब्याज का नहीं लगेगा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): यह मुझे भी मालूम है। क्यों ना मुख्य मंत्रीजी और आप एक सौगात और करें कि हमारे जो किसान का को-आपरेटिव का लोन है...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): समय पर जमा कराने के बाद अगर कहीं ब्याज लिया है तो आप मुझे शिकायत करो, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मंत्री महोदय, वह बात तो मुझे मालूम है। किसानों का जो दस से बीस हजार का लोन लिया हुआ है, छोटे किसानों का, क्यों ना आप उनको माफ कर दें? रोज को-आपरेटिव के इंस्पेक्टर जाते हैं, रिकवरी के नाम से उनसे रिश्वत लेते हैं। क्यों ना एक सौगात और करें? (व्यवधान) और माफ करो ना, आपको वोट मिलेंगे। आपसे एस सी, एस टी जा रहा है, अल्पसंख्यक जा रहा है; अलवर आपका गया, आपका भीलवाड़ा जिला गया, नागौर गया ...(व्यवधान) कोई नहीं आयेगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अगली बार आप खुद इधर आ जाओगे।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मेरी अलग बात है लेकिन जनता अब आपके पास नहीं आयेगी; मेरा आने का कोई नहीं है। चार साल से भीलवाड़ा जिला दुःखी था, उसकी न आप लोगों ने सुनी, न आपके संगठन ने सुनी और गुलाबपुरा जो तीन दिन से बंद है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हम जुलूस नहीं निकालने देंगे; वहां के लोगों ने जुलूस नहीं निकाला और फिर भी दंगा हो गया तो यह किसकी गलती है? हमारी गलती है क्या? (व्यवधान) बताओ न, कैसे इनकी गलती है? बताओ। गुलाबपुरा भी मैं गया हूं, उसकी भी जांच चल रही है, आपके सामने आ जायेगी। धीरे-धीरे अल्पसंख्यक और जो दूदू से आने वाले मंत्री बैठे हैं ना, इनके लोग भी धीरे-धीरे कांग्रेस से हट रहे हैं। एस सी, एस टी भी हट रही है, हम लोग भी हट रहे हैं। मंत्री महोदय, आप इसको जमीनी हालात में देखो।

सभापतिजी ने मुझे जो टाइम दिया, उसके लिये धन्यवाद। इस मौके पर मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आपकी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं लेकिन फील्ड में वे नहीं है, इनकी आप मानिटरिंग करायें और अल्पसंख्यकों के लिये आप जो बार-बार टीवी पर बात कर रहे हैं, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

अल्पसंख्यकों का इन चार सालों में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वे आपके साथ रहें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लालशंकर घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं आज महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, वे बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, मैं उनका पूरा पूरा समर्थन करता हूं और इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां प्रदेश में मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में संवेदनशील, पारदर्शी सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किये हैं।

यहां पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें कीं लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। यहां पर लोगों को सबसे पहले 2 रुपये किलो गेहूं दिये; उसके बाद में जो भी रह गये थे 97 के, इनको राजस्थान की सरकार ने स्टेट बी पी एल मानते हुए उन्हें भी 2 रुपये किलो गेहूं देने की घोषणा की। उसके बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने सबसे पहले मुख्य मंत्री आवास योजना, जिसका किसी ने सपना नहीं देखा था, स्वयं उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो गरीब आदमी है, जिनके सर पर छत नहीं है, इनको पचास हजार का मकान दिया जाये, सभी भाइयों को मकान मिले। हमारे उधर बहुत ही अच्छे मकान बनाये गये हैं और लोग वहां रह भी रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्रीजी का आभार भी प्रदर्शित कर रहे हैं।

मैं इस मौके पर यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने जहां ग्रामीण क्षेत्र है, दूरदराज के क्षेत्र में पहले बी जे पी के राज में बसें नहीं चलती थीं, सड़कें नहीं थी, वहां पर ग्रामीण बसें चालू करवाकर भी लोगों को कई प्रकार के लाभ पहुंचाये हैं।

इसी प्रकार, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रामीण काश्तकार हैं, सबसे पहले मैं हमारे परसादी लालजी मीणा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर क्षेत्र में सौ लैम्प्स खोलने की घोषणा की और लैम्प्स खुले, मेरे डूंगरपुर में कम से कम 27 लैम्प खुले। लैम्प के माध्यम से कई प्रकार की सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने बिना ब्याज पैसा देने की घोषणा की है, उसमें कई भाइयों का फायदा हो रहा है। उधर हमारे

(श्री लालशंकर घाटिया)

गुजरात से सटा हुआ एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र जरूर है लेकिन बीटी काटन की खेती करते हैं। बीटी काटन की खेती करने पर जो भी किसान हैं वे यदि मक्का के बीज करते हैं तो उसमें इनकम कम होती है, लेकिन बीटी काटन कामर्शियल क्राप है, उसमें लोगों को पैसे की जरूरत होती है। तो हमारे परसादीलालजी ने वहां के लोगों को एक लाख रुपये तक की रील सीमा बढ़ाई है और पैसा मिल रहा है, अच्छी तरह से खेती बाड़ी हो रही है। तो निश्चित ही वहां के लोग हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत और परसादीलालजी को नहीं भूलेंगे, जो हमारी सरकार के हित में काम किया है।

इसी के बाद हमारे लोकप्रिय अशोकजी गहलोत ने सब्सिडी के माध्यम से, चाहे वह फव्वारा सेट हो, चाहे पाइप लाइन हो, चाहे खेती के उपकरण हों, कई तरह के उपकरण दिए हैं और आई एस आई मार्का देखकर खुद किसान खरीदें और वहां लाकर बिल पेश करें, उनको पैसा दिया जाएगा। तो यह हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं।

उसके बाद में, अगर कोई किसान खेती-बाड़ी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो पहले राशि मिलती थी, कम मिलती थी, उसको बढ़ाकर एक लाख रुपये तक देने की घोषणा की है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रदर्शित करता हूं।

उसके बाद में, हमारे विद्यार्थी जो स्कूलों में जाते हैं और मान लो, स्कूल में पढ़ते हुए किसी भी बालक या बालिका की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, उसको एक लाख रुपये देने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं आभार प्रदर्शित करता हूं।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी को इस बारे में भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी और उदयपुर सम्भाग में मक्का का बीज फ्री दिया गया, डीएपी खाद भी फ्री दी गयी, चने का बीज भी दिया गया, इससे लोगों की माली हालत भी सुधरी। अच्छा बीज दिया गया, इससे हमारे किसानों को कई प्रकार का फायदा हुआ। मैं राजस्थान सरकार को बधाई देते हुए यह आशा करता हूं कि इसी प्रकार हमारे आदिवासी क्षेत्र में विकास के आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे।

जो भाई बी जे पी के अभी कह रहे थे कि हमें किसी भी प्रकार की, बी जे पी वालों को हमारे क्षेत्र में काम नहीं मिला, मैं यह कहना चाहूंगा हमारे सामने बृजकिशोरजी शर्मा साहब बैठे हुए हैं विगत वर्ष में एक-एक एम एल ए

(श्री लालशंकर घाटिया)

को पांच-पांच प्राइमरी स्कूलें दी थीं, तीन मिडल स्कूलें दी थीं ...(व्यवधान) आप कहते हो तो आप जानो। आपको दी गई हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि हर विधायक को पी एच सी भी दी है, सी एच सी भी दी है और कई प्रकार के काम दिया हैं। अगर आप लोगों ने मांग नहीं दी है और नहीं खोला है तो आप जानो आपका काम जाने; बाकी सरकार दिल खोलकर दे रही है। जो मांगे उसको मिलेगा; मान लो, आप मांगना ही नहीं जानते और आप समझना नहीं चाहते तो इसमें सरकार का क्या दोष है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मांगा होता तो जरूर मिलता। मैं यह कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं गया और आप भी नहीं जाओगे, लेकिन आपके अन्दर इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज सुबह में एक बिन्दु उठाया गया था, उदयपुर सांसद के लड़के ने फर्जी पैसा उठाया; मैं कहना चाहूंगा कि वह सांसद कौन था, बी जे पी का, मैं सदन में नहीं कहना चाहता लेकिन उस वक्त सांसद कौन था, इसका स्पष्टीकरण आपने क्यों नहीं किया? (व्यवधान) मंत्रीजी क्या जानें? एतराज आपने किया था उस वक्त यदि कोई सांसद था तो महावीर भगोरा था; मैं कह रहा हूं महावीर भगोरा था। मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में कहता हूं, महावीर भगोरा था। आपने जो एतराज किया था, निराधार था। (व्यवधान) उस वक्त रघुवीर मीणाजी सांसद नहीं थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, यह लड़का रघुवीर मीणा का लड़का है, आन रिकार्ड है और बी डी एस में वह प्रथम वर्ष सेकण्ड वर्ष, दोनों सालों में उसने 1 लाख 25 हजार की स्कालरशिप उठाई है। यह इनकी जांच की रिपोर्ट में है, इनके सारे रिकार्ड पर आ चुकी है।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस वक्त रघुवीर मीणा सांसद नहीं थे। (व्यवधान) मैं कटारिया साहब, आपसे भी कहना चाहूंगा, उस वक्त रघुवीर मीणा सांसद नहीं थे, एम एल ए थे और एम एल ए की राशि मात्र 5 हजार रुपये थी। आप आरोप लगाना छोड़ दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, वे भी एम एल ए थे और थोड़े दिन बाद वे एम पी बन गये और उनकी पत्नी एम एल ए बन गई। दोनों की सैलेरी एक लाख से कहीं ज्यादा थी। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): मैं आपका सम्मान करता हूं, यह 2003 का मामला है और 2003 में यह चीज नहीं हुई, 2004 में, और

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

2004 में वे एम पी नहीं बने थे, वे एम एल ए भी नहीं बने थे। मैं आपका सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह 2007-08, 2008-09 का है।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): नहीं है। (व्यवधान) आप एक बार और दिखवा लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप अच्छी तरह से देख लेना। (व्यवधान) यह 2007-08 और 2008-09 का पैसा है।

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप गलत कह रहे हो। जो स्कालरशिप उठाई, उस वक्त वे सांसद नहीं थे; आप देख लीजिए रिकार्ड। जिस पीरियड की रसीद थी, उस वक्त वे सांसद नहीं थे। (व्यवधान) एम एल ए थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विधान सभा की सर्वदलीय जांच समिति बना दें। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): एम पी बने 2009 में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सांसद और विधायक रहते हुए अपने बेटे को गरीब मानते हुए स्कालरशिप दिलायें ...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): जांच करा लो, किस आदमी ने क्या किया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि)): जिस पीरियड की स्कालरशिप थी, वे एम पी नहीं थे । (व्यवधान) रिकार्ड मंगाकर देख लो।

श्री पदमाराम (चौहटन) : सबके लिए बना दो, किस समय किस आदमी ने क्या किया। (व्यवधान) पेट्रोल पम्प पर क्या-क्या हुआ ...(व्यवधान) जांच कराओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बिना जानकारी के ना तो मैं कभी किसी बात को कहता हूं, ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): असत्य आंकड़े; गुमराह करके एक दलित नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रवृति की तकलीफ नहीं, तकलीफ है, छाती के ऊपर मूंग दल कर एम पी बने, वह इनकी पीड़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये; आसन पैरो पर है, कृपया बिराजिये। देखिये, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है मंत्री महोदय की उपस्थिति के अन्दर, इसलिए कोई व्यवस्था फर्दर नहीं दी जा सकती। आप जारी रखें।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिन्दु पर नहीं जाता लेकिन बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि सरकार गलत काम कर रही है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि कोई भी बात उठाएं तो विधिवत आप जानकारी करके उठायें, आप बहुत ही सम्मानीय हैं। मैं सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से कहना चाहता हूं कि नन है जन है न रहिये जैसी नन्हीं धूप; घास-घास जरी जात है, धूप खूब की खूब, तो अशोक गहलोत की सरकार हमेशा अच्छा काम करेगी और निश्चित ही आगे आएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई विडम्बना नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो अच्छा काम करेगा, उसकी वाहवाही होगी; इसमें किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें मिसिंग लिंक के तहत प्रति वर्ष 8 किलोमीटर के हिसाब से 16 किलोमीटर रोड मिले थे और ये कहते है कि हमें नहीं मिले, तो मैं यह कहता हूं कि मान लो, इन्होंने नहीं मांगे हो, उन्होंने लिस्ट नहीं भेजी हों, तो पी डब्ल्यू डी मंत्री को कोई सपना नहीं आता। इसलिए यह आपकी अपनी विडम्बना है।

इस मौके पर, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो बच्चियां पढ़ती हैं इनको साइकिलों की व्यवस्था है; 65 परसेंट से ऊपर अंक लाती हैं तो स्कूटी की व्यवस्था है। इससे भी अधिक अंक प्राप्त करती हैं तो गार्गी पुरस्कार का भी प्रावधान है; 12वीं वाली बच्चियां हैं उनको पांच हजार रुपये मिलते हैं; जो 10वीं में हैं, सबसे अधिक अंक लाती हैं, इन्हें पहले डेढ़ हजार रुपया मिलता था, अब दो हजार और दो हजार, चार हजार रुपये मिलते हैं, तो यह हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने मुख्य मंत्री आवास भी दिये, निःशुल्क दवाई भी दी और उसके बाद पशुओं को दवाइयां भी निःशुल्क दीं। जननी सुरक्षा योजना भी बहुत ही अच्छी योजना है, जहां पर बच्चा जब पेट में होता है तब से दवाइयां चालू होती हैं; जब तक वह बच्चा एक साल का नहीं होता है तब तक हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने जो यहां पर व्यवस्था की है, वह व्यवस्था देते हैं।

(श्री लालशंकर घाटिया)

इन लोगों को अजीर्ण हो रहा है, इतनी व्यवस्थाएं दे दीं तो सरकार की वाहवाही हो रही है, हमारा भविष्य क्या होगा? हम खतरे में हैं। इसलिये ये चिल्लाते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज्यादा अच्छा करेगा, उसका गुणगान निश्चित होगा ही।

मैं इस मौके पर आपसे यह भी कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जो स्कूल में बालक-बालिकाएं पढ़ने के लिये जाते हैं, इनको स्कूल में दोपहर के खाने की व्यवस्था भी की है और बालिकाओं के लिये फीस माफ है, पुस्तकें फ्री हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप भी राज में थे, आप करते तो कर देते। जब आपने नहीं किया तो हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। इसलिये आपको जलन हो रही है।

मैं आपको इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां के हर गांव में आने-जाने की जहां भी दिक्कत है, लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने एक-एक विधान सभा क्षेत्र में जननी सुरक्षा के लिये 104 की 2-2 गाड़ियां दी हैं और 108 की भी दी हैं। हमारे यहां पर जो भी व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है।

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में, चाहे वह शहरों-के-संग अभियान हो, चाहे प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान हो, ये सब कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर मीटिंग में मैं गया हूं, सिर्फ एक दिन मैं नहीं गया हूं, हमारे उधर अलाटमेंट भी हुआ है, नामान्तरण भी खुले हैं, भावी पट्टे भी मिले हैं, उसके बाद में वनाधिकार के पट्टे भी मिले हैं; विद्युत के अन्दर कहीं मीटर खराब थे, वे भी बदले गये हैं, मौके पर हैण्ड-पम्प खराब थे तो उसका भी दुरुस्तीकरण किया गया है। इसी प्रकार से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): इसी प्रकार से, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि विवाह के लिये जो बालिका, पुत्री का विवाह है, उसमें कहीं फार्म बाकी थे, तो जो अनपढ़ बालिकाएं हैं उनको 10 हजार रुपये की राशि मिलनी थी, वे भी फार्म तैयार कर दिये और जो 12वीं तक लड़की पढ़ी है, उसके 15 हजार और कालेज तक पढ़ी बालिका है, उसके 20 हजार की जो घोषणा की थी, वह भी पैसा मिला है। कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं रही।

(श्री लालशंकर घाटिया)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, कई प्रकार से दी गयी हैं लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उनको धन्यवाद देते हुए मांग करना चाहूंगा कि जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी जो पेंशन विधवा के रूप में दी जाती है वह सदैव चलती रहे, यह मेरी मांग है। मैं इस बारे में, सभापति महोदय, आपसे मांग करता हूं।

उसके बाद में, इस अभिभाषण के पक्ष में बोलते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वहां पर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने तहसील मुख्यालय बिछावड़ा का मुख्यालय खोला, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी प्रकार से रामसागड़ा थाना किया, इसी प्रकार से हमारे वहां पर क्रय-विक्रय का कार्यालय खोला, ...(व्यवधान) इसके बाद पोलीटेक्निक कालेज भी खोला...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे दो मेम्बर और रह गये हैं बोलने के लिये, आधा घण्टा और बढ़ा दें। दो मिनट में बोलना नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से यह सुझाव है।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): ...हमारे नगर परिषद को भी वहां खोला। इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधा घण्टा और बढ़ा दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आधा घण्टा और बढ़ा दें। आधा घण्टा और बढ़ा दें तो बोल लेंगे। प्लीज। समय हो रहा है, अभी 7 बजने वाले हैं, आधा घण्टे का समय और बढ़ा दें।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): चीफ व्हिप आकर बढ़वा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डिप्टी चीफ व्हिप इसलिये बनाते हैं। आप बढ़ा सकते हैं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): अभी दो मिनट चलने दीजिए। अभी क्यों? अभी तो 6 मिनट हैं। (व्यवधान)

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): मैं पूरा कर दूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा रहेगा कि आप दोनों, हाउस की कामन राय हो जाए। जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया, मैं समझता हूं, आप दोनों उनका आदर करते हुए बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप खुद भी बढ़ा सकते हैं।

श्री सभापति: नहीं, चेअर का नहीं बनता है।

एक माननीय सदस्य: आधा घण्टा बढ़ा दें।

श्री सभापति: नहीं, आप प्रस्ताव करें ना। आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे बोलें, मैं उनको बुलवाऊं। (व्यवधान) ठीक है। अब आप बोलें, एक मिनट और बोल लें आप। बोल लिये?

श्री कानसिंह कोटड़ी।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सरकार की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र विकास का जो दर्शाया गया है, उसके लिये मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना, जो बाड़मेर जिले में पानी की दृष्टि से समृद्ध पंचायत समिति थी परन्तु लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में अवरुद्धता के कारण पानी की विकट स्थिति बनी। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी इस पानी की समस्या के समाधान के लिये 2005 में पोकरण-फलसूंड योजना ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: कानसिंहजी, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य जब तक अपनी बात, जो वर्तमान में बोल रहे हैं, पूरी करें, तब तक समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या लास्ट स्पीकर अभी बोल रहे हैं, श्री कान सिंहजी, उनके बोलने तक सदन का टाइम बढ़ाया जाए? आपकी इजाजत हो तो टाइम बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

टाइम बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पोकरण-फलसूंड योजना के लिये 1,083.84 करोड़ रुपये, भोमेर सागर-दवा-समदड़ी-खण्डप योजना के लिये 363.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये तथा वर्तमान सरकार के द्वारा भी गत बजट के अन्दर 218 करोड़ रुपये उम्मेद सागर-दवा-समदड़ी-खण्डप योजना पर और पोकरण-फलसूंड योजना पर 590 करोड़ रुपये किये गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गांव हैं, इस उम्मेद सागर-दवा-समदड़ी-खण्डप के अन्दर 180 गांव हैं, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 56 गांव और एक समदड़ी कस्बा है। पोकरण-फलसूंड योजना के अन्दर 580 गांव हैं जिसमें मेरे विधान सभा के 103 गांव और सिवाना कस्बा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय जलदाय मंत्रीजी से कि जिस तरीके से आपने बालोतरा के अन्दर इमरजेंसी योजना बनाकर इस उम्मेद सागर-धवा-समदड़ी-खण्डप योजना के अन्दर न होते हुए भी बालोतरा को पानी इस योजना से दिया है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, बालोतरा के अन्दर भी पानी की विकट समस्या थी, परन्तु मेरा यह निवेदन है कि हमारे इस सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो खण्डप क्षेत्र है, वह भी खारा बेल्ट है, वहां पर भी जो लोग हैं वे खारा पानी पीने को मजबूर हैं और वहां पर भी लोगों को बहुत तकलीफ है। समदड़ी से मात्र ढाई किलोमीटर दूर करमावास गांव है, अगर उसको पाइप लाइन से जोड़ दिया जाता है, मैंने पहले भी जलदाय मंत्रीजी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी निवेदन किया था कि यह मात्र तीन किलोमीटर पर है, इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो बाद में भी यह जो लाइन है, आपके काम आएगी। उसके पश्चात, जो पुरानी लाइन है उसके अन्दर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे खण्डप क्षेत्र में, जो बहुत ही खारा बेल्ट है, पानी की बहुत ही भारी तकलीफ है, उन लोगों को इस प्रकार की राहत मिलेगी। परन्तु मैं आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चार साल की अवधि के अन्दर मात्र मेरा एक समदड़ी कस्बा ही है, जहां पर पानी की सुविधा प्राप्त हुई है; बाकी सभी जो गांव हैं इन योजनाओं से महरूम हैं। मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की, बालोतरा की तरह इमरजेंसी योजना बनाएं ताकि हमारे क्षेत्र को पानी की सुविधा प्राप्त हो सके।

सड़कों के बारे में, जैसा कि आपने महामहिम के इस अभिभाषण के अन्दर सरकार की उपलब्धि के रूप में बताया है, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन हाई-वे 38, 66 और 68 निकलते हैं परन्तु 38 और 68 हाईवे, 'हरित राजस्थान' के अन्दर होने के कारण आज दो वर्ष से वहां पर काम चल रहा है, बहुत ही मंथर गति से चल रहा है। वहां पर कई एक्सीडेंट हुए हैं। हर समय एक्सीडेंट का भय रहता है। इसलिये, माननीय मंत्रीजी विराजे हैं, आपसे यह निवेदन है कि इस 'हरित राजस्थान,' जो आपने रखा है इसके कारण से जो देर हो रही है, उस पर आप ध्यान दें। पूर्व में भी मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि समदड़ी जो कस्बा है,

(19.00 बजे)

जिसकी 35 हजार की आबादी है, वहां पर भी आपके द्वारा सड़क स्वीकृत है परन्तु तीन किलोमीटर है और हमने आपसे यह निवेदन किया है कि समदड़ी बड़ा कस्बा है, मेन हमारी सड़क है, जहां पर हास्पिटल है, स्कूल है और पुलिस स्टेशन है; सभी प्रकार के, जो समदड़ी एक बड़ा व्यापार सेंटर है, आप इसकी चौड़ाइकरण करें। और भी हमारे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं, छियाली-खण्डप है जो कि जालौर जिले को जोड़ती है। सावरड़ा-राखी है, आपके करमा-गोड, कामां का बाड़ा है; इनके बारे में भी मैंने माननीय मंत्रीजी से पहले निवेदन किया था और मैं आज भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह समदड़ी कस्बे की सड़क है, महत्वपूर्ण सड़क है तथा यह जो आपके 'हरित राजस्थान' है, इसको हटाकर आप यह शीघ्र पूरी करें ताकि एक्सीडेंट का भय हमारे यहां पर नहीं रहे।

परिवहन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने माननीय परिवहन मंत्रीजी से पहले भी निवेदन किया था कि मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र की मात्र 12 पंचायतें हैं जो आपकी रोडवेज सेवा से जुड़ी हुई हैं और बाकी जो हमारी पंचायतें हैं, बड़े-बड़े गांव हैं, समदड़ी है, पादरू है और भी सभी जो गांव हैं, 12 पंचायतों के सिवाय एक भी इस सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा समदड़ी जो कस्बा है, सिवाना जो कस्बा है, न तो हमें बाड़मेर जाने की, जिला मुख्यालय जाने की सुविधा है, रोडवेज की और न हमें प्रदेश मुख्यालय में जाने की सुविधा है। माननीय मंत्रीजी यहां पर विराज रहे हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना एक बहुत ही बड़ा, समृद्ध कस्बा है; हमारे यहां पर भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि हमारे क्षेत्र की जनता जो जिला मुख्यालय है, वहां पर आसानी से जा सके।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

मैं चिकित्सा के बारे में भी माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी 'जननी शिशु सुरक्षा योजना' है, कई प्रकार की आपने योजनाएं बनाईं, परन्तु मेरा आपको यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन सी.एच.सी., दस पी.एच.सी. हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन कर रहा हूं कि 12 डाक्टर्स के पद खाली हैं, दो ब्लाक व चिकित्सा अधिकारी के पद खाली हैं और ऐसी स्थिति के अन्दर, आपकी योजना अच्छी है परन्तु योजना को क्रियान्वित करने के लिए मशीनरी नहीं है। एक भी महिला डाक्टर नहीं है; जहां प्रसव की बात होती है तो हमारे यहां से रेफर किया जाता है बालोतरा और जोधपुर, जो कि हमारे समदड़ी और सिवाना से 45 किलोमीटर और 115-120 किलोमीटर हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह हमारी जनता के साथ में अन्याय है, समदड़ी और सी.एच.सी. के अन्दर इस प्रकार की महिला डाक्टर की जो पोस्ट है, वह क्रिएट की जाए तथा और डाक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को यह सुविधा हो और सरकार के द्वारा भी जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका भी लाभ जनता को मिल सके।

पशु चिकित्सा के बारे में भी निवेदन है कि आपकी योजना तो अच्छी है, आपने योजना शुरू की है उसके लिए तो आपका धन्यवाद परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा, पशुपालन मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 50 पंचायतें हैं, मात्र एक-तिहाई क्षेत्र में ही आपके पशु चिकित्सालय खुले हुए हैं; पांच जो पशु चिकित्सक के पद हैं उसमें से मात्र एक भरा हुआ है। चार चिकित्सक के पद जो खाली हैं, इन पशु चिकित्सकों के पदों के खाली होने के कारण जिस प्रकार से आप चाहते हो कि नि:शुल्क पशु दवाओं का लाभ उनको मिले, वह मेरे क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। मेरा विधान सभा क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र होने के कारण वहां पशुओं की संख्या ज्यादा है। आपसे मेरा यह निवेदन है, मैंने पशु चिकित्सा के बारे में आपसे निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में नए पशु चिकित्सालय खोले जाएं। आपने मात्र एक पशु चिकित्सालय खोला है, मेरा आपसे निवेदन है कि सिवाना में पशु संख्या को देखते हुए आप पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें।

विद्युत के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय विद्युत मंत्रीजी विराजे हुए हैं, सिवाना भी, आप जानते हो, समृद्ध क्षेत्र है जहां पर बिजली की मांग रहती है, मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

चाहता हूं कि हमारे जो बी.पी.एल. परिवार हैं 5,168 परन्तु अभी तक मात्र एक-तिहाई, दो हजार के करीब, शेष बिजली की सुविधा से वंचित हैं तथा हमारे किसानों के ट्रांसफार्मर्स जब भी खराब हो जाते हैं तो उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि अगर किसान को चार-पांच-सात दिन तक ट्रांसफार्मर जला हुआ वापस नहीं मिले तो उसकी फसल बरबाद हो जाती है, आप इस पर ध्यान दें। आपके विभाग के अन्दर और भी किसी भी प्रकार का सामान नहीं है, न तो केबल है; जब सामान मांगने जाते हैं तो सामान आपके वहां पर नहीं है। आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्रकार आप सामान की पूर्ति करें तथा और भी, जैसा कि हमारे यहां पर ढाणियों के अन्दर किसान रहते हैं, बैरों पर रहते हैं, उनके लिए भी सुना है कि आपने प्रावधान किया है, परन्तु वह प्रावधान शीघ्र किया जाए ताकि हमारे वहां पर बैरे पर रहने वाले और खेतों पर रहने वाले किसानों को भी लाभ मिले; लाइट मिलेगी तो बच्चे भी आसानी से पढ़ सकेंगे। इस प्रकार का आपसे निवेदन है।

शिक्षा के बारे में भी मेरा निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपने एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला है तथा आपने मात्र एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया है; एक पादरू का है जहां पर आपने क्रमोन्नत किया है, उसके लिए तो आपको धन्यवाद परन्तु मेरा यह निवेदन है कि सिवाना के अन्दर भी प्राइमरी स्कूलों की काफी मांग है, मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी आप प्राइमरी स्कूलें खोलें। हमारे यहां जो थर्ड ग्रेड अध्यापक हैं उनके 164 पद रिक्त हैं और सेकण्ड ग्रेड के 25 पद रिक्त हैं तथा और भी, माध्यमिक शिक्षा के अन्दर भी विषय अध्यापकों के काफी पद रिक्त हैं। आपसे निवेदन है कि वे पद भी भरे जाएं।

मेरे सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक उपखण्ड कार्यालय, बड़ा क्षेत्र है, एक भी कालेज नहीं है। मैंने कई सालों से, तीन-चार साल से जब भी बजट सेशन आता है और भी जब बोलने का अवसर मिलता है, तो मैं सिवाना के कालेज के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं भेजते; सिवाना जैसे क्षेत्र के अन्दर अगर कालेज नहीं है तो यह हमारे लिए, मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र होते हुए भी हमारे सिवाना

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी कालेज नहीं है। इसलिए निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की मांग को देखते हुए कालेज खोला जाए।

कृषि के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आपने जो यह हमारे मौसम यंत्र लगाया है, इस मौसम यंत्र का हमारे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। न तो जितना हम प्रीमियम जमा करवाते हैं, वह प्रीमियम भी, हमें खरीफ का भी प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं, उसके लिए आपसे निवेदन है कि अगस्त के अन्दर यह ओलावृष्टि हुई, इसलिए इस मौसम यंत्र को हमारे किसान नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह क्राफ्कटिंग, जो पूर्व में था, वह ही योजना हमारे किसानों के लिए की जाए ताकि किसानों को फसल के वास्तविक नुकसान का बीमा धन प्राप्त हो सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

वन विभाग के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना क्षेत्र एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, वहां पर गूगल-धूप है, गोंद है। आज स्थिति ऐसी है कि सब पहाड़ वृक्षविहीन हो चुके हैं। किसी प्रकार की वहां पर ऐसी औषधियां जो पहले प्राप्त होती थीं, ये गोंद और अन्य चीजें अब प्राप्त नहीं होती हैं। कारण, कि मेरे इस सिवाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 27,071 हैक्टेयर के अन्दर यह जो वन क्षेत्र फैला हुआ है, आपके 39 वन क्षेत्र हैं, परन्तु आपकी जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 5.8 किलोमीटर की ही दीवार बनी हुई है, न किसी प्रकार की मेंड़बंदी है जिसके कारण से ये हमारे फोरेस्ट उजड़ रहे हैं, असुरक्षित हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना जो एक समृद्ध क्षेत्र था और इस प्रकार की चार-दीवारी और फेन्सिंग के अभाव के अन्दर जो वन उजड़ रहे हैं, उनको संरक्षित किया जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आपने इसके अन्दर यह बात भी कही है कि हमने ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण दिया है, परन्तु मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पूर्व में भी आपको कई बार निवेदन किया है, आज सिवाना के अन्दर ग्यारहवीं शताब्दी का पवार शासकों द्वारा बनाया हुआ, निर्मित एक बेजोड़ किला है जो आज जर्जर हो रहा है। उसकी ओर भी सरकार ध्यान दे। इसी सिवाना की धरती पर सिवाना से 15 किलोमीटर दूर हल्देश्वर स्थान है, जहां पर राव मालदेव शेरशाह सूरी से पराजित होकर अपने जो तकलीफ के दिन थे, वे तकलीफ के दिन उसी हल्देश्वर स्थान पर काटे और वीर दुर्गादास ने भी

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

जोधपुर के महाराजा को उसी हल्देश्वर स्थान पर शरण दी और औरंगजेब के पौत्र और पौत्रियों को भी उसी हल्देश्वर स्थान पर रखा। वहां पर उस समय की निर्मित जो पोल बनी हुई है, जो मकान हैं, वे जर्जर अवस्था के अन्दर हो रखे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, पर्यटन मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जिस प्रकार आपने दूसरी जगह संरक्षित करने का कार्य किया है, हमारे सिवाना की भी यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, उस ऐतिहासिक धरोहर को भी संरक्षित करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

मैं अन्त में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि महामहिम के द्वारा जो ये बातें अभिभाषण के अन्दर कही गयी हैं, मैं महामहिम के अभिभाषण पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, 26 फरवरी, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.11 बजे मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण

29. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 से अब तक कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? वर्षवार जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां वर्षों से चालू स्थाई कब्रिस्तान हैं और सरकारी रिकार्ड में दर्ज नहीं है?

(3) वक्फ बोर्ड ने अपने प्रयत्नों से कितने कब्रिस्तानों को रिकार्ड में दुरुस्त करवाया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सेटलमेंट में कब्रिस्तानों को रिकार्ड से हटाने पर कितने इन्द्राज दुरुस्ती के दावे करवाये गये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) कब्रिस्तानों की चारदीवारी पर सरकारी, वक्फ बोर्ड नरेगा व विधायक कोष तथा सांसद कोष से वर्ष 2008 से जनवरी, 2013 तक कहां-कहां कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 2008 से अब तक कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण के 135 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। वर्षवार जिलेवार विवरण संलग्न (परिशिष्ट क)।

(2) वक्फ बोर्ड द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का सर्वे नहीं कराया गया है।

(3) जी हां। वक्फ बोर्ड ने अपने प्रयत्नों से कब्रिस्तानों को रिकार्ड में दुरुस्त कराया है जिनकी सूची जिलेवार संलग्न प्रस्तुत है। (परिशिष्ट ख)

(4) जी हां। कब्रिस्तानों को इन्द्राज दुरुस्ती के दावे माननीय राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर में प्रस्तुत हुए हैं जो विचाराधीन हैं, सूची संलग्न प्रस्तुत है। (परिशिष्ट ग)

(5) बोर्ड में आर्थिक संसाधन अपर्याप्त होने के कारण वक्फ बोर्ड कोष से वर्ष 2008 से अब तक कब्रिस्तान की चारदिवारी नहीं बनाई गई है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कब्रिस्तानों की मरम्मत व सुधार के लिये दो करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड को आबंटित किये गये हैं। इस कार्य हेतु वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाए गये हैं।

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कब्रिस्तानों की चारदिवारी के लिये जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये राशि एयर मार्क की गई है जिसके लिये वक्फ कमेटियों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। अब तक विभिन्न जिलों से 2 करोड़ 52 लाख राशि के लिये कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें सम्बन्धित जिला परिषदों को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं।

नरेगा, विधायक कोष तथा सांसद कोष से 2008 से अब तक हुई व्यय राशि विवरण जिला परिषदों के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा की जाती है। 33 जिलों से समग्र सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

बायतू की क्षतिग्रस्त सड़कें

30. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बायतू विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य है? वर्गवार सड़कों की वर्तमान स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पचपदरा पाटोदी मार्ग में पाटोदी से रीछोली तक 6 किमी क्षतिग्रस्त सड़क, साजियाली सिंधियों की मेरी से लापुन्दीड़ा सड़क एवं अन्य नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बायतू विधान सभा क्षेत्र की 228 सड़कों में से 27 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, श्रेणीवार सड़कों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। पचपदरा पाटोदी मार्ग में पाटोदी से रिछोली तक एवं साजियाली सिंधियों की बेरी से लापुन्दड़ा सहित कुल 27 नान पेचेबल सड़कों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में से 2 सड़कों पर नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिनका विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हरित राजस्थान योजनान्तर्गत मारवाड़ जंक्शन में रोपित पौधों की निगरानी

31. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से 2012 तक प्रदेश में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया था? यदि हां, तो कब-कब?

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कहां-कहां कब-कब व कितनी राशि के वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने वृक्ष लगाये गये? स्थानवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पेड़-पौधों की देखरेख के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी? यदि हां, तो किसकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पेड़-पौधों के लिये पानी की व्यवस्था भी की गई थी? यदि हां, तो किस-किस स्थान के लिए तथा उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उक्त कार्य किसके द्वारा किया गया तथा पानी देने वाले को कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उचित देखरेख के अभाव में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये अधिकांश पेड़-पौधे नष्ट हो गये हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में हरित राजस्थान कार्यक्रम वर्ष 2009-10 से चलाया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये तथा लगाए गए वृक्षों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त पेड़-पौधों की देखरेख के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी। लगाए गए पेड़-पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी की थी।

(4) जी हां। उक्त पेड़-पौधों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई थी। स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। पानी देने का कार्य सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया गया। पानी देने वाले को किए गए भुगतान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उचित देखरेख के अभाव में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये अधिकांश पेड़-पौधे नष्ट हो गये हैं। पौधे नष्ट होने के अन्य कारण यथा अकाल, भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राकृतिक कारण रहे हैं, जिनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

परिशिष्ट-अ

ब्लाक मारवाड़ जंक्शन में हरित राजस्थान 2009-10 में करवाए गए वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम	हरित राजस्थान कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि लाखों में			कुल लगाये गये पौधों की संख्या	पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि लाखों में
					श्रम	सामग्री	कुल		
1.	जोजावर (मा. जं.)	गौचर भूमि में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	07-10-2009	12.71	6.45	19.16	7500	1.51
2.	मारवाड़ जं. (मा. जं.)	तहसील मारवाड़ जंक्शन में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	10-07-2009	0.41	0.03	0.44	40	0.03
3.	मारवाड़ जं. (मा. जं.)	पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	10-07-2009	0.41	0.03	0.44	42	0.03
		योग			**13.53**	**6.51**	**20.04**	**7582**	

ब्लाक मारवाड़ जंक्शन में हरित राजस्थान 2010-11 में करवाए गए वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम	हरित राजस्थान कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि लाखों में			कुल लगाये गये पौधों की संख्या	पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि
					श्रम	सामग्री	कुल		
1.	जाइन (मा. जं.)	गौचर भूमि व वृक्षारोपण खसरा नं. 512	ग्राम पंचायत	06-04-2010	12.03	3.43	15.46	900	1.05
2.	जोजावर (मा. जं.)	गौचर भूमि में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	07-10-2009	12.71	6.45	19.16	3500	उपरोक्तानुसार
		योग			**24.74**	**9.88**	**34.62**	**4400**	

ब्लाक मारवाड़ जंक्शन में हरित राजस्थान 2011-12 में करवाए गए वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम	हरित राजस्थान कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि लाखों में			कुल लगाये गये पौधों की संख्या	पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि
					श्रम	सामग्री	कुल		
1.	जोजावर (मा. जं.)	गौचर भूमि में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	07-10-2009	12.71	6.45	19.16	0	उपरोक्तानुसार
		योग			**12.71**	**6.45**	**19.16**	**0**	

ब्लाक मारवाड़ जंक्शन में हरित राजस्थान 2012-13 में करवाए गए वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम	हरित राजस्थान कार्य का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि लाखों में			कुल लगाये गये पौधों की संख्या	पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि
					श्रम	सामग्री	कुल		
1.	जोजावर (मा. जं.)	गौचर भूमि में वृक्षारोपण कार्य	ग्राम पंचायत	07-10-2009	12.71	6.45	19.16	0	उपरोक्तानुसार
		योग			**12.71**	**6.45**	**19.16**	**0**	

परिशिष्ट-ब

गोचर भूमि पंचायत/राजस्व वृक्षारोपण कार्य जोजावर में पानी पर व्यय राशि का विवरण

व्यय की दिनांक	पानी की व्यवस्था की गई	राशि
25-9-2009	भंवर सिंह/सवाई सिंह	6000
7 May-10	भंवर सिंह/सवाई सिंह	50875
30-5-2011	दुर्गसिंह/केशर सिंह	7425
30-5-2011	सुगन रावल/शिव लाल	7680
29-7-2011	भंवर सिंह/सवाई सिंह	17700
18-4-2012	भंवर सिंह/सवाई सिंह	3465
19-6-2012	भंवर सिंह/सवाई सिंह	5400
28-7-2012	दुर्गसिंह/केशर सिंह	5100

तहसील मारवाड़ जंक्शन में वृक्षारोपण कार्य	उक्त कार्य पर पानी पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया।
पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन में वृक्षारोपण कार्य	उक्त कार्य पर पानी पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया।
गोचर भूमि व वृक्षारोपण खसरा नं. 512	उक्त कार्य पर पानी पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया।

भूमि विकास बैंक, बूंदी में व्याप्त अनियमितताएं

32. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, बूंदी के कार्यरत सचिव द्वारा नियम विरुद्ध अपने पुत्र व अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सचिव, भूमि विकास बैंक, बूंदी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि

(श्री अशोक डोगरा)

विकास बैंक जयपुर से ऋण प्राप्त करने के बाद भी जिले के प्राथमिक बैंक से ऋण लेने में सक्षम है? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि विकास बैंक बूंदी के सचिव द्वारा प्राथमिक बैंक से नियम विरुद्ध ऋण लिया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल की बैठक की कार्यवाही के अन्त में अधिनियमानुसार अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? यदि हां, तो सचिव, बूंदी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को आहूत बोर्ड की कार्यवाही में सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने पर भी बैठक को वैध क्यों माना गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राथमिक भूमि विकास बैंक बूंदी में श्री सोहनलाल मीणा (अधिकारी एसएलडीबी) दिनांक 02.06.2012 से सचिव पद पर कार्यरत हैं। इनके द्वारा एनजीओ मैसर्स श्री विनायक प्लेसमेन्ट सर्विसेज के माध्यम से 4 संविदाकर्मी रखे गये, जिनमें श्री कमलेश मीणा को शाखा सचिव के पद पर रखा गया, जो श्री सोहनलाल मीणा, सचिव के पुत्र हैं। दिनांक 09.01.2013 को श्री कमलेश मीणा को हटा दिया गया है। सचिव श्री सोहनलाल मीणा के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सचिव, भूमि विकास बैंक बूंदी, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने के पश्चात भी जिले के भूमि विकास बैंक से ऋण चुकौती क्षमता के आधार पर ऋण लेने में सक्षम है।

ऋण स्वीकृति नियम प्राथमिक बैंक बूंदी की प्रति दिनांक 23.07.2009 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के भवन ऋण नियम एवं व्यक्तिगत साख सीमा ऋण की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) नहीं। सचिव द्वारा भूमि विकास बैंक से ऋण चुकौती क्षमता के आधार पर नियमानुसार ऋण लिया है।

(4) सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल की बैठक की

(सहकारिता मंत्री)

कार्यवाही के अन्त में अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर होने बाबत अधिनियम में प्रावधान नहीं है। परन्तु प्राथमिक बैंक के उपनियम 29(6) के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल की बैठक की कार्यवाही के अन्त में अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर होने का प्रावधान है। दिनांक 14.12.2012 को आयोजित संचालक मण्डल की बैठक की कार्यवाही पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने पर बैठक की वैधता के सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में विद्युत छीजत की रोक हेतु कार्य योजना

33. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस इकाई से कितनी-कितनी विद्युत उत्पादन हो रही है तथा कितनी खपत है? गत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में राज्य में बिजली की छीजत में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बिजली की छीजत रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में गत पांच वर्षों (वर्ष 2008-09 से माह जनवरी, 2013 तक) में इकाईवार बिजली उत्पादन का विवरण प्रपत्र 'अ' पर तथा खपत का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों (वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक) में बिजली की छीजत (पारेषण एवं वितरण में हानि) एवं प्रसारण हानि का विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार विद्युत छीजत कम करने के लिये कृतसंकल्प है। बिजली की छीजत रोकने के लिये मुख्यतया निम्न उपाय किये जाते हैं:-

1. अत्यधिक विद्युत छीजत वाले क्षेत्रों में इन्सूलेटेड केबिल/अण्डेरग्राउण्ड केबिल डालना।

(ऊर्जा मंत्री)

2. उच्च प्रतिरोधक क्षमता के तारों के स्थान पर कम प्रतिरोधक क्षमता के तारों को स्थापित करना
3. ट्रांसफार्मरों को भार केन्द्र पर स्थापित करना
4. स्थापित विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना
5. 220 केवी, 132 केवी एवं 33 केवी नये सब-स्टेशनों का निर्माण करना
6. बन्द/खराब मीटरों को शीघ्रातिशीघ्र बदलना
7. समय-समय पर सघन सतर्कता जांच करना, इत्यादि।

प्रपत्र 'अ'

STATEMENT SHOWING SOURSEWISE GENERATION AND STATE CONSUMPTION

S. No.		Source	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (UPTO 13TH FEB)*
1		2	3	4	5	6	7	8
A		**STATE OWNED**						
A	1	KTPS	76086.21	78563.04	81692.60	89353.21	91176.21	76567.82
	2	STPS	92910.19	88320.77	87041.91	85529.26	97355.95	84003.52
	3	RAMGARH	3853.69	3344.19	3341.09	2876.91	5255.82	4299.76
	4	GIRAL LTPS (I & II)	1500.42	3870.36	3956.04	5040.02	3972.66	2985.83
	5	DHOLPUR CCPP	9667.70	22299.52	23639.22	19378.72	21929.13	9839.11
	6	CHHABRA TPS			2145.13	11105.87	22321.17	22089.16
	7	MAHI	2814.75	1127.97	844.98	687.52	1793.54	1746.26
	8	Wind	6734.98	8661.51	10671.50	13038.93	24132.60	27271.58
	9	Biomass	1382.82	1738.73	1752.56	1684.83	2222.52	1974.37
	10	Solar	0.00	0.00	0.00	51.10	385.58	634.05
		Total-A	**194950.76**	**207926.10**	**215085.03**	**228745.36**	**270545.18**	**231411.46**

1		2	3	4	5	6	7	8
B	1	**PARTENERSHIP PROJECTS**						
		CHAMBAL	11035.19	5464.14	2604.75	3200.96	6404.27	5021.69
		Total-B	**11035.19**	**5464.14**	**2604.75**	**3200.96**	**6404.27**	**5021.69**
C		**CENTRAL PROJECTS**						
C	1	RAPP-A	2770.80	0.00	8731.87	14495.80	15397.25	11528.98
	2	RAPP-B (SHARE OF STATE)	6156.80	6631.73	6768.88	10333.32	11117.84	9766.91
	3	RAPP-C (SHARE OF STATE)			561.92	5268.65	7024.92	6014.29
	4	ANTA (SHARE OF STATE)	5503.80	5236.00	5828.44	4965.75	5503.90	3468.40
	5	BARSINGSAR LTPS			0.40	2024.28	5527.14	9798.99
		Total-C	**14431.40**	**11867.73**	**21891.51**	**37087.80**	**44571.05**	**40577.57**
D		IPP	0.00					
	1	RAJWEST	0.00		2115.83	8367.23	14768.05	27391.38
		Total-D	0.00		2115.83	8367.23	14768.05	27391.38
		TOTAL GENERATION	220417.35	225257.96	241697.12	277401.35	336288.55	304402.09
E		CENTRAL SECTOR & OTHER SHARED PROJECTS (LONG TERM)	116047	122197	120827	119396	122439	114954

प्रपत्र "ब"

वर्षवार खपत

वर्ष	खपत (लाख यूनिट में)
2007-08	366883.80
2008-09	389163.40
2009-10	443632.50
2010-11	470512.20
2011-12	501155.50
2012-13	447182.64

प्रपत्र "स"

प्रदेश में गत पांच वर्षों (वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक) में बिजली की छीजत (पारेषण एवं वितरण में हानि) का विवरण निम्नानुसार है, जो कि वार्षिक लेखों के आधार पर दिये गये हैं

वर्ष	राज्य में	
	छीजत (प्रतिशत में) (पारेषण व वितरण में)	छीजत में कमी/वृद्धि प्रतिशत में
2007-08	35.52	
2008-09	31.54	(-) 3.98
2009-10	30.96	(-) 0.58
2010-11	26.78	(-) 4.18
2011-12 (अनुमानित)	24.37	(-) 2.41

खण्डेला शहर में संचालित छात्रावास का बकाया किराया प्रकरण

34. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खण्डेला शहर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का भवन किराये पर लिया हुआ है? यदि हां, तो कब से एवं किन शर्तों पर? एग्रीमेंट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एग्रीमेंट के अनुसार भवन मालिक को किराया मासिक रूप से चुकाया जाना था? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कब-कब किराया चुकाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि एग्रीमेंट की शर्तों की पालना में किराया मासिक रूप से नहीं चुकाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार एग्रीमेंट की शर्तों की पालना करवाने एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सीकर जिले के खण्डेला शहर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास का भवन किराये पर लिया गया है। यह भवन दिनांक 18.08.2008 से विभाग द्वारा किराये पर लिया गया है। भवन मालिक के साथ हुए एग्रीमेंट की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार भवन मालिक को किराया मासिक रूप से चुकाया जाना था किन्तु भवन मालिक द्वारा किराये के बिल प्रति माह प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भवन किराया स्वीकृत करने के लिए जिला कलक्टर से भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। जिला कार्यालय सीकर के पत्रांक 1037 दिनांक 23.06.2010 स्मरण पत्र क्रमांक 7812 दिनांक 23.03.2011 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 246 दिनांक 12.05.2011 के द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जिला कलक्टर सीकर को लिखा गया था, जिसके क्रम में कार्यालय जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 9715 दिनांक 29.09.2011 द्वारा अनुपलब्धता

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। तदुपरान्त विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के किराये के रूप में राशि 96,000 का भुगतान भवन मालिक को दिनांक 21.11.2011 को किया गया।

इसी प्रकार जिला कार्यालय सीकर के पत्राक 245 दिनांक 12.05.2011 द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जिला कलक्टर सीकर को लिखा गया, जिसके क्रम में कार्यालय जिला कलक्टर सीकर से जारी भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिनांक 09.01.2013 को जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ जो परिशिष्ट-स पर उपलब्त है। तदुपरान्त विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के किराये के रूप में राशि 96,000 का भुगतान भवन मालिक को किया गया।

(3) जी हां। यह भी सही है कि एग्रीमेंट की शर्तों की पालना में किराये का भुगतान मासिक रूप से नहीं चुकाया जा रहा है। भवन मालिक द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत न कर पाने व भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय की वजह से भवन का किराया मासिक रूप से नहीं चुकाया जा सका है।

भवन मालिक द्वारा मासिक रूप से भवन किराये के बिल प्रस्तुत न करने तथा भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी होने में लगने वाले प्रक्रियागत समय की वजह से मासिक रूप से किराये का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके लिए विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। भवन मालिक को समय-समय पर नियमित रूप से भवन किराये के बिल प्रस्तुत करने व प्राप्त बिलों के शीघ्र भुगतान हेतु विभागीय जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 से 2011-12 के भवन किराये के विलम्ब से भुगतान के लिए भवन मालिक द्वारा नियत समय पर बिल प्रस्तुत न कर पाना व भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की प्रक्रियागत विलम्बता उत्तरदायी है, जिसके लिए विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर जिले में गारंटी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कें

35. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में गत चार वर्षों में कितनी सड़कों का कहां-कहां तक व कितनी-कितनी राशि का नवीनीकरण कार्य किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह)

(2) उक्त जिले में कितनी डामर सडकें गारंटी अवधि में हैं? सड़क के नाम व गारंटी अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में गारंटी समयावधि में कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं व इसके क्या कारण रहे एवं इसके लिये कौन अधिकारी/ठेकेदार जिम्मेवार है?

(4) क्या गारंटी समय सीमा में टूटी सड़कों के ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत चार वर्षों में नवीनीकृत सड़कों का मय राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) अलवर जिले में 360 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं, जिनका नाम व गारण्टी अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) अलवर जिले में गारण्टी समयावधि में कुल 27 सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं। क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक भारी खनन वाहनों के आवागमन, पूर्वानुमान से अत्यधिक वाहनों के भार तथा भारी वर्षा आदि रही है। उत्तरदायी संवेदकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। गारण्टी समयावधि में क्षतिग्रस्त सड़कों पर सम्बन्धित संवेदकों द्वारा अनुबन्धानुसार मरम्मत न करने पर उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसान आयोग की प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही

36. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने घोषणा पत्र में फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को इकाई बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार ने घोषणा पत्र में शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि व अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसान को समर्थ बनाने हेतु उचित मुआवजा नीति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो मुआवजा नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) सरकार को किसान आयोग की अब तक कितनी रिपोर्ट प्राप्त हुई है? रिपोर्ट के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? किसान आयोग की रिपोर्ट व की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) का तहसील को इकाई मानकर क्रियान्वयन किया गया था। खरीफ 2010 से सम्पूर्ण राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में नेशनल कोलेटरल मेनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से राज्य में 504 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक तहसील में एक से अधिक भी मौसम केन्द्र स्थापित हैं । इन केन्द्रों को ही इस योजनान्तर्गत इकाई माना गया है। इसलिए अब ग्राम पंचायत को इकाई मानकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

(2) ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि पूर्व से ही प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल थी। पाला एवं शीतलहर को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इसे प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। सी.आर.एफ. के तय मापदण्डों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

(3) सरकार को किसान आयोग की एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है । रिपोर्ट में कई विभागों से सम्बन्धित अनुशंसाएं की गई हैं। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किसान आयोग का प्रथम अन्तरिम प्रतिवेदन परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले की ग्राम पंचायतों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

37. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं में गबन के प्रकरण सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में भरतपुर जिले में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में ऐसे प्रकरणों की जांच जारी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) उक्त जिले में वर्ष 2011 तक इस तरह के कुल कितनी राशि के गबन के प्रकरण लम्बित हैं? क्या सरकार द्वारा वर्ष 2011 तक के उक्त प्रकरणों की जांच करवाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो इस सम्बन्ध में समय-समय पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों की गम्भीरता से जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर जिले में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के अंकेक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग के गबन के प्रकरण ध्यान में आये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भरतपुर जिले में वर्ष 2011 तक इस तरह के कुल राशि रुपये 72,52,846 के गबन राशि के प्रकरण लम्बित है, जो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के अंकेक्षण के दौरान उजागर हुए हैं। (संलग्न परिशिष्ट 'ब') जिसमें से 12,84,348 की राशि वसूल की जा चुकी है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एक वैधानिक संस्था है जो पंचायती राज संस्थाओं की स्वतंत्र रूप से आडिट करती है। अत: सरकार द्वारा सामान्यतया अलग से जांच नहीं करवाई जाती है। गबन प्रकरणों की प्रकृतिनुसार राशि की वसूली एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

(3) जी नहीं। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एक वैधानिक संस्था है जो पंचायती राज संस्थाओं की स्वतंत्र रूप से आडिट करती है। अत: सामान्यतया सरकार द्वारा अलग से जांच नहीं करवाई जाती है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में बी.पी.एल. कार्ड सुविधा रहित परिवारों हेतु अभियान

38. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में केन्द्रीय बी.पी.एल. कार्ड होल्डर व स्टेट बी.पी.एल. होल्डर कितने-कितने हैं?

(2) प्रदेश में वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितने बी.पी.एल. कार्ड बनाये गये तथा कितने बनाने शेष हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे उक्त गरीबों हेतु पुन: अभियान चलाकर और

(श्री अब्दुल सगीर खां)

मौके पर ही सारी जांच कराकर राज्य बी.पी.एल. कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में बी पी एल सूची-2002 में 2176393 परिवार एवं राज्य बी पी एल सूची में 1093335 परिवार, बी पी एल कार्ड हेतु चयनित परिवार हैं। बी पी एल सूची-2002 के प्रभावी रहने तक पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विस्तरीय अपील प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके कारण सूची में चयनित परिवारों की संख्या में निरन्तर परिर्वतन सम्भव है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में आन लाइन सूचना के अनुसार जनवरी, 2009 से 31.01.2013 तक बीपीएल सूची-2002 में अपील प्रक्रिया से जोड़े गये एवं राज्य में प्रथम बार घोषित किये गये राज्य बी पी एल सूची के परिवारो की जिलेवार संख्या एवं कार्ड बनाये जाने से शेष परिवारों की संख्या सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बी पी एल सूची-1997 में चयनित किन्तु बी पी एल सूची-2002 में चयन से वंचित, समस्ते परिवारों को राज्य बी पी एल सूची में शामिल कर लिया गया है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	जिले का नाम	केन्द्रीय बी.पी.एल. सूची-2002 में ऑन-लाइन सूचना के अनुसार चयनित परिवारों की संख्या	राज्य बी.पी.एल. सूची में आ-लाइन सूचना के अनुसार शामिल परिवारों की संख्या	कुल चयनित परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	33934	44553	78487
2.	अलवर	65383	46271	111654
3.	बांसवाड़ा	160619	70523	231142
4.	बारां	49020	30157	79177
5.	बाड़मेर	128886	40375	169261
6.	भरतपुर	49927	27026	76953

1	2	3	4	5
7.	भीलवाड़ा	96518	52531	149049
8.	बीकानेर	85294	39701	124995
9.	बूंदी	33564	30076	63640
10.	चित्तौड़गढ़	92407	71556	163963
11.	चूरू	68476	32274	100750
12.	दौसा	50017	15790	65807
13.	धौलपुर	26973	14551	41524
14.	डूंगरपुर	139802	28902	168704
15.	हनुमानगढ़	44375	22046	66421
16.	जयपुर	65889	35965	101854
17.	जैसलमेर	25006	11843	36849
18.	जालौर	79141	32708	111849
19.	झालावाड़	52214	32748	84962
20.	झुन्झुनूं	15322	18105	33427
21.	जोधपुर	69809	18351	88160
22.	करौली	60879	28511	89390
23.	कोटा	34430	24134	58564
24.	नागौर	57958	37469	95427
25.	पाली	66447	32081	98528
26.	राजसमंद	62136	23204	85340
27.	सवाई माधोपुर	42440	34081	76521
28.	सीकर	27411	19483	46894
29.	सिरोही	32645	22444	55089
30.	श्रीगंगानगर	67621	19387	87008
31.	टोंक	35797	34241	70038
32.	उदयपुर	256053	102248	358301
कुल योग		**2176393**	**1093335**	**3269728**

परिशिष्ट-ब

क्र. सं.	जिले का नाम	जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक जोड़े गये परिवारों की संख्या			शेष बी.पी.एल. कार्ड
		बी.पी.एल. सूची-2002 में आन-लाइन सूचना के अनुसार जोड़े गये परिवारों की संख्या	राज्य बी.पी.एल. सूची में चयनित कुल परिवारों की संख्या	कुल योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अजमेर	888	44553	45441	
2.	अलवर	1713	46271	47984	
3.	बांसवाड़ा	146	70523	70669	
4.	बारां	7134	30157	37291	
5.	बाड़मेर	13236	40375	53611	2149
6.	भरतपुर	1318	27026	28344	
7.	भीलवाड़ा	2701	52531	55232	
8.	बीकानेर	472	39701	40173	
9.	बूंदी	6	30076	30082	
10.	चित्तौड़गढ़	2520	71556	74076	
11.	चूरू	1990	32274	34264	
12.	दौसा	3846	15790	19636	
13.	धौलपुर	221	14551	14772	42

1	2	3	4	5	6
14.	डूंगरपुर	1938	28902	30840	
15.	हनुमानगढ़	997	22046	23043	
16.	जयपुर	4141	35965	40106	1059
17.	जैसलमेर	557	11843	12400	1560
18.	जालौर	416	32708	33124	
19.	झालावाड़	1965	32748	34713	
20.	झुन्झुनूं	2068	18105	20173	
21.	जोधपुर	4524	18351	22875	
22.	करौली	776	28511	29287	
23.	कोटा	71	24134	24205	
24.	नागौर	2703	37469	40172	
25.	पाली	6171	32081	38252	1231
26.	राजसमंद	571	23204	23775	
27.	सवाई माधोपुर	1041	34081	35122	
28.	सीकर	1562	19483	21045	
29.	सिरोही	358	22444	22802	
30.	श्रीगंगानगर	3746	19387	23133	
31.	टोंक	3457	34241	347698	
32.	उदयपुर	11863	102248	114111	
कुल योग		**85116**	**1093335**	**1178451**	**6041**

अलवर जिले के जलापूर्ति केन्द्रों का रखरखाव

39. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में पेयजल आपूर्ति केन्द्र अधिकांशत: खुले हुये हैं? यदि हां, तो क्यों एवं इनके लिये कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि खुले टैंकों में गिरने से अब तक अनेक पशुओं की जान चली गयी है एवं अनेक लोग दुर्घटनाग्रस्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टैंकों को ढकवाये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। समान रूप से पेयजल वितरण की दृष्टि से वितरण प्रणाली तंत्र अंतर्गत बिछाई गई राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनों में आवश्यकतानुसार वाल्व स्थापित कर इनके चारों ओर वाल्व चैम्बर का निर्माण किया जाता है। जिला अलवर के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जल योजनाओं अन्तर्गत आवश्यकतानुसार निर्मित किये गये वाल्व चैम्बर अधिकांशत: ढके हुए हैं। इन चैम्बरों पर स्थापित ढक्कनों के क्षतिग्रस्त होने अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हें उठा लिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्राथमिकता पर चैम्बर ढकवाने की कार्यवाही सतत रूप से की जाती है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं आया है फिर भी विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को जिले की विभिन्न शहरी/ग्रामीण जल योजनाओं अंतर्गत निर्मित वाल्व चैम्बरों का पुन: सर्वेक्षण कर इन्हें पूर्ण रूप से ढकने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की जांच

40. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतों पर विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक ब्यूरो द्वारा क्या-क्या रिकार्ड जांच हेतु जब्त किया गया? क्या सरकार को ब्यूरो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जनवरी 2009 से 31.1.2013 तक छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण जिलेवार परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जब्त किये गये रिकार्ड का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। छात्रवृत्ति में हुई अनियमितताओं में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

झाडोल में डामरीकृत सड़क रहित ढाणियां

41. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार की 350 की आबादी के गांव/ढाणियों की सड़कों को डामरीकरण किये जाने की योजना है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र झाडोल में

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

350 की आबादी की कितनी ढाणियां हैं तथा क्या सरकार इन सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत, जनगणना वर्ष 2001 पर आधारित, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के गांव/ढाणियों को बारहमासी सड़क से जोडने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र झाडोल जनजातीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। विधान सभा क्षेत्र झाडोल में 350 व इससे अधिक की कुल 82 ढाणियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत डामरीकृत सड़क से जोड़ने की योजना है। सूची विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र झाडोल में 500 व इससे अधिक आबादी की कुल 41 ढाणियों की योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। जिनमें से 28 ढाणियों को डामरीकृत सड़क से जोड़ दिया गया है व 8 ढाणियों को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 5 ढाणियां वन क्षेत्र में से गुजरती हैं। इन ढाणियों की वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। सूची विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

400 से 499 आबादी समूह की कुल 19 ढाणियां जिनके प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं एवं भारत सरकार की एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग दिनांक 02.01.2013 में विचार किया जा चुका है, स्वीकृति शीघ्र अपेक्षित है। इन ढाणियों को स्वीकृति पश्चात सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

350 से 399 आबादी समूह की कुल 21 पात्र ढाणियों के प्रस्ताव तैयार कर, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर जिले में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु कार्य-योजना

42. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पदमाराम)

(1) क्या प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रायोगिक तौर पर रबी की फसल हेतु किस-किस जिलों में लागू किया गया? प्रायोगिक तौर पर इसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खरीफ की फसल में भी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया? यदि हां, तो किस-किस जिले में एवं उसके प्रायोगिक तौर पर क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को सीमावर्ती एवं पिछड़ा जिला बाड़मेर में भी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार जिले एवं फसल मौसम में किया गया है :-

क्र.सं.	फसल मौसम	चयनित जिले
1.	रबी 2011-12	जालौर, टोंक, राजसमन्द ।
2.	खरीफ 2012	टोंक, सीकर, झुंझुनूं, राजसमन्द ।
3.	रबी 2012-13	टोंक, सीकर, झुंझुनूं, राजसमन्द ।

यह योजना भारत सरकार द्वारा देश के केवल 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है, जिसमें राज्य के 4 जिले शामिल किए गए हैं ।

(2) रबी 2011-12 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत टोंक, जालौर एवं राजसमन्द लागू थी। इन जिलों में दिए गए बीमा क्लेम का विवरण निम्नानुसार है :-

(कृषि मंत्री)

क्र.सं.	नाम जिला	कुल प्रीमियम राशि (करोड़)	दी गई बीमा क्लेम राशि (करोड़)
1.	टोंक	8.41	2.65
2.	जालौर	15.86	11.74
3.	राजसमन्द	0.88	0.10

(3) खरीफ 2012 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना टोंक, सीकर, झुन्झुनूं एवं राजसमन्द में लागू की गई थी। पटवार सर्किलवार/तहसीलवार फसल कटाई प्रयोगों के सम्पूर्ण आंकड़े अभी राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके अभाव में बीमा क्लेम का निर्धारण नहीं हो पाया है । बीमा क्लेम के निर्धारण के अन्तिम तिथि 31 मार्च-2013 अधिसूचित है ।

(4) जी नहीं। यह योजना भारत सरकार द्वारा देश के केवल 50 जिलों में ही प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है ।

मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना हेतु प्राप्त राशि

43. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना कब से शुरू की गई है और उक्त योजना के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? नियमों/मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना हेतु सरकार को किन-किन संस्थाओं से कब-कब कितनी-कितनी राशि किन-किन शर्तों पर स्वीकृत हुई और उक्त राशि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण लिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना ऋण, कब-कब, किन-किन संस्थाओं से लिया गया और उसके पुनर्भुगतान की क्या व्यवस्था प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त योजना हेतु जयपुर जिले में अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और उनमें से कितने स्वीकृत हो चुके हैं तथा कितने अभी तक किस कारण से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में "मुख्य मंत्री ग्रामीण बी पी एल आवास योजना" वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बी पी एल सेन्सस-2002 के आधार पर इन्दिरा आवास हेतु तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची में से चयनित पात्र बी पी एल परिवारों को योजना के निर्धारित मापदण्डानुसार लाभान्वित कराया जा रहा है। राज्य के सभी पात्र अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र (टी.एस.पी.) के पात्र सभी परिवारों को रुपये 50,000/- एवं अन्य वर्ग के परिवारों को रुपये 45,000/- की अनुदान सहायता राशि 20 वर्गमीटर क्षेत्र का नवीन आवास निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना हेतु जिला परिषदों ने राजकीय प्रत्याभूति के आधार पर हडको से ऋण लिया गया है/जा रहा है। वर्ष 2011-12 (प्रथम चरण) में स्वीकृत ऋण 1308.864 करोड़ रुपये में से दिनांक 11.02.2013 तक 1180.44345 करोड़ रुपये हडको द्वारा 31 जिला परिषदों (सीकर व झुन्झुनूं को छोड़कर) को ऋण अवमुक्त किया गया है। वर्ष 2012-13 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत 26 जिला परिषदों (अलवर, भरतपुर, चूरू, धौलपुर, झुन्झुनूं, नागौर, सीकर को छोडकर) 1037.114 करोड रुपये की ऋण स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके विपरीत दिनांक 11.02.13 तक हडको द्वारा 492.59395 करोड़ रुपये की ऋण राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

हडको द्वारा जिला परिषदों को जारी ऋण की शर्तों के सन्दर्भ में जिला परिषद अलवर को स्वीकृत किये गये ऋण की छायाप्रति नमूने के तौर पर परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न की जा रही है। अन्य विभिन्न जिला परिषदों को भी हडको द्वारा इसी तरह ऋण स्वीकृत किया गया है। जिला परिषदों द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान की राशि से किया जाता है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत ऋण नहीं लिया गया है। जिला परिषद द्वारा राजकीय प्रत्याभूति के आधार पर हडको से ऋण लिया गया/जा रहा है।

जिला परिषदों द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान की राशि से किया जाता है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत जयपुर जिले में वर्ष 2011-12 में 2221 एवं 2012-13 में 2209 निर्धारित लक्ष्यानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। वर्तमान में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लक्ष्यों के विरुद्ध कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जनप्रतिनिधियों के पत्रों के उत्तर देने हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना

44. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव ने समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जनप्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत दो वर्षों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जिला बीकानेर के किन-किन अधिकारियों को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा कब-कब पत्र दिया गया और उस पर कब, क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब भेजा गया? प्राप्त पत्र की प्रति, उत्तर के पत्र प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। जारी निर्देश/परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को, जिला बीकानेर के जिला रसद अधिकारी को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा तीन पत्र लिखे गये, जो कि निम्न प्रकार हैं :-

1. दिनांक 03.04.2012 को ग्राम गडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर में राशन वितरण हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के संबंध में।

    उक्त पत्र की पालना में दिनांक 27.07.2012 को उचित मूल्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दुकान ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,गडियाला, तहसील कोलायत का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाई गई अनियमितताओं पर डीलर को विभागीय प्रकरण संख्या 28/06.08.2012 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके पश्चात प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त डीलर का दिनांक 28.12.2012 को निरीक्षण किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट में गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण संख्या 4/2013 दर्ज कर समिति का प्राधिकार पत्र दिनांक 05.02.2013 को निलम्बित कर दिया गया, जो वर्तमान में निलम्बित है। उक्त डीलर के क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., दियातरा, तहसील कोलायत को वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत राशन वितरण हेतु अधिकृत किया गया है। माननीय विधायक के पत्र का प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 08.02.2013 द्वारा दिया जा चुका है।

2. दिनांक 11.09.2012 को ग्राम नोखा-दैया ग्राम पंचायत खारी खारनान, तहसील कोलायत में चयनित परिवारों को राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं करने के संबंध में।

माननीय विधायक महोदय के पत्र की पालना में प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितता पर प्रकरण संख्या 6/2013 दर्ज कर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त डीलर के क्षेत्र में श्री गोपसिंह, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम भोलासर को वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत राशन वितरण हेतु अधिकृत किया गया है। माननीय विधायक के पत्र का प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 08.02.2013 द्वारा दिया जा चुका है।

3. दिनांक 16.01.2013 को ग्राम देशनोक के निवासियों की गैस डिलेवरी संबंधी समस्या का समाधान करवाने बाबत -

माननीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्र की पालना में दिनांक 05.02.2013 द्वारा व्यवस्थापक मोतीवाला चाण्डक गैस एजेन्सी, देशनोक एवं प्रवर्तन अधिकारी तहसील बीकानेर को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हेतु लिखा गया था। इसके अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, विक्रय एलपीजी, भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन, टेरीटेरी आफिस खारा बीकानेर को भी इस बाबत पत्र प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न क एवं पत्रों के सन्दर्भ में व्यवस्थापक, मोतीवाला चाण्डक गैस एजेन्सी देशनोक ने लिखित में प्रस्तुत किया है कि गैस सप्लाई को लेकर माननीय विधायक महोदय से विचार-विमर्श कर एवं कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप कर गैस डिलीवरी देने का समाधान कर लिया है। एसबीसी गैस कनेक्शनधारी को डीबीसी देने के लिए क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी से वार्ता हो चुकी है। लगभग 400 के आसपास उपभोक्ता डीबीसी के लिए प्रतीक्षा में हैं, उन्हें शीघ्र डीबीसी दे दी जायेगी। वर्तमान में एजेन्सी का कार्य सन्तोषप्रद चल रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भी समस्त एसबीसी गैस धारकों को मार्च, 2013 तक डीबीसी में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। माननीय विधायक के पत्र का प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 08.02.2013 द्वारा दिया जा चुका है।

माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों एवं उन्हें दिये गये उत्तर पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(3) माननीय विधायक द्वारा प्रेषित पत्रों का प्रत्युत्तर दिया जा चुका है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में पेयजल आपूर्ति पर रोक

45. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शहरी विधान सभा क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों व पट्टेशुदा क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल मुहैया कराने पर सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो किस नियम/कानून/परिपत्र के तहत? नियम/कानून/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रोक के कारण शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों की महिलाओं को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक है? क्या सरकार उपरोक्त रोक को अविलम्ब हटाये जाने के निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर विकसित एवं विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर परिषद्/नगरपालिका/ग्राम पंचायत आदि द्वारा अनुमोदित आवासीय कालोनियों में जन सहभागिता योजना अंतर्गत पेयजल योजना प्रस्तावित करने एवं योजना क्रियान्वयन के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त योजना की नीति जारी की हुई है, जो कि प्रचलन में है ।

इसके अतिरिक्त राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं से नहीं जुड़े हुए क्षेत्रों (अलाभान्वित क्षेत्रों) में टैंकर या कामन पाइन्ट पर नल/सिंगल फेज नलकूप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया हुआ है।

(2) उपरोक्तानुसार।

ओ बी सी छात्रों को देय छात्रवृत्ति पात्रता के नियम

46. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ओ बी सी छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो उसकी पात्रता के नियमों की प्रति सहित प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में कितने ओ बी सी छात्रों ने उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने छात्रवृत्ति के पात्र थे तथा कितने पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा उसके लिए कितना बजट उपलब्ध कराया गया? जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि ओ बी सी छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों को बजट की कमी के कारण यदि प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिले तो उन्हें अगले वर्ष में छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जाता है? यदि हां, तो उक्त नियम के कारण कितने ओ बी सी छात्र, छात्रवृत्ति से वंचित रहे? जिलेवार, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ओ बी सी के पात्र समस्त छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने व नियम संशोधन कर एसटी, एससी के छात्रों के समान अगले वर्ष भी छात्रवृत्ति हेतु पात्र मानने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत चार वर्षों में अन्य़ पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, उनमें से पात्र आवेदन पत्रों, पात्र आवेदन पत्रों में से छात्रवृति उपलब्ध करवाये गये आवेदन पत्रों की संख्या एवं आवंटित बजट का वर्षवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति से वंचित छात्रों का जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृति दी जा रही है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे)

भीलवाड़ा जिले में सड़क सीमाओं पर अतिक्रमण

47. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में एम.डी.आर. मिसिंग लिंक सड़क, स्टेट हाइवे एवं नेशनल हाइवे की रोड के सेंटर से दोनों और कितनी भूमि सरकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु चिह्नित की जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले में एम.डी.आर. मिसिंग लिंक सड़क, स्टेट हाइवे एवं नेशनल हाइवे की अधिग्रहित जमीन पर किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में एम.डी.आर. मिसिंग लिंक, स्टेट हाइवे एवं नेशनल हाइवे रोड की सेन्टर से दोनों ओर निर्माण हेतु भूमि आई.आर.सी.-73-1980 में निर्धारित नोर्म्स के अनुसार चिन्हित की जाती है। प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) भीलवाड़ा जिले में एम.डी.आर. एवं नेशनल हाइवे की अधिग्रहित भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परबतसर में पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षक

48. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों को पदस्थापित करने के लिये नये सिरे से समीक्षा की गई है? यदि हां, तो उक्त समीक्षा के क्या-क्या आधार रहे व परबतसर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर कृषि पर्यवेक्षकों को पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त समीक्षा के अंतर्गत कई कृषि पर्यवेक्षकों को हटाया गया है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर?

(3) क्या यह भी सही है कि हटाये गये पर्यवेक्षकों के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार कब तक पुनर्समीक्षा कर उक्त कृषि पर्यवेक्षकों को वापस लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय निर्धारण करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या, सकल बुवाई क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र के आधार पर नये सिरे से समीक्षा की गई। जिसके परिणामस्वरूप परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत निम्न स्थानों पर कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया :-

1. किनसरिया 2. भादवा 3. बडू 4. रोहण्डी 5. खोखर 6. राबडियाद 7. बागोट 8. गूलर 9. पीह 10. बासेड 11. हरनांवा 12. रिड 13. रसाल 14. लीचाणा 15. मीठडी 16. मण्डावरा 17. बाजवास

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में उक्त समीक्षा के आधार पर

(कृषि मंत्री)

निम्न कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय को समाप्त किया गया:- 1. ढाढोता 2. मंगलाना 3. भकरी 4. जावला 5. पीलवा ।

(3) जी नहीं।

पाली जिले के निर्मल भारत अभियान के तहत लम्बित आवेदन

49. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2003 से "निर्मल भारत अभियान" के तहत पाली जिले की किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किए गये हैं?

(2) प्रस्तुत आवेदनों में किस-किस ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार स्वीकृत किया गया एवं कितनी राशि स्वीकृत की गयी?

(3) वर्तमान में पाली जिले की कितनी ग्राम पंचायतों के उक्त योजना के आवेदन भारत सरकार के पास लम्बित हैं?

(4) सरकार द्वारा लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 से आज दिनांक तक निर्मल भारत अभियान के तहत पाली जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदित ग्राम पंचायतों की सूची निम्न है -

क्र. सं.	वर्ष	निम्न ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किये गये
1	2007-08	टेवाली, खौड, निम्बाडा, रडावास, देवली आउवा, देवली, लोटोती, झुठा, पीपलियाकलां, बासना, नारलाई, मादा, गोरिया, शिव तलाब
2	2008-09	टेवाली, खौड, निम्बाडा, रडावास, देवली, लोटोती, झुठा, पीपलियाकलां, बासना, नारलाई, मादा, गोरिया, शिव तलाब
3	2009-10	झुठा, पीपलियाकलां, नारलाई, कोटड़ी, राबडियावास, खौड, निम्बाडा
4	2011-12	धाणेराव, कोट, सोलंकियान, मगर तलाब

(पंचायती राज मंत्री)

(2) निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों के राशि का विवरण निम्न है :—

क्र.सं.	निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु स्वीकृत ग्राम पंचायतें	आबंटित राशि
1	देवली आउवा	2 लाख
2	खौड	1 लाख
3	कोटडी	1 लाख
4	झूठा	1 लाख

(3) वर्तमान में पाली जिले से एक भी ग्राम पंचायत का आवेदन निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(4) निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु सरकार के पास कोई भी आवेदन निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।

रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही

50. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने वर्ष 2012 के अगस्त माह में गृह निर्माण सहकारी समिति सदस्यों के फार्म का बंडल गायब होने की एफ.आई.आर. पुलिस थाना में दर्ज कराई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा कब व किस पुलिस थाने में? एफ.आई.आर. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच में सहयोग नहीं मिलने पर पुलिस द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण में एफ.आर. लगाई गई? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं सरकार ऐसे लापरवाह तथा गैर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कठोर कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त प्रकरण में एफ.आर. न्यायालय द्वारा मंजूर की जा चुकी है? यदि हां, तो क्या विभाग संबंधित न्यायालय में अपील दायर करने का विचार रखता है एवं यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मामले में एफ.आर.

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

न्यायालय द्वारा मंजूर न हो सके इसके लिये ठोस पैरवी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर द्वारा जयपुर शहर (दक्षिण) के थाना-ज्योतिनगर में दिनांक 17.08.2011 को एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्योंकि थानाधिकारी, थाना-ज्योतिनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत एफआर सं.-108/2011 दिनांक 31.10.2011 से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा पुलिस को प्रकरण में पूर्ण सहयोग किया गया है। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत एफआर की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विभाग उक्त मामले में न्यायालय द्वारा एफआर मंजूर न हो सके इसके लिए ठोस पैरवी की कार्यवाही के तहत न्यायालय में दिनांक 27.03.2012 को एफआर के विरुद्ध प्रतिवाद प्रस्तुत कर दिया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा खराब मीटरों को बदलने हेतु कार्य-योजना

51. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर शहर वृत्त में कितने उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर खराब हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम में खराब मीटर को बदलने के क्या नियम हैं?

(3) उपभोक्ता के मीटर खराब होने पर बिल प्रस्तुत करने के क्या नियम हैं? नियमानुसार उपभोक्ता को कितनी रियायत मिलनी चाहिए?

(4) गत दो वर्षों में कितने उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी राशि की रियायत दी है?

(5) निगम ने गत दो वर्षों में कितने मीटर बदले हैं व शेष कब तक बदले जायेंगे?

उत्तर

(1) दिनांक 31 जनवरी, 2013 तक अजमेर शहर वृत में सिंगल फेज के 1989 व थ्री फेज के 783 कुल 2772 मीटर खराब हैं।

(2) अजमेर विद्युत वितरण निगम में खराब मीटर विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के पैरा 30(1) के अनुसार तथा मीटर की उपलब्धतानुसार बदले जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) विद्युत वितरण निगम में मीटर खराब होने पर विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के पैरा 27 के अनुसार बिल दिये जाने का प्रावधान है। नियम की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। उपभोक्ता के खराब मीटर का पता चलने की तिथि से 2 माह पश्चात मीटर नहीं बदलने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के पैरा 30(2) के अनुसार 5 प्रतिशत रियायत देने का प्रावधान है। नियम की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) उपभोक्ता के खराब मीटर का पता चलने की तिथि से 2 माह पश्चात मीटर नहीं बदलने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के पैरा 30(2) के अनुसार 5 प्रतिशत रियायत देने का प्रावधान है। इस संबंध में वर्तमान में अजमेर शहर वृत में किसी उपभोक्ता को रियायत नहीं मिली है।

(5) गत दो वर्षों में अजमेर निगम में सिंगल फेज के 531597 तथा थ्री फेज के 85047 मीटर बदले गये हैं। शेष खराब मीटरों को मीटरों की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र बदला जा रहा है।

प्रपत्र-अ

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के उद्धरण

(30) मीटर का प्रतिस्थापन (Replacement of meter)

(1) किसी मीटर के बन्द हो जाने/त्रुटिपूर्ण हो जाने/जल जाने पर निगम निरीक्षण कर मीटरिंग तन्त्र को जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि उपभोक्ता द्वारा अधिक भार सहित मीटर में किसी भी प्रकार से हेरा-फेरी की गयी है या उसे क्षति पहुंचायी गयी है, जिस मामले में उपभोक्ता व्यय वहन करेगा, अपने व्यय पर प्रतिस्थापित करेगा।

(2) यदि बन्द हुए/त्रुटिपूर्ण मीटरिंग तन्त्र को इसका पता लगाने के दो माह के अन्दर-अन्दर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है तो विद्युत कर को छोड़कर उपाबन्ध-27 के अन्तर्गत बनाये गए कुल विपत्र पर 5% की छूट मासिक/ पाक्षिक विपत्रण की दशा में तीसरे मासिक विपत्र तथा द्वैमासिक विपत्रण की दशा में दूसरे मासिक विपत्र से ऐसा पता लगने की तिथि से मीटर के प्रतिस्थापन तक अनुमत की जाएगी।

प्रपत्र-ब

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन-2004 के उद्धरण

(27) मीटर के बन्द हो जाने या खो जाने या चुरा लिए जाने या जल जाने के मामले में निर्धारण (Assesment in case of stopped or lost or stolen or burnt meter)

(1) यदि मीटर किसी कारण से काम करना बन्द कर दे या मीटर चुरा लिया जाए या खो जाए तो अवधि, जिसके दौरान विद्युत उपभोग, बन्द मीटर या बिना मीटर के किया गया है की संगणना निम्नवत् की जाएगी :—

(i) कृषि व मौसमी औद्योगिक उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ता विद्युत का उपभोग वही माना जाएगा जो पिछले वर्ष की सुंसगत अवधि में सही मीटर ने अंकित किया था या पिछले छह महीनों का औसत उपभोग जो भी अधिक है।

(ii) मौसमी औद्योगिक उपभोक्ता

विद्युत का उपभोग वही माना जाएगा जो पूववर्ती मौसम या गैर-मौसम जैसी भी स्थिति है, के सुसंगत महीनों में सही मीटर द्वारा अंकित किया गया था।

(iii) कृषि उपभोक्ता

विद्युत का उपभोक्ता सम्बद्ध भार के आधार पर 100% भार घटक के साथ निम्नवत् माना जाएगा :—

(a)	**खण्डापूर्ति कनेक्शनों के लिए :** विपत्रण माह अक्टूबर से अप्रैल के लिये विपत्रण माह मई से सितम्बर के लिए	 6 यूनिट/एचपी/दिन 4 यूनिट/एचपी/दिन

(b) अन्य के लिये : विपत्रण माह अक्टूबर से अप्रैल के लिये विपत्रण माह मई से सितम्बर के लिए	12 यूनिट/एचपी/दिन 8 यूनिट/एचपी/दिन

(2) उप-वाक्यांश (i) एवं (ii) के मामले में यदि कोई पिछली अवधि उपलब्ध नहीं है तो, एच टी कनेक्शन को जिसमें सही मीटर की अधिष्ठापना के बाद निर्धारण की आगामी छह महीने की अवधि के औसत उपभोग के आधार पर समीक्षा की जाएगी और तदनुसार वसूली की जाएगी, को छोड़कर उपभोक्ता श्रेणी का न्यूनतम विपत्रण वसूल किया जा सकता है।

हनुमानगढ़ जिले में संचालित बाल गृहों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय

52. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्प्रेक्षण गृह, विशेषगृह अपचारी बालिका गृह एवं किशोर गृह में बच्चों को मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रावधानों के तहत विगत पांच वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसके विरुद्ध कितनी राशि अब तक व्यय की गई? वर्षवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त गृहों में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण की क्या कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) हनुमानगढ़ जिले में विगत पांच वर्षों में उक्त कर्मचारियों के कब-कब प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा कितने लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की सूची तथा प्रशिक्षण पर आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित सम्प्रेक्षण गृह, किशोर गृह तथा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अपचारी बालिका गृह में बच्चों को मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियम) 2011 के नियम 46(7), 47(1)(2)(3), 48(अ)(ब), 49(1)(2) के अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध हैं। नियम प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की सेवाएं लेने तथा भ्रमण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त प्रावधानों के तहत हनुमानगढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में आबंटित तथा व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	विगत 5 वर्षों में आबंटित राशि				विगत 5 वर्षों में व्यय राशि				विशेष विवरण
	साइक्लोजिस्ट/	अध्यापन	भ्रमण	व्यावसायिक	साइक्लोजिस्ट/	अध्यापन	भ्रमण	व्यावसायिक	
2008-09	10400	10400	7000	54000	0	0	0	0	गृह का संचालन नहीं होने के कारण
2009-10	10400	10400	7000	54000	0	0	0	0	गृह का संचालन नहीं होने के कारण
2010-11	10400	10400	7000	54000	0	0	0	0	गृह का संचालन नहीं होने के कारण
2011-12	10400	10400	7000	54000	0	0	0	0	
2012-13	96000	48000	7000	200000	0	0	0	0	

नोट - प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में गृह में विधि से संघर्षरत बच्चे ही प्रवेशित होने एवं उनका अल्प कालिक ठहराव (आवास) होने के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण के सुविधा की उपलब्धता में अनिश्चितता रही।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) जी हां। राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 90 में गृहों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। राजस्थान किशोर न्याय नियम, 2011 की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(4) हनुमानगढ़ जिले में पृथक से विगत पांच वर्षो में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया है। विभाग द्वारा सम्भाग स्तर पर आयोजित किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न इकाई बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड/विशेष किशोर पुलिस इकाई/सामाजिक कार्यकर्ता/अधिनियम अन्तर्गत संचालित संस्थाओं के अध्यक्ष/सदस्य/अधीक्षक/कार्मिकों को प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित करवाया गया, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के अधिनियम से जुड़े अधिकारी/कार्मिकों द्वारा भाग लिया गया है। प्रशिक्षण हेतु आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बहरोड़ में स्थानीय विधायक निधि कोष से पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि

31. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में विधायक निधि कोष से पेयजल हेतु कितनी राशि की अभिशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कहां-कहां, क्या-क्या पेयजल व्यवस्था की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायक मद से अनुशंसित पेयजल संबंधी कार्यों की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर आवश्यक राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही विभाग द्वारा पेयजल जल संबंधी कार्य कराये जाते हैं ।

स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास (एमएलए-लैड) कार्यक्रम/मद के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र, बहरोड़ में पेयजल संबंधी कार्य कराये जाने हेतु विगत पांच वर्षों में जिला परिषद, अलवर के माध्यम से कोई प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप संबंधित जिला परिषद से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) उपरोक्तानुसार।

दांतारामगढ़ में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि

32. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2009 से जनवरी 2013 तक किस-किस पेयजल योजना हेतु कब-कब स्वीकृतियां कितनी राशि की जारी की गईं तथा कार्य कब-कब पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण कौन-कौन से गांव एवं ढाणियां समस्याग्रस्त हैं? उनके लिये

(श्री अमराराम)

सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है तथा कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु वर्णित अवधि में विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जारी की गई पेयजल संबंधी योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति, इनकी स्वीकृत राशि एवं अब तक की प्रगति के संबंध में वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

(2) उक्त क्षेत्र के 18 ग्राम/ढाणियों में उपलब्ध स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या है तथा 206 ग्राम/ढाणियों में निर्धारित मानक मात्रा से कम मात्रा में पेयजल आपूर्ति (आंशिक रूप से लाभान्वित) वर्तमान में हो रही है ।

विभाग द्वारा उक्त प्रभावित ग्राम/ढाणियों में से 40 ग्राम/ढाणियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता पर सम्मिलित कर स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। शेष ग्राम/ढाणियों की योजनाएं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाई जाकर इनकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन तदुपरांत सम्भव होगा। उक्त ग्राम/ढाणियों के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ की पेयजल डिग्गियों/टंकियों की सफाई व्यवस्था

33. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत पांच वर्षो के दौरान कब-कब पेयजल की डिग्गियों/टंकियों व सी.डब्ल्यू.आर. की सफाई का कार्य किया गया? उक्त हेतु निर्धारित टेण्डर प्रक्रिया एवं व्यय राशि के बिलों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पेयजल स्त्रोतों की समय-समय पर सफाई करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त संबंध में जारी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, अनूपगढ़ में गत पांच वर्षों में विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं अन्तर्गत निर्मित उच्च जलाशयों, स्वच्छ जलाशयों (सी.डब्ल्यू.आर.), भू-तल जलाशयों (उपयोग में नहीं आ रहे को छोड़कर) एवं डिग्गियों की सफाई संबंधी कराये गये कार्यों के संदर्भ में वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'अ', 'ब', 'स' व 'द' पर उपलब्ध है।

उक्त कार्य विभागीय स्तर पर कर्मचारियों, संवेदकों एवं 'महानरेगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया है।

विभाग द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निर्धारित टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जाकर कराये गये सफाई संबंधी कार्यों के बिल एवं किये गये भुगतान के संबंध में वांछित विवरण परिशिष्ट-'य' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा जलाशयों की सफाई के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'र' पर उपलब्ध है ।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी पर अनुदान

34. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में जंगली सूअरों एवं नीलगायों (रोज) से खेती को भारी नुकसान हो रहा है यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस संबंध में तारबन्दी पर अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली में जंगली सूअरों एवं नीलगायों से खेती को नुकसान होने की जानकारी मिलती रहती है। इस हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (27) वन/91 दिनांक 31.3.1994 से उप वन संरक्षकों को दिनांक 19.1.1996 व दिनांक 30.04.1997 से क्षेत्रीय वन अधिकारियों (रेंजर्स) को एवं अधिसूचना क्रमांक प.11(27) वन/91 दिनांक 31.8.2000 द्वारा राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी को वन्य जीव (सुरक्षा)

(कृषि मंत्री)

अधिनियम-1972 की धारा-11(1)(बी) के अन्तर्गत अनुसूची III में उल्लिखित रोजडों (नीलगाय) द्वारा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के मध्यनजर रखते हुये कृषकों के आवेदन करने पर ऐसे रोजड़ों को मारने की अनुमति/स्वीकृति जारी करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-35

(स्थगित)

श्रीगंगानगर सिविल लाइन्स क्षेत्र में असुरक्षित राजकीय आवास

36. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर के सिविल लाइन्स क्षेत्र में कितने भवन असुरक्षित घोषित किये गये हैं तथा इनमें से कितनी इमारतें मरम्मत योग्य एवं कितनी इमारतें गिराने योग्य हैं? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रीगंगानगर सिविल लाइन्स क्षेत्र में क्षतिग्रस्त राजकीय आवासों के पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर में सिविल लाइन्स क्षेत्र में 93 भवन असुरक्षित घोषित किये गये हैं। इनमे से 51 इमारतें असुरक्षित मरम्मत योग्य (परिशिष्ट-1) एवं 39 इमारतें असुरक्षित गिराने योग्य हैं (परिशिष्ट-2) व 3 असुरक्षित इमारतें गिरा दी गई हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राजकीय आवासों का पुनर्निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सड़क विकास कार्यों हेतु विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग

37. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा विश्व बैंक से सड़कों के विकास कार्य हेतु वर्ष 2010

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से 2012 तक कितनी राशि किस ब्याज दर व कितने समय के लिए ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से अब तक कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की गई एवं शेष राशि को कहां-कहां पर व्यय करने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से सड़कों के विकास कार्य हेतु वर्ष 2010 से 2012 तक कोई राशि नहीं ली गई है।

(2) अब तक विश्व बैंक से कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः राशि खर्च नहीं की गई है।

पाली जिले की जवासिया-गाडरमाला मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया

38. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सुवाणा में जवासिया से गाडरमाला मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे बारिस में आवागमन बाधित होता है?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त़ पुलिया के स्थापन पर नवीन पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सुवाणा में जवासिया से गाडरमाला मुख्य जिला सड़क एम.डी.आर.-136 के कि.मी. 4 में 300 मीटर का भाग जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट है, जो कि क्षतिग्रस्त है तथा भारी वाहनों का आवागमन बन्द है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

सवाई माधोपुर में हम्मीर पुल से हास्पिटल सड़क का मार्ग विभाजन कार्य

39. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में हम्मीर पुल से हास्पिटल तक की सड़क पर मार्ग विभाजन के कार्य हेतु राशि स्वीकृति होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण है?

(2) क्या यह सही है कि सफल निविदादाता ने काम करने से इन्कार कर दिया है?

(3) क्या यह भी सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण उक्त कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है?

(4) क्या सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को 15 दिन में नई निविदा कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था?

(5) सरकार द्वारा उक्त मार्ग विभाजक का कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्य स्थल पर आ रहे विद्युत पोल, पानी की पाइप लाइन एवं टेलीफोन लाइन सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुबन्धावधि में शिफ्ट नहीं होने के कारण संवेदक द्वारा कार्य करने से इनकार कर दिया गया।

(3) जी नहीं। कार्य स्थल पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने मद से शिफ्ट किया जाना अपेक्षित था, किन्तु तीनों विभागों द्वारा पानी की पाइप लाइन, विद्युत पोल एवं टेलीफोन लाइन शिफ्ट करने का तकमीना प्रस्तुत किया है।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त मार्ग विभाजक का कार्य, पानी की राइजिंग लाइन, विद्युत पोल एवं टेलीफोन लाइनों के विस्थापन होने के उपरान्त कराया जाना प्रस्तावित है।

बूंदी-माटून्दा-किशनपुरा सड़क मार्ग के काम आई भूमि का मुआवजा प्रकरण

40. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 14-15 वर्ष पूर्व ग्राम माटून्दा से ग्राम

(श्री गोपाल मीणा)

किशनपुरा तहसील एवं जिला बूंदी तक जाने के लिये सरकार द्वारा पक्की सड़क का निर्माण करवाया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क निर्माण के दौरान ग्राम माटून्दा के कुछ किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई थीं? यदि हां, तो किस-किस किसान की तथा उक्त सड़क निर्माण में सरकार द्वारा अवाप्त की गई जमीनों के मुआवजे के लिये किसानों ने कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के बूंदी कार्यालय में जरिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजे की मांग की गई व श्री रतना आत्मज रोड़ू जाति रैगर निवासी मोटून्दा ने दिनांक 12 अगस्त, 2009 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया गया था? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता बूंदी ने अपने पत्र क्रमांक एल. ए. ओ./422 दिनांक 8 मार्च, 2011 को भूमि अवाप्ति अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत कोटा को पत्र प्रेषित कर किसानों को मुआवजा राशि के भुगतान की कार्यवाही हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो क्या अवाप्त अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत कोटा ने यह कहकर पत्र लौटा दिया कि हम बूंदी से माटून्दा तक सड़क निर्माण में अवाप्त की गई भूमियों का मुआवजा दे चुके हैं? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण में किस-किस किसान को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा यह लिखा गया है कि माटून्दा से किशनपुरा तक सड़क में गई भूमि व सड़क हमारे रिकार्ड में नहीं है और न ही उक्त भूमियों को विभाग द्वारा अवाप्त कर सड़क निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो क्या यथा स्थिति वर्तमान में बूंदी से माटून्दा व माटून्दा से किशनपुरा तक पक्का रोड बना हुआ है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में प्रभावित सभी किसान गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त गरीब किसानों को समय पर मुआवजा राशि अधिकारियों की लापरवाही से नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो समय पर मुआवजा राशि नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे तथा इसमें कौन दोषी था? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री गोपाल मीणा)

(5) क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में ग्राम माटून्दा के जिन-जिन किसानों की भूमि गई है उन किसानों को अविलम्ब मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम माटून्दा से किशनपुरा तक वर्ष 1994-95 में निर्बन्ध योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया गया था एवं वर्ष 2005-06 में विश्व बैंक पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत माटून्दा से बम्बोरी तक डामर का निर्माण कराया गया था।

जी नहीं। उक्त सड़क के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जी हां। श्री रत्ना आत्मज रोड़ू जाति रैगर निवासी माटून्दा ने दिनांक 12.08.2009 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। अधिशासी अभियन्ता बूंदी के पत्र क्रमांक 4140 दिनांक 25.02.2011 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा को पत्र लिखा था। जिसके उत्तर में भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा ने पत्र क्रमांक एल.ओ.ए. 422 दिनांक 08.03.2011 के द्वारा उत्तर खण्ड कार्यालय बूंदी को प्रस्तुत किया कि ''माटून्दा से किशनपुरा सम्पर्क सड़क हेतु कोई भूमि अवाप्ति नहीं की गई है। ग्राम माटून्दा की जो भूमि अवाप्त की गई है वह बून्दी से माटून्दा सड़क हेतु अवाप्त की गई है।''

जी हां। बूंदी से माटून्दा सड़क निर्माण हेतु खातेदारियों को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत कोटा के पत्र क्रमांक 720 दिनांक 07.10.2011 एवं 766 दिनांक 18.11.2011 द्वारा खण्ड कार्यालय बूंदी को अवगत कराया गया था कि उक्त सड़क हेतु कोई भूमि अवाप्ति नहीं की गई है और न ही मुआवजा निर्धारण किया गया है। वर्तमान में बूंदी से माटून्दा एवं माटून्दा से किशनपुरा तक पक्की सड़क बनी हुई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) विभाग के स्तर पर प्रभावित व्यक्तियों की कोई सूची तैयार नहीं की गई है।

जी नहीं। मुआवजा राशि के भुगतान हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है। माटून्दा से किशनपुरा तक ग्रेवल स्तर तक कार्य निर्बन्ध योजना तथा डामर स्तर तक का कार्य विश्व बैंक पोषित योजना, पी.एम.जी.एस.वाई. में किया गया है। उक्त दोनों योजनाओं में प्राय: कार्य राजस्व रिकार्ड के रास्तों पर ही किया गया है, खाते की जमीन आने पर आपसी सहमति के आधार पर सड़क निर्माण किया गया है।

जी नहीं। क्योंकि सड़क के डामरीकरण के दौरान ग्राम माटून्दा के किसी प्रार्थी एवं अन्य किसी खातेदार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति एवं विवाद नहीं किया गया।

(5) जी नहीं। क्योंकि सड़क के डामरीकरण के दौरान ग्राम माटून्दा के किसी प्रार्थी एवं अन्य किसी खातेदार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति एवं विवाद नहीं किया गया। इन योजनान्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में भूमि अवाप्ति मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-1

श्री रत्ना आत्मज रोडू जाति रैगर के पत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण

ग्राम माटून्दा से ग्राम किशनपुरा तह. एवं जिला बूंदी तक जाने के लिये वर्ष 1994-95 में श्रीमान् जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत राशि रु. 3.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुई थी जिसके अन्तर्गत ग्रेवल सड़क कार्य का निर्माण कार्य करवाया गया था। तदोपरान्त वर्ष 2005-06 में विश्व बैंक से पोषित योजनान्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. में उक्त सड़क पैकेज सं. RJ-WB-09-03 द्वारा राशि रु. 83.21 लाख की लागत से डामरीकरण का कार्य करवाया गया जो वर्ष 2006 में पूर्ण किया गया।

उक्त दोनों योजनाओं में भूमि अवाप्ति मुआवजा राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई है एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण किसी भी कृषक को भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

श्री रतना आ. रोडू जाति रैगर निवासी माटून्दा तह. जिला बूंदी द्वारा भूमि के मुआवजे की मांग का आवेदन पत्र दिनांक 12.08.09 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री

राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रस्तुत किया गया है जिसकी छायाप्रति श्रीमान् अति. जिला कलक्टर एवं सचिव जिला सतर्कता समिति बूंदी के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता खण्ड बूंदी को भी प्राप्त हुई जिसके तहत अधिशासी अभियन्ता खण्ड बूंदी के पत्र क्रमांक 4152-53 दि. 02.12.11 द्वारा वृत कार्यालय बून्दी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था, वृत कार्यालय के पत्र क्रमांक 840 दि. 02.12.2011 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर, बूंदी को प्रेषित कर सूचित किया गया था कि निर्बन्ध राशि योजना एवं अपग्रेडेशन का कार्य विश्व बैंक पोषित योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में निर्मित किया गया। इन योजनान्तर्गत कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में भूमि अवाप्ति मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था।

परिशिष्ट-2

बूंदी से मादून्दा तक सड़क निर्माण में अवाप्त की गई भूमियों का मुआवजा भुगतान सूची

क्र. सं.	नाम काश्तकार	भुगतान की राशि (रु.)	चैक संख्या	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री जैकिशन पुत्र गुहारा मीणा	6160.00	257717	30.11.1995
2.	श्री हरजी पुत्र गुहारा मीणा	6160.00	257718	30.11.1995
3.	श्री लाखा पुत्र मगन मीणा	560.00	257712	30.11.1995
4.	श्री हीरा पुत्र गोरव	3920.00	257710	30.11.1995
5.	श्री महादेव पुत्र भवना	4480.00	257709	30.11.1995
6.	श्री रामदेवा पिता सरवन मीणा	560.00	257708	30.11.1995
7.	श्री शोकरण पुत्र मथुरा मीणा	1680.00	257706	30.11.1995
8.	सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र मीणा	140.00	257705	30.11.1995
9.	गीता पुत्री रामचन्द्र मीणा	140.00	257704	30.11.1995
10.	मांगी बाई पुत्री रामचन्द्र मीणा	140.00	257702	30.11.1995
11.	श्री प्रभु पिता रामचन्द्र मीणा	140.00	257701	30.11.1995
12.	श्री प्रेम पिता रामचन्द्र मीणा	140.00	155000	30.11.1995

1	2	3	4	5
13.	श्री हरनारायण पुत्र रामचन्द्र	140.00	154999	30.11.1995
14.	श्री मांगीलाल पुत्र रामचन्द्र मीणा	140.00	154998	30.11.1995
15.	श्री शोकरण पुत्र मथुरा मीणा	1120.00	154995	30.11.1995
16.	हरजीत कौर बेवा बलराज सिंह	5040.00	154994	30.11.1995
17.	श्री मढ़या पिता घांसी माली	1320.00	154990	30.11.1995
18.	श्री मोहम्मद सद्दीक पुत्र नन्हे खां	5780.00	154988	30.11.1995
19.	श्री मोहम्मद उमर पुत्र इब्राहीम	5780.00	154987	30.11.1995
20.	श्री सुदर्शन भाटिया आ. सरदारीलाल	5780.00	154986	30.11.1995
21.	श्री सत्यमित्र पुत्र सत्यनारायण	5780.00	154985	30.11.1995
22.	श्री महेश प्रकाश पुत्र नाथुराम	38080.00	154982	30.11.1995
23.	श्री भवना आ. दुधा मीणा	6880.00	154997	30.11.1995
24.	श्री जगनियां आ. रामा चमार	8960.00	414135	22.04.1996
25.	श्री मोहन आ. मथुरा	1120.00	795724	16.01.1997
	कुल योग	**1,10,140**		

जैसलमेर जिले में सड़क नवीनीकरण के अपूर्ण कार्य

41. श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक जैसलमेर जिले में नई सड़क बनाने व सड़क नवीनीकरण में कौनसी योजनाओं में कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गईं? उक्त स्वीकृतियों मे से कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गांव से गांवों को जोड़ने वाली ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो आधी अधूरी रह गई हैं? स्वीकृत योजना व ग्राम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2012 तक जिला जैसलमेर में नई सड़क निर्माण व सड़क रिनोवेशन में योजनावार स्वीकृतियां व पूर्ण हो चुकी सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जैसलमेर जिले में गांवों से गांवों को आपस में जोड़ने वाली 22 सड़कें अपूर्ण हैं। स्वीरकृत योजना, सड़क की वर्तमान स्थिति एवं ग्राम सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) अपूर्ण 22 सड़कों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एक सड़क का कार्य भूमि विवाद सुलझाये जाने के पश्चात् प्रगति पर है एवं 4 सड़कों पर भूमि विवाद सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 सड़कों में से एक सड़क की प्राशासनिक स्वीकृति दिनांक 22.01.2013 को राशि रुपये 210.00 लाख की प्राप्त हुई है। शेष 16 अपूर्ण सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बिजली बिलों के साथ यूजर चार्ज राशि की वसूली

42. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 तक कब-कब बिजली

(श्री ओम बिरला)

आपूर्ति में कटौती के आदेश जारी किये गये? कटौती के आदेशों/निदेशों की प्रति सहित डिस्कामवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कटौती किये जाने के क्या-क्या कारण रहे तथा कटौती किये जाने की अवधि कितनी-कितनी रही ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 तक कब-कब किस-किस श्रेणी में बिजली की दरें, अन्य शुल्क व अधिभार बढ़ाये गये/लगाये गये? डिस्कामवार, श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ शहरों में बिजली के बिलों के साथ सफाई व्यवस्था के लिये यूजर चार्ज जोड़कर बिल दिये जाने का निर्णय किया गया है? यदि हां, तो किन-किन शहरों में किस-किस दर पर यूजर चार्ज वसूला जायेगा अथवा जा रहा है? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त यूजर चार्ज के मद में किस-किस शहर से कितनी-कितनी राशि वसूली गई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिसम्बर, 2008 से फरवरी 2013 तक बिजली आपूर्ति में कटौती का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत की आपूर्ति विद्युत उपलब्धता पर निर्भर होती है। कभी-कभी अचानक मांग बढ़ने, उत्पादन यूनिट बन्द हो जाने या पावर एक्सचेंज से कम विद्युत मिलने पर एवं उत्तरी ग्रिड से कम आवृति पर आवरडाल की पाबंदी की वजह से कटौती की गई। कटौती किये जाने की अवधि का विवरण उपरोक्त प्रपत्र-'अ' पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत सबस्टेशन, लाइनें, उपकरणों की मरम्मत के लिये एवं तकनीकी खराबी को दुरस्त करने हेतु विद्युत सप्लाई बंद करनी पड़ती है।

(3) माह दिसम्बर, 2008 से माह फरवरी, 2013 तक विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 08.9.2011 (प्रभावी दिनांक 11.09.2011 से) तथा आदेश दिनांक 08.8.2012 (प्रभावी दिनांक 10.8.2012) के अनुरूप विद्युत निगमों ने विद्युत दरों में परिवर्तन किया है। उक्त परिवर्तित दरों का श्रेणीवार मय सब्सिडी दरों के विवरण क्रमश: प्रपत्र-'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। राज्य के कुछ शहरों में बिजली के बिलों के साथ सफाई

(ऊर्जा मंत्री)

व्यवस्था के लिये यूजर चार्ज जोड़कर बिल दिये जाने का निर्णय किया गया है जिसके आदेशों की प्रति प्रपत्र-'द' पर उपलब्ध है।

(5) यूजर चार्ज के मद में जयपुर व जोधपुर शहर में विद्युत बिलों में माह अक्टूबर, 2012 से निर्धारित राजस्व राशि का निर्धारण व वसूली का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	माह	जयपुर		जोधपुर	
		राजस्व निर्धारण	राजस्व वसूली	राजस्व निर्धारण	राजस्व वसूली
1	अक्टूबर, 12	32.43	19.85	103.52	76.26
2	नवम्बर, 12	362.45	180.12	125.23	112.79
3	दिसम्बर, 12	357.89	314.16	123.14	129.04
	योग	**752.77**	**514.13**	**351.89**	**318.09**

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के गणगौरी बाजार में भूमिगत विद्युत केबल कार्य में अनियमितताएं

43. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाराह जी की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर में भूमिगत विद्युत केबिल का कार्य किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि हटाये गये विद्युत पोल पर स्थित रोड़ लाइट भी हटा दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हटाई गई रोड लाइटों को पुन: स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि भूमिगत की गई विद्युत केबिलों से वहां पर स्थित आवासों को विद्युत मीटर से कनेक्शन किया गया है तथा किये गये कनेक्शनों की केबिलें बेतरतीब ढंग से लटक रही हैं जिन पर बंदर झूलते रहते हैं, तथा विद्युत फाल्ट हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केबिल कनेक्शनों को व्यवस्थित करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बाराह जी की गली, गणगौरी बाजार, जयपुर में भूमिगत विद्युत केबिल का कार्य वित्तीय वर्ष 2010-11 में किया गया था।

(2) जी हां। उक्त कालोनी में रोड लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दीवारों पर 2 एवं मौजूद एक पोल पर कुल 3 नग टयूब लाइटें लगा रखी हैं जो कि चालू हैं। स्थायी रूप से पोल एवं लाइट लगाये जाने का विद्युतीकरण कार्य का तकमीना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। भूमिगत केबिलों से वहां स्थित आवासों के विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं के मीटरों तक सही ढंग से किये गये हैं। केवल दो स्थानों पर पिल्लर बाक्स के पास गंदगी होने व कचरे में आग लगने से सर्विस लाइनों के जलने के कारण कुछ उपभोक्ताओं के पिल्लर बाक्स के पास जी.आई. पाइप लगाकर दीवार के साथ सर्विस लाइन से कनेक्शन दिये गये हैं। बन्दरों इके झूलने से यदि कोई विद्युत सप्लाई बाधित होने की शिकायत आती है तो उसे तुरन्त ठीक कर दिया जाता है। वर्तमान में सभी लाइनें ठीक हैं।

अजमेर जिले में प्रशासन शहरों/गांवों के संग अभियान में निस्तारित विद्युत प्रकरण

44. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा गत दिनों प्रारम्भ किये गये "प्रशासन शहरों के संग'' एवं 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग के प्रत्येक उप खण्ड कार्यालय (सब डिविजन आफिस) स्तर पर कैम्प आयोजित करने व उसमें अभियंताओं, लेखाकार, टेक्नीशियन स्टाफ व वाहन सहित टीम के उपस्थित रहने के निर्देश भी सरकार द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत विभाग द्वारा उक्त प्रकार के शिविर का आयोजन किये जाने व विद्युत समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान किये जाने की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया था? यदि हां, तो अजमेर जिले में इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) उपर्युक्तानुसार विद्युत विभाग के शिविरों का आयोजन अजमेर जिले में कब-कब व कहां-कहां पर किया गया? उपखण्ड कार्यालयवार व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उपर्युक्तानुसार अजमेर जिले में आयोजित शिविरों में कितनी-कितनी व कौन-कौनसी विद्युत समस्याओं के निस्तारण हेतु आवेदन प्राप्त हुए तथा उनके सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? अजमेर जिले में उप खण्ड कार्यालयवार प्राप्त प्रार्थना-पत्रों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गत दिनों प्रारम्भ किये गये ''प्रशासन शहरों के संग" एवं "प्रशासन गांवों के संग" अभियान के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंधित आदेश प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत विभाग के प्रत्येक उप खण्ड कार्यालय (सब डिविजन आफिस) स्तर पर कैम्प आयोजित करने व उसमें अभियंताओं, लेखाकार, टेक्नीशियन स्टाफ व वाहन सहित टीम के उपस्थित रहने के निर्देश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा "प्रशासन गांवों के संग/प्रशासन शहरों के संग" अभियान के तहत आयोजित शिविरों के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन एवं शिकायतों का मौके पर समाधान की जानकारी संबंधित कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भी आम उपभोक्ताओं को दी गई।

(4) उक्त शिविरों का आयोजन अजमेर जिले में कब-कब व कहां-कहां पर किया गया का उपखण्ड कार्यालयवार व तिथिवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(5) अजमेर जिले में आयोजित शिविरों में विद्युत समस्याओं के निस्तारण हेतु प्राप्त आवेदनो एवं उन पर की गई कार्यवाही का उपखण्ड कार्यालयवार विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर में संचालित छात्रावासों में सुविधाएं

45. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने छात्रावास संचालित हैं? इनमें कितने छात्रावास छात्राओं व कितने छात्रावास छात्रों के हैं तथा उनमें कितने-कितने छात्र-छात्राएं रह रहे हैं और उनको कितनी-कितनी छात्रवृत्ति एवं नियमानुसार क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में तीन राजकीय छात्रावास संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

छात्रावास का नाम	स्वीकृत क्षमता	लाभान्वित संख्या
राजकीय अम्बेडकर (अनु. जाति) छात्रावास, धौलपुर-1	60	60
राजकीय अम्बेडकर (स्वच्छकार) छात्रावास, धौलपुर-2	45	45
राजकीय सावित्री बाई फुले (अनु. जाति) छात्रावास, धौलपुर	35	35
राजकीय सावित्री बाई फुले (विशेष पिछड़ा वर्ग) छात्रावास, धौलपुर	50	प्रारम्भ नहीं

उपरोक्त छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में रह रहे छात्रों को विभागीय आदेश क्रमांक 41746 दिनांक 26.05.2011 द्वारा नियत प्रावधान अनुसार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तीन छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2) () राछा/सान्याअवि/11/41746　　　　जयपुर दिनांक 26.5.2011

आदेश

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की घोषणा संख्या 72 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तर एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की मैस भत्ते की राशि 1000 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। बढ़ी हुई दरें दिनांक 1.7.2011 से लागू होंगी तथा एक शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9½ माह हेतु देय होगी। बढ़ी हुई दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	मद	संशोधित दरें (प्रतिमाह)	संशोधित दर अनुसार (प्रति छात्र 9½ माह हेतु)
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1000	9500
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते, मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि	125	1187.50
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	30	285
4.	धुलाई (चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि की)	25	237.50
5.	बिजली-पानी	60	570
6.	समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि	10	95
	योग	**1250**	**11875**

स्कूल यूनिफार्म गर्म जर्सी जूते-मौजे, तौलिया हेतु दी जानी वाली राशि रुपये 1187.50 प्रति छात्र-छात्रा प्रति सत्र एक मुश्त छात्रावास की प्रथम किश्त के साथ ही उपलब्ध कराई जावेगी। ताकि विद्यार्थियों को सत्र के आरम्भ में ही यूनिफार्म आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जावेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी हालत में कुल व्यय प्रति छात्र प्रतिमाह 1250 रुपये एवं प्रति सत्र 11875 से अधिक नहीं होगा।

ये आदेश दिनांक 1.7.2011 से प्रभावी होंगे। यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161100486 दिनांक 12.5.2011 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव

मेवात विकास बोर्ड द्वारा निर्मित बालिका आवासीय विद्यालय

46. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेवात क्षेत्र में मेवात विकास बोर्ड द्वारा 16 बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया था? यदि हां, तो यह बालिका आवासीय विद्यालय कहां-कहां पर बनवाये गये? स्थापन के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं तथा विगत कई वर्षो से यह ढांचे के रूप में निर्मित है? यदि हां, तो इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? प्रत्येक आवासीय विद्यालय पर आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय विद्यालयों को बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? क्या सरकार इन बालिका आवासीय विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मेवात क्षेत्र में निर्मित 16 आवासीय बालिका विद्यालयों के स्थान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। 16 आवासीय बालिका विद्यालयों के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इन पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

(3) इन आवासीय विद्यालयों को बनाने का उद्देश्य मेवात बाहुल्य क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे इस समूह की बालिकाएं अध्ययन कर सकें। अलवर जिले की 10 आवासीय विद्यालयों की प्रारम्भ की तिथि परिशिष्ट-1 पर वर्णित है। एक आवासीय विद्यालय ग्वालदा अगले सत्र में चालू किया जावेगा।

भरतपुर जिले के निर्मित आवासीय विद्यालयों का उपयोग आवासीय विद्यालय के रूप में स्थानीय समस्याओं के कारण नहीं हो पाने से राज्य स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तीन का उपयोग विद्यालयों के रूप में किया जा रहा है। विद्यालय भवन टोडा का उपयोग अगले सत्र से किया जावेगा। विद्यालय भवन गुलपाडा के उपयोग बाबत जिला कलेक्टर भरतपुर से प्रस्ताव चाहे गये हैं।

परिशिष्ट-1

मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निर्मित बालिका आवासीय विद्यालयों का विवरण

क्र. सं.	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	प्रारम्भ होने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम जैरोली पं. समिति तिजारा	25.00	20.00	16.11.2012
2.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम ग्वालदा पं. समिति तिजारा	25.00	25.00	अगले सत्र में
3.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम जमालपुर पं. समिति लक्ष्मणगढ़	25.00	25.00	12.12.2012
4.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम खानपुर मेवान पं. समिति किशनगढ़बास	25.00	25.00	16.11.2012
5.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम बाधोडा पं. समिति किशनगढ़बास	25.00	25.00	16.11.2012

1	2	3	4	5	6
6.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम नंगला बंजीरका पं. समिति रामगढ़	25.00	25.00	14.12.2011
7.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम मातौर (मुण्डावर)	25.00	25.00	7.1.2013
8.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम चांदोली पं. समिति उमरैण	25.00	25.00	1.1.2013
9.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम गोठडी पं. समिति कठूमर	25.00	25.00	1.1.2013
10.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम मद्दु आखुर्द पं. समिति उमरैण	25.00	25.00	14.12.2011
11.	अलवर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम सहजपुर पं. समिति उमरैण	25.00	22.00	14.12.2011
12.	भरतपुर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम सहसन पं. समिति कामां	37.50	31.57	जुलाई 2012
13.	भरतपुर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम जौतरूहल्ला पं. समिति कामां	37.50	31.82	जुलाई 2012
14.	भरतपुर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम कैथवाडा पं. समिति नगर	40.40	27.72	जुलाई 2012
15.	भरतपुर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम गुलपाडा पं. समिति नगर	37.82	38.96	उपयोग के प्रस्ताव जिला कलक्टर से अपेक्षित
16.	भरतपुर	बालिका आवासीय विद्यालय, ग्राम टोडा पं. समिति नगर	35.25	28.70	अगले सत्र में

प्रदेश में शहरी निःशक्तजनों का सर्वे

47. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में शहरी निःशक्तजनों का सर्वे करवाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सर्वे कब प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त सर्वे किस कारण से करवाया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सर्वे का कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो सर्वे के दौरान प्राप्त सभी सूचनाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सर्वे के दौरान प्राप्त आंकड़ों को शहरी निःशक्तजनों की सुविधा हेतु प्रकाशित करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में शहरी विशेष योग्यजनों का सर्वे करवाया गया है। उक्त सर्वे दिनांक 01 अगस्त, 2012 से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रारम्भ किया गया है। सूचना परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(2) राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़े 5 प्रकार की नि:शक्तता की श्रेणी के काफी पुराने थे। जबकि केन्द्रीय नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 अन्तर्गत नि:शक्तता की 7 श्रेणियां हैं। उक्त अधिनियम पूरे देश में लागू है। वर्तमान में सातों श्रेणियों के कितने विशेष योग्यजन हैं इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं होने तथा प्राप्त आंकड़ों के पश्चात लाभान्वित करने के उद्देश्य से सर्वे करवाया गया।

(3) वर्तमान में राजस्थान में सभी जिलों में शहरी विशेष योग्यजनों का सर्वे पूर्ण हो चुका है। केवल जयपुर (शहर) के दो शहरी क्षेत्रों में सर्वे चल रहा है। सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) शेष रहे क्षेत्रों का सर्वे पूर्ण होने पर एवं श्रेणीवार आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 16(1)(25)/वि.यो.सर्वे/.न्या.अ.वि./12/15850 जयपुर, दिनांक 6.7.2012

विषय : राज्य के विशेष योग्यजनों का नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के तहत परिभाषित श्रेणियों अन्तर्गत पहचान एवं संबंधित आंकड़ों के संधारण बाबत घर-घर जाकर (Do to Door) सर्वे किये जाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के तहत परिभाषित सातों श्रेणियों के राज्य में आवासित विशेष योग्यजनों का सर्वे/चिन्हिकरण तीन चरणों में दिनांक 15 जुलाई, 2012 से 15 सितम्बर, 2012 तक की अवधि में किया जाना है। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिनांक 28.06.2012 को आयोजित विडियो कान्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशानुसार आपदा सूचित किया जा चुका है।

विशेष योग्यजनों का राज्य स्तरीय सर्वे तीन चरणों में किया जाना है।

प्रथम चरण-प्रशिक्षण दिनांक 15 जुलाई से 30 जुलाई, 2012 तक

द्वितीय चरण-चिन्हिकरण/पहचान दिनांक 01 अगस्त से 31 अगस्त, 2012 तक

तृतीय चरण-प्रमाणीकरण 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2012 तक है।

राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 5,65,07,188 में 14,11,979 विशेष योग्यजन थे। इस जनगणना के आकड़े में दृष्टि बाधित, मूक-बधिर, चलन नि:शक्त तथा मानसिक नि:शक्तता की श्रेणी का लिंगवार/ग्रामीण-शहरी क्षेत्रवार विवरण है। यह आंकड़े भी काफी पुराने एवं उल्लिखित 5 विशेष योग्यजनों से संबंधित है। जबकि केन्द्रीय नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 जो जनवरी, 1996 से पूरे देश में लागू है। अधिनियम की धारा 2 (i) में नि:शक्तता की निम्न 7 श्रेणियां परिभाषित की गई हैं :—1. दृष्टि बाधित (Blindness) 2. अल्प दृष्टि (Low-vision) 3. कुष्ट रोग से मुक्त (Leprosy-cured) 4. श्रवण बाधित (Hearing Impairment) 5. चलन नि:शक्तता (Locomotor disability) 6. मानसिक मंदता (Mental retardation) 7. मानसिक रोगी (Mental illness)

उल्लिखित 7 श्रेणियों के राज्य में कितने विशेष योग्यजन हैं। इस तरह के

अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य के विशेष योग्यजन इन कार्यक्रमों से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं एवं लाभान्वितों की संख्या अपेक्षात्मक कम रह रही है।

अतः निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 15 जुलाई, 2012 से एक व्यापक राज्य स्तरीय सर्वे/चिन्हिकरण अभियान विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से प्रारम्भ कर विशेष योग्यजनों की पहचान एवं गणना कर राज्य स्तरीय नवीन डाटा तैयार किया जायेगा ताकि विशेष योग्यजनों के राज्य स्तरीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

विशेष योग्यजन सर्वे अभियान के प्रथम चरण में दिनांक 15 जुलाई, 2012 से प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक उपखण्ड/ब्लाक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सर्वे कार्यक्रम का आमुखीकरण किया जाना है।

द्वितीय चरण 01 अगस्त, 2012 से 31 अगस्त, 2012 तक का होगा, जिसमें विशेष योग्यजन सर्वे बाबत तैयार की गई कार्यक्रम की संरचना अनुसार प्रत्येक शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिल्ड स्तर के कर्मचारी यथा-पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, ए.एन.एम., महिला आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, स्थानीय स्कूल के शिक्षक, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा विशेष शिक्षक आदि के माध्यम से घर-घर जाकर (Door to Door) सर्वे कार्य किया जायेगा।

तृतीय चरण दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से 15 सितम्बर, 2012 तक होगा, जिसमें द्वितीय चरण के अन्तर्गत किये गये सर्वे में चिन्हित विशेष योग्यजनों के प्रमाणीकरण हेतु शिविर आयोजित कर नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक, अंग/उपकरण/सहायता के आवेदन पत्र तैयार करवाकर पात्र विशेष योग्यजनों की लाभान्वित किया जायेगा। साथ ही दिनांक 16 सितम्बर, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक सर्वे प्रपत्रों डाटा फिडिंग नि:शक्तता की श्रेणीवार आंकड़ों की सूचना व सी.डी. निदेशालय विशेष योग्यजन को भिजवाई जायेगी।

मुझे आशा है कि आपके निर्देशन में शहरी क्षेत्र के विशेष योग्यजनों का सर्वे कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से नियत कार्यक्रमानुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा।

सम्भागीय आयुक्त   शुभेच्छु
………………….   **अदिति मेहता**
समस्त जिला कलक्टर,
……………………….

परिशिष्ट-ब

शहरी सर्वे प्रगति सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	शहरी क्षेत्रों की संख्या	सर्वे की स्थिति			प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या
			सर्वे पूर्ण	सर्वे चालू	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	अजमेर	7	7	0	7	2387
2.	अलवर	7	7	0	7	477
3.	बांसवाड़ा	2	2	0	2	1229
4.	बारां	4	4	0	4	774
5.	बाड़मेर	2	2	0	2	252
6.	भरतपुर	10	10	0	10	1259
7.	भीलवाड़ा	8	8	0	8	2144
8.	बीकानेर	4	4	0	4	870
9.	बूंदी	4	4	0	4	470
10.	चित्तौड़गढ़	2	2	0	2	1640
11.	चूरू	6	6	0	6	1061
12.	दौसा	3	3	0	3	538
13.	धौलपुर	3	3	0	3	352
14.	डूंगरपुर	2	2	0	2	179
15.	श्रीगंगानगर	10	10	0	10	4187
16.	जयपुर (शहर)	3	1	2	3	456
17.	जयपुर (ग्रामीण)	9	9	0	9	1498
18.	जैसलमेर	2	2	0	2	450

1	2	3	4	5	6	7
19.	जालौर	3	3	0	3	1398
20.	झालावाड़	5	5	0	5	661
21.	झुन्झुनूं	12	12	0	12	668
22.	जोधपुर	4	4	0	4	4719
23.	कोटा	4	4	0	4	2322
24.	नागौर	11	11	0	11	900
25.	पाली	9	9	0	9	650
26.	राजसमन्द	4	4	0	4	675
27.	सवाई माधोपुर	2	2	0	2	949
28.	सीकर	9	9	0	9	3554
29.	सिरोही	5	5	0	5	370
30.	टोंक	6	6	0	6	1022
31.	उदयपुर	4	4	0	4	815
32.	करौली	3	3	0	3	271
33.	हनुमानगढ़	6	6	0	6	902
34.	प्रतापगढ़	2	2	0	2	285
	योग	**177**	**175**	**2**	**177**	**40384**

पश्चिमी राजस्थान के भेड़ व बकरी पालकों के विकास हेतु संचालित योजनाएं

48. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पशुओं को होने वाली बीमारियों जैसे खुरपका व मुंहपका के निदान के लिए विगत पांच वर्षों में कितनी राशि व्यय की? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विगत पांच वर्षों में मुंहपका व खुरपका रोगों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में भेड़ व बकरी पालन ग्रामीणों का प्रमुख रोजगार है? सरकार द्वारा इनके विकास के लिए विगत पांच वर्षों में क्या-क्या योजनाएं बनाईं तथा कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गईं और कितनी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खुरपका व मुंहपका रोग के निदान के लिए विगत 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	व्यय की गई राशि "रुपयों में"
2007-08	67730
2008-09	98189
2009-10	81734
2010-11	249493
2011-12	706384
कुल	**12,03,530**

(2) प्रदेश में विगत 5 वर्षों में खुरपका व मुंहपका रोग से वर्ष 2009-10 में 10 तथा वर्ष 2011-12 में 270 पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(3) पश्चिम राजस्थान में भेड़ एवं बकरियों की संख्या अधिक होने के कारण वहां पशुपालकों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है ।

(पशुपालन मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में निम्नांकित योजना तैयार कर कियान्वित की गई है :-

1. भेड़ फार्म, फतेहपुर में देशी नस्ल की भेड़ों में सुधार हेतु मगरा एवं मारवाड़ी नस्ल की भेड़ का पालन प्रारम्भ किया गया है। जिससे देशी नस्ल का संबंधित विकास किया जा सके।
2. भेड़ फार्म फतेहपुर में बकरी प्रजनन कार्य प्रारम्भ किया गया है जिससे सिरोही नस्ल का नस्ल सुधार, सिरोही नस्ल संवर्धन एवं विकास कार्य किया जा सके।
3. बकरियों में नस्ल सुधार हेतु उन्नत बकरा वितरण कार्य किया जा रहा है।
4. मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना।
5. पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना।
6. भैंस बीमा योजना।
7. पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा पशुपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
8. बेरोजगार पशुधन सहायकों एवं पशु चिकित्सकों के माध्यम से पशुधन सेवा केन्द्रों की स्थापना।

प्रदेश में पशुपालन के विकास के लिए प्रारम्भ की गई समस्त योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं।

बाड़मेर जिले के पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों में रिक्त पद

49. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के लोगों का जीवकोपार्जन का साधन पशुपालन है?

(2) बाड़मेर जिले में कितना पशुधन उपलब्ध है? उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कितने चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं और उन चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? सूची विधान सभा क्षेत्र वार/केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बायतू विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष क्रमोन्नत नवातला चिकित्सालय एवं नया सोमेसरा एवं साजियाली में उपकेन्द्र संचालित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में अधिक पशुधन होने के कारण वहां पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है।

(2) वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार बाड़मेर जिले में कुल 44.72 लाख पशुधन हैं ।

बाडमेर जिले में वर्तमान में 135 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं। इन संस्थाओं में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पशु चिकित्सा कर्मियों की सूची संलग्न है।

(3) पशु चिकित्सालय नवातला में पशुधन सहायक कार्यरत हैं तथा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नया सोमेसरा एवं साजियाली पदम सिंह में वर्तमान में पदस्थान के अभाव में केन्द्र का संचालन नहीं हुआ है। पशु चिकित्सा कर्मियों को उपलब्धतानुसार पदस्थापित कर संचालित किया जाता है ।

(4) रिक्त पदों को उपलब्धतानुसार भरा जाता है ।

(सूची पुस्तकालय मे रखी गयी)

विराटनगर के पशु चिकित्सालय उप केन्द्रों में रिक्त पद

50. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में नि:शुल्क दवा योजना शुरू की गई है, परन्तु पशु चिकित्सा केन्द्रों के अभाव में सभी पशुपालकों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने पशु उप चिकित्सा केन्द्र पर किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भरा जायेगा?

(3) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन पंचायतों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक कितने पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 15-08-2012 से मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की गई है । जिसका लाभ प्रदेश के समस्त पशुपालकों को पशु चिकित्सार संस्थाओं व जहां पशु चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत नहीं हैं वहां पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत शिविरों के माध्यम से मिल रहा है ।

वर्तमान में प्रदेश में 4200 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है ।

(2) प्रदेश में 1900 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों पर 407 पद पशुधन सहायक, 481 पद पशुधन परिचर एवं जलधारी के 434 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों को उपलब्धतानुसार भरा जाता है ।

(3) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में निम्न पदों के माध्यम से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 30 बी के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है :-

1. वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी।
2. पशु चिकित्सा अधिकारी।
3. पशु चिकित्सा सहायक।
4. पशुधन सहायक।

(4) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में छितौली तथा वर्ष 2011-12 में दो पशु चिकित्सा उपकेन्द्र क्रमश: पालड़ी व जोधपुर खोले गये हैं।

परिशिष्ट-अ

पशुपालन विभाग

जिलेवार पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची (15.2.2013)

क्र. सं.	जिला	पालीक्लिनिक	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	अजमेर	1	11	67	7	43	129
2.	अलवर	1	14	70	10	106	201
3.	बारां	0	8	32	6	31	77
4.	बांसवाड़ा	1	7	55	9	43	115
5.	बाड़मेर	0	11	68	8	49	136
6.	भरतपुर	1	10	55	8	90	164
7.	भीलवाड़ा	0	15	77	11	87	190
8.	बीकानेर	1	8	69	10	43	131
9.	बूंदी	0	6	22	5	38	71

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	चित्तौड़गढ़	0	13	41	8	68	130
11.	चूरू	0	6	52	6	46	110
12.	दौसा	0	6	42	6	39	93
13.	धौलपुर	0	5	30	6	12	53
14.	डूंगरपुर	0	5	51	7	81	144
15.	हनुमानगढ़	0	7	47	8	52	114
16.	जयपुर	2	22	100	12	137	273
17.	जैसलमेर	0	5	31	5	14	55
18.	जालौर	0	8	43	8	36	95
19.	झालावाड़	1	9	26	7	34	77
20.	झुन्झुनूं	0	11	89	6	83	189
21.	जोधपुर	1	11	92	10	41	155
22.	करौली	0	6	30	9	26	71

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	कोटा	1	6	25	7	30	69
24.	कुचामनसिटी	0	7	48	9	55	119
25.	नागौर	1	6	41	8	46	102
26.	पाली	1	9	66	6	52	134
27.	प्रतापगढ़	0	5	21	7	39	72
28.	राजसमंद	0	9	38	6	56	109
29.	सवाई माधोपुर	0	7	23	7	38	75
30.	सीकर	1	8	82	14	102	207
31.	सिरोही	0	6	30	8	35	79
32.	श्रीगंगानगर	1	8	46	7	72	134
33.	टोंक	1	6	41	6	43	97
34.	उदयपुर	1	12	76	8	133	230
	Total कुल	16	293	1726	265	1900	4200

जयपुर डेयरी में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

51. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर डेयरी में गत चार वर्षों में किस-किस प्रकार की अनियमितता के प्रकरण सामने आये तथा सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कराई गई जांच में कोई कार्मिक दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण प्रदर्श-"क" पर संलग्न है।

(2) विवरण प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास में अलवर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा लाभान्वित कृषक

52. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत चार वर्षों में जिला अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को कितने कृषकों से ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से कितने को ऋण वितरित गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा कितने किसानों को ऋण दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., अलवर को प्राप्ति आवेदन पत्रों की संख्या एवं पात्र कृषकों को दिया गया ऋण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदकों की पात्रतानुसार वितरित ऋण	
		संख्या	राशि
2008-09	115731	42879	9143.24
2009-10	116758	55625	12651.55
2010-11	139911	77307	20349.35
2011-12	140286	83272	26919.25

तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अलवर द्वारा समितियों के माध्यम से गत चार वर्षों में वितरित ऋण का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में विधायक निधि से अनुशंसित कार्य

53. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विधायक कोष से कितने कार्यों की अनुशंसा की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक कोष से नगर परिषद, बूंदी की कार्यकारी संस्था वाले कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधायक कोष के कार्यों में निर्धारित स्वीकृतियां जारी होने में विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या विधायक कोष के कार्यों में कार्यकारी संस्था किसी असम्बद्ध पंचायत को बनाया जा सकता है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने कार्य किस-किस के आदेश से हुये, जिनमें कार्यकारी संस्था असम्बद्ध पंचायत है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2008 से 15 जनवरी, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र बूंदी के विधायक कोष से अनुशंसित कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधायक कोष के कार्यों की वर्तमान स्थिति संलग्न परिशिष्ट-1 के अन्तिम कालम पर उपलब्ध है।

(3) विधायक कोष से नगर परिषद बूंदी को कार्यकारी संस्था वाले कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) विधायक कोष के कार्यों में निर्धारित स्वीकृतियां जारी होने में विलम्ब के लिये जिम्मेदार चार विकास अधिकारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. 17 में कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।

(5) जी नहीं। असंबंध ग्राम पंचायतों को कार्य देने की वित्तीय स्वीकृति माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा की अनुपालना में जारी की गई है। असंबंध ग्राम पंचायतों को दिये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 में संलग्न है। माननीय विधायक महोदय की इस बारे में की गई अनुशंसाओं की छायाप्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूची, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

मूंगफली/चना, जौ उत्पाद क्षेत्रों में सहकारी मिलों की स्थापना हेतु कार्य योजना

54. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देश के दूसरे प्रांतों यथा महाराष्ट्र एवं गुजरात में सहकारी क्षेत्र में गन्ने की चीनी मिलें सफलतापूर्वक वर्षों से चल रही हैं?

(2) क्या सरकार राजस्थान में मूंगफली, सरसों, चना और जौ के प्रचुर उत्पाद वाले क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र में तेल, दलहन और जौ के माल्ट प्लांट लगाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास दूसरे प्रान्तों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) तिलहन यथा मूंगफली, सरसों एवं दालों के लिए भी पूर्व में सहकारी क्षेत्र में प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की गई थीं, परन्तु उक्त इकाइयों के लाभप्रद नहीं होने के कारण इनको बंद करना पड़ा है। वर्तमान में विभाग के स्तर पर तिलहन यथा मूंगफली, सरसों एवं दालों की प्रोसेसिंग इकाइयों को स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परबतसर की पंचायत समितियों द्वारा करवाये गए कार्यों का मूल्यांकन

55. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समितियों द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये अधिकारियों अधिकृत कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस स्तर के अधिकारी कितनी-कितनी राशि के कार्यों का मूल्याकंन करने के लिये अधिकृत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर की पंचायत समितियों द्वारा कराये गये कार्यों का मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों से नहीं करवाकर अन्य अधिकारियों से करवाया गया है? यदि हां, तो किन-किन

(श्री मानसिंह)

पंचायत समितियों में किन-किन अधिकारियों से इस प्रकार का मूल्यांकन करवाया गया तथा सरकार द्वारा इस संबंध में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के बिन्दु संख्या 20.4 के अनुसार मूल्यांकन करने के लिये अधिकारियों को अधिकृत कर रखा है-

क्र.सं.	सक्षम अधिकारी	लागत
1	कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति/कार्यकारी विभाग	रु.2.00 लाख तक
2	सहायक परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी संवर्ग) सहायक अभियन्ता जिला परिषद/ सहायक अभियन्ता/वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति/कार्यकारी विभाग	रु.10.00 लाख तक
3	परियोजना अधिकारी (अभि. संवर्ग) जिला परिषद/अधिशासी अभियंता, कार्यकारी विभाग	रु.30.00 लाख तक

(2) जी नहीं।

राजसमन्द जिला परिषद की साधारण सभा की आयोजित बैठकें

56. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिला परिषद की 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितनी साधारण सभाएं आयोजित की गईं?

(2) उक्त अवधि में साधारण सभा में सड़क, विद्युत, पानी, निर्माण कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, जल संसाधन एवं अन्य विभागों के संबंध में कितनी समस्याऐं एवं शिकायतें उठाई गईं?

(3) उक्त में से कितनी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान हुआ कितनी समस्याएं एवं शिकायतें लम्बित हैं? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के बारे में परिषद को सूचित किया जाता है?

(4) सरकार द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा में उठाई गई

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
समस्याओं एवं परिवेदनाओं का समाधान सुनिश्चित करवाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिला परिषद की 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक 14 साधारण सभाएं आयोजित की गई हैं।

(2) उक्त अवधि में साधारण सभा में सडक, विद्युत, पानी, निर्माण कार्य, शिक्षा, चिकित्सा, जल संसाधन एवं अन्य विभागों के संबंध में कुल 204 समस्याएं/शिकायतें उठाई गईं।

(3) उक्त में से कुल 176 शिकायतों का समाधान किया गया। शेष 28 शिकायतें लम्बित हैं, जिन्हें संबंधित विभागों द्वारा समाधान करने की प्रक्रिया की जा रही है।

जी हां। समस्याओं का समाधान कर परिषद को पालना रिपोर्ट भिजवाई जाती है तथा आगामी साधारण सभा की बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(4) जी हां। जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद की साधारण सभा में उठाये गये समस्याओं एवं परिवेदनाओं का समाधान सुनिश्चित करवाने के प्रयास किये जाते हैं।

रायसिंहनगर की पंचायतों का पुनर्सीमांकन

57. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन के मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार उक्त मानदण्डों में कोई संशोधन/परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं संशोधन/परिवर्तन कब तक किये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला श्रीगंगानगर के विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों का तथा कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायतों के पुनर्सीमांकन करने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं। 1994 की धारा 101 में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी पंचायती राज संस्था का पुनर्गठन करने के बाद पुनर्गठित पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तथा पुनर्गठित एवं नवसृजित पंचायती राज संस्था के चुनाव 6 माह में करवाया जाना आवश्यक हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी-फरवरी 2010 में ही सम्पन्न करवाये गये हैं। पुनर्गठन का कार्य पूरे राज्य के लिये समान है। अत: अभी पंचायती राज संस्थाजओं का पुनर्गठन करना व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है।

वैर की ग्राम पंचायतों के नलकूपों की मरम्मत

58. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में ग्राम पंचायतों के पास में कितने सिंगल फेस नलकूप हैं?

(2) उक्त नलकूपों पर वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012 में किस-किस ग्राम पंचायत में कितना-कितना बिजली का बिल आया?

(3) प्रदेश में सिंगल फेस नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने के बाद उनकी मरम्मत एवं नलकूपों के द्वारा उपलब्ध पेयजल की क्या स्थिति रही है?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सिंगल फेस नलकूपों की क्रियाशीलता का स्तर देखकर क्या सरकार इनकी मरम्मत एवं बिजली के बिल के बारे में उचित समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में पंचायत समिति वैर में 120 सिंगल फेस नलकूप है।

(2) उक्त नलकूपों पर वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012 में आये बिल की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) निर्मित सिंगल फेस नलकूप का संधारण विभाग के माध्यम से पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से जनता जल योजनाओं की समीक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। उनकी मरम्मत एवं नलकूपों के द्वारा उपलब्ध पेयजल की स्थिति संतोषजनक है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जनता जल योजनाओं की क्रियाशीलता की समय-समय पर विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है। योजना के प्रावधानों के अनुसार इन योजनाओं के नलकूपों की मरम्मत एवं विद्युत व्यय के बिलों के भुगतान हेतु राज्य मद से पंचायती राज संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराई जाती है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय जिला परिषद्, भरतपुर (राज.)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	बिजली बिल की राशि
1.	कलसाडा	282171/-
2.	बागरैन	190372/-
3.	खानखेडा	168583/-
4.	खरैरी	56345/-
5.	खेडली गडासिया	173010/-
6.	खोहरा	217492/-
7.	गुर्धानदी	11822/-
8.	हाथौडी	93283/-

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भरतपुर

बारां जिले में पंजीकृत मदरसे

59. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (अन्ता-बारां) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में कितने पंजीकृत मदरसे हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मदरसों में कितने छात्र किस-किस कक्षा में तालीम प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मदरसे किस-किस दिनांक को पंजीकृत हुए एवं किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुए? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधा तथा किस-किस स्तर के कर्मचारी लगाए गए हैं? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती निर्मला)

(5) उक्त पंजीकृत किस-किस मदरसे के लिए पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) बारां जिले में नये मदरसे पंजीकृत कर प्रारम्भ करने हेतु किस-किस स्थान के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में 130 मदरसे पंजीकृत हैं। गांववार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत मदरसों में कुल 9310 छात्र हैं जो कक्षा 1 से 8 तक विभिन्न कक्षाओं में तालीम पा रहे हैं। मदरसेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) पंजीकृत मदरसों का विवरण पंजीयन दिनांक से बोर्ड कार्यालय में रखा जाता है। बारां जिले के पंजीकृत मदरसों की पंजीयन दिनांक परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) उक्त मदरसों में बोर्ड द्वारा अध्यापन कार्य हेतु संविदा पर शिक्षा सहयोगी, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी लगाए जाते हैं तथा पुस्तकें पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा, मिड-डे-मील सर्वशिक्षा अभियान द्वारा तथा बोर्ड द्वारा फर्नीचर, दरी-फर्श और कम्प्यूटर उपलब्धतानुसार प्रदान किए जाते हैं। मदरसावार जारी सामग्री को सूची परिशिष्ट-2 से 4 पर संलग्न है।

(5) पंजीकृत मदरसों में भवन की व्यवस्था, मदरसा संचालन समिति द्वारा की जाती है। बारां जिले में मदरसों के लिए भवन व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(6) बारां जिले के पंजीयन के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-25 का विवरण)

राजसमन्द जिले में किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नालेज सेन्टर एवं भू-अभिलेख सूचना केन्द्र का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत जहां निर्माण कार्य होना है	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	आमेट	गलवा	9.00
2.		लोढियाणा	9.00
3.		सेलागुडा	9.00
4.		आईडाणा	9.00
5.		जिलोला	9.00
6.		लिकी	9.00
7.		सियाणा	9.00
8.	भीम	अजीतगढ़	9.00
9.		बग्गड	9.00
10.		बागाना	9.00
11.		बार	9.00
12.		बरार	9.00
13.		छापली	9.00
14.		लाखागुडा	9.00
15.		शेखावास	9.00
16.		कूकडखेडा	9.00
17.		कूकडा	9.00

1	2	3	4
18.		सारोठ	9.00
19.		टोगी	9.00
20.	देवगढ़	आंजना	9.00
21.		कांकरोद	9.00
22.		लसानी	9.00
23.		मदारिया	9.00
24.		ताल	9.00
25.		कालेसरिया	9.00
26.		कुंआथल	9.00
27.		कुंदवा	9.00
28.		पारडी	9.00
29.		सांगावास	9.00
30.		स्वादडी	9.00
31.	खमनोर	देलवाडा	9.00
32.		गुंजोल	9.00
33.		नेगड़िया	9.00
34.		शिशोदा	9.00
35.		टांटोल	9.00
36.		उपली ओडन	9.00
37.		बागोल	9.00
38.		धांयला	9.00
39.		कोठारिया	9.00
40.		मण्डियाना	9.00

1	2	3	4
41.		नमाना	9.00
42.		पाखण्ड	9.00
43.		सालोर	9.00
44.		सेमल	9.00
45.		उथनोल	9.00
46.	कुम्भलगढ़	जनावद	9.00
47.		उमरवास	9.00
48.		बनोकडा	9.00
49.		वरदडा	9.00
50.		गजपुर	9.00
51.		कांकरवा	9.00
52.		कणुजा	9.00
53.		कडिया	9.00
54.		केलवाडा	9.00
55.		कोयल	9.00
56.		कुचोली	9.00
57.		मझेरा	9.00
58.		मोरचा	9.00
59.		ओलादर	9.00
60.		ओडा	9.00
61.		समीचा	9.00
62.		तलादरी	9.00
63.	रेलमगरा	बामनिया कलां	9.00

1	2	3	4
64.	रेलमगरा	बनेडिया	9.00
65.		धनेरिया	9.00
66.		जीतावास	9.00
67.		खरबामनिया	9.00
68.		कोटड़ी	9.00
69.		कुण्डिया	9.00
70.		लापसिया खेड़ा	9.00
71.		मेहन्दुरिया	9.00
72.		ओडा	9.00
73.		पनोतिया	9.00
74.		पीपली अहिरान	9.00
75.		पीपली डोडियान	9.00
76.		सकारावास	9.00
77.		चराना	9.00
78.		गवारडी	9.00
79.		गिलुण्ड	9.00
80.		पछमता	9.00
81.	राजसमंद	भावा	9.00
82.		केलवा	9.00
83.		मोही	9.00
84.		मुण्डोल	9.00
85.		पडासली	9.00
86.		पसुन्द	9.00

1	2	3	4
87.	रामसमंद	फरारा	9.00
88.		फियावडी	9.00
89.		तासोल	9.00
90.		बडारडा	9.00
91.		भाटोली	9.00
92.		एमडी	9.00
93.		पीपरडा	9.00
94.		साकरोदा	9.00

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-26 की प्रति)

परिशिष्ट-1

Inter Office Memo

Ref : SL/LPG/CNC rebate   Date : 05.11.2012

To : All State LPG Heads

All Area Managers

SUB : REBATE FOR CASH AND CARRY SUPPLIES OF LPG CYLINDERS BY LPG DISTRIBUTORS

Consequent to MOP & NG letter No. P-20028/1/2001-PP (Pt. IIA) dated 05.10.2012, Domestic LPG Distributor's Commission for 14.2 Kg cylinder and 5 Kg cylinder has been increased with effect from 5.10.2012, as per the details given below :

Type of Cylinder	Distr. Commission	Delivery Charges
14.2 Kg	22.25	15.00
14.2 Kg (sold at Market rate Beyond Capping)	23.00	15.00
5 Kg	11.13	7.50

As per the above revision, LPG Distributors are authorized to collect delivery charges amounting to Rs. 15 per 14.2 Kg cylinder and Rs. 7.50 per 5 Kg cylinder from the customers for delivery of the cylinder at home. Customers who collect the refills directly from the Distributor's premises will not be charged the delivery charges.

On 22.10.2012, Industry members discussed the issues arising out of the above revision in commission and decided as given below :

1. As in the past, Regular LPG distributors will continue to deliver LPG cylinders on Home delivery basis for all the customers in their Area of operation. In case of LPG supplies made on Cash & Carry basis based on the request of the customer or some other exigencies, a rebate of Rs. 15 and Rs. 750 shall be passed on to the customers for 14.2 Kg and 5 Kg cylinders respectively.
2. In case of RGGLV distributors, they will continue to supply LPG cylinders to customers on Cash & Carry basis without any rebate on both 14.2 Kg and 5 Kg cylinders as per the existing practice in vogue. In other words, they will be entitled to Distributors commission towards establishment charges as well as delivery charges without passing on any rebate to customers.

SK Awasthi
General Manager (LPG-Sales)